सेल SAIL

60 उत्पादन के 60 वर्ष

सन 1959 से

उत्कृष्टता की यात्रा

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

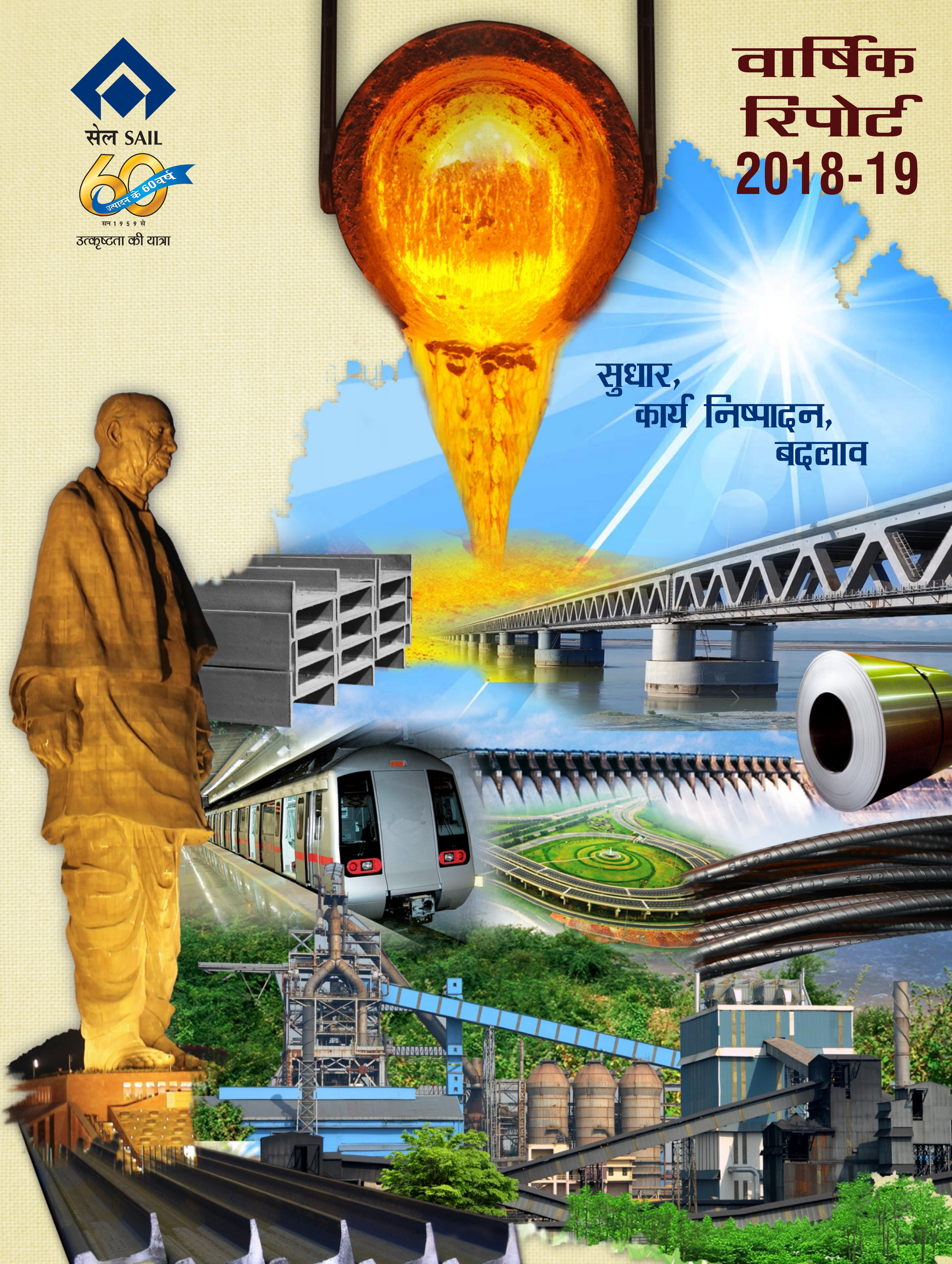

सुधार,
कार्य निष्पादन,
बदलाव

मजबूत भारत का निर्माण

सेल ने दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर प्रतिमा "स्टैचु ऑफ यूनिटी" के निर्माण के लिए 12000 मीट्रिक टन स्टील (कुल स्टील ज़रूरत का 50% स्टील) की आपूर्ति की

ध्येय पथ

एक सम्मानित विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान बनने के साथ–साथ भारतीय इस्पात व्यवसाय में गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता और उपभोक्ता संतुष्टि के क्षेत्र में अग्रणी रहना।

मूल मत

- हम उपभोक्ताओं के साथ विश्वास एवं पारस्परिक हित पर आधारित चिरस्थायी संबंध बनाते हैं।
- हम अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हैं।
- हम एक ऐसी संस्कृति का सृजन और पोषण करते हैं जो नम्य एवं ज्ञानार्जन की समर्थक हो और परिवर्तन के प्रति सहक्रियात्मक हो।
- हम कर्मचारियों को प्रगति एवं पुरस्कार के अवसरों से युक्त चुनौतीपूर्ण रोज़गार पेश करते हैं।
- हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के अवसर और दायित्व का महत्व समझते हैं।

विषय–सूची

शेयरधारकों को पत्र	2
विशिष्टताएं	5
निदेशक मंडल	6
दस वर्षों का संक्षेप सार	8
बोर्ड का प्रतिवेदन	10
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	27
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	35
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	82
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	92
सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट	93
कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	95
निगमित अभिशासन का प्रमाण पत्र	102
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	103
समेकित वित्तीय विवरण	109
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	161
समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा की टिप्पणियां	168
वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं समेत सहायक कंपनियों का विवरण (फार्म एओसी–1)	169
वार्षिक विवरणी का उद्धरण (एमजीटी–9)	171
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा	182
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण	183
सीएसआर के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	190
प्रमुख कार्यपालक	192
नोटिस	193
प्रतिनिधि फार्म	199

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपको अपनी कंपनी की उपलब्धियों से अवगत कराना मेरा सौभाग्य है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन को काले रंग में चिह्नित किया। यह प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार का वर्ष था, एक ऐसा वर्ष जिसमें आपकी कंपनी के लगातार बदलाव के सतत प्रयासों के चलते पिछले 3 वर्षों से लगातार नुकसान को अंततः मुनाफे में लाया गया।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 66,267 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। पिछले वर्ष 2017–18 में नुकसान की स्थिति ₹ (–)482 करोड़ हो गई थी और आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 19 में ₹ 2,179 करोड़ के स्टैंडअलोन आधार पर कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है। कंपनी का कर पश्चात समेकित लाभ वित्तीय वर्ष 18 में ₹ (–)281 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 19 के लिए ₹ 2,349 करोड़ था। परिचालन लाभप्रदता में सुधार के लिए लगातार रणनीतिक दृष्टिकोण ने सेल को वित्तीय वर्ष 19 में EBITDA में ₹ 10,283 करोड़ का सुधार करने में मदद की जो वित्तीय वर्ष 18 के ₹ 5,184 करोड़ के निष्पादन का लगभग दोगुना है।

वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, बिक्री योग्य स्टील उत्पादन (7%) में वृद्धि, 5 आईएसपी (16%) के लिए शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में वृद्धि, कॉनकास्ट उत्पादन के उच्च हिस्से में सुधार, उच्चतर उत्पाद–मिश्रण, कोक रेट में कमी, विशिष्ट वेतन बिल में कमी आदि में सुधार से बेहतर परिचालन निष्पादन पर आधारित था। । हालांकि, आयातित कोयले की दर में वृद्धि, बिजली की दर में वृद्धि, मरम्मत और रख–रखाव पर अधिक खर्च, स्टोर और पुर्जों, सुरक्षा खर्चों, विदेशी मुद्रा भिन्नता, मिश्रण में उच्च आयातित कोयला, विभिन्न खनन संबंधी मुद्दों के लिए प्रावधान, कोर्ट आदेश के बाद यूपी राज्य में प्रवेश–कर का प्रावधान और ब्याज और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि पर आंशिक प्रभाव पड़ा है।

उत्पादन के मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नए रिकॉर्ड बनाने की संख्या देखी गई। नई सुविधाओं के तेजी के साथ उत्पादन में काफी सुधार हुआ। आपकी कंपनी ने 17.5 एमटी के हॉट मेटल, 16.3 एमटी के क्रूड स्टील और 15.1 एमटी की बिक्री योग्य स्टील के अपने उच्चतम उत्पादन को प्राप्त किया। इसने वर्ष 2017–18 में प्राप्त किए गए 12.8 एमटी के पिछले सर्वश्रेष्ठ के मुकाबले 8% की वृद्धि के साथ 13.8 एमटी की कंटीनुअस–कास्ट (सीसी) स्टील उत्पादन का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा।

14 जून, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आधुनिक और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) को राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना लगभग पूर्ण होने वाली है । नई स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस–III) भिलाई इस्पात संयंत्र में 2 कन्वर्टर्स, 3 कैस्टर, 2 लैडल फर्नेस और 1 आरएच डेगसेर के साथ परिचालन में रखा गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र में बार एंड रॉड मिल (बीआरएम) के बार लाइन के लिए हॉट ट्रायल भी दिसंबर, 18 के दौरान शुरू हुआ, जबकि बीआरएम की रॉड लाइन से वायर रॉड का ट्रायल रोलिंग फरवरी, 19 में शुरू हुआ। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में, कोल्ड रोलिंग मिल–3 पर हॉट डिप गैल्वनाइजिंग लाइन के हॉट ट्रायल जून, 18 में शुरू किए गए थे। राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में उन्नत ब्लास्ट फर्नेस –1 (पार्वती) को मई, 18 में चालू किया गया और 11 जून, 2018 को माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित भी किया गया।

वर्ष के दौरान कई नई पहल की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सभी संयंत्रों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हुआ। 20 नए उत्पादों/ग्रेडों को वर्ष के दौरान विकसित किया गया था जिनमें दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) के साथ इस्को स्टील प्लांट (आइएसपी) में NPB–750 LHB व्हील्स उल्लेखनीय हैं। सेल के गुलदस्ते में भारतीय रेल में आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक रेल्स (भारतीय रेलवे को आपूर्ति के लिए) है जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 9.85 लाख टन (वित्तीय वर्ष, 18 के सापेक्ष 9.03 लाख टन) का उच्चतम उत्पादन देखा गया। नए यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) वाणिज्यिक उत्पादन के साथ वर्ष के दौरान 83% की वृद्धि दर प्रदर्शित कर रहा है। यूटीएस–90 रेल की कुल डिस्पैच में 4.48 लाख टन के लंबे रेल प्रेषण का रिकॉर्ड था। दूर्गापुर स्टील संयंत्र में, नई मिल, एमएसएम ने वित्तीय वर्ष 18 में 0.99 लाख टन से उत्पादन दोगुना करते हुए 1.71 लाख टन हुआ। इसने संयंत्र को 2.13 एमटी पर समग्र बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। आरएसपी में, न्यू प्लेट मिल ने वित्तीय वर्ष, 19 के दौरान 8.61 लाख टन का उत्पादन करके शानदार प्रदर्शन और नए बेंचमार्क को जारी रखा। अन्य संयंत्रों के बेहतर प्रदर्शन की सहायता से, प्लांट ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए 3.34 एमटी पर सबसे अधिक बिक्री योग्य स्टील उत्पादन दर्ज किया। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने कास्ट स्लैब, एचआर कॉइल और सीआर कॉइल के उत्पादन में क्रमशः 3.40 एमटी, 3.69 एमटी और 1.14 एमटी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। आइएसपी ने एनपीबी 750 के विकास के अलावा, मोनोट्यूब मार्ग से क्लोज कास्टिंग शुरू की। आईएसपी में उठाए गए अन्य कदमों ने स्थिरीकरण की दिशा में अपनी तीव्र

प्रगति सुनिश्चित की है और संयंत्र से आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी की समग्र लाभप्रदता में एक अच्छी–खासी हिस्सेदारी का योगदान देने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की लौह अयस्क की कुल आवश्यकता केपटीव स्रोतों से पूरी की गई थी। सेल की केपटीव खदानों से 28. 35 मिलियन टन (MT) लौह अयस्क का उत्पादन हुआ।

सेल की स्टील हर बड़ी राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना का एक हिस्सा रही है। आपकी कंपनी गर्व के साथ खुद को भारत की रक्षा, रेलवे, आधारभूत ढांचे, अंतरिक्ष, उर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, आदि से जोड़ती है। राष्ट्र के विकास में सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण साझेदार होने के अपनी कसौटी पर खरा रहते हुए सेल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा), बोगीबील ब्रिज (भारत में सबसे लंबा रेल–सह–सड़क पुल), किशनगंगा और तुइरियल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफरियल एक्सप्रेसवे, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे, आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को वित्तीय वर्ष, 19 में स्टील की आपूर्ति की। इस प्रकार से राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के दायरे में भारत की वृद्धि की कहानी के साथ–साथ 'मेक इन इंडिया' आंदोलन में सहयोग दिया गया। आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से पहली बार, नए ग्रेड जैसे क्वेंकेड एवं टेम्पर्ड प्लेट्स (SAIL WR 400, ASTM 517 F, S690 QL), उच्च तन्यता समानांतर फ्लेंज्ड बीम्स, मिडियम कार्बन वायर रॉड्स (HC 52B, SAE 15B21), आदि का उत्पादन और आपूर्ति की गई। आपकी कंपनी ने विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए भी स्टील की आपूर्ति की है, जिसमें स्वदेश निर्मित एंटी–सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू), स्टील्थ कार्वेट INS-Kiltan और देश में निर्मित भारतीय सेना की पहली सबसे बड़ी तोप 'धनुष' भी शामिल है।

विपणन के मोर्चे पर सेल ने परिभाषित बाजार क्षेत्रों को लक्षित करके विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बाजार उपस्थिति बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान बिक्री बल प्रभावशीलता (SFE) कार्यक्रम और प्रमुख लेखा प्रबंधन (KAM) जैसी रणनीतिक प्रक्रियाएं पेश की हैं। ब्रांडिंग की दिशा में डीएसपी और आईएसपी द्वारा निर्मित समानांतर फ्लैग सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नया ब्रांड नेक्स (NEX) लॉन्च किया है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने सेक्यूआर (SeQR) ब्रांड को लॉन्च करने की तैयारी की थी ताकि भूकंप के खिलाफ उच्च सुरक्षा संबंधी संपत्तियों और विशेषताओं के आधार पर आईएसपी द्वारा निर्मित टीएमटी बार्स को बढ़ावा दिया जा सके। ब्रांड को आखिरकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में लॉन्च किया गया है। "गांव की ओर (Gaon Ki Ore)" पहल ने ग्रामीण निर्माण क्षेत्र में स्टील के प्रति व्यक्ति उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 150 से अधिक वर्कशॉप्स का संचालन देखा।

2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने इस्पात उत्पादों के लिए बाजार में मजबूत अंडरकरंट (सुस्ती) देखने के बावजूद वर्ष की दूसरी छमाही में 14.12 मिलियन टन (एमटी) की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री मात्रा हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सेल ने 0.76 एमटी स्टील का निर्यात किया, पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि हुई। विशेष गुणवत्ता वाले स्टील की बिक्री बढ़ाने पर जोर देने के साथ इन उत्पादों के अनुपात को समग्र बिक्री के 42% तक बढ़ाया गया था। इस संबंध में, बोकारो में कोल्ड रोलिंग मिल#3 से, बिजली क्षेत्र में नए ग्राहकों के अलावा, अत्यधिक मांग, उच्च मूल्य वाले ऑटो सेगमेंट में उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है । विशेष ग्रेड में WRC की आपूर्ति इस्को स्टील प्लांट में नई मिल से शुरू हुई है। छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ, रिटेल चैनल के माध्यम से स्टील का 0.7MT बेचा गया। सेल ने स्थानीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पाद–मिश्रण/प्रॉडक्ट मिक्स में सुधार के उद्देश्य से बेतिया और जगदीशपुर में नई इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया।

आपकी कंपनी जैव–विविधता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए डिग्रेडिड पर्यावरण–प्रणाली को बहाल करने और पुनर्वास हेतु सभी उपयुक्त उपाय कर रही है। इसमें खनन क्षेत्रों के पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, ताजे वृक्षारोपण, कॉर्बनडाई–ऑक्साड का जैव–संस्थापन, 4Rs (रिडक्शन, रियूज़, रिसायकलींग और रिकवरी) के अनुप्रयोग के

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित स्टील्थ कार्वेट आईएनएस–क्लिटन के लिए स्टील की आपूर्ति की।

माध्यम से कचरे के उपयोग को बढ़ाना, पर्यावरण के अनुकूल पॉली क्लोरीन बी–फेनिल्स का निपटान, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए जैव–डाइजेस्टर की स्थापना आदि शामिल है। सेल के प्लांट्स और माइन्स में 20.5 मिलियन से अधिक पौधे शुरू से ही लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के लिए विशेष जोर देते हुए, 2018–19 के दौरान 4.42 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जो इसके विजन और मूल–मंत्र में लागू हैं। कॉरपोरेट प्रशासन के संबंध में कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों सहित कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पूरी तरह से पुष्टि करता है और एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के दौरान, पूरे संगठन में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। सेल ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही, खुलासे और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती हैं। पूरे संगठन में नैतिक आचरण को शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बढ़ावा दिया जाता है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक और राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में सेल के प्रयासों को कई मंचों द्वारा पुरस्कार और प्रशंसा के रूप में मान्यता दी गई है।

आपकी कंपनी का मानना है कि यह विश्वास निर्माण में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और अपने निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को बढ़ाएगा। इसके अनुरूप, सेल लगातार और नियमित रूप से विभिन्न संचार चैनलों के उपयोग के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा है।

आपकी कंपनी अपने बदलाव, विकास और निरंतरता के लिए कई रणनीतिक पहल कर रही है। सेल ने 2016–17 में कंपनी–व्यापी आमूल–चूल परिवर्तन हेतु 'सेल उदय' लॉन्च किया था, जिसमें कच्चा माल, परिचालन, बिक्री एवं विपणन, आपूर्ति श्रृंखला एवं सामान, कार्मिक और मानव संसाधन के क्षेत्रों में सुधार के लिए रोडमैप तैयार किया गया था और वित्त वर्ष 19 के दौरान प्रदर्शन समापन पर इसे लागू किया गया था। इसके अलावा आपकी कंपनी ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें जैविक विकास, भू–क्षेत्र परियोजनाएं, रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व, नई खानों को विकसित करके कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी क्षेत्रों में विविधता लाना आदि शामिल है। कुछ रणनीतिक पहलों में पेलेट संयंत्र की स्थापना, देश में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण, पनबिजली संयंत्र की स्थापना, अप्रचालन और गैर–निष्पादन संबंधी संयुक्त संयंत्रों और सहायक/सब्सिडियरी कंपनियों को बंद करना शामिल हैं।

भविष्य को देखते हुए, आईएमएफ ने अप्रैल, 2019 में वर्ष 2019 और 2020 के लिए क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत के विश्व विकास आउटलुक का अनुमान लगाया है। यद्यपि 3.3 प्रतिशत वैश्विक विस्तार फिर भी उचित है, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अल्पावधि में काफी अनिश्चितताओं के कारण कई देशों के लिए यह दृष्टिकोण बहुत चुनौतीपूर्ण है। जहां 2019 की शुरुआत कमजोर रही, वहीं साल के दूसरे हिस्से में एक मजबूती की उम्मीद है। यह मजबूती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण नीति अपनाने का समर्थन करती है। 2019 की दूसरी छमाही में अपेक्षित सुधार के साथ, 2020 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.6 प्रतिशत पर लौटने का अनुमान है। 2020 के बाद विकास लगभग 3.5 प्रतिशत पर स्थिर हो जाएगा, मुख्य रूप से चीन और भारत में विकास और दुनिया की आय में उनकी बढ़ती भागीदारी से प्रभावित होगा।

इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि वह इस्पात उद्योग के लिए लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगी, क्योंकि दोनों का एक मजबूत सहसंबंध है। इसी तरह की भावनाओं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) द्वारा अप्रैल 2019 में प्रकाशित शॉर्ट रेंज आउटलुक में प्रतिध्वनित किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक इस्पात मांग 2019 में 1,735 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच जाएगी जोकि वर्ष 2018 के सापेक्ष में 1.3% की अधिक वृद्धि होगी। आगे यह पूर्वानुमान है कि वैश्विक इस्पात मांग 2020 में 1,752 एमटी तक पहुंचने पर 1% की और वृद्धि होगी। डब्ल्यूएसए ने आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनाव के बाद 2019 की दूसरी छमाही में तेजी से विकास हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि, राजकोषीय घाटा सार्वजनिक निवेश पर एक हद तक कम हो सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक श्रेणी 2019 और 2020 दोनों में 7% से अधिक स्टील की मांग में वृद्धि का समर्थन करने की संभावना है।

भारत पहले ही वित्तीय वर्ष 18 में जापान को पछाड़ कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र बना चुका है, जिसकी 2019 में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े इस्पात उपभोग वाले राष्ट्र के रूप में अमेरिका को पछाड़ने की संभावना है। 2030 तक भारत के लिए 300 एमटीपीए स्टील उत्पादन क्षमता "नेशनल इस्पात नीति 2017" में परिकल्पित इस विकास प्रक्षेपण के साथ सराहनीय है। सेल ने राष्ट्रीय विकास के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी योजनाएं भी शुरू की हैं।

अंत में, मैं इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में आंतरिक और बाह्य रूप से योगदान दिया है। मैं विशेष रूप से हमारे मूल्यवान ग्राहकों, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों और हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जो हमेशा कंपनी के साथ खड़े रहे और सेल की प्रगति में योगदान दिया। मैं विशेष रूप से केंद्र सरकार सहित हमारे शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कंपनी में उस समय भी विश्वास बनाए रखा है, जब वह निरंतर नुकसान के चलते लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ थी। जैसा कि कंपनी ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू की है, यह समय है कि हम अपने निवेशकों को अच्छी भावनाओं में रखें। तदनुसार, निदेशक मंडल ने वर्ष 2018–19 के लिए 5% का लाभांश प्रस्तावित किया है। मुझे उम्मीद है कि इससे हितधारकों का विश्वास कंपनी में और मजबूत होगा तथा मैं निरंतर समर्थन एवं झिझक रहित विश्वास की आशा करता हूं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 31 जुलाई, 2019

(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

विशिष्टताएं

- सेल ने लगातार तीन वर्षों तक हानि में रहने के बाद वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 2,179 करोड़ के कर पश्चात शुद्ध लाभ के साथ लाभ के लिए वापसी की है।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून, 2018 में सेल के आधुनिकीकरण और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया है।
- अधिक सुरक्षित और उच्च शक्ति एवं बेहतर लचीलापन वाले, जोकि निर्माण क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे 'सेल सिक्युआर' नाम से टीएमटी बार का एक नया ब्रांड लॉन्च किया।
- सेल ने एलएचबी कोचों में उपयोग हेतु लिंक–हॉफमैन–बस (एलएचबी) पहिए भारतीय रेलवे के लिए विकसित किए और आपूर्ति की। इन पहियों को वर्तमान में आयात किया जा रहा है और सेल उत्पाद सूची में नया उत्पाद "मेक–इन–इंडिया" पहल को आगे बढ़ाएगा।
- सेल ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में उसके मूल्य–वर्धित उत्पाद की सूची को संवर्धित करने और भागीदारी के लिए अपनी खोज जारी रखते हुए वर्ष 2018–19 में भारतीय रेलवे को सबसे अधिक 9.45 लाख टन की रेल्स की आपूर्ति की है।
- अप्रैल/मई 2019 में ओडिशा में आए भीषण चक्रवाती तूफान "फानी" से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता में, सेल ने ओडिशा सरकार को विशेष गुणवत्ता वाले चौड़े समान्तर बीम (डब्लूपीबी–160) के 81,000 बिजली के खंभों की सर्वोच्च प्राथमिकता पर आपूर्ति की। सेल के कर्मचारियों ने ओडिशा के मुख्यमंत्री राहत कोष में चक्रवात 'फानी' के राहत कार्य के लिए ₹ 3 करोड़ का योगदान दिया। सेल की त्वरित प्रतिक्रिया को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बहुत सराहा गया।
- भारत–निर्माण और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में एक भागीदार के रूप में:
  - ❖ भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की तोप 'धनुष' जिसे अप्रैल, 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, उसके लिए सेल ने इस्पात की आपूर्ति की, और जिससे भारत की रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए हर आवश्यकता को पूर्ण करने के हेतु सेल की प्रतिबद्धता को स्थापित किया।
  - ❖ ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल रोड–सह–रेल पुल के निर्माण के लिए 50% से अधिक इस्पात (35400 एमटी लगभग) की सेल द्वारा आपूर्ति की गई थी।
  - ❖ दुनिया की सबसे ऊंची (182 मीटर) प्रतिमा 'द स्टैचू ऑफ यूनिटी' जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता, सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित था, उसके निर्माण हेतु 50% से अधिक (लगभग 12000 एमटी) इस्पात की आपूर्ति की गई थी।
  - ❖ कोलकाता मेट्रो के लिए पहियों का पहला प्रेषण जून, 2018 को किया गया।
  - ❖ सेल ने 111 किमी लंबी जिरिबाम–तुपुल–इम्फाल नई ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे गर्डर रेल पुल और भारत की सबसे लंबी सुरंग के लिए लगभग 60,000 टन इस्पात की आपूर्ति की।
  - ❖ 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल महामार्ग जिसका उद्घाटन मई, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, उसके निर्माण के लिए 43000 टन (लगभग) इस्पात की आपूर्ति की गई थी।
- देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल की ओर सेल ने साउथ दिल्ली नगर निगम में सलेम स्टेनलेस स्टील से बनी 'स्मार्ट कचरा पेटी' को लॉन्च किया।
- इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में, "माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम" का समर्थन करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत एक अनूठी पहल में सेल हरियाणा में 'नूंह' के जिला प्रशासन से जुड़ा।
- पश्चिमी चंपारण, बिहार के बेतिया में स्थित सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को 18 फरवरी 2019 को तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री, चौधरी बीरेंद्र सिंह और श्री राम विलास पासवान, केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस इकाई द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप का उत्पादन किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में स्थित सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई को अप्रैल, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इकाई टीएमटी रिबारों का उत्पादन करेगी।
- अपने पहले ही प्रयास में, देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता में से एक 1 से 9 दिसंबर, 2018 तक पुणे में आयोजित 115 वां अखिल भारतीय आगा खान स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता–2018 को राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) द्वारा संचालित सेल हॉकी अकादमी ने जीत प्राप्त की है।
- सेल को द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 'सार्वजनिक–विनिर्माण–मेगा' श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सेल ने वर्ष 2016 के लिए प्रतिष्ठित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का 30% से अधिक जीता। कुल 139 पुरस्कार विजेताओं में से 48 पुरस्कार विजेता (सितम्बर, 2018) सेल से थे।
- सेल को "गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड (जीपीईएमए)" – 2019 से सम्मानित किया गया।
- सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र को भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक जल संरक्षण (सर्वश्रेष्ठ बृहत उद्योग) के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 31.05.2019 को इस्पात राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सचिव इस्पात, श्री बिनॉय कुमार की उपस्थिति में इस्पात मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल (09.07.2019 को यथास्थिति)

अध्यक्ष
श्री अनिल कुमार चौधरी

कार्यात्मक निदेशक

निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ परियोजनाओं और व्यवसाय योजना
डॉ. जी. विश्वकर्मा

वाणिज्यिक
श्रीमती सोमा मंडल

कार्मिक
श्री अतुल श्रीवास्तव

तकनीकी
श्री हरिनंद राय

अनिर्मित सामग्री एवं लाजिस्टिक
श्री विवेक गुप्ता

सरकारी निदेशक

श्री सरस्वती प्रसाद
विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार,
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री पुनीत कंसल
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अशोक गुप्ता

सी.ए. प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश्य

डॉ. समर सिंह

श्री नीलांजन सान्याल

सी.ए. करतार सिंह चौहान

प्रो. नरेन्द्र कुमार तनेजा

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्थायी आमंत्रित)

बोकारो इस्पात संयंत्र
श्री पी.के. सिंह

भिलाई इस्पात संयंत्र
श्री अनिर्बान दासगुप्ता

राउरकेला इस्पात संयंत्र
श्री दीपक चट्टराज

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं मिश्र धातु इस्पात संयंत्र
श्री ए.वी. कमलाकर

इस्को इस्पात संयंत्र
श्री ए.वी. कमलाकर

कंपनी सचिव
श्री एम. बी. बालाकृष्णन

बैंकर्स

एक्सिस बैंक लिमिटेड
इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
इंडसइंड बैंक लिमिटेड
भारतीय बैंक
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
मिज़ूहो बैंक लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
आरबीएल बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडीकेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
येस बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स सिंघी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स वी.के. ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स ए.के. सबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

मेसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

मेसर्स शोम एंड बनर्जी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003
फोनः 24367481; फैक्स–24367015
इंटरनेटः www.sail.co.in
ई–मेलः secy.sail@sailex-com
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

निदेशक मण्डल

श्री अनिल कुमार चौधरी

श्री सरस्वती प्रसाद

श्री पुनीत कंसल

डॉ. जी. विश्वकर्मा

श्रीमती सोमा मंडल

श्री अतुल श्रीवास्तव

श्री हरिनंद राय

श्री विवेक गुप्ता

प्रो. अशोक गुप्ता

सीए प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश्य

डॉ. समर सिंह

श्री नीलांजन सान्याल

सीए के.एस चौहान

प्रो. एन.के. तनेजा

श्री के.के. गुप्ता

दस वर्षों का संक्षेप सार

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड़)

	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11	2009–10
सकल ब्रिक्री	66267	58297	49180	43294	50627	51866	49350	50348	47041	43935
निवल बिक्री	66267	56893	43866	38471	45208	46189	43961	45654	42719	40551
मूल्यह्रास, ब्याज एवं पूर्व आय (ईबीआईडीटीए)	10283	5184	672	(2204)	5586	5909	5621	7658	9030	11871
मूल्यह्रास	3385	3065	2680	2402	1773	1717	1403	1567	1486	1337
ब्याज एवं वित्त प्रभार	3155	2823	2528	2300	1454	968	748	678	475	402
विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	3743	(703)	(4536)	(6906)	2359	2266	3470	5413	7069	–
असाधारण मदें : लाभ/(हानि)	(405)	(56)	(315)	(101)	–	959	(229)	(262)	125	–
कर से पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी)	3338	(759)	(4851)	(7008)	2359	3225	3241	5151	7194	10132
कर/आयकर धनवापसी के प्रावधान तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (–)	1159	(277)	(2018)	(2986)	266	608	1070	1608	2289	3378
कर पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	2179	(482)	(2833)	(4021)	2093	2616	2170	3543	4905	6754
लाभांश	–	–	–	–	826	834	826	826	991	1363
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4130	4130
आरक्षित एवं अधिशेष (डीआरई के अलावा)	34021	31583	31879	35065	39374	38536	36894	35680	32939	29186
निवल सम्पत्ति (इक्विटी पूंजी एवं आरक्षित एवं अधिशेष)	38152	35714	36009	39196	43505	42666	41025	39811	37069	33317
कुल ऋण	45170	45409	41396	35141	29898	25281	21597	16320	19375	16511
निवल अचल परिसम्पत्तियां	61359	58612	50285	45926	36169	26771	16777	17127	15059	13615
पूंजी कार्य प्रगति पर	16014	18395	23275	24927	29196	33651	35891	28205	22226	14953
वर्तमान परिसम्पत्तियां (अल्पकालिक जमा के अलावा)	32249	29638	25545	24304	28482	26891	27616	28431	36544	39154
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	23632	24068	21486	18992	16338	15212	13012	12225	12172	11073
कार्यशील पूंजी (वर्तमान परिसम्पत्तियां घटा चालू देयताएं)	8617	5570	4060	5312	12145	11679	14604	16206	24372	28081
नियोजित पूंजी (नियत अचल परिसम्पत्तियां + कार्यशील पूंजी	69976	64182	54345	51238	48314	38450	31381	32921	39431	41696
प्रति शेयर बाजार मूल्य (₹ में) (कालावधि के अंत में)	53.75	70.20	61.20	43.00	68.35	71.40	62.35	94.05	170.00	252.55
प्रमुख वित्तीय अनुपात										
नियोजित पूंजी के औसत के लिए इबीआईडीटीए (%)	15.3	8.7	1.3	(4.3)	12.9	16.9	17.5	21.0	21.7	31.1
निवल बिक्री पर पीबीटी (%)	5.0	(1.3)	(11.1)	(18.2)	5.2	7.0	7.4	11.3	16.8	25.0
नियोजित पूंजी पर पीबीटी का औसत (%)	5.0	(1.3)	(9.2)	(13.6)	5.4	8.4	10.1	14.2	17.3	26.6
निवल सम्पति पर औसत लाभ (%)	5.9	(1.3)	(7.5)	(9.7)	4.9	6.1	5.4	9.2	13.9	22.0
₹ 10 के प्रति शेयर का निवल मूल्य	92.4	86.5	87.2	94.9	105.3	103.3	99.3	96.4	89.7	80.7
₹ 10 के प्रति शेयर पर आय	5.3	(1.2)	(6.9)	(9.7)	5.1	6.3	5.3	8.6	11.9	16.4
मूल्य – आय औसत (गुणा)	10.2	(60.2)	(8.9)	(4.4)	13.5	11.3	11.9	11.0	14.3	15.4
₹ 10 के प्रति शेयर पर लाभांश	0.5*	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	3.3
प्रभावी लाभांश दर (₹)	–	–	–	–	2.9	2.8	3.2	2.1	1.4	1.3
ऋण– इक्विटी (गुणा)	1.2	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5
वर्तमान अनुपात (गुणा)	1.4	1.2	1.2	1.3	1.7	1.8	2.1	2.3	3.0	3.5
नियोजित पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1
कार्यशील पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	7.7	10.5	12.1	8.2	4.2	4.4	3.4	3.1	1.9	1.6
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुणा)	1.8	0.58	(0.7)	(1.9)	1.8	2.3	2.6	3.8	7.1	14.4
लाभांश भुगतान अनुपात (%)	–	–	–	–	39.4	31.9	38.1	23.3	20.2	20.2

* शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन

उत्पादन

(यूनिट: '000 टन)

मद	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11	2009–10
तप्त धातु	17513	15982	15726	15721	15413	14447	14266	14116	14888	14505
कच्चा इस्पात	16266	15020	14496	14279	13908	13579	13417	13350	13761	13506
पिग आयरन	480	270	495	642	634	223	214	106	261	323
बिक्री योग्य इस्पात	15069	14074	13867	12381	12842	12880	12385	12400	12887	12632
– अर्ध निर्मित इस्पात	3169	2610	3170	3054	3007	2760	2422	2527	2394	2392
– तैयार इस्पात	11900	11464	10697	9327	9835	10120	9962	9872	10493	10240

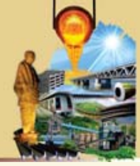

मूल्य संवर्धित विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष के लिए	2018–19		2017–18	
स्वयं के उत्पादन का मूल्य	69511		57636	
अन्य राजस्व	1145	70656	1059	58695
घटाएं: कच्ची सामग्रियों की लागत	32291		26679	
भंडार एवं कलपूर्जे	3504		2879	
विद्युत एवं ऊर्जा	6053		5810	
उत्पाद शुल्क	–		1404	
जावक मालभाड़ा	2611		2242	
अन्य प्रचालन लागत	7490	51948	5703	44716
कुल संवर्धित मूल्य		**18708**		**13979**
स्थापना लागत		8830		8850
वित्त लागत		3155		2823
लाभांश प्रावधान		–		–
कॉरपोरेट आयकर		1159		–277
लाभांश कर		–		–
व्यवसाय में धारित आय				
मूल्यह्रास	3385		3065	
सामान्य रिजर्व	–		–	
बांड शोधन रिजर्व	–347		367	
लाभ शेष	2525		–849	
व्यवसाय में धारित	2179	5564	–482	2583
कुल उपयुक्त मूल्य		**18708**		**13979**

शेयरधारिता पैटर्न

(31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	धारकों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
भारत सरकार	1	3097767449	75.00
वित्तीय संस्थान (बीमा कम्पनियां)	9	413794834	10.02
बैंक	31	75751320	1.83
म्यूचल फंड	26	125978984	3.05
विदेश पोर्टफोलियो निवेशक	100	169385488	4.10
वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ	2	116435	0.00
कम्पनियां (ट्रस्टों एवं क्लीयरिंग सदस्यों सहित)	2034	60672027	1.47
वैयक्तिक (अनिवासी भारतीय एवं कर्मचारियों सहित)	357649	185097025	4.48
आईईपीएफ प्राधिकार	1	1961727	0.05
कुल	**359853**	**4130525289**	**100.00**

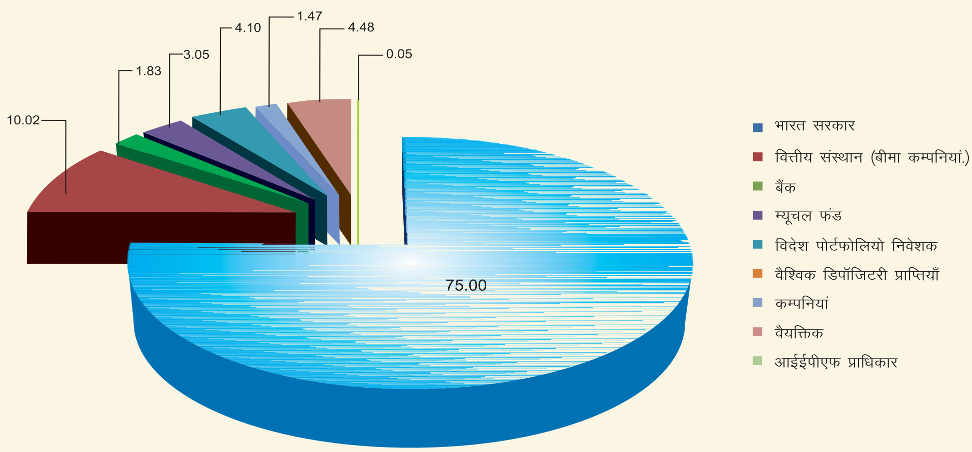

बोर्ड का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्वतंत्र एवं समेकित वित्तीय विवरण के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल, कंपनी) की 47वीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष हो रहा है।

क. वित्तीय समीक्षा

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 66,267 करोड़ की कुल बिक्री की है, जो की मुख्य रूप से 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों की बिक्री–योग्य स्टील की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में लगभग 16% की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाय) की तुलना में 16% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कर–पूर्व लाभ और कर–पश्चात् लाभ ₹3,338 करोड़ और ₹2,179 करोड़ क्रमशः सीपीएलवाय पर बेहतर और उच्चतर परिलक्षित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी के लाभ में उच्च बिक्री योग्य स्टील उत्पादन में वृद्धि, 5 एकीकृत स्टील संयंत्रों की बिक्री योग्य स्टील की शुद्ध बिक्री में वृद्धि, दोयम उत्पादों की बिक्री, अल्प स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति, अल्प कोक दर, आदि, इन सब के कारण सुधार हुआ है। हालाँकि, आयातित कोकिंग कोल दर में वृद्धि, बिजली खरीदी दर, मरम्मत और रखरखाव व्यय में वृद्धि, स्टोर और स्पेयर व्यय, सुरक्षा खर्च, लौह अयस्क पर रॉयल्टी का दर, विदेशी विनिमय में हानि, मिश्रण में उच्च आयातित कोयला, लौह अयस्क का अधिक उपयोग, उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में बोलानी और बरसूआ लौह अयस्क खानों पर रॉयल्टी के प्रावधानों में अंतर और नई सुविधाओं के पूंजीकरण के कारण वृद्धिशील ब्याज खर्च और मूल्यह्रास शुल्क इन सभी को समान रूप से पूर्ण किया गया है।

आपकी कम्पनी ने ब्याज सहित ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान, भावी निधि उगाही के लिए अग्रिम योजना और कार्रवाई आदि. हमारे विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन पर अपना बल देना जारी रखा। 31 मार्च, 2019 को कंपनी की स्थिति के अनुसार ₹ 45,170 करोड़ का ऋण है जो 31 मार्च, 2018 को ₹ 45,409 करोड़ था। कम्पनी ने पूरी तरह से खरीदारों के क्रेडिट और बाहरी वाणिज्यिक ऋण पर विदेशी मुद्रा जोखिम को कम कर दिया है। 31 मार्च, 2019 को कंपनी का ऋण–स्थिति अनुपात, जो कि मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निवल मूल्य में वृद्धि के कारण 31 मार्च, 2018 तक ही था, वह घटकर 1.27:1 से 1.18:1 हो गया। 31 मार्च, 2019 को कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर ₹ 38,152 करोड़ हो गई, जबकि 31 मार्च, 2018 को ₹ 35,714 करोड़ थी।

निदेशक बोर्ड ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रत्येक के ₹ 10/– के अंकित मूल्य के ₹ 0.50 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की अनुशंसा की है।

मैसर्स केअर रेटिंग, मैसर्स इंडिया रेटिंग्स और मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग, इन आरबीआई मान्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने सेल का दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के लिए क्रमशः 'केअर एए – आउटलुकः स्टेबल', 'इंडिया रेटिंग्स एए – आउटलुकः स्टेबल' और 'बीडब्लूआर एए – आउटलुकः ऋणात्मक रेटिंग दिया है।

ख. प्रचालन संबंधी समीक्षा

उत्पादन समीक्षा

घरेलू बाजार से कठिन प्रतिस्पर्धा और कुछ परिचालन असफलताओं जैसी बड़ी चुनौतियों के साथ भी वित्तीय वर्ष 2018–19 कंपनी के प्रदर्शन में एक और उल्लेखनीय वर्ष था। हालांकि, सेल संयंत्रों में उत्पादन, उत्पाद–मिश्रण और दक्षता मापदंडों में सुधार के लिए अथक प्रयासों को जारी रखा गया।

उत्पादन के साठवें वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने 17.5 मिलियन टन (एमटी) के तप्त धातु, 16.3 एमटी के कच्चे इस्पात और 15.1 एमटी पर बिक्री योग्य इस्पात में वर्ष 2017–18 (CPLY) की तुलना में क्रमशः 10%, 8% और 7% की वृद्धि के साथ अपने उच्चतम वार्षिक उत्पादन को निष्पादित किया है।

ऊर्जा और लागत–कुशल बनने के प्रयास में सेल ने निरंतर कास्टिंग मार्ग के माध्यम से कच्चे इस्पात का उत्पादन में वृद्धि की और पिछले वर्ष की तुलना में

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में।

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट ने बेहतर सुरक्षा और उच्च गति के लिए भारतीय रेलवे को लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) पहियों की पहली खेप की आपूर्ति की।

8% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में निरंतर कास्टिंग मार्ग के माध्यम से क्रूड स्टील उत्पादन के माध्यम से उच्चतम 13.8 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। प्रक्रिया में सुधार और लागत प्रतिस्पर्धा के लिए संयंत्रों में बड़ी संख्या में नवाचार किए जा रहे हैं।

सेल के अनुसंधान और विकास केंद्र ने उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, उत्पाद विकास और व्यवसायीकरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन पर विशेष जोर देने के साथ कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों को नवीन तकनीकी जानकारी प्रदान की है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में, अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस–8, महामाया ने 2 फरवरी, 2018 से सेल रिकॉर्ड के 8 महीने और 17 दिनों के बाद 18 अक्टूबर, 2018 को 1 एमटी तप्त धातु उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। बीएफ –8 का उत्पादन प्रति दिन 7000 टन के स्तर तक बढ़ गया है। नए यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) से उत्पादन में सुधार ने पिछले वर्ष में 9.03 लाख टन की तुलना में यूटीएस–90 रेल उत्पादन में 9.85 लाख टन की वृद्धि को 9.1% से सक्षम किया है, जों कि 2018–19 में 4.42 लाख टन की लंबी लोडिंग के रिकॉर्ड लोडिंग के साथ जोड़कर 2017–18 में 3.16 लाख टन से अधिक है और 40% की वृद्धि दर्ज की है। एसएमएस–III में, 27 नवंबर, 2018 को कनवर्टर –2 से पहली उष्मा का दोहन किया गया था, ब्लूम्स के लिए कॉस्टर सीवी 1 को 28 सितंबर, 2018 को शुरू किया गया था और रेल ब्लूम हीट बनाने के लिए अनुसंधान रचनाओं और मानक संगठन से मंजूरी 18 फरवरी, 2019 को प्राप्त हुई थी। एसएमएस–II में, कास्ट ब्लूम्स का उत्पादन 13.89 लाख टन है, जो 2017–18 में 12.16 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जिसमें 14. 9% की वृद्धि हुई है। नए अत्याधुनिक बार और रॉड मिल में ट्रायल रोलिंग 28 दिसंबर, 2018 को शुरू किया गया था।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः 2.52 मीट्रिक टन, 2.22 मीट्रिक टन और 2.13 मीट्रिक टन की सबसे अच्छी वार्षिक तप्त धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन उपलब्ध किया है। नए पहियों के विकास के तहत, डीएसपी ने कोलकाता मेट्रो रेलवे और एनटीपीसी के लिए पहियों की आपूर्ति की। पश्चात्, 30 नग एलएचबी पहियों की, जो सुरक्षित और हल्के हैं, भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न नई पहल की गई। दोषों के निर्माण को रोकने और रुकावट को कम करने के लिए मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) में प्रोफाइल गणना उपकरण स्थापित किया गया था। स्टील की लैडलों में प्रभावी लागत हेतु डोलोमाइट–आधारित रिफ्रैक्टरी का उपयोग और बीजी कोच/ईएमयू/एलएचबी पहियों के उत्पादन के लिए सीसी राउंड का उपयोग प्रारम्भ किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में, नए अत्याधुनिक प्लेट मिल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः 3.837 एमटी, 3.660 एमटी और 3.335 एमटी की तप्त धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन उच्चतम वार्षिक उत्पादन दर्ज किया गया जिससे 0.861 मीट्रिक टन का उच्चतम वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) ने 3.394 एमटी, एचआर कॉइल के कास्ट स्लैब उत्पादन का सबसे अच्छा वार्षिक अंक 3.394 एमटी के कास्ट स्लैब उत्पादन, 3.686 एमटी के एचआर कॉइल, सीआर सैलेबल में 1.142 मीट्रिक टन दर्ज किया।

इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) में विभिन्न नए भाग जैसे कि आईपीई/एनपीबी 750 नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम्स (5 प्रकार), एचई/डबल्यू 240 वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम्स (4 प्रकार), आईपीई 600 व्ही नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम्स (सेक्शन वेट 184 कि.ग्रा./मी.) 6.5 मी.मी. डब्लूआरसी, 36 मी.मी. टीएमटी बार (आईएस 1786 एफई 500डी) को विकसित किया। आईएसपी ने अपने यूनिवर्सल सेक्शन मिल में एनपीबी 750 को सफलतापूर्वक संचालित किया और वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस उत्पाद को अपने उत्पाद की सूचि में सम्मिलित किया, इस प्रकार इस भाग को कार्यान्वित करने वाला देश का एकमात्र संयंत्र बन गया।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण संबंधी पदचिन्हों को कम करने के लिए विभिन्न उपक्रमों का नवीनीकरण किया और परिचालन क्षमता में वृद्धि लायी और इसके कारण पर्यावरणीय मापदंडों के साथ–साथ तकनीकी–आर्थिक क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे हमें पहले से कहीं ज्यादा हरियाली और अधिक पर्यावरण के अनुकूल इस्पात का उत्पादन करने में सक्षम बनाया। सेल ने अब तक का सबसे अच्छा कोक रेट 453 किग्रा/थर्म दर्ज किया। यह नई अत्याधुनिक बड़ी मात्रा ब्लास्ट फर्नेस (कुल हॉट मेटल का 38%, सीपीएलवाय से 29% से अधिक) के माध्यम से उत्पादित तप्त धातु की उच्च मात्रा के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।

गत साठ वर्षो से, आपकी कंपनी के स्टील ने देश की लगभग सभी प्रमुख परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें रेलवे, रक्षा, हाइड्रो–इलेक्ट्रिक, स्पेस प्रोग्राम, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं और 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' इत्यादि जैसी पहल में सरकार के साथ भागीदारी की है।

आपकी कंपनी ने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 'अत्याधुनिक' बन्दुक–धनुष, जिसके लिए उसने अपने दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात संयंत्र से विशेष गुणवत्ता वाले फोर्जिंग स्टील की आपूर्ति की है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों को स्टील की आपूर्ति की है और राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में देश की विकास गाथा का सहभागी रहा है।

सेल के स्टील का उपयोग गत साठ वर्षों में राष्ट्रीय महत्व के हर एक बुनियादी ढाँचे की परियोजना में, जैसे – चेनानी नाशरी सुरंग, स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति, आदि में किया गया है। सेल द्वारा उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता और विविधता प्रशंसनीय है और आपकी कंपनी अपने संस्करणों को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दे रही है और बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों को जोड़ने के साथ इसकी रेटेड क्षमता प्राप्त करते हैं।

विद्युत

आपकी कंपनी ने हमेशा बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ–साथ इष्टतम लागत पर बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए अपनी कैप्टिव बिजली क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 11120 मिलियन यूनिट्स (एमयु) की कुल आवश्यकता का लगभग 58% कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से पूरा किया गया था। सेल देश का पहला गैर–उपयोगिता बिजली उत्पादक है, जिसने की अंतर–क्षेत्रीय व्हीलिंग को शुरू करने के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित ओपन पहुँच विनियमों की अवधारणा का लाभ उठाया है। विरासत को जारी रखते हुए, इस वर्ष भी, सेल संयंत्रों ने ओपन पहुँच प्रावधानों के तहत लगभग 437 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद की, जो कुल बिजली की आवश्यकता का लगभग 3.93% है। इसमें बिजली एक्सचेंजों से लगभग 283 मिलियन यूनिट की खरीद शामिल थी।

सभी वर्तमान विस्तार परियोजनाओं में इष्टतम लागत पर कैप्टिव बिजली की हिस्से में वृद्धि और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति करने के उद्देश्य के साथ, एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल), जो सेल एवं एनटीपीसी लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है, के द्वारा 290 मेगावाट क्षमता के नए कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के प्रचालन किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न इस्पात बनाने की प्रक्रियाओं में बिजली की खपत का अनुकूलन भी सेल के संयंत्रों के जोर क्षेत्रों में से एक है, जहां प्रति टन इस्पात उत्पादन में कम बिजली खपत होती है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट हाउस के रूप में, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग पर पर्याप्त जोर दिया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की विभिन्न इमारतों में 2 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा प्लांट चालू किया गया था, विभिन्न सेल संयंत्रों / इकाइयों में रूफ टॉप सोलर प्लांटों की एक और 6.2 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं।

इसके अलावा, राउरकेला के मंदिरा बांध में 10 मेगावाट क्षमता का एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र विकसित करने के उद्देश्य से एक नए संयुक्त उद्यम कंपनी जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्थापित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी में सेल की 26% इक्विटी है, जबकि शेष 74% इक्विटी ओडिशा कंपनी की सरकार के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीइडीसीओएल) के स्वामित्व में है।

कच्चा माल

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कैप्टिव स्रोतों से लौह अयस्क की कुल आवश्यकता को पूरा किया गया। आपकी कंपनी की खानों ने लगभग 28.35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है। कोकिंग कोल के मामले में लगभग 1.5 मि.ट. स्वदेशी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड और कैप्टिव स्रोतों) से मिला था और कोकिंग कोल की शेष आवश्यकता (13.21 मि.ट.) के लिए, कंपनी को देश के भीतर आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता में सीमा के कारण आयातों पर निर्भर करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी की कैप्टिव कोलियरी में उत्पादन लगभग 0.74 मि.ट.था जिसमें से 0.44 मि.ट. कच्चा कोकिंग कोल और शेष 0.30 मि.ट. गैर–कोकिंग कोयला था। फ्लक्स के मामले में, लगभग 1.32 मीट्रिक टन चूना पत्थर और 0.52 मि.ट. डोलोमाइट का उत्पादन किया गया, जिससे कैप्टिव स्रोतों से 1.84 मीट्रिक टन फ्लक्स का उत्पादन हुआ। थर्मल कोयले के लिए, कैप्टिव खानों से उत्पादित छोटी मात्रा को छोड़कर यह कंपनी पूरी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड से खरीद पर निर्भर करती है।

11.05.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने पर, बरसूआ

सेल ने भारत की पहली स्वदेशी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन 'धनुष' के लिए स्टील की आपूर्ति की।

की खानों में लौह अयस्क का उत्पादन, जो 17.05.2014 से बंद रहा, 20.05.2018 को फिर से शुरू हुआ।

पर्यावरण स्वीकृति (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी)

खानों की क्षमता विस्तार परियोजनाओं में गति लाने के लिए निम्नलिखित पर्यावरण और वन स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ली गई हैं:

- बोलानी खदान को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत द्वारा दि. 29.04.2019 को, 6.9 वर्ग मिल लीज के तहत सबिक किसम वन भूमि को चरण–II वन स्वीकृति प्रदान किया गया।
- 24.08.2018 को बरसुआ खदान के एमएल–139 लीज के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन संदर्भ शर्तें प्रदान की गई थीं।

हालाँकि, झारखंड में सारंदा के जंगल में गुवा और चिरिया खानों के क्षमता विस्तार और किरीबुरू–मेघाहातुबुरु खानों में दक्षिण–मध्य ब्लॉक खोलने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत से द्वितीय स्तरीय वन स्वीकृति की प्रतीक्षा है। क्षमता विस्तार परियोजनाओं के लिए इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए, इस मामले को सक्रिय रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार के स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

पर्यावरण, वन और पर्यावरण स्वीकृति जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत ने बीएसपी के कलवार–नागुर पट्टे के लिए मिली पर्यावरण स्वीकृति को सम्पूर्ण वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) के भुगतान के साथ को भी संलग्नित किया है। सेल ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस संबंध में नोटिस को चुनौती दी है। दिनांक 11.09.2018 के माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 27.11.2018 और 22.01.2019 को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में दो बैठकें आयोजित की गईं। सेल ने दिनांक 27.11.2018 को आयोजित पहली बैठक के दौरान निर्देशित कलवार–नागुर जमा के विकास के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की है और 22.01.2019 को आयोजित दूसरी बैठक के दौरान असहमति के मुद्दों के बारे में अपना प्रतिनिधिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। इस बीच, ओएम दिनांक 01.01.2019 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत ने सेल को एजीआई की राय प्रदान की, जो सेल द्वारा किए गए एफसी अधिनियम की व्याख्या के अनुरूप है। इस मामले की अंतिम सुनवाई माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 07.05.2019 को हुई जिसमें, उत्तरदाताओं (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत और छत्तीसगढ़ सरकार) द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी ओर से याचिका पूरी हो चुकी है। दिनांक 17 से 19 जून, 2019 तक आयोजित अंतिम सुनवाई में, माननीय न्यायालय ने भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और सेल द्वारा की गई याचिका सहित सभी पक्षों की सुनवाई संपन्न की। मामले को सुनवाई की अगली तारीख के लिए रखा गया है।

बीएसपी के पांड्रीदल्ली और राजहरा पहाड़ लौह अयस्क खनन लीज और आरएमडी के तुलसीदामर डोलोमाइट लीज के पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले में कानूनी सहारा लिया जा रहा है।

लीज (किराये) की अवधि का विस्तार और नए क्षेत्रों का आरक्षण

- दिनांक 06.08.2018 को छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 में संशोधन किया और मूल मंजूरी की तारीख से 50 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद बीस वर्ष की लीज अवधि के माध्यम से लघु खनिजों के खनन पट्टों की लीज अवधि के विस्तार का प्रावधान किया गया। इस संशोधन से, हिर्री डोलोमाइट और बरदुआर डोलोमाइट लीज की अवधि क्रमशः वर्ष 2029 और वर्ष 2040 तक बढ़ेगी, जो अन्यथा वर्ष 2020 में समाप्त हो जाएगी।
- दिनांक 20.02.2019 की अधिसूचना के अनुसार, खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 साल की अवधि के लिए वीआईएसएल के माध्यम से परिचालन या खनन कार्य करने के लिए लौह अयस्क के लिए कर्नाटक के रमनदुर्गा बेलारी जिले में 150 एकड़ का क्षेत्र आरक्षित किया है।
- झारखंड सरकार ने उप–न्यायिक लीज सहित लौह अयस्क खनन की लीज अवधि के विस्तार के लिए सहमति व्यक्त की है।
- दिनांक 26.03.2019 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार, वीआईएसएल के पक्ष में बेल्लारी जिले में एनईबी क्षेत्र में लौह अयस्क खनन लीज देने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियमों, 2015 के प्रावधानों के तहत, दिनांक 25.06.2019 को झारखंड सरकार के आदेश ने दिनांक 22.02.2009 से गुआ लौह अयस्क खदान के डुअरगाइबुरु लीज की लीज अवधि को 20 वर्षों के लिए सशर्त बढ़ा दिया है।

हालांकि, तसरा कोकिंग कोल ब्लॉक के खनन लीज के नवीकरण में देरी और स्टोयिंग के लिए रेत खनन लीज के लिए क्षेत्र का आरक्षण चिंता का विषय है। कोयला मंत्रालय से तसर लीज के नवीनीकरण के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में मामला और कोयला खनन के लिए क्षेत्र का आरक्षण सक्रिय रूप से कोयला मंत्रालय के साथ किया जा रहा है।

सामान्य हित में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का प्रभाव

सामान्य हित के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 अगस्त, 2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप, ओडिशा और झारखंड की राज्य सरकारों ने क्रमशः ₹ 204.58 करोड़ और ₹ 1759.02 करोड़ की डिमांड नोटिस जारी की हैं और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (5) के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए ₹ 8,349.09 करोड़ की राशि के लिए तथा आज तक लौह अयस्क, फ्लक्स और कोयला खानों से संबंधित 'ईसी' उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को कम करने के लिए, सचिव, इस्पात मंत्रालय ने पत्र द्वारा दिनांक 13.10.2017 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा (3) में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने के लिए सचिव, खान मंत्रालय के साथ "वैध प्राधिकारी" और "खनन बिना किसी कानूनी अधिकार के ऑपरेशन" की परिभाषा को शामिल करने को कहा और परिणामस्वरूप, खान मंत्रालय ने ओ.एम. दिनांक 15.03.2018 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट प्रेषित किया है। इस संबंध में अध्यादेश प्रतीक्षित है।

परबतपुर और सीतानाला कोयला खंडों की वापसी

सीतानाला कोयला खंड

सीतानाला कोयला खंड, कोयला मंत्रालय को वापस करने के संबंध में कोयला मंत्रालय को दिनांक 12.03.2018 को दिए गए सेल के पत्र के परिणामस्वरूप, दिनांक 10.10.2018 के पत्र को रद्द कर दिया गया, जिन्होंने सीतानाला कोयला खंड के संबंध में आवंटन समझौते और आवंटन आदेश के विरुद्ध एक समाप्ति सूचना जारी की और बैंक ने दिनांक 25.10.2018 को ₹ 10.43 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति लागू करने के लिए सलाह दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष समाप्ति नोटिस को चुनौती देने पर, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश को रद्द करते हुए बीजी के आह्वान पर रोक नहीं लगाई, लेकिन निर्देश दिया कि यदि याचिका सेल के पक्ष में तय की जाती है कि, बैंक प्रत्याभूति को आमंत्रित करके एकत्र की गई धनवापसी की परिणामी दिशा को पारित किया जाएगा। यह मामला 10.01.2019 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कोयला मंत्रालय के आधिवक्ता ने एक प्रति–शपथपत्र दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा था। मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

परबतपुर कोयला खंड

परबतपुर कोयला खंड को कोयला मंत्रालय में वापस करने के अपने बोर्ड के निर्णय के संबंध में दिनांक 08.03.2018 को सेल ने विचाराधीन पत्र द्वारा कोयला मंत्रालय को नामित प्राधिकार के संबंध में सूचित किया था। हालाँकि, इस संबंध में कोयला मंत्रालय के निर्णय का अभी भी प्रतीक्षा है। इसके अलावा, सचिव, कोयला मंत्रालय, ने 16.10.2018 को आयोजित एक बैठक के दौरान सेल को ओएनजीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाकर परबतपुर ब्लॉक से कोयले के खनन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी। केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई), रांची के साथ सेल और ओएनजीसी दोनों द्वारा परीक्षण पर, यह सामने आया कि उसी क्षेत्र से कोयला और कोल बेड मिथेन (सीबीएम) का समवर्ती खनन तकनीकी रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से भी संभव नहीं है। सेल ने 14.02.2019 को एमओसी को सूचित किया और यह पहले से अनुरोध है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन के समय जमा की गई बैंक प्रत्याभूति सहित भुगतान की गई धनराशि को वापस करने का अनुरोध किया जाए, साथ ही वापस किये गये कोयला ब्लॉक के बदले संभावित कोकिंग कोल ब्लॉक का आवंटन भी उस के बदले प्रस्तुत किया जाए।

इस तथ्य के बावजूद कि सेल ने पहले ही ब्लॉक को कोयला मंत्रालय को लौटा दिया है, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय ने परबतपुर केंद्रीय कोयला खदान के पूर्व आवंटी के रूप में मैसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को देय भूमि और खान अवसंरचना के मुआवजे के निर्धारण के संबंध में दिनांक 15.02.2019 को एक आदेश पारित किया जिसमें पूर्व आवंटन की भूमि और खान अवसंरचना का पिछला मूल्यांकन ₹ 62.2816 करोड़ से कम कर ₹ 60.3055 करोड़ हो गया।

इसके अलावा, दिनांक 11.04.2019 के आदेशानुसार, यह स्पष्ट किया कि 15.02.2019 के निर्धारण के आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है और किया गया दृढ़ निर्णय अंतिम है। इसके अलावा, दि.26.03.2019 के पत्र द्वारा, मनोनीत प्राधिकारी, एमओसी ने सेल से अनुरोध किया है कि वह परबतपुर सेंट्रल कोल माइन के अभ्यर्पण के साथ जारी रखने के अपने निर्णय को प्रस्तुत करे। ओएनजीसी के पेट्रोलियम खनन पट्टे के साथ अधिव्याप्त मुद्दों के पहलुओं को और खनन पट्टे का गैर–अनुदान के संबंध में, 09.04.2019 को एमओसी को यह सूचित

किया गया कि, उसने सेल से परबतपुर खदान को हस्तांतरित करना है, कोल ब्लॉक के आवंटन के समय सेल द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करना है और परबतपुर कोयला ब्लॉक के बदले एक संभावित कोकिंग कोल ब्लॉक भी आवंटित करना है। मामले पर आगे की कार्रवाई कोयला मंत्रालय से प्रतीक्षित है।

विक्रय एवं विपणन

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, इस कंपनी ने सीपीएलवाई पर लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज करके 14.1 मिलियन टन से अधिक की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री की मात्रा प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बनाए रखने के लिए, सेल ने 0.76 मीट्रिक टन स्टील का निर्यात किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 9% की वृद्धि के साथ है।

ग्रामीण भारत की विशाल क्षमता का लाभ उठाने के लिए, इस कंपनी ने स्टील के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 152 'गाँव की ओर' कार्यशालाओं का आयोजन किया है। छोटे उपभोक्ताओं का ध्यान क्षेत्र बना रहा और खुदरा विपणन चैनलों के माध्यम से 0.7 मीट्रिक टन स्टील की बिक्री हुई है।

इस कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धित इस्पात की बिक्री करने की दिशा में अपने प्रयासों को वृद्धिंगत किया है। बोकारो में कोल्ड रोलिंग मिल # 3 से बिजली के क्षेत्र में नए ग्राहकों के अलावा, अत्यधिक मांग, उच्च मूल्य वाले ऑटो सेगमेंट में उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इस्को इस्पात संयंत्र में विशेष ग्रेड डब्लूआरसी की आपूर्ति नये मिल से आरंभ हुआ है।

भिलाई में यूनिवर्सल रेल मिल में उत्पादन में तेजी के साथ, 2018–19 में लगभग 40% की वृद्धि के साथ, कीर्तिमान 4.42 लाख टन लंबे रेल पैनल (260 मीटर) की आपूर्ति भारतीय रेलवे को की गई। यह मिल विश्व की सबसे लंबी एकल रेल (130 मीटर) का उत्पादन करती है। वर्ष 2018–19 के दौरान, वर्ष 2017–18 की तुलना में 9% की वृद्धि के साथ, कीर्तिमान 9.85 लाख टन उच्च गुणवत्ता का उत्पादन भिलाई स्टील प्लांट में किया गया। रेलवे को (जिसमें आरवीएनएल और इरकॉन को आपूर्ति भी शामिल है) रिकॉर्ड 9.44 लाख टन की आपूर्ति की गई। समानांतर फ्लेंज की ब्रांड दृश्यता बढ़ाने की दिशा में, ब्रांड नाम "एनईएक्स" के तहत स्ट्रक्चरल सेक्शन को देश भर में आयोजित उत्पाद जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स और प्लानर्स के साथ बातचीत सहित लक्षित किए गए ग्राहक जुड़ाव के प्रयासों ने इस कंपनी को उत्पाद रेंज स्थापित करने में सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप नए राज्यों की सीपीएलवाय पर स्टेट ऑफ़ दि आर्ट मिलों की संरचना की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई है। आपकी कंपनी की अवसंरचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। स्टील के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में सेल ने कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं जैसे स्टैच्यु ऑफ यूनिटी, बोगीबिल पुलिया, आदि, हेतु स्वयं को वित्त वर्ष 2018–19 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में प्रतिष्ठित बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के साथ–साथ रेल और सड़क संरचना परियोजनाओं को बड़ी मात्रा में प्लेट और स्ट्रक्चरल स्टील की आपूर्ति की गई।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति

जैसा कि भारत सरकार की सार्वजनिक प्राप्ति नीति द्वारा आवश्यक है; वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2017–18 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद की जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़)

विवरण	2018–19	2017–18
खरीद की कुल राशि	6141.98	4143.67
एमएसई से कुल खरीद	1241.47	858.17
एमएसई से खरीद का प्रतिशत	20.21	20.71

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सलेम इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम पूर्ण हो गया है और विभिन्न सुविधाएं परिचालन, स्थिरीकरण और वृद्धि के अधीन हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त किए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में, स्टील मेल्टिंग शॉप–III (एसएमएस–III) सुविधाओं का उष्ण परीक्षण, कनवर्टर–2, बिल्लेट कास्टर 1 और 2, बिल्लेट सह ब्लूम कॉस्टर और आरएच डीगैसर को लिया गया है। इसके अलावा, आरएच डीगैसर और बिल्लेट–कम–ब्लूम कॉस्टर मार्ग के माध्यम से एसएमएस–तृतीय पर रेल हीट का प्रसंस्करण भी वर्ष के दौरान हासिल किया गया है। आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत एकीकृत प्रक्रिया मार्ग परिचालन, स्थिरीकरण और रैंप–अप में है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 14 जून, 2018 को आधुनिकीकरण और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 4,303 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए योजनाबद्ध रूप से पूंजीगत व्यय ₹ 4,000 करोड़ है।

कार्यान्वयन के अंतर्गत परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) कार्यक्रम का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड एनपीबी–750 (एनपीपी –750) नैरो पैरालेल फ्लेंज बीम्स सफलतापूर्वक रोल करने वाला पहला घरेलू स्टील निर्माता बन गया। बीम्स को सेल के इस्को इस्पात संयंत्र के नए और अत्याधुनिक यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल मिल में लाया जा रहा है।

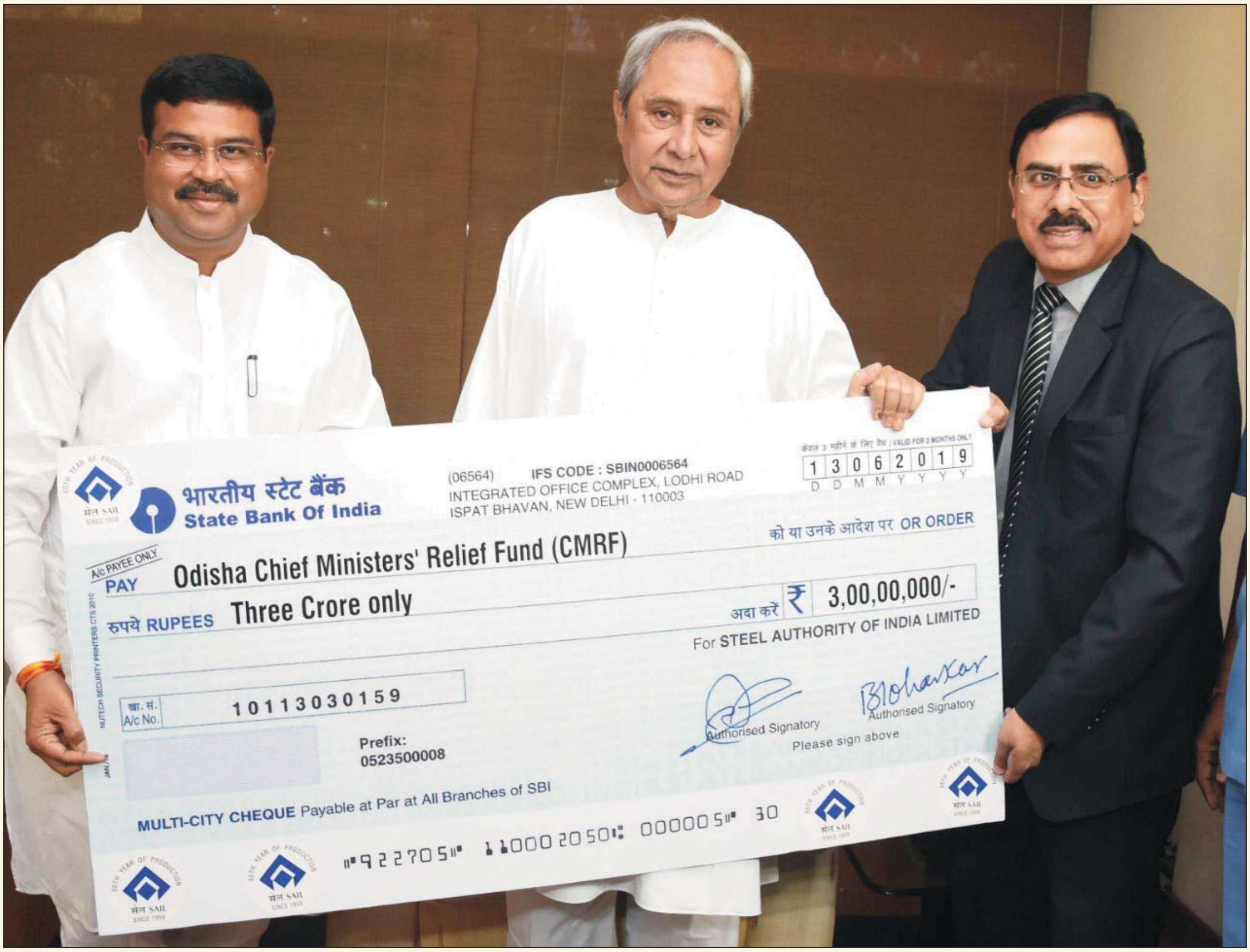

श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष, सेल, चक्रवात फानी के राहत कार्य के लिए इस्पात मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान की मौजूदगी में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को सेल के कर्मचारियों का ₹ 3 करोड़ का अंशदान सौंपते हुए।

ग. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के योगदान को मानती है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त किया है, जहां कौशल और ज्ञान हर पहल का आधार बनते हैं – चाहे वह प्रौद्योगिकी हो या नवाचार हो। जनशक्ति उपयोग और श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं का विकास करना कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

आपकी कंपनी अध्ययन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और कर्मचारियों में रचनात्मकता और नवीनता का पोषण करती है। सेल में मानव संसाधन उपक्रम टीम भावना, कर्मचारी सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है। व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए मानव संसाधन विकास प्रबंधन के रणनीतिक संरेखण ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में 'स्टेट ऑफ़ दि आर्ट' प्रौद्योगिकी के लिए एक सरल संक्रमण की सुविधा प्रदान की है।

पुनर्गठित श्रमशक्ति के साथ वर्धित उत्पादकता

इस कंपनी ने 2018–19 में 389 टीसीएस / मनुष्य / वर्ष की श्रम उत्पादकता (एलपी) प्राप्त की है। 31 मार्च, 2019 दौरान कुल 4,531 श्रमशक्ति युक्तिसंगत करने के साथ कंपनी की श्रमशक्ति 72,339 थी। तर्कसंगत श्रमशक्ति के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता को विवेकपूर्ण भर्तियों, निर्माण दक्षताओं और कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और उत्साह की भावना के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2009–10 के बाद से बढ़ी हुई उत्पादकता और जनशक्ति युक्तिकरण की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

जनशक्ति और श्रम उत्पादकता (पिछले दस वर्षों के दौरान)

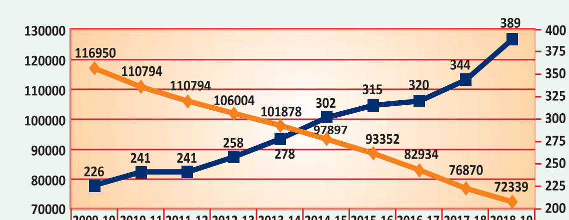

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जनशक्ति	116950	110794	106004	101878	97897	93352	88655	82934	76870	72339
श्रम उत्पादकता	226	241	241	258	278	302	315	320	344	389

श्रम उत्पादकता में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी:
225 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2009–10) से बढ़ कर
389 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2018–19)

कर्मचारी की कार्य क्षमताओं और दक्षता को विकसित करना

कंपनी का मानना है कि लोगों का विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है। प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों ने कर्मचारी के ज्ञान और कौशल के विकास में सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षताओं की उन्नति हुई है, जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। सेल प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण, हस्तांतरण और सुधार पर ध्यान देने के साथ विभिन्न प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

कल के लिए कर्मचारियों को तैयार करना, चुनौतियों को प्रभावी ढंग से उठाने और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रमुख जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 44,369 कर्मचारियों को विभिन्न समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूल पर वर्ष के दौरान 33,605 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कर्मचारीयों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध

सेल ने एक अनुकूल वातावरण निर्माण और अनुरक्षण एवं नियोक्ता–कर्मचारी के सद्भावपूर्ण संबंधों के परिपूर्ण करने की अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है। श्रमिक संघ/श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने के स्वस्थ अभ्यास ने विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण स्थापित करने में कंपनी को सक्षम बनाया। सत्तर के दशक से कुछ द्विदलीय मंच कार्यरत हैं और वेतन, सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित समय–समय पर उठने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, इस प्रकार, एक अनुकूल कार्य वातावरण स्थापित करने में मदद करते हैं।

प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधित्व तथा संयंत्रों/इकाइयों के प्रतिनिधि संघों के साथ–साथ इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एन जे सी एस), इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संयुक्त समिति (जे सी एस एस आई) आदि, जैसे द्विदलीय मंच समय–समय पर मिलते हैं और संयुक्त रूप से एक सुरक्षित वातावरण और सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियों/कार्य योजनाओं को विकसित करते हैं जिसे सेल संयंत्रों/इकाइयों द्वारा वर्षों से प्राप्त किए गए बहु स्थानों पर विविध कार्य संस्कृति के साथ चिह्नित सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों से इसकी पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता मंडल, सुझाव योजनाएँ, व्यापार स्थल कल्याण समितियाँ, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, उत्पादकता समिति आदि भी श्रमिकों की भागीदारी के लिए कई मार्ग प्रस्तुत करते हैं। श्रमिकों को नीतिक व्यापार निर्णयों और उनके विचारों को संरचित/संवादात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से रखा गया है।

कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ–साथ कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के साथ कंपनी में संचार संरचित तरीके से किया जाता है। कर्मचारियों के बड़े समूह के साथ संरचित चर्चा से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बड़े पैमाने पर संचार अभियान चलाए जाते हैं। ये संवादात्मक सत्र कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ अपने काम को संरेखित करने में सहायता करते हैं, जिससे न केवल उच्च उत्पादन और उत्पादकता होती है, बल्कि कर्मचारियों की अपनेपन की भावना भी बढ़ती है।

शिकायत निवारण तंत्र

प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जो कार्यकारी अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए भिन्न है, उसको विकसित किया गया है और सेल संयंत्रों/इकाइयों में विकसित एवं लागू किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर संयुक्त शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

सेल संयंत्र/इकाइयाँ 3 चरण की शिकायत से निपटने के तंत्र को बनाए हुए हैं और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन अनियमितता, काम करने की स्थिति, स्थानान्तरण, छुट्टी, कार्य आवंटन और कल्याण सुविधाओं, आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में विद्यमान पर्यावरण की सहभागिता प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का निवारण अनौपचारिक रूप से किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 257 कर्मचारियों की शिकायतों के विरुद्ध, पिछले वर्ष से लंबित 10 शिकायतों के साथ, वर्ष के दौरान 95.13% की पूर्ति के साथ 254 कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत (डीएआरपीजी) विभाग द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रणाली है, उसके तहत 681 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पिछले वित्तीय वर्ष से लंबित 17 शिकायतों को आगे बढ़ाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 11 दिनों के औसत समय के भीतर कुल 688 शिकायतों का निपटारा किया गया है, जिससे 98% की पूर्ति दर और 10 शिकायतें मार्च, 2019 को निपटान के लिए लंबित हैं।

पारिश्रमिक नीति

सेल में, अधिशासी अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी अंतिम वेतन संशोधन 5 अक्टूबर, 2009 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया। गैर–अधिशासी कर्मचारियों के मामले में, वेतन और मजदूरी को इस्पात राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षीय मंच में अंतिम रूप दिया/संशोधित किया गया है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी अंतिम एनजेसीएस अनुलग्नक को अंतिम रूप दिया गया और 1 जुलाई, 2014 को उस पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। इस प्रकार, अनुपस्थिति या लाभ की अपर्याप्तता के मामले में समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटन इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पहल

आपकी कंपनी भर्तियों और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। दिनांक 31.03.2019 के अनुसार, 72,339 की कुल श्रमशक्ति में से 11,974 अनुसूचित जाति (16.55%) और 10815 अनुसूचित जनजाति (14.95%) से आते हैं।

खदानों सहित, सेल संयंत्रों और इकाइयों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रभुत्व, देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में योगदान दिया है। इनमें से कुछ योगदान निम्नानुसार हैं:

- गैर–अधिशासी कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें कुल कर्मचारियों का करीब 84 प्रतिशत है, मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है और इसलिए, बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विकास के अवसर निर्माण हुए हैं।
- अस्थायी और सामयक प्रकृति की नौकरियों के लिए, आम तौर पर ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से काम करने वालों को नियुक्त करते हैं, जो फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय संसाधनों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को एक गति दी है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सहायता से आबादी को लाभान्वित किया गया है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगरी में चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं सबसे अच्छी हैं और यह स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आबादी के लिए एक सुखद जगह की तरह हैं जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि और विकास का लाभ उठाते हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों पर विशेष रूप से निर्धन, कमजोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, अपराह्न भोजन, पोशाक, जूते पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ स्थिति में परिवहन शामिल हैं।
- कंपनी चलाने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वे सेल के कर्मचारी हों या गैर–कर्मचारी के प्रतिपालित हों।
- निर्धनों के लिए निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों सहित बाहरी जनसंख्या के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाइयां आदि प्रदान करते हैं।
- सेल प्लांट ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों, सारंदा सुवन छात्रावास, ज्ञानोदय छात्रावास और लगभग विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए एक विशिष्ट ज्ञान ज्योति योजना इन सबमें उनके समग्र विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, बोर्डिंग, लॉजिंग और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए,जनजाति विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आईआईटी/जेईई प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रीमियर संस्थानों

वर्ष 2018 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन समारोह।

में कोचिंग के लिए और विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वृत्ति, आवास, परिवहन और भोजन की सुविधा के साथ प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के लिए अध्यक्षीय निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ सभी मुख्य संयंत्रों/इकाइयों में कार्य कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक सदस्य सभी डीपीसी/चयन समितियों में जुड़ा हुआ है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य व्यवहार अधिकारियों के लिए आंतरिक कार्यशालाएं नियमित रूप से एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखने के लिए आयोजित की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो कि आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अलावा, सेल में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के मुद्दों के समन्वित प्रतिनिधित्व के लिए सेल अनुसूचित जाति/जनजाति एम्पलॉइज फेडरेशन नामक एक सर्वोच्च निकाय भी है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर संघ के साथ बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के तहत प्रावधानों का अनुपालन सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन सहित सभी वैधानिक प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय को भेजी जा रही हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी अपलोड किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्नों के तीव्र निवारण के लिए प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम की धारा 5 और 19 (1) के तहत लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ)/सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नियुक्त किया है। धारा 5 (5) के तहत, पीआईओ को जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को मानित पीआईओ कहा जाता है, और आवेदक को समय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए पीआईओ के समान ही उत्तरदायी बनाया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल सूचीबद्ध किए हैं और अधिनियम के तहत अधिकारियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अनुरोध का कार्यान्वयन 1 मई, 2015 से शुरू कर दिया गया है। कंपनी के वेबसाइट पर कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड अवधारण नीति का संकलन भी अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की वेबसाइट पर सीआईसी, डीओपीटी परिपत्रों और उच्च न्यायालय के मामलों के महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन भी उपलब्ध हैं।

'आरटीआई' के अंतर्गत सरकारी प्राधिकरणों की बाध्यता' पर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं नियमित आधार पर संयंत्रों/इकाइयों में आयोजित की जा रही हैं और इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में सूचना आयुक्त उपस्थित रहते हैं।

सेल को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिनियम के तहत कुल 3,814 आवेदन और 653 अपीलें प्राप्त हुईं और इन सभी का अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण कर दिया गया। सीआईसी ने 62 मामलों को भी उठाया है और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

अधिनियम लागू होने के बाद से, सेल को 31 मार्च, 2019 तक कुल 42,524 आवेदन और 6,413 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निस्तारण समय के भीतर किया गया। इनमें से 818 मामले सीआईसी द्वारा उठाए गए थे और इनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में हुआ था।

नागरिक अधिकार–पत्र

सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, नागरिकों की पहचान करने की एक निर्धारित प्रक्रिया तैयार की है जिसके द्वारा, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी प्रतिबद्धता और सेवा वितरण प्रक्रिया बनाने के लिए आपकी कंपनी पूरी तरह से सुशासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है।

सेल के नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) ने अपने हितधारकों के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, जिससे उन्हें बेहतर उत्पादों और सेवाओं की मांग करने का अधिकार मिला है। सेल नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) के उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

- उत्पादों और सेवाओं के सुधार के लिए सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सभी प्रक्रियाओं पर नागरिक केंद्रित बनाए जाना सुनिश्चित करना।
- प्रभावशाली नागरिक संवाद माध्यमों को सुनिश्चित करना।
- कॉरपोरेट वेबसाइट पर नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) की मेजबानी करके अपने व्यावसायिक कार्यों की पारदर्शिता और खुलेपन का प्रदर्शन करना।
- नागरिकों की प्रसन्नता की दिशा में कार्य करना, विफल–सुरक्षित प्रक्रियाओं द्वारा और अपनी सेवा वसूली प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के मामले में, शिकायत निवारण, जैसे शिकायत निवारण, आदि करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरणः

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की है। इन समितियों का गठन यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त निवारण के लिए किया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के तहत आते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण प्राप्त हुआ और उनका निस्तारण इस प्रकार हैः

प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	7
निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या	:	5
31.03.2019 को लंबित शिकायतों की संख्या	:	2

घ. वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार और सम्मान

कंपनी स्तर

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैंः

- वर्ष 2017 के लिए एक प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (6 कर्मचारीयों को सम्मिलित करते हुए) जीते है।
- प्रदर्शन वर्ष 2016 के लिए 9 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (48 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) जीते है।
- "महारत्न" श्रेणी में गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड फॉर "रेसिलिएंट ग्रोथ" यह पुरस्कार जीता है ।
- श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष, सेल को भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार, श्री संजीव सान्याल द्वारा 'उत्कृष्ट नेतृत्व' के लिए शीर्ष रैंक के उत्कृष्टता पुरस्कार–2019 से सम्मानित किया गया है।
- 2018–19 के लिए 9वें सीआईआई एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार में "एचआर उत्कृष्टता के लिए मजबूत प्रतिबद्धता" के लिए मान्यता।
- 16वें कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड ग्लोबल अवाड्र्स 2018 में भारत के शीर्ष चैलेंजर्स अवार्ड।
- इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 'सार्वजनिक–विनिर्माण–मेगा' श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए लागत प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार।
- "उपविजेता ट्रॉफी (श्रेणी–ए में)" एचआर बेस्ट प्रैक्टिसेज 2018 के लिए एनआईपीएम नेशनल अवार्ड के तहत।
- सेल की "इस्पात भाषा भारती" को टाउन ऑफ़िशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए शहर स्तर पर सर्वश्रेष्ठ इनहाउस जर्नल के लिए दूसरा पुरस्कार मिला।
- न्यू इंडिया में एम्प्लॉयब्ल स्किल डेवलपमेंट पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रस्तुत पेपर को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में से एक के रूप में चुना गया था।
- गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार (जीपीईएमए) – 2019 ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

- श्रीमती रजनी रजक, विकास सहायक (सीएसआर) को नारी शक्ति सम्मान, 2018 से महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

- डीएसपी ने सीआईआई, पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए ईएनसीओएन अवार्ड, 2018 जीता।
- गुणवत्ता सर्किल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में डीएसपी को 10 नंबर्स पार–एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

- आरएसपी ने बीओबीएस वैगनों के टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए पहल और राष्ट्रीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग में अग्रणी" के लिए प्रधान मंत्री ट्रॉफी अवाड्र्स 2016 में प्रशंसा–विषय–आधारित पुरस्कार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- आरएसपी को वर्ष 2018 के लिए रिस्पांस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला।
- आरएसपी को पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2018 के लिए 'सृष्टि जी–क्यूब गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- आरएसपी से क्वालिटी सर्किल टीम को क्वालिटी सर्किल्स ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बोकारो इस्पात संयंत्र

- बीएसएल ने ग्रीनटेक फाउंडेशन, दिल्ली के उत्कृष्ट पर्यावरण प्रदर्शन की मान्यता के लिए वर्ष 2018 के लिए धातु और खनन क्षेत्र में 18 वां वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार–प्लेटिनम श्रेणी प्राप्त किया।
- बीएसएल ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक जल संरक्षण श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ बड़े पैमाने पर उद्योग की मान्यता में राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2018 जीता।

माननीय केंद्रीय रेल मंत्री, श्री पीयूष गोयल से श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष सेल, भारत सरकार के लागत लेखाकार संस्थान द्वारा सेल को प्रदत्त, लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

टाउनशिप के पानी के उपचार के लिए राउरकेला में ऑक्सीकरण तालाब।

इस्को इस्पात संयंत्र

- आईएसपी को एचआर पहल की मान्यता में वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा वर्ष 2018 के लिए पश्चिम बंगाल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड मिला।
- आईएसपी ने वर्ष 2017–18 के लिए गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड जीता है।

एलॉय इस्पात संयंत्र

- एएसपी ने स्कीम–II के तहत कैलेंडर वर्ष 2016 और 2017 के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं होने के लिए 2018 सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया।
- एएसपी को योजना–IV के तहत कैलेंडर वर्ष 2016 और 2017 के दौरान अनुबंध श्रम से संबंधित 'कोई घातक दुर्घटना न होने' के लिए इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ।
- एएसपी से 2 गुणवत्ता सर्कल टीमों को भारत के क्वालिटी सर्कल फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन–2018 में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सलेम इस्पात संयंत्र

- एसएसपी ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, सेलम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2017–18 के लिए "नवाचार और उद्योग के लिए स्थिरता पुरस्कार" प्राप्त किया।

चंद्रपुर फेरो एलॉय संयंत्र

- सीएफपी को स्कीम–IV समूह 'बी' के तहत कर्मचारियों को शामिल करते हुए "कोई भी घातक दुर्घटना नहीं घटी' के लिए 2018 सुरक्षा पुरस्कार मिला।
- सीएफपी ने स्कीम–IV समूह 'बी' के तहत वर्ष 2018 के लिए अनुबंध श्रम को शामिल करते हुए 'कोई भी घातक दुर्घटना नहीं घटी' के लिए इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 2018 जीता।

आरडीसीआईएस

- आरडीसीआईएस ने 2018–19 के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे कि वर्ष के मेटालर्जिस्ट, ओ.पी. जिंदल गोल्ड मेडल, इंद्रनील पुरस्कार, एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार, आदि प्राप्त किए।

ड. पर्यावरणीय प्रबंधन

पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए लागू पर्यावरणीय मानदण्डों के दायरे में और विभिन्न कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंधित नियम, प्लांट परिसर के अंदर और टाउनशिप में उत्पन्न होने के नाते, सेल प्लांट और मिल्स, अपनी प्रक्रियाओं को बिना पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े संचालित करते हैं। आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपनी पर्यावरणीय दृष्टि भी तैयार की है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करती है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रयास पर भी जोर देती है। इसके अलावा, आपकी कंपनी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और सभी हितधारकों के लिए अपने पर्यावरण दर्शन को संप्रेषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्सर्जन और निरावेशन में सुधार

सेल संयंत्र और खान प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों / सुविधाओं का संचालन कर रहे हैं और नियमित रूप से बनाए रखने / नवीकरण / पुनर्जीवन के माध्यम से बनाए रखते हैं और जब तक आवश्यक हो, लागू पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के उद्देश्य से, जैसा कि आवश्यक हो, उन्नयन करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्य प्रभाव प्राप्त हुए हैं:

- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) एमिशन लोड लगभग 16% घटकर 0.70 किलोग्राम/टीसीएस हो गया है।
- विशिष्ट जल की खपत 6% से अधिक 3.44 मी^{3}/टीसीएस तक कम हो गई है।
- विशिष्ट प्रवाह मुक्ति लगभग 17% घटकर 1.80 मी^{3}/टीएसएस हो गया है।
- विशिष्ट प्रवाह भार में लगभग 11% की कमी आई है और यह 0.085 किलोग्राम/टीसीएस हो गई है।
- बीएफ स्लैग का उपयोग लगभग 9.5% बढ़कर 95.89% हो गया है।
- विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन को 3% से अधिक घटा कर 2.57 टी/टीसीएस किया है।

ऊर्जा–कार्यक्षम प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/सुविधाओं को अपनाना

आपकी कंपनी ने अपनी आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के दौरान पहले से ही अत्याधुनिक स्वच्छ तकनीकों और सर्वोत्तम व्यवहार्य और उपलब्ध प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को लागू किया है। कुछ प्रमुख स्वच्छ प्रौद्योगिकियां निम्नानुसार हैं:

- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में कोक ड्राई कूलिंग प्लांट, भूमि आधारित पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, संगणीकृत ज्वलन नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ उच्चतर क्षमता कोक ओवन बैटरियाँ।
- सिंटर प्लांट आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी में उन्नत इग्निशन सिस्टम (मल्टी–स्लिट बर्नर), सिंटर कूलर से अपशिष्ट ताप प्राप्ति सुविधा आदि के साथ एकीकृत है।
- उच्च दबाव की ब्लास्ट फर्नेस, टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइन, वेस्ट हीट रिकवरी सुविधा, पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन, कास्ट हाउस डी–डस्टिंग सिस्टम और बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी पर टोरपिडो लेडल से सज्जित अपेक्षाकृत अधिक क्षमता का ब्लास्ट फर्नेस।
- उत्तरोत्तर स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधा से कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र में परिवर्तित करना।

- निरंतर कास्टिंग के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत होने वाली इनगोट माध्यम को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- ऊर्जा खपत को कम करने के साथ–साथ CO_2 उत्सर्जन को कम करने में रोलिंग मिल पर आरएचएफ के स्थान पर बीम रीहटिंग फर्नेस (आरएचएफ) चलना।

नई पहलें

क. पॉली क्लोरीनयुक्त बाई–फेनाइल्स (पीसीबी'एस) का पर्यावरण के अनुकूल निपटान – एक पर्यावरण प्रदूषक

भिलाई इस्पात संयंत्र ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यू एन आई डी ओ के साथ भागीदारी में, पॉलीक्लोरिनेटेड बाई–फेनाइल्स (पीसीबी) के लिए एक निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसे अपनी साइट पर सतत् ऑर्गेनिक प्रदूषण (पीओपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस परियोजना के दिसंबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

ख. CO_2 का जैव–अधिग्रहण

सिस्टम में उत्पन्न कार्बन के CO_2 उत्सर्जन में कमी और पुनर्संरचना के उद्देश्य के लिए, सेल अपने एक ओर अपने कार्बन पदचिह्न और दूसरी तरफ अपने मौजूदा जैविक संसाधनों के माध्यम से CO_2 के अनुक्रमीकरण की क्षमता का आकलन कर रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के परिसर पर वनीकरण के माध्यम से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पर एक परियोजना बनाई गई है। मेसर्स ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर ने फरवरी, 2014 में इस परियोजना को अंतिम रुप देने के लिए अनुक्रम भागीदार के रूप में काम किया है। यह परियोजना मार्च, 2020 तक चलती रहेगी।

ग. 4आर (कमी, पुनःउपयोग, रिसायक्लिंग और रिकवरी) को लागू करके अपशिष्टो के उपयोग को बढ़ानाः

संयंत्र की सीमा के भीतर उत्पन्न होने वाले कचरे के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से, हाल के वर्षों में, कुछ आरएंडडी आधारित पहलें जैसे कि बीओएफ स्लैग की भाप परिपक्वता, बीओएफ स्लैग को सूखा दानेदार बनाना, बीओएफ स्लैग का उपयोग रेल ट्रैक कबाड़ के रूप में, बीएफ और बीओएफ का उपयोग प्राकृतिक समुच्चय के विकल्प के रूप में स्लैग, सड़क बनाने में बीएफ/बीओएफ स्लैग का उपयोग, बीओएफ स्लैग का उपयोग मिट्टी के तेल के रूप में और सीमेंट बनाने में हाल के वर्षों में किया गया है।

घ. एक नए युग की ओर नवीकरणीय ऊर्जा का अनुप्रयोग

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित स्थानों पर 242 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा हैः

- बोकारो में 120 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट।
- सलेम में 50 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट।
- राउरकेला में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट।
- कुल्टी में 25 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट।
- भिलाई में 7 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट।

इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं, जैसे मांडरा डैम, आरएसपी में 10 मेगावाट हाइडल पावर प्लांट की स्थापना, जिसके लिए ओडिशा के आरएसपी और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीइडीसीओएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और (ii) 6.195 मेगावाट की रूफ टॉप सोलर यूनिट्स विभिन्न भवनों पर नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) योजना के तहत स्थापित किये गए। इसके अलावा, सेल प्लांट्स और यूनिट्स के विभिन्न भवनों पर 3 मेगावाट की रूफ टॉप सोलर पावर इकाइयां स्थापित की गई हैं।

ङ. अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए जैव पाचक

एक ग्रीन पहल के रूप में और "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016" के अनुपालन में, डीएसपी और आरएसपी ने प्रति दिन लगभग 400 किलो कैंटीन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए जैव–पाचक प्लांट परिसर में स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे जैव–अवक्रमणशील अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान होता है। जैव–पाचक जैव–अवक्रमणशील ठोस अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग बागवानी के लिए खाद के रूप में किया जाता है। बीएसएल ने कैंटीन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो–गैस संयंत्र की स्थापना के लिए भी एक परियोजना शुरू की है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ–14001ः 2015 के साथ समर्पित

आईएसओ 14001 से जुड़ा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रक्रियाओं और प्रथाओं का एक समूह है जो किसी संगठन को उसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और उसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ईएमएस के कार्यान्वयन ने सेल के संयंत्र और खान को यह सुनिश्चित करने में मदद की है जिससे कि उनका प्रदर्शन नियामक आवश्यकताओं के संलग्नित हो।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, इस्को इस्पात संयंत्र और गुआ अयस्क खान में ईएमएस (आईएसओ–14001ः 2015) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। ईएमएस (आईएसओ 14001ः 2015) का पुनः प्रमाणीकरण मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदान, किरीबुरू लौह अयस्क खान, बोलानी अयस्क खदान, बरसूआ लौह खदान और दल्ली यंत्रीकृत खदान में किया गया था। सीएमओ के छह गोदामों (दनकुनी, फरीदाबाद, कलंबोली, चेन्नई, दिल्ली और विशाखापट्टनम) को 2018–19 के दौरान ईएमएस (आईएसओ 14001ः 2015) के साथ फिर से प्रमाणित किया गया है।

संवहनीय विकास परियोजनाएं

जैव–विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की भरपाई के लिए अवमानित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पुनर्वास

सेल के राउरकेला स्टील प्लांट ने सड़क निर्माण में बेकार प्लास्टिक का उपयोग कर एक नई परियोजना शुरू की।

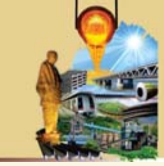

आवश्यक है। पूर्णापानी में 250 एकड़ के पुराने बंजर अधिक म्लानता और 200 एकड़ के चूना पत्थर के क्षेत्र में पानी के बहाव को पूरी तरह कार्यात्मक पारिस्थितिक तंत्र में सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सामानों के साथ–साथ पृथक CO_2 भी उत्पन्न करता है।

वृक्षारोपण

आपकी कंपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन पहल में, वृक्षारोपण की अपनी भूमिका को मानती है। यह एक जाहिर तथ्य है कि प्लांट पारिस्थितिकी तंत्र और कार्य को कार्बन सिंक के रूप में संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लांट के विशाल योगदान को ध्यान में रखते हुए, सेल लंबे समय से अपने नवजात अवस्था से ही अपने संयंत्र और खान में धार्मिक रूप से व्यापक वनीकरण कार्यक्रम को अपना रहा है। सेल संयंत्रों और खानों में अब तक 20.5 मिलियन से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वृक्षारोपण के लिए विशेष जोर देते हुए, 2018–19 के दौरान 4.42 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

च. कंपनी की नीतिगत पहल

आपकी कंपनी ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें जैविक विकास, बाउन–फील्ड परियोजनाएं, नीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व, नई खानों को विकसित करके कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संबद्ध क्षेत्रों में विविधता लाना, आदि सम्मिलित है। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के साथ बिजली उत्पादन, रेल डिब्बों का निर्माण, सीमेंट चूर्ण उत्पादन, नए विदेशी स्रोतों से कोकिंग कोयले की आपूर्ति हासिल करना, आदि उद्देश्यों के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया। वर्तमान में एक संयुक्त उद्यम में पेलेट निर्माण, बिजली वितरण एवं टाउनशिप रखरखाव सेवाओं की आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में नई पहल की जा रही है। हाल के दिनों में आपकी कंपनी द्वारा ली गई नीतिगत पहल की स्थिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संयुक्त उद्यम के तहत उपयुक्त क्षमता के पेलेट संयंत्र की स्थापना की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की खोज के लिए केआइओसीएल के साथ समझौता ज्ञापनः** सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में किसी भी उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त क्षमता के पेलेट संयंत्र की स्थापना हेतु संयुक्त तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मैसर्स केआइओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) 30 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षरित किया गया।
- **'मेक इन इंडिया' पहल के तहत पूंजीगत वस्तु निर्माता के साथ समझौता ज्ञापनः** राष्ट्रीय इस्पात नीति–2017 में लगभग 137 मीट्रिक टन की वर्तमान क्षमता की तुलना में वर्ष 2030–31 तक देश में 300 मिलियन टन (मीट्रिक टन) इस्पात क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई है। 300 मीट्रिक टन क्षमता तक पहुंचने के लिए प्लांट और उपकरणों का अनुमानित आयात 25 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास होगा। इसके अलावा, यह अनुमान है कि 300 मीट्रिक टन क्षमता के स्तर पर, भारत को स्वमित्व और अन्य पुर्जो के आयात के लिए वार्षिक लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करने होंगे। भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी ने इस्पात क्षेत्र से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तु निर्माता '(बीएचईएल और एचईसी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 23 अक्टूबर, 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित "कैपिटल गुड्स फॉर स्टील सेक्टरः मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया" पर एक कान्कलेव सभा में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- **जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,** सेल और मैसर्स ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ ओडिशा लिमिटेड (ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बीच एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन मंदिरा बांध, राउरकेला, ओडिशा में 10 मेगावाट के छोटे हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए 6 सितंबर, 2018 को किया गया।
- **गैर–परिचालन और गैर–निष्पादित संयुक्त उद्यम कंपनियों और सेल की सहायक कंपनियों को बंद करना / बाहर निकलनाः** आपकी कंपनी ने कुछ संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ–साथ सहायक कंपनियों, जो गैर–परिचालन या गैर–प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें बंद करने / उनसे बाहर निकलने के लिए कार्रवाई शुरू की है। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इन दो सहायक कंपनियों के लिए बंद करने की कार्रवाई फास्ट ट्रैक निकासी पद्धति के तहत कार्यरत है।
- प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, 2016–17 के दौरान 'सेल उदय' नाम की कंपनी–व्यापी बदलाव की पहल की गई। 'सेल उदय' अभ्यास के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), एक प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता, कंपनी के साथ कंपनी के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए, अपने टर्नअराउंड के लिए उपयुक्त उपाय सुझाता है और टर्न अराउंड के लिए अनुमोदित रोड मैप के कार्यान्वयन के लिए सहभागी है। 'सेल उदय' के अध्ययन चरण का समापन अक्टूबर, 2017 में बीसीजी द्वारा 'व्यापक बदलाव रोडमैप' रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ हुआ। रोडमैप में कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को सहभागी करने की सिफारिशें हैं जिनमें कच्चा माल, उत्पादन, बिक्री और विपणन, आपूर्ति श्रृंखला और रसद, जनशक्ति और उत्पादकता आदि शामिल हैं। सेल वर्तमान में उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिनमें सुधार की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन में योगदान करने की आशा है।

सेल संयंत्रों का विनिवेशः दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को, भारत सरकार (जी ओ आई) ने सेल के तीन इकाइयों; सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी), सेलम, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (व्हीआईएसपी), भद्रावती और अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर की नीतिगत विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया। नीतिगत विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है और इसकी अध्यक्षता सचिव, इस्पात द्वारा की जा रही है।

सेल बोर्ड ने इन इस्पात संयंत्रों के नीतिगत विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दी। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए, कंपनी ने लेन–देन का सलाहकार (टीए), कानूनी सलाहकार (एलए), परिसंपत्ति मूल्य–निर्धारक (एवी) और कर एवं लेखांकन सलाहकार (टीसीए) की नियुक्ति की है।

दिनांक 1 फरवरी, 2018 को इस्पात मंत्रालय से एएसपी के विनिवेश के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/अभिव्यक्ति के ब्याज अनुरोध (ईओआई) जारी करने के लिए सरकार की मंजूरी मिलने पर, एएसपी, दुर्गापुर के लिए ईओआई आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना दिनांक 14 फरवरी, 2018 को जारी की गई थी। चूंकि, उपरोक्त के उत्तर में प्राप्त ईओआई निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में नई प्रक्रिया शुरू की गई है और एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी के संशोधित पीआईएम/ईओआई अनुरोध जारी किए गए हैं।

व्यावसायिक उत्कृष्टता श्रेष्ठता की पहल

प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन

सेल संयंत्रों/इकाइयों में से अधिकांश आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएएस 18000 और एसए 8000 प्रबंधन प्रणालियों से प्रमाणित हैं। बीएसपी, बीएसएल और डीएसपी ने उपरोक्त चार प्रणालियों के अलावा आईएसओ 50000 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 27000 (सूचना सुरक्षा प्रणाली) को भी लागू किया है।

2018–19 के दौरान प्राप्त प्रमाणपत्रः

- संयंत्रों और इकाइयों ने अपने प्रणाली को नए संस्करण अर्थात आईएसओ 9001: 2015 और आईएसओ 14001: 2015 में उन्नत किया।
- आईएसपी– बीओएफ, सीसीपी, ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन आईएसओ 9001: 2015 के लिए प्रमाणित।
- आईएसपी – स्ट्रक्चरल निर्यात करने के लिए सीई प्रमाणीकरण प्राप्त किया।
- डीएसपी – मीडियम स्ट्रक्चरल मिल ने अपने उत्पादों के निर्यात के लिए सीई प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

आईटी से संबंधित उपाय

आपकी कंपनी ने व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों को विकसित करने और लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जो डेटा उपलब्धता और स्वचालित व्यापार प्रक्रियाओं को गति और सटीकता प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

नवीनतम तकनीक के साथ मेल रखने के लिए वर्षों से निरंतर प्रयासों के कारण आपकी कंपनी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के क्षेत्र में व्यावसायिक संचालन के प्रमुख विस्तार को सम्मिलित करने में सक्षम है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला और केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) में चार एकीकृत इस्पात संयंत्र पहले ही ईआरपी लागू कर चुके हैं। 5वें इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र अर्थात इस्को इस्पात संयंत्र में ईआरपी कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 में नियोजित गो–लाइव के साथ प्रगति पर है। कॉरपोरेट ऑफिस में, जुलाई, 2019 में ईआरपी को कार्यान्वित किया।

सेल ने क्लाउड मॉडल के माध्यम से आईटी सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया शुरू की, जो नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करते हुए त्वरित परिनियोजन, लागत प्रभावशीलता, प्रबंधन की आसानी के निहित लाभ के कारण तेजी से वास्तविक उद्योग मानक बन रहा है। कॉरपोरेट ऑफिस ने अपनी ईआरपी

परिनियोजन के लिए आईएसपी के साथ ईआरपी समाधान की परिनियोजन के लिए इस पहल का लक्ष्य रखा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में विनिर्माण निष्पादन प्रणाली (एमईएस) को रेलवे के कड़े गुणवत्ता की आवश्यकता के अनुसार रोलिंग को सक्षम करने के लिए प्रत्येक दुकान के अंदर दुकान निष्पादन, सामग्री पर नज़र रखने और संतुलन, नमूना और परिणाम रिकॉर्डिंग, और समय पर प्रेषण की सुविधा आदि को पूरा करने के लिए यूआरएम और एसएमएस–तीन में विस्तारित किया गया है।

कंपनी के प्रमुख संयंत्रों/इकाइयों में वैधानिक अनुपालन के लिए अंतर–राज्य संचार के संबंध में ई–वे बिल का कार्यान्वयन।

भारत सरकार के पहल के रूप में, जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को अधिकतम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और स्वचालन की दिशा में एक कदम के रूप में, ईआरपी सिस्टम के साथ प्राप्ति आदेशों का इंटरफेस शुरू किया गया है।

आपकी कंपनी ने मुख्य रूप से कर्मचारी मास्टर डेटा, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, पेंशन डेटा, शिकायत प्रणाली, प्रशिक्षण मॉड्यूल और एमआईएस रिपोर्ट से संबंधित कर्मचारी जानकारी का एक केंद्रीकृत कोष बनाने के लिए इन–हाउस ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को लागू किया।

आपकी कंपनी ने अंकरूपन और बदलते समय के साथ तालमेल रखने के अपने प्रयास में गतिशीलता में पहल की है और मानव संसाधन से संबंधित क्षेत्रों में एंड्रॉइड ऐप विकसित किए हैं और साथ ही उत्पादन से संबंधित शॉप फ्लोर के मापदंडों पर भी सहभागी किया है।

संगठन भर में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी के अधिकारियों के लिए शिकायत पंजीकरण और सतर्कता मंजूरी के लिए प्रणाली लागू की गई है।

कॉरपोरेट संवाद

नीतिगत उद्देश्य

आज प्रत्येक कॉरपोरेट के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका मानि जाती है। सेल में कॉरपोरेट संवाद की भूमिका, राष्ट्र का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात निर्माता और बहु–इकाई, अखिल भारतीय उपस्थिति वाली कंपनी, अपने हितधारकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाद के बढ़ते प्रतिमान और बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने के तरीकों को पहचानते हुए, आपकी कंपनी जानकारी के स्वस्थ प्रवाह को बनाए रखने और हितधारकों तक पहुंचने के लिए कई पहल करती है।

आंतरिक संवाद प्रयासः आपकी कंपनी और कर्मचारी अनुबद्धता में निरंतर सूचना प्रसार कॉरपोरेट संवाद टीम का एक प्राथमिक केंद्र बिंदु है। यह विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया गया था:

बड़े समूह में वार्तालाप – अध्यक्ष और निदेशक मंडल द्वारा आपकी कंपनी के नेतृत्व के वरिष्ठ प्रबंधन ने कर्मचारियों के साथ चरण–वार और संरचित तरीके से कंपनी के प्रत्येक प्लांट और इकाई में दो–तरफ़ा संचार प्रक्रिया के माध्यम से वार्तालाप की है।

कंपनी की नीतियों और आकांक्षाओं का संवाद करना – वित्तीय वर्ष 2018–19 में, कर्मचारियों को संचार के विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर के दौरान कंपनी से संबंधित जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया गया, जिसमें इन–हाउस, इंट्रानेट, कॉरपोरेट हाउस पत्रिकाः सेल– समाचार, पोस्टर, संदेश और अन्य प्रबंधन सहायक पत्रिका, विकसित किए गए जिसमे छोटे वीडियो भी शामिल हैं।

महत्वपूर्ण क्षेत्र – कंपनी के लक्ष्य और चुनौतियां, कंपनी के लक्ष्यों, उपलब्धियों, कंपनी में तकनीकी विकास, समग्र वित्तीय स्थिति, घरेलू इस्पात परिदृश्य आदि को प्राप्त करने के लिए यह रोडमैप संवाद के केन्द्र स्थान थे। सेल के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संचार प्रयासों का उद्देश्य इन पर प्रकाश डालना और प्रसार करना था।

बाहरी संचार प्रयासः

मीडिया संबंध – कंपनी के महत्वपूर्ण समाचारों को नियमित और समय पर ढंग से साझा करके विभिन्न मीडिया, अखबारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक और टेलीविजन और वेब आधारित मीडिया के साथ सक्रिय और नियमित बातचीत के माध्यम से उत्कृष्ट मीडिया संबंधों को बनाए रखा गया था। इसके साथ ही, सेल प्रबंधन का अवलोकन, दृष्टि, लक्ष्य रोडमैप प्राप्त करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स द्वारा कई साक्षात्कार आयोजित किए गए और सम्मिलित किए गए।

कुशल ब्रांड पहुंच – लक्ष्य दर्शकों तक पहुंचने का नया विकल्प एफएम रेडियो के माध्यम से प्रयोग किया गया था। आपकी कंपनी ने प्रचार के लिए विभिन्न एफएम चैनलों का विवेकपूर्ण उपयोग किया। अधिकतम संभव लक्ष्य दर्शकों के साथ जुड़ने और पहुंचने के लिए कई परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें आर्किटेक्ट, ग्राहक, शैक्षिक संस्थान, रेलवे, रक्षा आदि सम्मिलित थे। ब्रांड सेल के स्मृति को बनाने के लिए विभिन्न मंचों पर कई ब्रांडिंग गतिविधियां भी की गईं।

प्रदर्शनियां और दृश्यता – इस अवधि के दौरान, सेल ने धातु और धातुकर्म, वाइब्रेंट गुजरात, आइएसए स्टील कॉन्क्लेव, फिक्की इंडिया स्टील और आदि सहित विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया और नए जमाने के इस्पात उत्पाद सेल की विविधता के बारे में और अधिक बढ़ाने के साथ–साथ ब्रांड सेल की दूरगामी दृश्यता का निर्माण किया। कंपनी के ब्रांड के साथ अधिक जुड़ाव बनाने के लिए सेल ने विभिन्न प्रायोजित आयोजन के साथ सहभागिता करते हुए देखा।

सोशल मीडिया प्रयासः

सेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इत्यादि का निरंतर रूप से बाहरी और साथ ही आंतरिक हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी तरीके से उपयोग किया है। प्रत्येक विशेष अवसर और समारोह को सोशल मीडिया पर हितधारकों के साथ साझा किया गया। स्टील से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर घर में विकसित लघु फिल्मों को भी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया गया।

विशेष पहलः

आपकी कंपनी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और वर्ष 1959 से इसकी समृद्ध विरासत है। इस वर्ष सेल के उत्पादन का हीरक जयंती वर्ष था। आपकी कंपनी की समृद्ध विरासत और भविष्य की योजनाओं को उजागर करने के लिए, इस 60वें वर्ष को यथोचित मनाने का निर्णय लिया गया। इस महत्वपूर्ण पड़ाव के वर्ष को मनाने वाले एक विशेष लोगो को डिजाइन किया गया था। एक विशेष 'सेल डे वॉक' और सेल (सेल जायंट्स) और रेस्ट ऑफ़ स्टील इंडस्ट्री (स्टील वारियर्स) के बीच एक अनोखा क्रिकेट मैच के साथ–साथ उत्सव का आयोजन कॉरपोरेट स्तर पर उत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था। पूरे इस्पात उद्योग द्वारा इन प्रयासों की सराहना की गई। हितधारकों के साथ जुड़ने और संचार के माध्यम से उन तक पहुंचने के लिए आपकी कंपनी के निरंतर प्रयासों और पहल ने लोगों के मन में एक स्थायी प्रभाव डाला।

छ. सतर्कता गतिविधियाँ

सेल की सतर्कता का उद्देश्य लोगों को संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए लोगों को एकाग्रता, दक्षता और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए सक्षम करने वाले वातावरण की सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय कार्यों में अधिक जोर देने के साथ निवारक, सह क्रियाशील और दंडात्मक कार्यों को करता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईः

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, खरीद/अनुबंध प्रक्रियाओं, आचरण और अनुशासन नियम, सामान्य अनियमितता, प्रणाली और प्रक्रियाओं का सेल में पालन, आदि पर सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए 2994 प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए कुल 178 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- कंपनी के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से संयुक्त जाँच सहित समय–समय पर औचक निरीक्षण किए गए। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में फ़ाइल निरीक्षण और संयुक्त जाँच सहित कुल 2444 आवधिक जाँच की गई।
- सतर्कता ऑपरेटिंग प्राधिकारियों को अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रचलित प्रणालियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती है। तदनुसार, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में आठ प्रमुख प्रणाली सुधार परियोजनाओं (एसआईपी) को प्रारंभ किया गया।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन परीक्षण के लिए 13 प्रकरणों का चयन किया गया। इन गहन परीक्षणों के दौरान, उच्च–मूल्य की प्राप्ति/अनुबंधों की समावेशी रूप से परीक्षण किया जाता है और सुधार के लिए सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक संस्तुतियां अग्रसारित की जाती हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 सतर्कता जागरूकता सप्ताह सेल में मनाया गया। इस सप्ताह की शुरुआत सत्यनिष्ठा की शपथ लेने और 29 अक्टूबर, 2018 को सेल के कॉरपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़कर सुनाने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान, कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम, ग्राहकों से मिलना, भ्रष्टाचार

विरोधी मार्च / वॉकथॉन, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग / पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। आउटरीच उपायों के रूप में, भाषण / वक्तृत्व प्रतियोगिता, पोस्टर / ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध / स्लोगन प्रतियोगिता, अंतर विद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता जैसे विभिन्न आयोजन, सेल और दिल्ली और कोलकाता के विभिन्न मेट्रो शहरों में आयोजित किए गए, जिसमें 27 कॉलेजों / विश्वविद्यालयों से लगभग 900 छात्र और विभिन्न स्कूलों से 4000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

- सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई थी:
  - i) उच्च मूल्य वाले कच्चे माल की प्राप्ति, नमूनाकरण और परीक्षण के क्षेत्रों में निगरानी।
  - ii) एसआईपी की ऑडिट 2015 और 2016 में लागू की गई।
  - iii) आपातकालीन प्राप्ति और अनुबंध प्रकरणों की जांच।
- सेल सतर्कता द्वारा आतंरिक प्रकाशन 'इंस्पिरेशन–प्रेरणा' नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। उपरोक्त प्रकाशन में पाठकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए केस स्टडी, सूचनात्मक लेख, नीतिगत विषयों पर प्रश्नोत्तरी आदि शामिल हैं।
- दिनांक 01.04.2018 को, कुल 106 शिकायतें प्रलंबित थीं और दिनांक 31.03.2019 को समापन शेष 102 था। 2018–19 के दौरान शिकायतों के प्रसंस्करण का सारांश निम्नानुसार है:

स्रोत	शिकायतें	
	प्राप्त	निवारण
सीवीसी	2	3
एमओएस	19	18
सीधे	821	825
कुल	**842**	**846**

निवारण की शिकायतों का प्रकार:	
गुमनाम / फर्जी नाम वाले पाये गई शिकायतों बंद कर दिया (सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप दाखिल)	307
सतर्कता दृष्टिकोण नहीं होने वाले / आरोप पुष्टि नहीं करने वाली शिकायतो को बंद कर दिया	272
अन्य विभागों को प्रेषित	145
निषेधात्मक / प्रशासनिक सिफारिशों के साथ बंद	98
नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की	24 (20 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े जुर्माना के 11 मामले और 26 कर्मचारियों के विरुद्ध 13 मामूली जुर्माना के मामले)
कुल निवारण	**846**

निगरानी तंत्र

कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए निगरानी तंत्र को अपनाया है। कंपनी के बोर्ड में कंपनी के सभी कर्मचारी और निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह तंत्र कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। यह उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है जो तंत्र का लाभ उठाते हैं और असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति देते हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण का प्रतिवेदन

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण को सम्मिलित करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन से संलग्नित है और इस प्रतिवेदन का भाग है।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई और प्रबंधन के उत्तरों के साथ इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–I** में रखा गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी और एजी) ने 27 जुलाई, 2019 के अपने पत्र की वीडियोग्राफी की, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर 31 मार्च, 2019 को 143 (6) (बी) के तहत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए "निल" टिप्पणियां दी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013. सी एंड एजी के उपरोक्त पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–II** में रखी गई है।

लागत लेखा परीक्षक

लागत खातों की लेखापरीक्षा के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली, मैसर्स शोम और बनर्जी, कोलकाता और मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में को नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षण करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नियुक्त किया। सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–III** में संलग्नित गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकन के संबंध में, कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना वित्तीय वर्ष 2018–19 के एक भाग के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, यह कहा जाता है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची–II भाग डी (ए) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 17 (10), 25 (4) और 19 (4) के अनुपालन के लिए निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन नहीं किए जाने के संबंध में अवलोकन (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यह उल्लेख किया गया है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट को अधिसूचित किया है, जो परस्पर प्रदान करता है, जो कि उप नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 को अधिसूचना जारी की, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV में कुछ संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची–IV में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित खंडों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

कॉरपोरेट शासन

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन और लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–IV** में रखा गया है।

सेबी विनियमों के संदर्भ में, बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता रखी है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

व्यवसायिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 34 (2) (एफ) के अनुसार, कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से की गई पहल का वर्णन करने वाली व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

पूरक प्रतिष्ठान, संयुक्त उपक्रम और सहयोगी

इस्को–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, तत्कालीन भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बीआईएफआर

द्वारा समापन करने का आदेश दिया गया था। सरकारी परिसमापक अपनी परिसमापन प्रक्रिया को जारी रखे हुए है।

आपकी कंपनी की चार अन्य सहायक कंपनियाँ हैं, नामतः सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड है। एसआरसीएल सलेम रिफ्रेक्ट्री यूनिट का संचालन कर रही है जिसे 16 दिसंबर, 2011 को सेल द्वारा बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किया गया था। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, जगदीशपुर और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में गैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना के लिए शामिल किया गया था, जिसे पुनरुद्धार के लिए शामिल किया गया था। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिंदरी यूनिट ने बंद नहीं किया है और बंद हो रही है। फास्ट ट्रैक एग्जिट मोड के माध्यम से सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को बंद करके कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर किया गया है। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण, अनुसंधान और विकास गतिविधियां, बिजली और पानी के संपर्क को सुनिश्चित करने, पर्यावरणीय, वन और जलवायु मंत्रालय से आवश्यक वैधानिक अनुमोदन / सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने जैसे फास्ट ट्रैकिंग विकासात्मक प्रक्रियाओं का एक उद्देश्य था, अल्ट्रा मेगा स्टील प्रोजेक्ट की स्थापना आदि के लिए परिवर्तन। सेल द्वारा अब इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

सहायक कंपनियों के वार्षिक खातों और संबंधित विस्तृत जानकारी, होल्डिंग और सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भी समय ऐसी जानकारी की मांग करेंगे। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और सहायक कंपनियों में कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे के बीच संबंधित निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। लिखित अनुरोधों की प्राप्ति पर सहायक कंपनियों के खातों की एक हार्ड कॉपी शेयरधारकों को दी जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, विधिवत लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–V** पर प्रस्तुत किये गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तरों के साथ इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–VI** में रखी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 27 जुलाई 2019 को लिखे अपने पत्र की वीडियोग्राफी की, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर "कुछ नहीं" टिप्पणियाँ 31 मार्च, 2019 को धारा 143 (6) (बी) के तहत 31 मार्च को समाप्त हुई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ सी एंड एजी के उपरोक्त पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–VII** में दी गई है। इसके अलावा, निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं इस बयान में **अनुलग्नक–VIII** में रखी गई हैं।

वार्षिक विवरण का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार फॉर्म एमजीटी –9 में वार्षिक विवरणी का सारांश इस प्रतिवेदन में **अनुलग्नक–IX** में रखा गया है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक बोर्ड की 8 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

लेखापरीक्षण समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति की शुरुआत 1998 में कंपनी द्वारा की गई थी। सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है। लेखा परीक्षण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड को परिचालित किया जाता है, चर्चा की जाती है और उस पर ध्यान दिया जाता है। लेखापरीक्षा समिति से संबंधित संरचना और अन्य विवरण कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन में दिए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आई एफ सी) और इसकी उपयुक्तता

कंपनी ने नीतियों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित किया है, जिनका पालन व्यापार के पारदर्शी, कुशल और नैतिक आचरण के लिए किया जाता है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता और वित्तीय समय पर तैयारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक अच्छा कॉरपोरेट प्रशासन ढांचा है, और मजबूत प्रबंधन प्रक्रियाएं, नियंत्रण, नीतियां और दिशानिर्देश हैं जो संगठन को उसके व्यावसायिक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं।

आपकी कंपनी के मजबूत नवाचार जैसे कि स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा, दस्तावेजित नीतियां, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा, आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन में मदद करते हैं। कंपनी कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की प्रभावशीलता और इसकी पर्याप्तता की रिपोर्टिंग के लिए सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है। निगमित अभिशासन को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के अनुसार किया गया है।

निर्देशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (3) (सी) के अनुसार, निदेशकों ने कहा कि:

(i) वार्षिक लेखा–जोखा की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा–जोखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखा–जोखा के आधार पर तैयार किया है;

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी तरीके से संचालित हो रही है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के संदर्भ में, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह कहते हुए आवश्यक घोषणा की गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

धारा 186 के अनुसार ऋण, प्रत्याभूतियों या निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों (निदेशक मंडल की बैठक और उसके अधिकार) नियमों, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऋण, प्रत्याभूति और निवेश का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया, वह इस रिपोर्ट **में अनुलग्नक–X** में प्रस्तुत है।

धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का खुलासा किया गया है। इसलिए, संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण धारा 188 (1) में निर्दिष्ट हैं, ऐसे अनुबंध या एओसी –2 में प्रवेश करने के औचित्य के साथ रिपोर्ट का भाग नहीं बनता है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी के नियमन 43ए (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति को अपनाया है जिसे कंपनी की वेबसाइट **https://sail.co.in/sites/default/files/Dividend_Distribution_ Policy_2017.pdf** पर रखा गया गया है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेख) नियमों, 2014 के नियम 8 के साथ ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–XI** में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) एक नीतिगत व्यावसायिक अनुशासन है जो अपने जोखिमों को संबोधित करके और इन जोखिमों के प्रभाव को प्रबंधित करके संगठन के उद्देश्यों का समर्थन करता है। यह एक संगठन की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय, क्रियान्वयन और संचालन का अभ्यास है ताकि निवेश, आय और साथ ही रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन जोखिमों पर जोखिम के प्रभाव को कम किया जा सके।

आपकी कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को वैधानिक आवश्यकता बनने से बहुत पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और तब से, सेल में जोखिम प्रबंधन आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों के अनुरूप विकसित हुआ है। नीति पूरे संगठन में व्यावसायिक जोखिमों के प्रति प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि नियमित आधार पर किसी निश्चित समय सीमा के भीतर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और शमन किया जाता है।

वर्तमान में, सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन के आर्किटेक्चर में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई बहुस्तरीय संगठन संरचना शामिल है, जिसमें प्रत्येक संयंत्र/यूनिट के पास अपने स्वयं के कथित जोखिम हैं जो जोखिम मालिकों/जोखिम चैंपियनों द्वारा निरंतर निगरानी में हैं जो शमन रणनीति को लागू करते हैं। और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाते हैं। संयंत्र/यूनिट के प्रमुख द्वारा संचालित संयंत्र/यूनिट की जोखिम प्रबंधन समिति समय–समय पर जोखिमों और इसकी शमन स्थिति की समीक्षा करती है और सेल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करती है। सेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (एसआरएमसी) नीति निर्माण से संबंधित मुद्दों के समाधान के साथ–साथ कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की देखरेख करती है और इसके निरंतर प्रभाव का आकलन करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन का मूल्यांकन करती है। जोखिम प्रबंधन / जोखिम अधिकारी द्वारा पहचाने जाने वाले जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति में विचार–विमर्श किए जाते हैं और ऐसे जोखिमों को कम करने की रणनीति तैयार की जाती है। बोर्ड, ऑडिट कमेटी, सेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट स्टीयरिंग कमेटी, सीआरओ, रिस्क ऑफिसर/रिस्क चैंपियन से संबंधित रिस्क मैनेजमेंट की नीतियां पॉलिसी के तहत परिभाषित होती हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का पर्याय है। विनिर्माण इस्पात के व्यवसाय के अलावा, आपकी कंपनी का उद्देश्य उन समुदायों के लिए व्यवसाय का संचालन करना है जो उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें यह संचालित होता है। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर समाज पर अपने व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने से शुरू होता है। लोगों के जीवन में एक सार्थक अंतर लाने के लिए अंतर्निहित दर्शन और एक प्रमाण के साथ, आपकी कंपनी शुरुआत से ही सीएसआर पहल को संरचित और कार्यान्वित कर रही है। इन प्रयासों ने अस्पष्ट गांवों को देखा है, जहां सेल प्लांट स्थित हैं, आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदल गए हैं।

आपकी कंपनी की सीएसआर पहल हमेशा कंपनी अधिनियम –2013 और कंपनियों (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुरूप की गई है। सेल ने कंपनी अधिनियम –2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप होने वाले क्षेत्रों में देश भर में स्टील टाउनशिप, खान और दूर क्षेत्र की सीएसआर परियोजनाओं और आसपास की परियोजनाओं नामतः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, स्वच्छता, ग्राम विकास, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों को सहायता, स्थायी आय सृजन स्वयं सहायता समूह, खेल प्रशिक्षक, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि का संचालन किया।

कंपनी द्वारा सीएसआर पर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट के साथ की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–XII** में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी की सीएसआर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान – स्वच्छ विद्यालय अभियान

सेल ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए "स्वच्छ भारत अभियान" में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान के तहत, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में इसके प्लांट और खानों की परिधि में आने वाले स्कूलों में 672 शौचालयों का निर्माण किया गया था। संबंधित स्कूल प्रबंधन समितियों की मदद से भी शौचालयों का रखरखाव किया जा रहा है।

स्वास्थ्य रक्षाः सेल के व्यापक और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 2011–18 की अवधि के दौरान अपने संयंत्रों और इकाइयों के आसपास रहने वाले 1.72 करोड़ लोगों को विशिष्ट और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। जरूरतमंदों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए, नियत दिनों पर विभिन्न गांवों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संयंत्रों/इकाइयों, खान और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 3050 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। लगभग 60,000 ग्रामीणों को लाभान्वित करते हुए प्लांट की परिधि में चल रही 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयु) ने लगभग 44,000 ग्रामीणों को अपने घर के द्वार पर लाभान्वित किया है। संयंत्रों पर 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने 69,000 से अधिक ग्रामीणों को विशेष रूप से मुफ्त चिकित्सा और दवाइयां प्रदान की हैं।

शिक्षाः समाज को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने के लिए, सेल 77 स्कूलों का समर्थन कर रहा है, स्टील टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, 19 विशेष स्कूल (कल्याण और मुकुल विद्यालय) एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों में 3741 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूते, पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी आइटम्स, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और सीएसआर के तहत परिवहन सहित सुविधाओं के साथ लाभान्वित कर रहे हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सेल, भिलाई और राउरकेला में 600 से अधिक सरकारी स्कूलों में 64,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजनः सतत आय सृजन के लिए लक्षित व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण 710 युवाओं और 1168 महिलाओं को प्रदान किया गया है, जैसे कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल मरम्मत, कृषि तकनीक, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाने , स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सेरीकल्चर, यार्न वीविंग, टेलरिंग, स्पाइसेस, टॉवेल्स, गनी–बैग्स, लो–कॉस्ट–सेनेटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, स्मोकलेस चूल्हा बनाने आदि शामिल है। 816 युवाओं को बोलानी में आईटीआई, बोलानी, बालिपुर, बोकारो निजी आईटीआई और राउरकेला, आदि में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और जल की सुविधाः 450 गांवों में से 79.03 लाख से अधिक लोग सड़क के निर्माण और मरम्मत के द्वारा इसकी स्थापना के बाद से सेल की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं। स्थापना के बाद से 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिससे दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को पीने के जल की आसान पहुंच मिल सके।

पर्यावरण संरक्षणः विभिन्न स्थलों में पार्कों, जल निकायों और वनस्पति उद्यान का रखरखाव और विभिन्न स्थानों पर 5 लाख से अधिक पेड़ों के रोपण और रखरखाव का कार्य किया गया है।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहयोगः दिव्यांग बच्चों/लोगों को तिपहिया, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग इत्यादि उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। भिलाई में "स्नेह सम्पदा", "प्रयास" और "मुस्कान" जैसे सीएसआर के अंतर्गत; "अंधे, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल" और राउरकेला में "होम एंड होप"; बोकारो में "आशालता केंद्र"; दुर्गापुर में विभिन्न कार्यक्रम जैसे "दिव्यांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम" और "दुर्गापुर दिव्यांगों के लिए खुश घर"; और बर्नपुर में "चेशायर होम" को सेल समर्थन कर रहा है। भिलाई, आचार्य धाम और दुर्गापुर में बादशाह, आदि जैसे विभिन्न प्लांट टाउनशिप में वृद्धाश्रम का समर्थन किया जा रहा है।

क्रीड़ा, कला और संस्कृतिः सेल नियमित रूप से अंतर–गाँव खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, जो प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजनों और टूर्नामेंटों के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) में अपने आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से पुरुष और महिला खिलाड़ियों का समर्थन और कोचिंग–विश्व स्तरीय एस्ट्रो–मैदान, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरीबुरू, झारखंड (तीरंदाजी)। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं।

सारंदा वन में गांवों का विकासः सुदूर वन क्षेत्रों के सीमांत जनसमूह को विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रयास में, झारखंड सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार ने सारंदा वन, झारखंड की विकास प्रक्रिया

में सक्रिय रूप से भाग लिया। सेल ने एंबुलेंस, 7000 प्रत्येक साइकिल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन प्रदान की और सारंदा वन में दीघा गांव में एक एकीकृत विकास केंद्र (आईडीसी) की स्थापना की। आईडीसी में स्थानीय आबादी के लिए बैंक, पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान, दूरसंचार कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, बैठक कक्ष आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

सीमांत जनसमूह को संरेखित करने के प्रयास में, राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा सतत नल जल स्रोत विकसित करके और राउरकेला के 19 गांवों में प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी शौचालयों का निर्माण करके राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा व्यापक जल आपूर्ति और स्वच्छता को बढ़ावा देने की एक परियोजना शुरू की गई है, जिसका लाभ 10,000 से अधिक मूल निवासियों को मिला है। परियोजना में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए ग्रामीणों को जुटाया और सशक्त बनाया गया है। परियोजना के दीर्घकालिक निर्वाह के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

सेल/बोलानी अयस्क खानों ने एक नेटवर्क के माध्यम से बोलानी के दक्षिण में जीआई के पाइपलाइनों जल स्रोत 'झिंकरिया स्प्रिंग' के साथ इसे जोड़ने के लिए, बोलाणी पंचायत के सुदूर गाँव बारिक साही (कुणी साही) में निरंतर पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। बारिक साही (कुणी साही) के सभी 300 मूल निवासी, जिन्हें स्प्रिंग्स से पानी लाने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर की यात्रा करनी होती थी, वे इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।

डीएसपी टाउनशिप, दुर्गापुर के जेसी बोस एवेन्यू के पास सेल जैव–विविधता पर्यावरण थीम पार्क 'वसुंधरा': जल निकाय के साथ 409 एकड़ जैव विविधता पर्यावरण थीम पार्क का विकास और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए 400 प्रकारों के पेड़ लगाने के साथ एवियन विविधता की सुविधा विकसित की गई है। पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए औषधीय पौधों, वर्षा जल संचयन और मिट्टी संरक्षण का प्रचार किया गया है। वर्ष भर उद्यान के क्षेत्र से 75,000 मूल निवासियों के लिए पर्यावरण को समृद्ध कर रहा है।

सामान्य प्रकटीकरण

i. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

ii. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या सामग्री आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है। हालाँकि, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में आकस्मिक देनदारियों पर बयान के लिए आकर्षित किया गया है।

निदेशक एवं महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

- भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पुनीत कंसल को 7 मई, 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पी. के. सिंह 30 जून, 2018 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से पदमुक्त हुए। (ए/एन)
- श्री सरस्वती प्रसाद, भारत सरकार के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय 1 जुलाई, 2018 से 21 सितंबर, 2018 की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।
- श्री रमन, निदेशक (ए/एन) 31 जुलाई, 2018 से पदमुक्त हुए।
- श्री हरिनंद राय को 1 अगस्त, 2018 से निदेशक (एफ / एन) के पद पर नियुक्त किया गया।
- 22 सितंबर, 2018 से श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशक (वित्त) को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 18 नवंबर, 2018 से प्रो. अशोक गुप्ता, श्रीमती अंशु वैश्य और सीए प्रमोद बिंदल को एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।
- 21 दिसंबर, 2018 से श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 27 मार्च, 2019 को श्री विवेक गुप्ता को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। (एफ/एन)
- 30 जून, 2019 को श्री एम.सी. जैन, ईडी (एफएंडए) और कंपनी सचिव की सेवा–निवृत्ति के परिणामस्वरूप और दिनांक 1 जुलाई, 2019 पर श्री एम.बी. बालाकृष्णन, डीजीएम (बोर्ड एंड कंपनी अफेयर्स), सेल को कंपनी के कंपनी सचिव नियुक्त किये गए।

अभिस्वीकृति

निदेशक बोर्ड सेल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गये सहयोग और मूल्य के लिए अपना आभार व्यक्त करते है। निदेशकगण राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों, रेलवे, बैंकों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और निवेशकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न विभागों विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय से प्राप्त निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन को आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 जुलाई, 2019

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के प्रबंधन द्वारा कम्पनी के निष्पादन एवं आउटलुक से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

क. उद्योग संरचना एवं विकास

विश्व आर्थिक परिवेश

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल, 2019 में वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट में लगाए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (वर्ष 2018 में 2.2% विकास) और साथ उदीयमान बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (2018 के अनुमानों के अनुसार 4.5%) में विकास के चलते विश्व अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया जारी रही है।

वर्ष 2018 के दूसरे मध्याह्न में वित्तीय बाजार रूख में आई कमजोरी, व्यवसाय नीति की अनिश्चितता तथा चीन के आउटलुक के प्रति बढ़ती हुई चिंताओं के कारण कमजोरी बने रहने की संभावना की गई है जो कि वर्ष 2019 में 3.3% की गिरावट के कारण अगली कुछ तिमाहियों में बनी रहेंगी तथा इनमें वर्ष 2020 में थोड़ा सा ऊपर उठकर 3.6% तक का सुधार आएगा। वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के प्रक्षेपण का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के प्रक्षेपण
(प्रतिशत परिवर्तन)

	वर्ष की तुलना में वर्ष		
	अनुमानित	प्रक्षेपण	
	2018	2019	2020
विश्व आउटपुट	**3.6**	**3.3**	**3.6**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	1.8	1.7
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.9	2.3	1.9
यूरो क्षेत्र	1.8	1.3	1.5
जापान	0.8	1.0	0.5
उन्नतिशील बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.5	4.4	4.8
चीन	6.6	6.3	6.1
भारत	7.1	7.3	7.5
ब्राजील	1.1	2.1	2.5
रूस	2.3	1.6	1.7

स्रोत : आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनोमि आउटलुक अपडेट, अप्रैल 2019

विश्व इस्पात परिदृश्य

वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2017 की तुलना 4.6% बढ़कर 1808.6 मिलियन टन (एमटी) हो गया था। वर्ष 2018 के दौरान यूरोप को छोड़कर, जहां आउटपुट सपाट रही, सभी क्षेत्र में कच्चे इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2018 में एशिया में कच्चे इस्पात का उत्पादन 1271.1 जो कि वर्ष 2017 में हुए उत्पादन की तुलना में 5.6% अधिक है। वर्ष 2017 की तुलना में 6.6% की विकास दर के साथ चीन ने विश्व कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बरकरार रखा है। वर्ष 2018 में विश्व कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन का अंशभाग वर्ष 2017 के 50.3% से बढ़कर 51.3% हो गया है। भारत में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 4.9% प्रतिशत की बढ़त हुई है तथा अब यह 106.5 मीट्रिक टन है जिससे अब यह जापान के स्थान पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है।

विश्व क्रूड स्टील उत्पादन

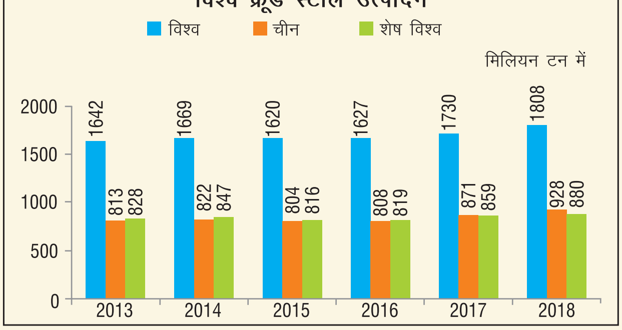

जापान के कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2017 के उत्पादन की तुलना में 0.3 प्रतिशत की घटत के साथ 104.3 मीट्रिक टन रहा है। दक्षिण कोरिया में कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2018 में 72.5 मीट्रिक टन रहा है जो वर्ष 2017 की तुलना में 2% अधिक है। अमेरिका में भी कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2018 में 6.2% की बढ़त हुई है तथा यह 86.7 मीट्रिक टन हो गया है।

सर्वोच्च 10 इस्पात उत्पादक देश

रेंक	देश	2018 (मी.टन)	2017 (मी.टन)	% परिवर्तन
1	चीन	928.3	870.9	6.6
2	भारत	106.5	101.5	4.9
3	जापान	104.3	104.7	–0.3
4	सं.रा.अमेरिका	86.7	81.6	6.2
5	दक्षिण कोरिया	72.5	71.0	2.0
6	रूस	71.7	71.5	0.3
7	जर्मनी	42.4	43.3	–2.0
8	टर्की	37.3	37.5	–0.6
9	ब्राजील	34.7	34.4	1.1
10	ईरान	25.0	21.2	17.7

स्रोत : विश्व इस्पात संगठन

विश्व इस्पात संगठन द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक इस्पात मांग में 1.3% की बढ़त होगी तथा यह 1735 मी.टन तक पहुंच जाएगी। चीन में स्टील की मांग 1% तक कम होने की संभावना की गई है। उन्नत एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2019 के लिए 2.9% की बढ़त के अनुमान लगाए गए हैं।

भारतीय आर्थिक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक आय के संबंध में लगाए गए अनंतिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 7.2% की तुलना में वर्ष 2018–19 के लिए सतत बाजार मूल्यों के साथ सकल घरेलू उत्पाद में 6.8% विकास आंका गया है। जिन क्षेत्रों में उच्चतर विकास (~ 7%) के अनुमान लगाए गए हैं वे हैं निर्माण, उत्पादन, विद्युत एवं उपभोक्ता वस्तुएं इत्यादि।

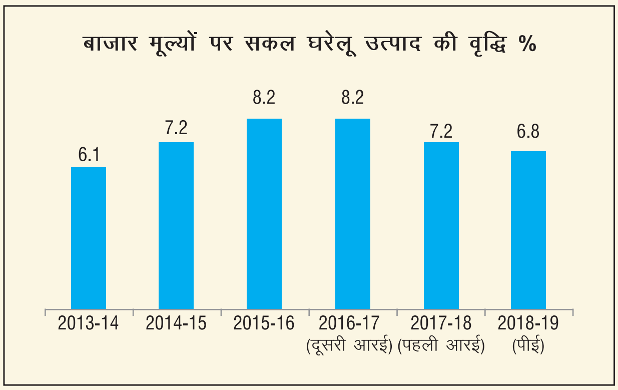

(आरईः संशोधित अनुमान, पीईः अनंतिम अनुमान)

अप्रैल से मार्च 2018–19 की अवधि का संचयी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की 3.6% आंकी गई है। खनन, निर्माण एवं विद्युत सेक्टर की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि दर अप्रैल–मार्च, 2018–19 की अवधि के लिए क्रमशः 2.9%, 3.6% तथा 5.2% रही है। इसी अवधि में जहां टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 5.5% की अच्छी वृद्धि आंकी गई है वहीं उपभोक्ता गैर–टिकाऊ के लिए यह वृद्धि 3.9% हुई है। पूंजी सामग्री में 2.8% की बढ़ोतरी हुई तथा अवसंरचना/निर्माण सामग्री में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। अप्रैल–मार्च, 2018–19 के दौरान समग्र इंडेक्स के आठ प्रमुख सेक्टरों में हुई संचयी वृद्धि 4.3% थी। इस्पात सूचकांक में अप्रैल–मार्च, 2018–19 के दौरान 4.7% की बढ़त हुई है।

भारतीय इस्पात परिदृश्य

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.3% की वृद्धि के साथ कच्चे इस्पात का 106.6 मिलियन टन उत्पादन आंका गया है। तैयार इस्पात उत्पादन भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 3.7% अधिक होकर 131.7 एमटी हो गया है। तैयार इस्पात के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना 33.9% की कमी हुई है तथा घटकर 6.36 एमटी हो गया है जबकि आयात में 7.83 एमटी की बढ़त के साथ 4.7% की बढ़त हुई है।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2018 के दौरान कुल तैयार इस्पात में से भारत की खपत में 7.5% वृद्धि देखी गई है। विश्व इस्पात संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2019 के दौरान तैयार इस्पात की मांग में 7.1% की बढ़त होने की संभावना है।

ख. सेल के सम्मुख अवसर एवं जोखिम

अवसरः

- नई सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों के परिणामस्वरूप अवसंरचना, पूंजी सामग्री एवं निर्माण, जैसे इस्पात गहन घटकों में तेजी आने की संभावनाओं से निकट भविष्य में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश बनने की ओर अग्रसर है।
- प्रारंभ की गई नई मिलों में अवसंरचना विकास की उत्पाद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्मुख है।
- मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में निर्यात की उच्चतर संभावनाएं।
- प्रचालनात्मक कौशल एवं नई तथा आधुनिकीकृत यूनिटों के उपयोग उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत कम करने में सुधार की संभावनाएं।

जोखिम एवं चिंताएं

- सस्ते इस्पात का आयात
- कोयले के मूल्यों तथा विनियम दरों में अस्थिरता

ग. जोखिम एवं चिंताएं

- नई मिलों के सम्मुख स्थिरता से जुड़ी प्रारंभिक समस्याओं के कारण आंतरिक रूप से उत्पाद को जुटाने में समय लगने जैसे कुछ न्यूनताएं हैं। इसके अलावा, वृद्धिशील मूल्यह्रास से जुड़े उच्चतर पूंजी सम्बद्ध प्रभारों एवं नई सुविधाओं पर ब्याज के कारण भी व्ययों में बढ़ोतरी हुई है।
- झारखंड के सारांदा वन में स्थित चिरिया खानों के लिए सात दशक पूर्व पट्टा प्रदान किया गया था परन्तु खान से संबद्ध विभिन्न पट्टों के अंतर्गत खनन के क्रियाकलाप वन क्लीयरेंस प्राप्ति में देरी के कारण फिर से प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं। बाद में वर्ष 2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के अनुमोदन से सारांदा वन में लौह अयस्क के खनन पट्टों वन क्लीयरेंस से जोड़ दिया गया था जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जून, 2018 में अनुमोदित कर दिया गया था।

  अनुमोदित संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) में चिरिया पट्टों के बारे में प्रमुख आशंका यह बनी हुई है कि चिरिया पट्टों के संबंध में निकट भविष्य में किसी प्रकार की वन क्लीयरेंस जारी नहीं की जाएगी तथा इसके संबंध में शिनाख्त किए गए खनन जोनों की पूर्वी बाउंड्री में खनन भंडार के लगभग समाप्त होने के पश्चात तथा जैव–विविध वन क्षेत्र में खनन के लिए वन तथा वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना किसी उचित प्रौद्योगिकी का विकास होने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

  सेल के पास उपलब्ध लगभग 3700 मी. टन के लौह अयस्क में से लगभग 54% अर्थात 2000 मी.टन एक ही स्थान अर्थात चिरिया खानों में उपलब्ध है जो कि भावी विस्तार के लिए न केवल महत्वपूर्ण है अपितु इससे समाप्त होते जा रहे अन्य संसाधनों को विचार में लेते हुए विद्यमान विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकेगी। पहले से ही पूर्ण किए जा चुके आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अंतर्गत भावी विस्तार कार्यक्रम को विचार में लेते हुए वर्तमान में चिरिया की लौह अयस्क खानों में से खनन के लिए विशाल तंत्र व्यवस्था का विकास किया जाना अत्यावश्यक है तथा इसे केवल अनुमोदित संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) में से चिरिया पट्टों को प्रतिबंधित खनन जोन से अलग करके ही किया जा सकता है।

  इस्पात मंत्रालय तथा झारखंड सरकार द्वारा मध्यवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप एक समिति का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है जो संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) में उचित सुधार/संशोधन किए जाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। तब से अब तक दिसम्बर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में दो बैठकें आयोजित की जा चुकी है परन्तु इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णायक निर्णय नहीं लिया गया है।
- अक्तूबर, 2010 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान किरिबुरू तथा मेघाहतुबुरू खानों के दक्षिणी एवं मध्य ब्लॉकों में से खनन की नई पिटों के विकास, चिरिया के चार पट्टों से जुड़ी लौह अयस्क खानों के लिए तंत्र व्यवस्था के विकास तथा गुआ खान के क्षमता विस्तार के लिए चरण–1 की वन क्लीयरेंस प्रदान की गई थी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इन खानों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 – अप्रैल, 2016 के दौरान भिजवाई गई थी। परन्तु बाद में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सरांदा वन की खानों के लिए वन क्लीयरेंस को सारांदा वन के लिए संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के अंतिम स्वरूप से सम्बद्ध कर दिया गया था।

  गुआ तथा किरिबुरू–मेघाहतुबुरू के पट्टे चूंकि संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के खनन जोन के अंतर्गत आते हैं अतः संवहनीय खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) से इसके लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.8.2018 तथा 3.7.2018 के पत्रों के माध्यम से झारखंड सरकार से गुआ खानों के पट्टे के अंतर्गत क्रमशः किरिबुरू–मेघाहतुबुरू तथा दुआरगेदुरू के दक्षिणी मध्य ब्लॉकों के वन क्लीयरेंस प्रस्तावों के संबंध में सूचना मांगी गई थी।

  तथापि, अपेक्षित सूचना झारखंड सरकार द्वारा नवम्बर, 2018 में भिजवा दी गई थी परन्तु लगभग तीन माह तक प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात फरवरी/मार्च, 2019 में फिर एक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार से प्रस्ताव के संबंध में और स्पष्टीकरण मांगे गए थे जिससे अनुपूरक वन के लिए चिन्हित भूमि की स्वीकृति के प्रति दुविधा उत्पन्न हुई है क्योंकि चिन्हित भूमि का 20% भाग अत्यधिक घने वन (एमडीएफ) के अंतर्गत आता है। नए भूखंड चिन्हित किए जा रहे हैं तथा इसके कारण चरण–II की वन क्लीयरेंस की प्राप्ति में देरी हो सकती है।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के दायरे की समग्र वन भूमि के लिए एनपीवी (लगभग ₹ 1,100 करोड़) का भुगतान अपेक्षित किया गया है।

  सेल एक सरकारी कम्पनी है तथा तदनुसार यह मामला संदर्भित दिशानिर्देशों के प्रति एक सरकारी कम्पनी होने के नाते सेल से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्लीयरेंस प्राप्ति की अपेक्षा न होने के संदर्भ में समग्र वन भूमि की एनपीवी के भुगतान से छूट प्राप्ति का मामला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। तथापि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सेल को इसके संबंध अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया मत दिनांक 1.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भिजवाया गया है जो सेल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के संबंध में की गई व्याख्या के अनुरूप है परन्तु अभी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय खनन पट्टा क्षेत्र की समग्र वन भूमि की एनपीवी के भुगतान पर अडिग है तथा इसके साथ ही इस मामले को बीएसपी के कलवार–नागुर खनन पट्टे को खनन पट्टे के क्षेत्र की समग्र वन भूमि के लिए एनपीवी का भुगतान किए जाने से जोड़ दिया है।

  सेल द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से खनन पट्टे की समग्र वन भूमि के लिए एनपीवी के भुगतान के संबंध में प्राप्त नोटिसों के प्रति सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में मामलों की मेरिट के अनुसार चुनौती प्रस्तुत की गई है जिसकी प्रतिक्रिया में नोटिस स्थगित हो गए हैं।

  ऐसे ही एक मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.9.2018 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भागीदारों के साथ एक बैठक आयोजित करके उनसे उनके तर्क और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 1.4.2015 के दिशानिर्देशों के प्रति उनकी समस्याओं को ज्ञात करने के निदेश दिए गए हैं जिससे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर एक राय स्थापित हो सके। इसके परिणामस्वरूप, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2018 तथा 22.1.2019 को दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सेल ने दूसरी बैठक में अपना प्रतिनिधित्व दिया था। दिनांक 17 तथा 19 जून, 2019 को हुई अंतिम सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विचार विस्तार से सुने गए जिसमें संघ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तथा सेल ने अपनी प्रस्तुति दी थी। मामला अगली तिथि में सुनवाई के लिए लंबित किया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य हित से सम्बद्ध मामले पर दिनांक 2 अगस्त, 2017 को दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उड़ीसा तथा झारखंड राज्य सरकारों को क्रमशः ₹ 204.58 करोड़ तथा ₹ 1759.02 करोड़ के मांग नोटिस जारी किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को एमएमडीआर अधिनियम के खंड 21(5) के अंतर्गत ₹ 8349 करोड़ की राशि के मुआवजे तथा लौह अयस्क, फल्क्स कोयला खानों के संबंध में अब तक पर्यावरण क्लीयरेंस का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

  लौह अयस्क तथा फल्क्स खानों के मामले में सेल द्वारा इन नोटिसों के प्रति संबंधित उच्च न्यायालयों में अपना दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि कोयले के मामले के प्रति कोयला मंत्रालय के रिवीजनरी प्राधिकारी के सम्मुख दावा प्रस्तुत किया गया है।
- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1995 में सेल को तसरा कोल ब्लॉक का आबंटन किया गया था। 4.5 वर्ग किलोमीटर का यह खनन क्षेत्र बीसीसीएल से आईएसपी–सेल (पूर्ववर्ती इस्को) को 10 जून, 2002 को अंतरित किया गया था। बाद में तसरा खनन पट्टे के नवीकरण के आवेदन पर झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2002 में इस पट्टे का अंतरण किए जाने के समय ही इसके पट्टे के समाप्त होने की टिप्पणी की गई थी। झारखंड सरकार द्वारा अपने दिनांक 21.4.2017 के पत्र के माध्यम से कोयला मंत्रालय

तसरा पट्टे के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। इसकी प्रतिक्रिया में कोयला मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 6.6.2018 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों एवं कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 एवं 1973 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

इसके पश्चात झारखंड सरकार द्वारा अपने दिनांक 8.10.2018 के पत्र के माध्यम से यह मामला फिर से कोयला मंत्रालय के सम्मुख एमएमडीआर की धारा 31 के अंतर्गत शक्तियों के उपयोग से नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी तथा तसरा पट्टे का अंतरण बीसीसीएल एवं सेल के मध्य किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया था जिससे कि सेल के पक्ष में नवीकरण के आवेदन पर कोयला मंत्रालय के दिनांक 6.6.2018 के पत्र में दिए गए पूर्व निदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा सके। इसकी प्रतिक्रिया में कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.4.2019 को यह मामला विधि एवं न्याय मंत्रालय को विचार प्रस्तुति के लिए भिजवाया गया था। तसरा खनन पट्टे के नवीकरण में हुई देरी के परिणामस्वरूप तसरा में विकास कार्य प्रभावित हुआ है।

- आयातित कोयले पर अपनी आश्रिता को कम करने की दिशा में इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए मध्यवर्तन से दो कोकिंग कोल ब्लॉकों नामतः सीतानाला तथा पर्बतपुर का आबंटन सेल को आवंटन विधि के माध्यम से क्रमशः दिनांक 31.8.2015 तथा 23.3.2016 को किया गया था।

  तथापि, दोनों कोल ब्लॉक्स के संबंध में कोल खनन पट्टा क्षेत्रों में हुई कमी के कारण पर्बतपुर तथा सीतानाला कोल ब्लॉकों को कोयला मंत्रालय को वापस लौटाए जाने के प्रस्ताव पर सेल के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1.3.2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा दिनांक 8.3.2018 एवं 12.3.2018 के पत्रों के माध्यम से नामांकन प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को पर्बतपुर एवं सीतानाला कोल ब्लॉकों क्रमशः वापस लौटाए जाने की सूचना के साथ सेल द्वारा इन ब्लॉकों के आबंटन के समय बैंक गारंटी सहित चुकता की गई राशि की धनवापसी का अनुरोध किया गया था। सेल द्वारा कोयला मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार पर्बतपुर एवं सीतानाला कोल ब्लॉकों के स्थान पर अतिरिक्त संभावनाओं वाले कोल ब्लॉकों के आबंटन के लिए भी अनुरोध किया गया है।

  अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार स्वदेशी कोकिंग कोल की पर्याप्त आपूर्ति न हो पाने के कारण सेल मुख्यतः आयातित कोल पर ही निर्भर है तथा इसके द्वारा इस्पात मंत्रालय के माध्यम से कोयला मंत्रालय के सम्मुख अध्यर्पित कोल ब्लॉकों के स्थान पर सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से उचित कोल ब्लॉकों के आबंटन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- झारखंड सरकार द्वारा प्रदान की गई अस्थाई अनुमति के आधार पर कैप्टिव कोयला खानों से जारी भराई क्रियाकलापों के लिए सैंड की लिफ्टिंग की गई है। तथापि, 2013 में इसे रोक दिए जाने के पश्चात कोयला खानों को विभिन्न निजी एवं पट्टे की खानों पर आश्रित होना पड़ा है जहां से अनियमित आपूर्ति होती है। तदनुसार कोयले के उत्पादन में अनुकूलता बनाए रखने और साथ ही भूमिगत खानों में कामगारों की सुरक्षा के विचार से सेल द्वारा दिनांक 13.12.2015 को जिला खनन अधिकारी, धनबाद से दामोदर नदी के किनारों पर स्थित डुंगरी घाट, हेत कांद्राघाट, चसनाला घाट तथा तसरा घाट के सैंड खनन क्षेत्रों को चसनाला एवं जीतपुर की उन भूमिगत खानों के लिए सुरक्षित किए जाने का अनुरोध किया गया था जो पहले कभी सेल द्वारा कोयला खनन के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इसकी प्रतिक्रिया में झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 25.5.2017 को यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कोयला मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.11.2017 को पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में झारखंड सरकार ने दिनांक 27.8.2018 को अपेक्षित सूचना कोयला मंत्रालय को भिजवा दी थी। तभी से इस मामले पर सेल के पक्ष में सैंड की भराई के लिए क्षेत्र का शीघ्र निर्धारण किए जाने के संबंध में कोयला मंत्रालय के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।

घ. दृष्टिकोण

स्वदेशी खपत में आई कमी, निश्चित निवेश एवं निर्यात में उत्साहहीनता के चलते वर्ष 2018–19 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से भी कम हो गई थी। विशेषतः कृषि एवं औद्योगिक सेक्टरों के विकास को पूर्व स्थिति पर स्थापित करने के साथ–साथ नई सरकार से धीमी गति से चल रही अर्थव्यवस्था की गति में सुधार लाए जाने की अपेक्षा की गई है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना एवं सम्बद्ध परियोजनाओं पर दिए जा रहे बल के परिणामस्वरूप इस्पात सेक्टर को भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

ड. शक्तियां एवं दुर्बलताएं

शक्तियां

- देश के प्रमुख इस्पात उत्पादकों में सेल की स्थिति बरकरार है।
- अनेक स्थलों पर स्थित उत्पाद यूनिटों के कारण अन्य स्वदेशी इस्पात उत्पादकों की तुलना में सेल को बेहतरी की स्थिति प्राप्त है।
- आधुनिकीकरण एवं विस्तार की जारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नई एवं आधुनिक यूनिटों की संख्या विशाल हो जाएगी।
- विधिवत स्थापित राष्ट्रव्यापी विपणन एवं वितरण नेटवर्क से सेल को अपने उत्पादों का प्रसार देश भर में करने की सुविधा प्राप्त है।
- विविध प्रकार के उत्पादों की विशाल रेंज जो किसी भी स्वदेशी इस्पात कम्पनी से बड़ी है।
- विद्यमान संयंत्र/यूनिट स्थलों पर भावी क्षमता संवर्धन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना।
- इनपुट सुरक्षा – लौह अयस्क के लिए 100 प्रतिशत अनुकूलन।
- इस्पात निर्माण के क्षेत्र में उच्चतर अर्हता प्राप्त व्यावसायिक।

दुर्बलताएं

- प्रमुख इनपुट अर्थात कोकिंग कोल के प्रति बाह्य स्रोतों पर निर्भरता से कम्पनी के सम्मुख बाजार जोखिम हैं।
- अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कारण जनशक्ति लागत में वृद्धि और साथ ही जनशक्ति उत्पादकता में तुलनात्मक रूप में कमी आना।

च. वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

1. सेल का वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेल द्वारा ₹ 66,267 करोड़ का बिक्री टर्नओवर किया गया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए ₹ 58,297 करोड़ के टर्नओवर से 16% अधिक है तथा यह उपलब्धि मुख्यतः 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों (16%) की निवल बिक्री की प्राप्ति (एनएसआर) में हुई वृद्धि के कारण प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कर पूर्व एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 3,338 करोड़ तथा ₹ 2,179 करोड़ है जिससे पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई हानि की तुलना में कम्पनी के निष्पादन में क्रमशः 540% तथा 552% की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है। तथापि, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए है तथा कम्पनी द्वारा ₹ 1,154.23 करोड़ के आस्थगित कर दायित्व सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान वित्तीय मापदंडों पर आधारित तुलनात्मक निष्पादन नीचे दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़)

विवरण	2018–19	2017–18
बिक्री टर्नओवर	**66267.30**	58297.26
घटाएंः उत्पाद शुल्क	–	1403.90
शुद्ध बिक्री टर्नओवर	**66267.30**	56893.36
कर पूर्व ब्याज, मूल्यह्रास, असाधारण/असामान्य मदों तथा कर से पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	**10282.87**	5184.37
घटाएंः ब्याज तथा वित्त प्रभार	**3154.92**	2822.75
घटाएंः मूल्यह्रास	**3384.72**	3064.92
असाधारण/असामान्य मदों से पूर्व परन्तु ब्याज, मूल्यह्रास के पश्चात कर	**3743.23**	–703.30
असाधारण मदें	**–405.34**	–55.64
कर पूर्व लाभ(+)/ हानि (–)	**3337.89**	–758.94
घटाएंः कराधान के लिए प्रावधान	**1159.07**	–277.23
कर पश्चात लाभ (+)/हानि (–)	**2178.82**	–481.71
अन्य विस्तृत आय	**259.08**	186.32
कुल विस्तृत आय (+)/हानि (–)	**2437.90**	–295.39
निवल सम्पत्ति	**38152**	35714
निवल बिक्री पर ईबीआईडीटीए (प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन) (%)	**15.52**	9.11
निवल लाभ मार्जिन (%)	**3.28**	–0.84
निवल सम्पत्ति पर लाभ (कर पश्चात लाभ) (%)	**5.71**	–1.35
नियोजित पूंजी के औसत के लिए ईबीआईडीटीए (%)	**15.33**	8.75
₹ 10/– मूल्य के प्रत्येक शेयर पर आय	**5.27**	–1.17
देनदार टर्नओवर अनुपात (दिन)	**25**	24
मालसूची टर्नओवर अनुपात (दिन)	**6.40**	7.63
ब्याज कवरेज अनुपात (अवसरों की संख्या)	**1.79**	0.61
विद्यमान अनुपात	**1.36:1**	1.23:1
ऋण इक्विटी अनुपात	**1.18:1**	1.27:1

पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निष्पादन में आया सुधार मुख्यतः उच्चतर बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन (7%) तथा 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों से निवल बिक्री लाभ (16%) की वृद्धि, सैकेंडरी उत्पादों की बिक्री, न्यूनतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा, न्यूनतर कोक दर इत्यादि के कारण हुआ है। तथापि, यह बढ़ी हुई कोकिंग कोयला दर, क्रय की ऊर्जा दर, मरम्मतों तथा अनुरक्षण व्यय में हुई बढ़त, लौह अयस्क की रॉयल्टी दरों, विदेशी मुद्रा हानि, कोयले के मिश्रण का उच्चतर आयात, लौह अयस्क, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट के उच्चतर उपयोग, बोलानी तथा बरसुआ लौह अयस्क खानों के संबंध में विभेदक रॉयल्टी के प्रावधान और साथ ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर, स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों एवं उच्चतर ब्याज व्ययों तथा नई सुविधाओं के पूंजीयन के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास प्रभारों में हुई बढ़ोतरी के कारण आंशिक रूप में ऑफसेट हो गया है।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में चालू तिमाही के दौरान ₹ 18,323 करोड़ की टर्नओवर पिछले वर्ष की समान अवधि से 9% अधिक है। ₹ 712 करोड़ तथा ₹ 469 करोड़ का क्रमशः कर पूर्व एवं कर पश्चात् लाभ पिछले वर्ष की समान अवधि से क्रमशः 40% तथा 42% प्रतिशत कम है। यह लाभ मुख्यतः बिक्रीयोग्य इस्पात के उच्चतर उत्पादन (14%), बिक्रीयोग्य इस्पात के बिक्री परिमाण में हुई बढ़त (11%), सैकेंडरी उत्पादों की बिक्री, वेतन तथा मजदूरी में आई कमी, न्यूनतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, ऊर्जा एवं ईंधन व्यय में आई कमी के कारण है। तथापि, यह बिक्रीयोग्य इस्पात के न्यूनतर निवल बिक्री लाभ (2%), क्रय की ऊर्जा दर, मरम्मतों तथा अनुरक्षण व्यय में हुई बढ़त, लौह अयस्क की रॉयल्टी दरों, आयातित कोकिंग कोयले की दरों, सुरक्षा व्ययों में हुई बढ़ोतरी, लौह अयस्क की रायल्टी दरों, कोयले के मिश्रण के उच्चतर आयात, कोकिंग कोयले, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट के उच्चतर उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों के परिशोधन के लिए किए गए प्रावधान तथा उच्चतर ब्याज एवं मूल्यह्रास लागत के कारण आंशिक रूप में ऑफसेट हो गया है।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में निवल सम्पति पर ब्याज कवरेज अनुपात तथा लाभ में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 0.61 का ब्याज कवरेज अनुपात 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 1.79 हो गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ईबीआईटीडीए में हुए महत्वपूर्ण सुधार के कारण है। कम्पनी की परिशोधित लाभप्रदत्ता के परिणामस्वरूप 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार निवल सम्पत्ति पर हुआ (–) 1.35 लाभ 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार सुधर कर 5.71 हो गया है।

1.2 सेल प्रबंधन द्वारा किए गए पहल

1.2.1 कायाकल्प योजना

वर्ष 2016–17 में प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए "सेल उदय" नामक कम्पनी व्यापी कायाकल्प कार्यक्रम का प्रवर्तन किया गया था। "सेल उदय" कार्यक्रम के अंतर्गत कम्पनी द्वारा कम्पनी के स्वास्थ्य का अध्ययन करने, कायाकल्प के लिए उचित उपाय सुझाने तथा कायाकल्प के अनुमोदित पथ पर कार्यान्वयन के लिए सेल को प्रत्येक पग पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विख्यात वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता मैसर्स बोस्टन कंस्लटिंग ग्रुप की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। "सेल उदय" के अध्ययन के चरण का समापन अक्तूबर, 2017 में मैसर्स बोस्टन कंस्लटिंग ग्रुप द्वारा "कायाकल्प का विस्तृत रोडमैप" की रिपोर्ट की प्रस्तुति से पूरा कर लिया गया है। इस रोडमैप में कच्ची सामग्रियों, उत्पादन, बिक्री एवं विपणन, आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक्स, जनशक्ति एवं उत्पादकता इत्यादि सहित कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को केन्द्रबिन्दु बनाकर अनुशंसाएं की गई हैं। सेल द्वारा अब इन अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जा रही है जिससे कम्पनी के निष्पादन में सुधार होने की संभावना है।

1.2.2 लागत नियंत्रण उपाय

- वर्ष के दौरान उन्नत प्रक्रिया तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार के साथ–साथ लागत कटौती जारी रही। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र के प्रचालनों के संबंध में लागतों पर नियंत्रण के प्रति जागरूकता का निर्माण किया गया।
- वर्ष के दौरान कोल मिश्रण के इष्टतम उपयोग, उत्पादन में सुधार, कोक दरों में कमी, संवर्धित कॉनकास्ट उत्पादन, निष्क्रिय परिसम्पत्तियों की बिक्री तथा आंतरिक इंजीनियरिंग शॉप्स का उपयोग अधिकतम किए जाने जैसी रणनीतिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप लागतों में कटौती की गई।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), 2018 के माध्यम से कुल 448 कर्मचारियों को कम्पनी की सेवाओं से कार्य मुक्त किया गया है।

1.2.3 विपणन

आपकी कम्पनी ने देश की अग्रणी इस्पात उत्पादक कम्पनी के रूप में अपनी स्थिति के समेकन के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं।

इसी के साथ–साथ, कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले अपने उन विकल्पों के विस्तार के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष निर्मित अथवा विशिष्ट विधि के उपयोज्य इस्पात उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान अनेक नए उत्पाद विकसित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ईएमई सेगमेंट के लिए आरएसपी द्वारा विकसित क्वेंच्ड एवं टैम्पर्ड प्लेट्स सेल डब्ल्यूआर400 12 एमएम जिनकी आपूर्ति पहली बार गैर–रक्षा ग्राहकों को की गई है।
- आरएसपी में एएसटीएमए 517 ग्रेड एफ का विकास किया गया है तथा इसकी आपूर्ति हिमाचल प्रदेश में स्थित एक हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना को की गई है।
- आरएसपी में विकसित ईएन1002–6 एस690क्यूएल ग्रेड पीएमपी की आपूर्ति डीआरडीओ की परियोजना में उपयोग के लिए की गई है।
- रेलवे ने आईसीएफ डिजाइन की कोचों का उत्पादन बंद करके एलएचबी कोचों का उत्पादन प्रारम्भ किया है। एलएचबी कोचों के पहिए वर्तमान में भारतीय रेल द्वारा आयात किए जा रहे हैं। आपकी कम्पनी को फरवरी, 2018 में 1000 एलएचबी पहियों के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ है तथा इन पहियों का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया गया है। 30 पहियों का पहला लॉट फील्ड ट्रॉयल के लिए मार्च, 2019 में भिजवाया गया है।
- आपकी कम्पनी को दिसम्बर, 2017 में कोलकाता मैट्रो के लिए 400 पहियों के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ था तथा इनका सफलतापूर्वक निर्माण करके आपूर्ति कर दी गई है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा रेलवे बोर्ड से नियमित ऑर्डरों की प्राप्ति का अनुरोध किया गया है।
- रक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम्पनी द्वारा जल उपयोज्यताओं के अंतर्गत अल्ट्रा उच्च शक्ति की डीएमआर 301 ग्रेड प्लेटों का निर्माण किया गया है।
- दक्षिणी से उत्तरी बिहार की सम्पर्कता, जो गंगा के पार रहने वाले बिहार वासियों का जीवन आधार माना गया है, के लिए महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण की सामग्री की आपूर्ति की गई है। मूल डिजायन के अनुसार एएसटीएमए–709 एचपीएस–485 70 डब्ल्यू ग्रेड की प्लेटें अपेक्षित की गई थी जिन्हें परिवर्तित करके आईएस2062 ई410सी ग्रेड की प्लेट बनाया गया है जो कड़ी जांच एवं परीक्षण योजना के पश्चात तैयार की गई है।

सेल में निर्मित किए जाने वाले नए उत्पादों के लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सेल द्वारा इस्को, दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों की नई मिलों से निर्मित होने वाले उत्पादों के विपणन तथा नए बाजार सेगमेंटों से जुड़ाव स्थापित करने के लिए समर्पित क्रॉस फंक्शनल टीमों का गठन किया गया है। अंत प्रयोक्ताओं, वास्तुकारों, संरचना डिजायनरों, परामर्शदाताओं इत्यादि के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं एवं बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा संयंत्र कार्मिकों के साथ भी उनकी अपेक्षाओं और उत्पादन मापदंडों को समझने के लिए उनसे विचार विमर्श करके तालमेल स्थापित किया गया है। आईएसपी की नई मिल से नया मिल पैरेरल फलैंज्ड स्ट्रक्चरल नए ब्रांड "एनईएक्स" के नाम से तैयार किया गया है।

देश की इस्पात उत्पादक कम्पनियों में से आपकी कम्पनी का विपणन नेटवर्क सबसे बड़ा है। 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 10 सक्रिय ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 25 विभागीय मालगोदाम तथा 20 कार्यात्मक प्रेषण एजेंसी यार्ड हैं। विपणन प्रयासों की पूर्ति सेल के खुदरा चैनलों से भी की जाती है जहां से देश के दूरस्थ छोरों तक भी अत्यधिक खपत के लिए उत्पाद की आपूर्ति हो पाती है।

सेल द्वारा टीएमटी बारों एवं गैल्वानाइज्ड उत्पादों की खुदरा मांगों को डीलर चैनल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उत्पाद के अतिरिक्त मूल्य संवर्धन, आपूर्ति एवं ग्राहक सेवाओं के लिए एक कार्यकुशल वितरण चैनल के माध्यम से अंत उपयोक्ताओं तक पहुंच को सरल बना कर 2–टॉयर डीलर–डिस्ट्रिब्यूटरशिप चैनल प्रारम्भ किया गया है। 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार डीलर नेटवर्क में 1789 डीलर थे जिनमें से 858 डीलरों को 2–टॉयर डिस्ट्रिब्यूटरशिप के अंतर्गत नियुक्त 14 डिस्ट्रिब्यूरों द्वारा अपने साथ जोड़ लिया गया है। इस विशाल नेटवर्क से सम्पूर्ण भारत में स्थित ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

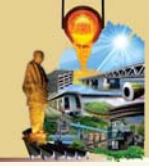

1.3 निधि प्रबंधन

कम्पनी के ऋण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 45,409 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 45,170 करोड़ हो गए हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का ऋण इक्विटी अनुपात 1.81:1 है जो कि 31 मार्च, 2018 को 1.27:1 था। चालू वर्ष के दौरान प्रचालन खाते पर ब्याज एवं वित्त प्रभार ₹ 3,155 करोड़ है जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि से ₹ 332 करोड़ अधिक हैं। कम्पनी की निवल सम्पति बढ़कर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 38,152 करोड़ हो गई है जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 35,714 करोड़ थी। मैसर्स केयर रेटिंग्स, मैसर्स इंडिया रेटिंग्स तथा मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, द्वारा सेल के दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के संबंध में क्रमशः 'केयरएए– आउटलुकः स्टेबल', 'इंडिया रेटिंग एए–स्टेबल' तथा 'बीडब्ल्यूआर एए आउटलुक – : नैगेटिव' रेटिंग की गई हैं। ऋण एवं निवल सम्पति का उतार चढ़ाव नीचे दर्शाया गया हैः

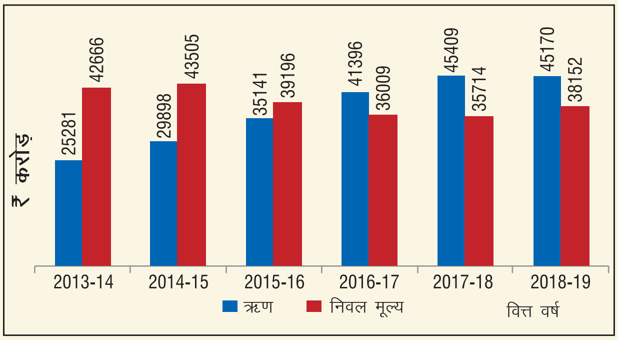

1.4 सेल के उपदान ट्रस्ट में अंशदान

सेल के उपदान ट्रस्ट में कम्पनी द्वारा 31.3.2019 तक कुल ₹ 3,349.09 करोड़ का अंशदान दिया गया है। अब 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार इस निधि का आकार, उपदान के भुगतान के लिए किए गए निपटानों के साथ, बढ़कर ₹ 6,277.44 करोड़ हो गया है।

2. कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

2.1 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

क) उत्पादों की बिक्री

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
बिक्री योग्य इस्पात उत्पादों की बिक्री	62541.86	55481.04	12.73
अन्य उत्पादों की बिक्री	3725.44	2816.22	32.28
कुल बिक्री टर्नओवर	66267.30	58297.26	13.67
घटाएंः उत्पाद शुल्क		1403.90*	
निवल बिक्री टर्नओवर	66267.30	56893.36	16.47

*उत्पाद शुल्क 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए है जिसे 1 जुलाई, 2017 के पश्चात से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन किए जाने के पश्चात से समाप्त कर दिया गया है। इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार टर्नओवर में जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है।

ख) घरेलू बिक्री एवं निर्यात का प्रवाह

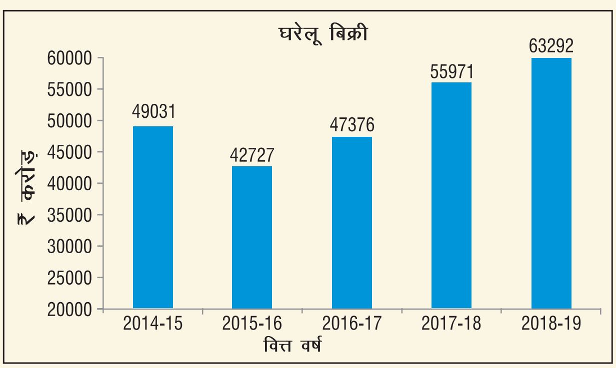

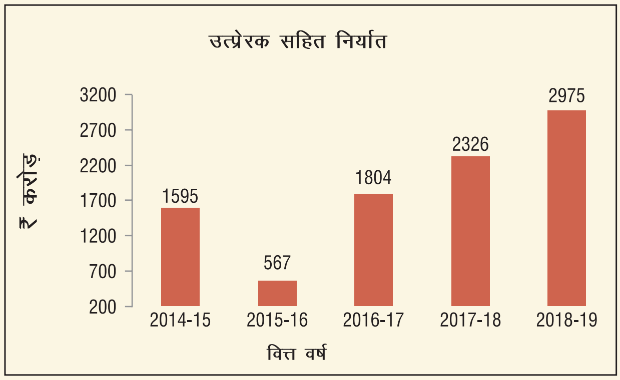

कम्पनी द्वारा हल्के इस्पात के व्यवसाय से प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है जिनमें प्लेट्स, एचआर क्वॉयल्स/शीट्स, सीआर क्वॉयल्स/शीट्स, गैल्वानायज्ड प्लेन/कोरूगेटिड शीट्स एवं रेल, संरचना, वॉयर रॉड्स तथा मर्चेंट जैसे लम्बे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रिक रेसिस्टेंस वैल्डिड पाइप्स, स्पायरल वैल्डिड पाइप्स तथा सिलिकॉन स्टील शीट्स जैसे उत्पाद हैं जो कम्पनी की समृद्ध उत्पाद श्रृंखला में शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के उत्पादों का वर्ग–वार टर्नओवर नीचे दर्शाया गया हैः

उत्पाद वर्ग	बिक्री मूल्य का प्रतिशत
बिक्री योग्य इस्पात	
समतल उत्पाद (पाइप एवं विद्युत शीटों सहित (क)	50
लम्बे उत्पाद (ख)	40
एकीकृत इस्पात संयंत्र – हल्का इस्पात (ग=क+ख)	90
एलॉय एवं विशेष इस्पात संयंत्र – एलॉय एवं विशेष इस्पात (ख)	4
कुल बिक्री योग्य इस्पात (ङ=ग+घ)	94
सैकेंडरी उत्पाद (पिग आयरन, स्क्रैप, कोल, रसायन इत्यादि) (च)	6
योग (छ =ङ+च)	**100**

ग) सेवाओं की बिक्री – सेवा प्रभार

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
28.53	23.56	21.09

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व में चालू वर्ष के दौरान लगभग ₹ 4.97 करोड़ की वृद्धि हुई है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
671.48	641.54	4.67

अन्य प्रचालन राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹ 29.94 करोड़ की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः विविध वस्तुओं से उच्चतर लाभ प्राप्त होने के कारण है।

2.2 अन्य आय

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
532.82	484.45	9.98

अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹ 48.37 करोड़ की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः ग्राहकों से प्राप्त ब्याज आय तथा बैंक जमा एवं निर्णित हानियों की वसूली के कारण है।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
कच्ची सामग्री की खपत	32291	26678	21.03
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	8830	8850	–0.22
वित्त लागत	3155	2823	11.76
मूल्यह्रास	3385	3065	10.44
अन्य व्यय	18829	16276	15.69

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयातित कोयला मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से इसका प्रभाव कच्ची सामग्री के मूल्यों पर हुआ है। इसके अलावा, आयातित कोयला मूल्यों में हुई वृद्धि के चलते घरेलू कोयला मूल्यों भी घरेलू कोयला कम्पनियों द्वारा की गई अनुरूपता के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभों में कमी है जो मुख्यतः प्राकृतिक पृथक्कन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण जनशक्ति में हुई कमी के कारण है। ऋणों तथा मूल्यह्रास में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप नई सुविधाओं का पूंजीयन होने से वित्त लागतों में बढ़ोतरी हुई है। अन्य व्ययों में हुई वृद्धि, भंडार एवं कलपूर्जों, मरम्मत तथा अनुरक्षण, ऊर्जा एवं ईंधन, रॉयल्टी एवं उपकर इत्यादि में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

2.4 राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान सेल द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में विभिन्न सरकारी एजेंसियों को चुकता किए गए करों तथा शुल्कों के भुगतान के माध्यम से ₹ 13,520 करोड़ का योगदान दिया गया है।

2.5 गैर चालू /चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	59907	57156	4.81
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	16014	18395	–12.95
(ग) निवेश सम्पत्ति	1	1	31.33
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	1451	1455	–0.26
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	1585	1491	6.27
(ii) व्यवसाय प्राप्य			
(iii) ऋण	564	448	25.81
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	258	166	55.50
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	2898	4185	–30.74
(छ) गैर चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	154	190	–19.27
(ज) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	1357	1079	25.78
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**84189**	**84567**	**–0.45**

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
चालू परिसम्पत्तियां			
(क) मालसूचियां	19442	16997	14.39
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) व्यवसाय प्राप्य	4495	3870	16.15
(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	35	79	–56.46
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	185	175	5.85
(iv) ऋण	53	63	–16.04
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2161	2772	–22.04
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	5867	5634	4.14
(ङ) बिक्री के लिए वर्गीकृत धारित परिसम्पत्तियां	11	33	–64.71
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**32249**	**29623**	**8.87**
कुल परिसम्पत्तियां	**116438**	**114190**	**1.97**

- नई सुविधाओं का पूंजीयन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2,751 करोड़ की सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वृद्धि हुई है।
- इस्पात संयंत्रों की विभिन्न योजनाओं का पूंजीयन किए जाने के परिणामस्वरूप प्रगतिशील पूंजी कार्य में ₹ 2,381 करोड़ की कमी हुई है।
- अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियों में ₹ 278 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- उच्च मात्रा तथा आयातित कोकिंग कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के कारण मुख्यतः कच्ची सामग्री की मालसूची में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ₹ 2,445 करोड़ की मालसूचियों की बढ़ोतरी हुई है।
- व्यवसाय प्राप्य में ₹ 625 करोड़ की बढ़त हुई है।
- जीएसटी कानून के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त होने से अन्य चालू परिसम्पत्तियों में ₹ 233 करोड़ की बढ़त हुई है।

2.6 गैर चालू/चालू देयताएं

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2017–18	% परिवर्तन
गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	30803	29777	3.4
(ii) व्यवसाय प्राप्य	7	6	6.9
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1331	1179	12.8
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	4295	3973	8.1
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	253	138	83.0
कुल गैर–चालू देयताएं	**36689**	**35075**	**4.6**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	10631	12244	–13.2
(ii) व्यवसाय प्राप्य	7258	7540	–3.7
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14693	14170	3.7
(ख) अन्य चालू देयताएं	6706	7142	–6.1
(ग) प्रावधान	2309	2304	0.2
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	–	–	–
योग चालू देयताएं	**41597**	**43402**	**–4.2**
कुल (चालू+गैर चालू देयताएं)	**78286**	**78476**	**–0.2**

- दीर्घकालिक ऋणों में हुई 3% की बढ़ोतरी, अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों से परिवर्तित किए जाने के कारण हुई है।
- अल्पकालिक ऋण में हुई ₹ 1,613 करोड़ की घटत, वाणिज्यिक दस्तावेज के पुनर्भुगतान तथा विदेशी मुद्रा क्रेता क्रेडिट के कारण है।

3. संयंत्र–वार वित्तीय निष्पादन (कर पूर्व लाभ)

(₹ करोड़)

संयंत्र/यूनिट	2018–19	2017–18
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	509.37	645.88
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	278.62	–270.85
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	1472.21	–180.24
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	1916.49	526.16
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	–402.05	–988.55
एलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी)	–40.64	–47.46
सालेम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	–259.00	–211.07
विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी)	–75.72	–108.90
सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट (एसआरयू)	50.71	32.62
चन्द्रपुर फैरो एलॉय संयंत्र (सीएफपी)	11.20	19.30
कच्ची सामग्री डिवीजन/केन्द्रीय यूनिटें	–123.30	–175.83
सेलः कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–)	**3337.89**	**–758.94**

छ. सामग्री प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन की इनपुट लागतों में कमी लाने तथा निष्पादन में सुधार के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं तथा ऐसे प्रयासों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- **मालसूची में कमी:** भंडार एवं कलपूर्जों की उच्चतर मात्रा में खरीद (वर्ष प्रति वर्ष आधार पर 26% की वृद्धि) के बावजूद भी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार मालसूची धारण में 6.51 माह की कमी आई जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार यह 7.20 माह थी।
- **क्रय लागत में कमी:** बल्क खरीद/केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी (सीपीए) मदों के क्रय के लिए बहु चरणों की रणनीति को अपनाने से फैरो–एलॉय इत्यादि जैसे क्षेत्रों में लगभग ₹ 7.5 करोड़ की लागत बचत की गई।
- **ई–अधिप्राप्ति:** आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन/उद्यम अधिप्राप्ति सिस्टम प्लेटफार्म के उपयोग से ई–निविदा का उपयोग वर्ष प्रति वर्ष 59.63% से बढ़कर 81.61% हो गया है।
- **सिस्टम सुधार:** वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीपीए दिशानिर्देश, लाइमस्टोन की अधिप्राप्ति के लिए बीसीजी की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, जीईएम (गर्वनमेंट ई–मार्केटप्लेस) पर अधिप्राप्ति की सेल प्रक्रिया, जीईएम तथा टीआरईडीएस के संबंध में प्रशिक्षण, सेल निविदा वेबसाइट को फिर से डिजायन करना, सीपीपी पोर्टल पर सेल की निविदाओं का ई–प्रकाशन तथा पीसीपी–2014 की समीक्षा एवं संशोधन सहित अनेक नई/संशोधित नीतियां एवं प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के संबंध पोर्टल पर संयंत्रों/यूनिटों से एमएसएमई के संबंध में डाटा/सूचना की पोस्टिंग के लिए एक मॉड्यूल निर्मित किया गया था।

ज. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कम्पनी द्वारा उपकरणों, कच्ची सामग्री एवं अन्य इनपुटों को स्वदेशी स्रोतों से इस प्रकार प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं कि ये कम्पनी को वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य मूल्य/लागत पर प्राप्त हो सकें तथा इनसे कम्पनी में उपयोग में लाई प्रौद्योगिकी की अपेक्षाओं की पूर्ति संभव हो सके। विदेशी मुद्रा का किसी भी प्रकार से व्यय करने के लिए अपेक्षित नियंत्रण करने के अलावा ऐसे व्यय का कम्पनी के हित में आवश्यक होने का सुनिश्चय किया जाता है। इसके अलावा, कम्पनी में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के सभी प्राप्यों को संविदा अवधि के दौरान प्राप्त कर लिए जाने के सुनिश्चय के लिए प्रत्येक संभव उपाय किए जाते हैं।

झ. परियोजना प्रबंधन

एएमआर योजनाएं

आधुनिकीकरण एवं विस्तार की परियोजनाओं के साथ–साथ सुधार एवं प्रतिस्थापन (एएमआर) की योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं जो विद्यमान प्रचालनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं तथा जिनमें प्रमुख ध्यान कार्य कौशल के वर्तमान स्तर में सुधार लाने तथा आउटपुट के लिए वर्धिक उपाय किए जाने की ओर केन्द्रित किया गया है। एएमआर योजनाओं का सम्पादन विद्यमान प्रचालनों की विद्यमान सुविधाओं में सुधार लाने अथवा उन्हें फिर से निर्मित करने, संतुलन स्थापित करने/उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मुख प्रस्तुत होने वाली बाधाओं का निवारण करने, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की खपत/सेवाओं/संरक्षा एवं पर्यावरण की संवहनीयता के लिए किया जाता है। प्रतिस्थापन के अंतर्गत मुख्यतः विद्यमान संयंत्र एवं उपकरण/सुविधा को बेहतर निष्पादक संयंत्र एवं उपकरण/सुविधा से प्रतिस्थापित किया जाना; कोक ओवन बैटरियों को उनके उपयोज्यता काल के पश्चात बदलने जैसी पुनःनिर्माण की प्रक्रियाएं प्रतिस्थापन योजना के दायरे में आती हैं। तदनुसार, ₹ 7,244 करोड़ की लागत की अनेक एएमआर योजनाओं पर कम्पनी के विभिन्न संयंत्रों में निम्नानुसार कार्यान्वयन किए जा रहे हैं:

- रावघाट डिपोजिट में 21 स्थलों पर बैरेक्स का निर्माण, ब्लास्ट फर्नेस–4 के लिए स्टोवों का उन्नयन, ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 7 में डिफ्यूमिंग सिस्टम, पॉलिक्लोरिनेटिड बॉफेनिल्स के पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन के लिए स्टेटिक सुविधा की स्थापना तथा भिलाई स्टील प्लांट के सिन्टर संयंत्र Ⅳ के सभी 4 मल्टी साइक्लोनों के प्रतिस्थ्थापन के रूप में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रिसैप्टर्स की स्थापना किया जाना।
- व्हील एवं एक्सल संयंत्र में नई रोटेरी हर्थ रिहिटिंग फर्नेस की स्थापना करना तथा नए ऊर्जा संयंत्र में 2x20 मेगावाट ऊर्जा की निकासी की व्यवस्था करना, बॉटम स्टियरिंग सिस्टम के साथ कंवर्टर शैल्स का प्रतिस्थापन करना तथा एसएमएस के सभी तीन कंवर्टरों के लिए सैकेंडरी एमिशन कंट्रोल स्थापित करना और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पुराने ऊर्जा संयंत्र के टर्बो बलोअर नम्बर 1–4 के लिए एक स्टीम टर्बाइन रोटर असेम्बली की अधिप्राप्ति करना।
- राउरकेला इस्पात संयंत्र में नए हॉट स्ट्रिप मिल की स्थापना करना।
- **बलास्ट फर्नेस –1** के लिए हाइड्रोलिक मुडगन कम ड्रिल मशीन, नए सिन्टर संयंत्र, स्टील मैल्टिंग शॉप–1 का आधुनिकीकरण, ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 1 के स्टोवों का उन्नयन, कोक ओवन बैटरी–8 के पुनर्निर्माण , लाइम क्लिन के 6 इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिएपटर्स का उन्नयन, सिन्टर संयंत्र में बैटरी साइक्लोन्स के स्थान पर इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिएपटर्स का प्रतिस्थापन तथा बीएसएल तथा बोकारो इस्पात संयंत्र की टाउनशिप में से दामोदर नदी के कच्चे जल की निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रावधान करना।
- चन्द्रपुर फैरो एलॉय संयंत्र में 4 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र।

ञ. आंतरिक डिजायन एवं इंजीनियरिंग

सेन्टर फॉर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी (सीईटी) सेल की एक आंतरिक डिजायन, इंजीनियरिंग एवं परामर्शी यूनिट है जिसके द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा अपनी खानों की पूर्ण वैल्यू चेन में सेवाओं से लेकर सफल निष्पादन होने तक परियोजनाओं की संकल्पना किए जाने तक की पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। लगभग 250 योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी इंजीनियरों के कार्यबल से सुसज्जित सेन्टर फॉर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी द्वारा खनन लाभ प्राप्ति, पैलेट संयंत्र, सामग्री संचलन, ऊर्जा संयंत्र, स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र, ब्लास्ट फर्नेस स्टोव, जल प्रबंधन, ऑटोमेशन तथा अन्य अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। इसके द्वारा निष्पादित की जा रही वर्तमान परियोजनाओं में बीएसएल में कोक ओवन बैटरी नं.8, नए 3.0 एमटी हॉट स्ट्रिप मिल का पुनर्निर्माण तथा आरएसपी में एसएमएस–II में चौथे स्लेब कास्टर की स्थापना, बीएसएल में नए सिन्टर संयंत्र की स्थापना तथा एसएमएस–I का आधुनिकीकरण, बीओएफ कनवर्टर शैल्स के स्थान पर नई सैकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम का प्रतिस्थापन तथा डीएसपी इत्यादि में नए बार मिल का स्थापन किया जाना शामिल है।

ट. परामर्शी सेवाएं

आपकी कम्पनी अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियरों, प्रौद्योगिक विज्ञों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ कार्य कर रही है। अपने विशाल एवं विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त विशेषज्ञों तथा पिछले छः दशकों में प्राप्त अनुभव के सम्मिलन से सेल द्वारा विश्व भर में अपने ग्राहकों को अपनी सेल कंस्लटेंसी डिवीजन "सेलकॉन" के माध्यम से लौह एवं इस्पात तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए डिजायन, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं परियोजना प्रबंधन की परामर्शी सेवाएं तथा अन्य अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेलकॉन एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित उत्कृष्ट संगठन है तथा इसके द्वारा

सेल के संयंत्रों एवं यूनिटों में व्याप्त गहन एवं विविधतापूर्ण अनुभव से प्राप्त शक्तियों के उपयोग से अनेक कार्यों का सम्पादन करते हुए अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के अलावा, सेलकॉन विविध प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है जिनमें कौशल विकास एवं संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। तकनीकी क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ–साथ मानव संसाधन, गुणवत्ता प्रबंधन कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन एवं विभिन्न प्रकार के प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का सेलकॉन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीकी एवं प्रबंधन प्रशिक्षण सेवाओं में इसे विशेषज्ञता प्राप्त है और भारत तथा विदेश में स्थित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक संगठनों द्वारा इन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

भारत एवं विदेश में स्थित मिश्र, सउदी अरब, ईरान, कतर, थाइलैंड, नेपाल, फिलिपिंस इत्यादि जैसे अनेक देशों के लिए सेलकॉन द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सेलकॉन ने पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा अपने ग्राहकों को सिम्यूलेटर आधारित ऊर्जा संयंत्र प्रचालन प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं।

ठ. अनुसंधान एवं विकास

कम्पनी का लौह एवं इस्पात का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र का भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। संवहनीय विकास के लिए विकास एवं नई प्रौद्योगिकियों के समावेश के मूल तत्व की स्वीकृति नवोपाय के रूप में करते हुए सेल द्वारा रांची में स्थित अपने पूर्णतः सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रियाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया जा रहा है। अपनी पन्द्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं के अध्याधीन इसमें तीन हजार से अधिक नैदानिक उपकरण एवं पर्याप्त पॉयलट सुविधाएं हैं। इस केन्द्र द्वारा लौह एवं इस्पात के संबंध में कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पादों की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 90 परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थी जिनमें से संगठन के लिए संवहनीय लाभों से युक्त 44 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।

दो परियोजनाओं पर इस्पात मंत्रालय के सहयोग से कार्य किए जा रहे हैं: (क) कंटीन्यूयस कास्टर्स के लिए मॉडल आधारित ब्रेकआउट प्रिडिक्शन सिस्टम का स्वदेशी विकास, तथा (ख) कोक ओवन बैटरी के कोयला हैंडलिंग संयंत्र में इष्टतम कोयला मिश्रण के लिए स्वचालन प्रणाली का विकास।

लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा बाजार अपेक्षाओं के अनुसार बेहतरीन निष्पादन पर आधारित उपयोज्यताओं के माध्यम से उत्कृष्ट उत्पादों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान बीस उत्पादों का विकास किया गया है तथा इनमें से कुछ उत्पाद उल्लेखनीय हैं जिनमें भारतीय निर्माण सेगमेंट के लिए रिजिस्टेंट इस्पात, बॉयलर एवं प्रेशर वैसल्लस, ऑटो सेगमेंट के लिए स्प्रिंग इस्पात, क्रेन, रक्षा सेक्टर इत्यादि के कार्य शामिल हैं।

अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उत्कृष्टता के साथ लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा विख्यात संस्थानों एवं अकादमियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सहकारिता की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास; राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एवं एनएमडीसी लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र; सी–डैक, तिरुवनंतपुरम; केन्द्रीय भवन निर्माण संस्थान, रूड़की जैसे संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहकारिता करार किए गए हैं।

लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) के इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों से वर्ष 2018–19 के दौरान 20 पैटेंट तथा 18 कॉपीराइट (सेल संयंत्रों की सहभागिता से) हासिल किए गए हैं। 95 तकनीकी दस्तावेजों (45 अंतर्राष्ट्रीय) की प्रस्तुति सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में की गई है तथा 79 लेखों (24 अंतर्राष्ट्रीय) के प्रकाशन विख्यात जर्नलों में किए गए हैं। इसके अलावा लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा अनुबंध अनुसंधान कार्य किए गए हैं तथा इसके लिए सेल से बाहर के संगठनों को परामर्शी सेवाएं एवं तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई हैं।

ड. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं एवं उनकी सटीकता

कम्पनी में, निम्नलिखित व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकुशल आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है:–

- प्रचालनों की कार्यकुशलता
- सुसंगत उपयोग एवं संसाधनों का संरक्षण
- वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सटीकता एवं तत्परता
- निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार अनुपालन
- विभिन्न कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन

सेल में आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्य विविध–अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं जिसके अंतर्गत कम्पनी की विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन एवं निरूपण किया जाता है तथा उपयुक्त सुधार के लिए तर्कसंगत सुझाव दिए जाते हैं। इससे प्रबंधन को कुशल कॉरपोरेट शासन के प्रति जोखिम प्रबंधन की प्रभाव्यता के लिए प्रक्रियाबद्ध एवं अनुशासनिक पहुंच स्थापित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिल पाती है।

कम्पनी द्वारा अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रति निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्य, निदेशक मंडल स्तरीय लेखापरीक्षाण समिति के पर्यवेक्षण के अध्याधीन किए जाते हैं जिससे आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र स्वरूप में व्यवस्था में व्याप्त पारदर्शिता एवं कार्य कुशल आंतरिक लेखापरीक्षण कार्मिकों इत्यादि के योगदान से हो पाता है। व्यवस्था/प्रक्रिया तथा संयंत्रों/यूनिटों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उत्तम व्यवहार के बेंचमार्कों के बल से संज्ञान किए गए प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित लेखापरीक्षण योजना तैयार की जाती है तथा कम्पनी के प्रचालनों में कौशल सुधार एवं लागतों में कमी लाकर समग्र कार्यकुशलता के उद्देश्य से इसे निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षण के कर्मियों को प्रशिक्षण, विकास के माध्यम से उनमें जागरूकता की उत्पत्ति करने, आंतरिक लेखापरीक्षा की अग्र सक्रिय भूमिका जैसे प्रमुख ध्यान केन्द्रित कार्य जारी रखे गए। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं वित्तीय रिपोर्टों पर प्रेक्षण के संबंध में उनके विचार ज्ञात किए गए थे। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए प्रेक्षणों पर प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की गई हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित क्षेत्रों की भी मॉनीटरिंग/पुनरीक्षा की गई है:–

- आंतरिक लेखापरीक्षा योजना एवं निष्पादन
- उद्यम जोखिम प्रबंधन की आवधिक समीक्षा
- पूंजी कार्य प्रगति पर/पूंजी अग्रिम
- वेतन तैयार करने के लिए बॉयोमैट्रिक उपस्थिति की स्थिति
- ऊर्जा ऑडिट
- सेल में चौकसी तंत्र व्यवस्था की कार्य व्यवस्था
- लागत लेखापरीक्षण रिपोर्ट
- मालसूचियों एवं इनके परिशोधन की आयु–वार स्थिति
- सम्पदा संबंधी मामले

आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पूर्ति विधिवत निर्मित दस्तावेजों के स्वरूप में नीतियां, दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाओं से होती हैं तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इनकी नियमित समीक्षा की जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों से युक्त रिपोर्टों को समाधान/अद्यतन स्थिति के साथ आवधिक रूप से प्रबंधन तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समित को प्रस्तुत किया जाता है।

सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में शामिल किए गए अनेक विवरणों में लागू कानूनों तथा विनियमों के दायरे में कम्पनी के लक्ष्यों, प्रक्षेपणों एवं अग्र विचार एवं प्रगति की प्रस्तुति की गई है। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों से वास्तविक स्थिति इसमें व्यक्त एवं अंतर्निहित अर्थ से भिन्न हो सकती है।

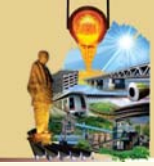

स्टैंडअलोन तुलन–पत्र

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर–तत्कालिक परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**59907.26**	57156.09
(ख) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	5	**16013.50**	18395.43
(ग) निवेश संपत्ति	6	**1.09**	0.83
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	7	**1450.86**	1454.63
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	**1584.75**	1491.30
(ii) व्यापार प्राप्तियां	9	–	–
(iii) ऋण	10	**563.98**	448.28
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	**258.41**	166.18
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	**2898.38**	4185.27
(छ) वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)	13	**153.63**	190.31
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	**1356.60**	1078.54
		84188.46	84566.86
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) माल सूचियाँ	15	**19441.80**	16996.67
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	16	**4495.05**	3869.94
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**34.59**	79.45
(iii) अन्य बैंक शेष	17 (ii)	**184.83**	174.61
(iv) ऋण	18	**53.24**	63.41
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	19	**2160.88**	2771.94
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	**5867.41**	5634.42
		32237.80	29590.44
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति	21	**11.47**	32.50
कुल परिसंपत्तियाँ		**116437.73**	114189.80
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**34021.04**	31583.14
		38151.57	35713.67
देयताएं			
गैर वर्तमान देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	24	**30802.66**	29777.16
(ii) व्यापार देय	25		
(अ) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		–	–
(ब) सूक्ष्म–उद्यम और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया बकाया		**6.82**	6.38
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	26	**1330.62**	1179.36
(ख) प्रावधान	27	**4295.41**	3973.28
(ग) अन्य गैर–मौजूदा देनदारियाँ	28	**253.19**	138.33
		36688.70	35074.51
चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधार	29	**10631.22**	12244.32
(ii) व्यापार देय	30		
(अ) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**67.45**	48.22
(ब) सूक्ष्म–उद्यम और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**7190.54**	7492.28
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	31	**14693.31**	14170.20
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियाँ	32	**6706.17**	7142.42
(ग) प्रावधान	33	**2308.77**	2304.18
(घ) वर्तमान कर देनदारियाँ (निवल)	33ए	–	–
		41,597.46	43,401.62
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		**116437.73**	114189.80
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	3		

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

स्टैंडअलोन लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	34	**66967.31**	58962.36
अन्य आय	35	**532.82**	484.45
कुल आय		**67500.13**	59446.81
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	36	**32290.91**	26678.81
तैयार माल और प्रगति पर कार्य की सूची में परिवर्तन	37	**(2716.62)**	1135.49
उत्पाद शुल्क		–	1403.90
कर्मचारी लाभ व्यय	38	**8830.34**	8850.07
वित्तीय लागत	39	**3154.92**	2822.75
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**3384.72**	3064.92
अन्य व्यय	40	**18828.57**	16276.24
कुल व्यय		**63772.84**	60232.18
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि)		**3727.29**	(785.37)
घटाः असाधारण मद	41	**389.40**	(26.43)
कर से पहले लाभ/(हानि)		**3337.89**	(758.94)
कर व्यय			
वर्तमान कर		–	–
आस्थगित कर		**1,154.23**	(312.96)
पूर्व वर्षों का		**4.84**	35.73
कुल कर व्यय		**1,159.07**	(277.23)
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**2178.82**	(481.71)
अन्य व्यापक आय			
(i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		**329.91**	275.33
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि		**57.96**	8.79
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		**(128.79)**	(97.80)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (हानि)		**259.08**	186.32
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि)		**2437.90**	(295.39)
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10/ – प्रत्येक)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटिड कमाई (₹)	41ए	**5.27**	(1.17)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

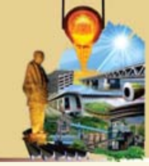

इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2018 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	–	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	–	0.12
	1 अप्रैल, 2018 को शेष	**इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31 मार्च, 2019 को शेष**
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	–	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	–	0.12

ख. अन्य इक्विटी (₹ करोड़)

	रिजर्व और अधिशेष				अन्य व्यापक आय – रिजर्व		
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	सामान्य रिजर्व	बांड्स रिडेम्पशन रिजर्व	रिटेंड आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	योग
1 अप्रैल, 2017 को शेष	1.75	235.10	5,095.13	1,973.64	24,570.11	2.80	31,878.53
(हानि) वर्ष के लिए					(481.71)		(481.71)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय लाभ / (हानि)					177.53	8.79	186.32
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि)	–	–	–	–	**(304.18)**	**8.79**	**(295.39)**
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण				(239.75)	239.75		.
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण				606.80	(606.80)		.
31 मार्च, 2018 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**2,340.69**	**23,898.88**	**11.59**	**31,583.14**
1 अप्रैल, 2018 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**2,340.69**	**23,898.88**	**11.59**	**31,583.14**
लाभांश/(हानि) वर्ष के लिए					2,178.82		2,178.82
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय लाभ / (हानि)					214.62	44.46	259.08
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय लाभ / (हानि)	–	–	–	–	**2,393.44**	**44.46**	**2,437.90**
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण				(730.10)	730.10		.
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण				383.55	(383.55)		.
31 मार्च, 2019 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**1,994.14**	**26,638.87**	**56.05**	**34,021.04**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 3

साथ में दिए गए नोट इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पहले लाभ/(हानि)	**3337.89**	(758.94)
इसके लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3384.72**	3064.92
अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ (शुद्ध)	**45.27**	72.80
ब्याज आय	**(123.95)**	(166.09)
लाभांश आय	**(44.44)**	(76.16)
वित्त लागत	**3154.92**	2822.75
विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव पर गैर–मौजूदा हानि / (लाभ)	**41.69**	–
गैर–मौजूदा निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ)	–	–
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्तियों के लिए खराब ऋण और प्रावधान	**65.12**	85.42
अन्य प्रावधान	**177.32**	130.32
अस्वामिक शेष और अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए हैं	**(146.86)**	(172.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**9891.68**	5002.76
संपत्ति और देनदारियों में बदलावः		
व्यापार प्राप्तियां	**(676.19)**	(861.41)
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**(39.76)**	(1755.36)
व्यापार भुगतान	**(282.07)**	2320.32
अन्य वित्तीय देयताएं, अन्य देनदारियां और प्रावधान	**979.03**	2813.08
मालसूची	**(2606.83)**	(1402.56)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**7265.86**	6116.83
आयकर का भुगतान (शुद्ध)	**35.71**	40.98
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**7301.57**	6157.81
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूंजी कार्य–प्रगति सहित) और अप्रत्यक्ष संपत्ति की खरीद	**(3979.05)**	(6757.49)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**100.71**	153.09
वर्तमान और गैर–मौजूदा निवेश की खरीद	**(35.49)**	(100.11)
सावधि जमा में गति (शुद्ध)	**(10.22)**	(6.45)
प्राप्त ब्याज	**123.95**	166.09
प्राप्त लाभांश	**44.44**	76.16
निवेश की गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ख)	**(3755.66)**	(6468.71)
ग. वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**1374.42**	10689.68
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**(1613.10)**	(7568.72)
वित्त लागत का भुगतान	**(3352.09)**	(2851.54)
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**(3590.77)**	269.42
नकदी और नकद समतुल्यों में वृद्धि (क+ख+ग)	**(44.86)**	(41.48)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**79.45**	120.93
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नोट सं. 17(i))	**34.59**	79.45

भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में संशोधन के लिए संस्था को प्रकटीकरण देने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से निर्माण होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों शामिल हैं, जो कि प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन–पत्र में प्रारंभिक जमा और अंत शेष के बीच मिलान को शामिल करने की सलाह देते हैं। यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो चुका है और आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है। इस संशोधन के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई अन्य प्रभाव नहीं हुआ है।

(₹ करोड़)

			गैर–नकदी परिवर्तन		
	31.03.2018 को	**नगदी प्रवाह**	**उचित मूल्य परिवर्तन**	**मौजूदा/गैर–मौजूदा वर्गीकरण**	**31.03.2019 को**
उधार – गैर मौजूदा	29777.16	1,303.22	3,329.99	(3,607.71)	30802.66
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	3271.71	(3,271.71)	–	3607.71	3607.71
उधार– मौजूदा	12244.32	(1,223.77)	(389.33)	–	10631.22

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष रूप में तैयार किया गया है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक–7 में निर्धारित किया गया है, नकदी प्रवाह का विवरण।

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे "कंपनी" कहा जाता है), यह भारत में गठित और निगमित है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त महारत्न पदक से सम्मानित यह कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और जो देश के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। राष्ट्रीय, बॉम्बे और लंदन स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं।

कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इन वित्तीय विवरणों को 30 मई, 2019 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

2. प्रस्तुति का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों को अधिसूचित किए गए है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य स्वीकृत अन्य लेखांकन नियमों के अनुसार, संचित आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

2.2 माप का अधिकार

निम्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर उचित मूल्य पर मापा गया है, तैयार किया गया है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से लाभ और हानि या निष्पक्ष मूल्य के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जिन्हें उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां, प्रचलित राशियों के निम्न मूल्य पर उचित मूल्य में से बिक्री के लिए लागत को कम करके;
- परिभाषित लाभ योजनाएं और योजना परिसंपत्तियाँ।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। निकटतम दो दशमल तक, रु. में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को करोड़ में, यदि अन्यथा नहीं दिया गया है, पूर्ण किया गया है।

2.4 आकलनों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, आकलन करना और अनुमान लगाना आवश्यक है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और वित्तीय विवरणों की तारीख को, आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व की मात्रा और व्ययों तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। उस अवधि में इस तरह के आकलनों में कोई भी संशोधन मान्य होता है जिसमें वह निर्धारित होता है।

2.5 चालू विरुद्ध गैर–चालू वर्गीकरण

तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को समूह चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है। किसी भी परिसंपत्ति को तभी वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह:

- बेची या खपत के लिए सामान्य ऑपरेटिंग चक्र में अभीष्ट या अभिप्रेत होने की उम्मीद रखती है
- मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए रखी गई है
- इसकी बिक्री रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर होने की आशा है

  या
- नगदी या समकक्ष को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए, विनिमय या देनदारी को निपटान के लिए उपयोग करने से बशर्ते प्रतिबंधित किया गया है।

  अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयता को वर्तमान रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबः

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटारे की आशा हो
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर निपटारा होना हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटारे को रोकने की कोई शर्त न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिसंपत्तियों के संसाधन हेतु इन्हें अर्जित करने और इन्हें नकदी या नकदी समतुल्य में वसूली के बीच का समय ऑपरेटिंग चक्र होता है। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्गीकृत किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया हैं।

3.1 सम्पति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

मूर्त परिसंपत्तियां

अनुवर्ती संचित मूल्यह्रास और हानि को उत्पादन या/और माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग हेतु रखी जाने वाली सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों को तुलन–पत्र में लागत पर लिया जाता है जिसमें से किसी को भी घटा दिया जाता है। प्रारंभिक लागत में अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के नकदी मूल्य समकक्ष पर आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर, संपत्तियों को कार्य करने की स्थिति में और कार्यस्थल पर लाने तथा इसके इच्छित उपयोग हेतु किसी भी अनिवार्य डि–कमीशनिंग लागत के वर्तमान मूल्य की प्रत्यक्ष आरोपित लागत, सभी इसके खरीद मूल्य में शामिल है। वित्त लीज के तहत ली गई संपत्ति संयंत्र और मशीनरी में भी शामिल है।

स्वनिर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्रियों की लागतें, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड आवंटन, प्रत्यक्ष आरोपित उधार लागतें जिसमें परीक्षण चालन व्यय (राजस्व का शुद्ध) शामिल है।

ऐसे पुर्जे जिनकी उपयोग आयु एक वर्ष से अधिक है और प्रत्येक मामले में जिनका मूल्य ₹ 10 लाख या अधिक है, को संबंधित शीर्षक के तहत, जब कभी उपयोग हेतु उपलब्ध होता है, का पूंजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में, जैसा उचित हो, केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित मदों की कैरिंग राशि को गैरमान्य किया जाता है।

यदि इस बात की संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और प्रतिस्थापित मद (मदों) वहन राशि को गैर मान्य किया जाता है तो ₹ 50 लाख या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की दुरुस्ती को मद की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.1.3 मूल्यह्रास

मूर्त संपत्तियों और संपत्ति में निवेश पर मूल्यह्रास, सीधी कटौती प्रणाली पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए अनुसार, संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर संपत्ति की लागत के 5% अधिशेष मूल्य पर विचार करते हुए, कारखाने के भवन, संयंत्र और मशीनरी, जल आपूर्ति और सीवरेज तथा रेलवे लाइनों और साइडिंग तथा इसके घटक के सिवाय, जहां तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मान्य उपयोगी जीवन निम्नानुसार है

परिसंपत्ति वर्ग	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फैक्ट्री भवन	35 से 40
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40
जलापूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों के वर्गों के लिए, कंपनी का मानना है कि उपर्युक्त उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान कंपनी इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा रखती है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग हैं।

प्रत्याशित आधार पर अनुमान में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए,अनुमानित उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास योग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों के शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है।

जहां किसी मूल्यह्रासयोग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में कोई परिवर्तन आता है तो संशोधित परिशोधित मूल्यह्रासयोग्य राशि पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्ति को अपनाने/त्यागने के मास के संदर्भ में मूल्यह्रास अनुपातिक आधार पर दिया जाता है। ₹ 5000/– तक की लागत वाली परिसंपत्तियों को जिस वर्ष में उपयोग किया जाता है, उसी में पूर्णतया मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

पूंजीगत स्पेयर पर मूल्यह्रास, स्पयेरज के उपयोगी जीवन या संबंधित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर, जो भी कम हो, पुनः मूल्यांकन के आधार पर, किया जाता है।

3.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

3.2.1 मान्यता और माप

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी लागतों को, कुल अनुमानित खननयोग्य भंडारों में वार्षिक उत्पादन के आधार पर अमूर्तकृत किया जाता है। यदि खनन अधिकारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित शेष राशि को उस वर्ष के राजस्व से चार्ज किया जाता है जिसमें गैर नवीनीकरण का निर्णय लिया जाता है। अधिग्रहण लागत अर्थात लाइसेंस के अधिग्रहण और इसके दोहन के अधिकारों से जुड़ी लागतें जिसमें संबंधित पेशेवर फीस, सांविधिक वानिकी स्वीकृति हेतु भुगतान, जैसे और जब व्यय किए जाते है, शामिल है, को खनन अधिकारों के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

सॉफ़्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और पांच वर्ष या उसकी लाइसेंस अवधि, जो कम हो, के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति तथा प्रक्रिया, कंपनी द्वारा पहचाने जाने योग्य और नियंत्रित हो। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय को, जब कभी व्यय किया जाएगा तो राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

3.2.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता हैं जब यह उस विशिष्ट परिसंपत्ति, जिससे यह संबंधित है, के भावी आर्थिक लाभ को बढ़ाता है। अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.3 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, किसी एक संयंत्र की सभी परिसंपत्तियों को नकदी सृजन इकाइ (सीजीयू) के रूप में विचार करके करती है ताकि हानिकारक संकेतकों, यदि हो, को ज्ञात किया जा सके। यदि ऐसा कोई संकेत उपस्थित है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान, जो शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य का उच्चतम है, लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो एक क्षति हानि की पहचान की जाती है।

जब कोई क्षति हानि बाद में उलट जाती है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकदी सृजन इकाई) उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान से बढ़ जाती है ताकि बढ़ी हुई कैरिंग रकम, उस कैरिंग राशि से अधिक न हो जिसका निर्धारण पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी सृजक इकाई) के क्षति हानि न होने के लिए किया गया है। किसी भी क्षति हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत रिवर्स मान्यता दी जाती है।

3.4 अनावृत लागत

किसी खनन की सतह के उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई अनावृत लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि भावी अवधियों में, ऐसी लागत अयस्क तक उन्नत पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करें और निम्न मानदंड पूरे करें:

- यह संभव है कि अनावृत गतिविधि से जुड़े भावी आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक उन्नत पहुंच) इकाई को प्राप्त हो,
- इकाई उस अयस्क निकाय के घटक की पहचान कर सकती हो जिस तक पहुंच में सुधार हुआ है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

व्यय, जिसे अयस्क तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सकता, परियोजना रिपोर्ट पर आधारित कॉलियरियों को छोड़कर, खदानों के लिए 5 वर्षीय खनन योजना के अनुसार अनावृत अनुपात पर राजस्व में लिया जाता है।

3.5 ऋण लागतें

ऋण लागतें प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार लागत है जिसमें पर्याप्त अवधि लगती है, इन्हें उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जो उस अवधि के दौरान परिसंपत्ति के इच्छित उपयोग को पूरा करने और तैयार करने के लिए जरूरी है। कंपनी पर्याप्त अवधि के रूप में बारह महीने या उससे अधिक की अवधि मानती है।

दीर्घकालीन उधारों के संबंध में लेनदेन लागतें प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके संबंधित ऋण के कार्यकाल में अमूर्त होती है। अन्य उधार लागतों को, जिस अवधि में यह व्यय की जाती है, लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.6 मालसूचियां

कच्चा माल, स्टोर तथा स्पेयरज और निर्मित/अर्ध–निर्मित उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) को, संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की मदों को निम्न लागत और शुद्ध प्राप्य मूल्य के आधार पर लिया जाता है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर चलने वाली मदों के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में लिया जाता है। अर्द्ध तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध प्राप्य मूल्य, जिनका प्राप्य मूल्य केवल निर्मित स्तर पर ही है, का आकलन, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए किया जाता है। अवशेष उत्पादों और अन्य स्क्रैप का मूल्य, अनुमानित शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत निर्धारण का आधार निम्न है:

कच्चा माल – आवधिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

स्टोरज और स्पेयरज – गतिशील भारित औसत लागत

रास्ते में माल – लागत पर

निर्मित/ अर्धनिर्मित उत्पाद – माल की लागत जमा श्रम का उचित भाग, संबंधित ओवरहेड तथा शुल्क

3.7 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तभी दिए जाते हैं जब यह उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उससे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त हो जाएगा। सरकारी अनुदान को लाभ–हानि विवरण में, उस अवधि में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति के इरादे हेतु इस व्यय के लिए अनुदान देती है। जहां अनुदान परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे स्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिनके लिए संबंधित अनुदान कवर करने के इरादे से है।

जहां कंपनी को गैर मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित रकम में सकल रिकार्ड किया जाता है और अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ की खपत के पैटर्न के आधार पर आय विवरण को जारी किया जाता है।

3.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में किए गए मौद्रिक वस्तुओं के निपटारे और पुनः माप के फलस्वरूप होने वाले लाभों और हानियों को लाभ–हानि विवरण में, अवधि की समाप्ति पर विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मदों में होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 (यथा संशोधित 29 दिसंबर, 2011) को अधिसूचित लेखांकन मानक–11 से संबंधित कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 के विकल्प को चुना है जो 31 मार्च, 2016 को, पहले से मौजूद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मदों के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक मुद्रा मदों से संबंधित विनिमय अंतर, जहां तक वे स्थायी परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, को ऐसी परिसंपत्तियों की कैरिंग रकम में समायोजित किया जाएगा।

उन गैर मौद्रिक मदों को जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है और जिन्हें उचित मूल्य निर्धारण की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा परिवर्तित किया गया है, के सिवाय गैर मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और इन्हें ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाएगा) पर मापा जाएगा।

3.9 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना वह योजना है जिसमें कंपनी एक अलग इकाई में एक निश्चित योगदान देती है। परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए भुगतान को व्यय के रूप में तब पहचाना जाता है जब कर्मचारियों ने अंशदान की पात्रता के लिए सेवा प्रदान की है। भविष्य निधि के लिए अंशदान, उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में लिया जाता है जब निधि में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएं उस कर्मचारी की वह लाभ राशि है जो सेवा की लंबाई, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागत के संदर्भ में सेवाओं को पूरा करने पर प्राप्त होगी। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्य दायित्व, रिपोर्ट करने की तिथि को परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य घटा योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य से है जिसमें अमान्य बीमांकिक लाभों या हानियों तथा पिछली सेवा की लागतों को समायोजित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा डीबीओ का वर्तमान मूल्य किसी स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा वार्षिक आधार पर, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के उपयोग द्वारा कराया जाता है। बीमांकिक लाभों या हानियों को लाभ–हानि विवरण में या वर्ष की अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां, होती है, पुनर्मूल्यांकन, जिसमें वास्तविक लाभ और हानि शामिल हैं, परिसंपत्ति की सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन का प्रभाव और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) पर लाभ को तुलन–पत्र में अन्य व्यापक आय, उस अवधि में जिसमें ये घटित होती है, में मान्यता प्राप्त शुल्क या क्रेडिट के साथ दिया होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मूल्यांकन को तुरंत आय में दिखाया जाता है और लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभों में कर्मचारियों की वह लागत जैसेकि वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी शामिल हैं जो उस वर्ष में अर्जित की जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी के संबंध में दायित्वों की मान्यताओं को, संबंधित सेवाओं के बदले में प्रदत्त लाभों की गैर डिस्काउंट राशि के संबंध में मापा जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ–हानि विवरण में लिया जाता है।

3.10 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने वाले प्रतिफल के निष्पक्ष मूल्य पर मापा जाता है।

माल की बिक्री

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क शामिल है तथा माल और सेवाकर, छूट तथा मूल्य छुट से शुद्ध राशि है। बिक्रियों को मान्यता तब दी जाती है जब माल और सेवाओं का स्वामित्व खरीदारों के पक्ष में डिलीवरी दस्तावेजों का पृष्ठांकन करने के मामलों सहित खरीदारों को माल और सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण हो जाता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप दिया नहीं जाता है, बिक्रियों का लेखांकन अस्थायी आधार पर माना जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्रियों को निम्न पर मान्यता दी जाती है:

i) लदान बिल का निर्गम, या

ii) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का परक्रामण, जिन मामलों में, शिपमेंट के बिना भौतिक मूल्य की वसूली के बारे में संबंधित अनुबंधों के साखपत्रों में दिया जाता है, इनमें से जो पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन की प्राप्ति की निश्चितता पर इन्हें आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

आसानी से उपयोग करने योग्य/ बिक्री योग्य न होने के कारण लौह अयस्क दंड को इन्वेंटरी में शामिल किया जाएगा और निपटान होने पर इसे राजस्व माना जाएगा।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज से आय को उपयुक्त ब्याज विधि का उपयोग करके संचयी आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा। प्राप्ति का अधिकार होने पर लाभांशों को मान्यता दी जाएगी।

3.11 पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

पुर्वावधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में टर्नओवर के 0.5% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय– व्यय माना जाता है।

3.12 परिसमाप्ति क्षति और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

परिसमाप्ति क्षति के लिए दावे को अंतिम निपटारे पर, कंपनी द्वारा पुनःप्राप्त करने योग्य माना जाता है। इन्हें, परिसमाप्ति क्षति के अंतिम निपटारे के समय यथास्थिति, पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के मूल्यवृद्धि के दावों को, उस सीमा तक जितने कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेखा में लिया जाता है।

3.13 लीज

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

वित्तीय लीज

वित्तीय लीज को लीज की शर्त और लीज पर दी गई परिसंपत्ति के प्रकटीकरण के द्वारा न्यूनतम लीज के भुगतान के निष्पक्ष मूल्य और वर्तमान मूल्य के निम्नतम पर पूंजीकृत किया जाता है, जो पट्टेदार को प्रभावी रूप से लीज की वस्तुओं के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं। ऐसी लीज के तहत लीज के भुगतान को वित्तीय प्रभारों और रिटर्न की निहित दर के आधार पर इनके मध्य विभाजित कर दिया जाता हैं। वित्त प्रभारों को सीधे आय से प्रभारित किया जाता है। लीज प्रबंधन शुल्क, कानूनी शुल्क और अन्य प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत किया जाता हैं।

यदि कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी या नहीं, कोई तर्कसंगत निश्चितता नहीं है तो कि पूंजीकृत लीज की गई परिसंपत्तियों को, परिसंपत्ति या लीज अवधि के अनुमानित उपयोगी जीवन को, कम से कम के लिए मूल्यह्वासित किया जाता है।

ऑपरेटिंग लीज

ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां लीज पर अधिग्रहित ऐसी परिसंपत्ति होती है, जिसका जोखिम का महत्वपूर्ण हिस्सा और स्वामित्व का पुरस्कार, लीजकर्ता द्वारा अपने पास रखा जाता है। लीज के किराए को, सीधी लाइन के आधार पर लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है, इसके अलावा उन मामलों के जहां पर किराए में निर्धारित वृद्धि, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के लिए लीजदाता के लिए प्रतिपूर्ति करती है।

लीजदाता के रूप में कंपनी

वित्तीय लीज

वित्तीय लीज में वह लीज होती है, जो पट्टेदार को प्रभावी रूप से लीज की मदों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करती हैं। लीज के किराए की रसीदों को वित्तीय आय तथा रिटर्न की निहित दर के आधार पर पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किराए को, उस अवधि के लिए जिसमें वे अर्जित होते है, राजस्व कहा जाता है।

ऑपरेटिंग लीज

वह लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। संबंधित लीज परिसंपत्ति को, उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल कर लिया जाता है। लीज के किराए को, सीधी लाइन विधि के आधार पर लीज की शर्तों पर मान्यता दी जाती है सिवाय उन मामलों के जहां पर किराए में निर्धारित वृद्धि, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के लिए कंपनी को प्रतिपूर्ति करती है।

3.14 निवेश संपत्तियां

जों संपत्तियां किराया अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि के लिए अधिग्रहित किया जाता है उन्हें निवेश संपत्तियां कहा जाता है। निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर, लेनदेन लागत सहित मापा जाता है। शुरुआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम करके लागत पर लिया जाता है। निवेश संपत्ति के निपटान पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति द्वारा वहन की जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.15 बिक्री हेतु धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

कंपनी ने किसी ऐसी गैर–चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित किया है यदि इसकी वहन की जाने वाली राशि मुख्यतः इसकी बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव है।

छुट संचालनों सहित गैर–चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे कैरिंग राशि के निम्न और बिक्री की लागत को कम करके तर्कसंगत मूल्य पर मापा जाता है तथा वित्तीय विवरणों में अलग से दिया जाता है। एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत हो जाने पर, परिसंपत्तियां मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं होती हैं।

बिक्री के कारण या छुट संचालनों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एक लाइन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.16 खान बंद होना

खान बंद करने के प्रावधान में इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना और विध्वंस करना, अधिशेष सामग्रियों को हटाना तथा खादानों के लिए बाधित क्षेत्रों का उपचार करना शामिल है। यह प्रावधान सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सभी नियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खान बंद करने की लागतों को तब लेखांकन अवधि में प्रदान किया जाता है जब दायित्व, ऑपरेशन और खान बंद होने के बाद की अवधि के दौरान, किए जाने वाले पुनर्स्थापन की अनुमानित भावी लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर उत्पन्न होता है।

प्रारंभिक बंद करने और पूर्वावस्था की प्रप्ति के लिए प्रावधान को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के तहत पूंजीकृत किया जाता है। बंद करने और पूर्वावस्था की प्रप्ति के लिए के लिए चलने वाले कार्यों के लिए अनुवर्ती गतिविधियां, जिसमें विस्तार से संबंधित नए व्यवधान या पूंजीकरण के लिए अर्हक अन्य गतिविधियां, अद्यतन लागत अनुमान, संचालनों के अनुमानित जीवन अवधि में परिवर्तन, क्लोजर गतिविधियों के समय में परिवर्तन और छुट दरों में संशोधनों को भी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" में पूंजीकृत किया जाएगा। इन लागतों को उन परिसंपत्तियों की जीवन अवधि के आधार पर मूल्यह्वासित किया जाता है, जिनसे वे संबंधित हैं। बंद संचालन से संबंधित क्लोजर प्रावधानों में किसी भी परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित/ क्रेडिट किया जाता है। परिशोधन या "गैर–समापन" पर प्रावधानों की स्थापना हेतु लगाये गए डिस्काउंट को वित्तीय लागत के रूप में चार्ज किया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को मान्यता तभी मिलती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के फलस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है और यह भी संभव है कि संसाधनों का उत्प्रवाह उस दायित्व के निपटारे के लिए अपेक्षित होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सके। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है वहां पर प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

जब किसी प्रावधान का निपटारा करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल करने की आशा की जाती है तो प्राप्य राशि को अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, यदि वास्तव में यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्य राशि को मापा जा सकता है।

आकस्मिक देयता पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की केवल तभी पुष्टि होगी जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या घटित न होने की पुष्टि हो जाए परंतु पहचान न हो क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ को जोड़ने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्वों की आवश्यकता होगी ताकि दायित्वों का निपटान करने या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी वित्तीय विवरणों के अन्य नोट्स में आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करती है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के फलस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित उत्प्रवाह को असंभव या दूरस्थ माना जाता है तो कोई प्रावधान मान्य नहीं किया जाता या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य उन अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती है जो आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है हालांकि जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वहा प्रकटीकरण किया गया है।

3.18 आयकर

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में वह स्थगित कर और वर्तमान कर की राशि शामिल है जिन्हें अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या सीधे इक्विटी में मान्यता नहीं है। वर्तमान आयकर का माप, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण से बाहर बताई गई मदों से संबंधित मौजूदा आयकर को या तो ओसीआई में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

स्थगित आय कर की गणना देयता विधि का उपयोग करके की जाती है। स्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से माना जाता है। स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है जिसमें यह संभव है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट (मैट क्रेडिट पात्रता) या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य में कर योग्य आय के लिए किया जाएगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इसकी संभावना हो गई है कि भविष्य में कर योग्य लाभों को स्थगित कर परिसंपत्ति को वसूली करने की अनुमति प्रदान करेगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्तियां की वसूली होगी या देयता का निपटारा किया जाएगा, ऐसा रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या वास्तव में अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर होगा। लाभ और हानि विवरण के बाहर मान्य मदों के संबंध में स्थगित कर को या तो ओसीआई में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

3.19 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी और मांग जमाराशियां शामिल है। इसके साथ ही, अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 महीनो से कम अवधि वाले) भी शामिल है जोकि ज्ञात नकद राशि में आसानी से परिवर्तनीय है और जिनके मूल्य में परिवर्तन की जोखिम दर नगण्य है।

3.20 इक्विटी और रिजर्व

शेयर पूंजी, जारी किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिभूति प्रीमियम में, शेयर पूंजी जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम शामिल है।

इक्विटी के अन्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैः

- परिभाषित लाभ देयता के पुनर्माप में जनसांख्यिकीय और वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक लाभ या हानि तथा योजना परिसंपत्तियों से रिटर्न शामिल है
- बांड प्रतिदान रिजर्व
- अन्य व्यापक आय में सीधे दर्ज अन्य लेनदेन
- प्रतिधारित आय में सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के लाभ शामिल है

3.21 वित्तीय विलेख

मान्यता, प्रारंभिक माप और गैर मान्यता

उन वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका प्रारंभिक वर्गीकरण आरंभ में ही लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आरंभ में लेनदेन लागतों के द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर पहचाना और मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का अनुबंधित अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित हो जाते हैं तो वित्तीय परिसंपत्तियों को गैर मान्य कर दिया जाता है। किसी भी वित्तीय देयता को तब गैर मान्य किया जाता है जब यह समाप्त, विमुक्त, निरस्त या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजन हेतु, प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अमूर्त लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल के अतिरिक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, हानि की समीक्षा की जानी हैं।

अमूर्त लागत

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापा जाता है:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को ऐसे व्यापार मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने का उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्तें, निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह की वृद्धि करती है जोकि बकाया मूलधन की राशि पर, मूलधन और ब्याज का भुगतान होती हैं।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार और अधिकतर अन्य प्राप्तियाँ, वित्तीय विलेखों की इसी श्रेणी में आती हैं।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल, वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो अमूर्त लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी विलेख हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामित हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेख भी इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता के साथ, लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या जहां सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं।

एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण विलेख हैं जिन्हें व्यापार प्रारूप के तहत इकट्ठा करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या गैर व्यापारिक इक्विटी विलेख है जिन्हें इस श्रेणी में आरंभ में ही अपरिवर्तनीय नामित किया हुआ है।

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ब्याज तथा लाभांश आय, क्षति हानि और मौद्रिक परिसंपत्तियों में विदेशी विनिमय में अंतर को छोड़कर, जिन्हें लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, लाभ और हानियों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण तथा अनुवर्ती माप

सिवाय उन वित्तीय देनदारियों के जिन्हें व्यापार हेतु रखा गया है या एफवीटीपीएल में नामित है, शेष वित्तीय देनदारियों को बाद में अमूर्त लागत पर प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके मापा जाता है। इन्हें लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर या मान्यता प्राप्त हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों को एफवीटीपीएल में लिया जाता है।

इम्बेडेड व्युत्पन्न

गैर व्युत्पन्न मेजबान अनुबंधों में एम्बेडेड व्युत्पन्नों को अलग व्युत्पन्न माना जाता है जब वे व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा करता है, उनके जोखिम और विशेषताएं मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंधों को एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति हानि के माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को लागू करती है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार, कंपनी को देय होने वाली सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 वित्तीय विलेखों में निर्दिष्ट दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि की मान्यता और जोखिम के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

वित्तीय विलेखों की ऑफसेटिंग

जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफ़सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार होता है और इन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करने तथा देयता को साथ में सुलझाने का इरादा होता है तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियां ऑफसेट होती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में दिया जाता है। कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार, भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार के दौरान तथा दूसरे पक्ष के दोष, दिवालियापन या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.22 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश

कंपनी, इंड एएस –27, अलग वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, संयुक्त उद्यमों के लिए अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागत के लिए जिम्मेदार है।

3.23 अनुभाग रिपोर्टिंग

कंपनी के पास 8 ऑपरेटिंग/रिपोर्ट योग्य अनुभाग: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन एलॉय इस्पात संयंत्र है, इनकी विनिर्माण इकाइयां होने के कारण इन्हें रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंट माना जाता है। इन ऑपरेटिंग सेग्मेंटों की पहचान करने में, प्रबंधन आम तौर पर कंपनी के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण संचालन को, अपने मुख्य संचालन का प्रतिनिधित्व करता है।

इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेग्मेंट का प्रबंध अलग से किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को विविध तकनीक, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतः अनुभाग हस्तांतरणों को, समान माल या सेवाओं की स्टैंडअलोन बिक्री के लिए असंबद्ध ग्राहकों से ली गई कीमतों के आधार पर अलग से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां, जो किसी भी ऑपरेटिंग अनुभाग की व्यावसायिक गतिविधियों से सीधे संबंधित नहीं हैं उन्हें किसी भी अनुभाग को आवंटित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन ऑपरेशनों पर लागू है।

रिपोर्ट किए गए अनुभाग के लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में, पूर्व अवधि से कोई बदलाव नहीं आया है।

3.24 महत्वपूर्ण निर्णय, मान्यताएं और लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन

3.24.1 लीज का वर्गीकरण

कंपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए लीज व्यवस्था करती है। लीजिंग व्यवस्था का वित्तीय लीज या ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकरण, अनेक कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें लीज अवधि के अंत में लीज की गई परिसंपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण, पट्टेदार का खरीदने का विकल्प और ऐसे विकल्प को व्यवहार में लाने के लिए अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन में लीज की अवधि का अनुपात, न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का लीज पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य के साथ अनुपात और पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा है।

3.24.2 बंद करने और पुनर्स्थापन के दायित्व

बंद करने और पुनर्स्थापन लागतें, खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम हैं और खान बंद होने के बाद के वर्षों में अधिकतर बंद करने और पुनर्स्थापन व्यय किया जाता है, हालांकि होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, कंपनी अपनी लागतों का अनुमान, वर्तमान बहाली तकनीकों के द्वारा लगाती है।

3.24.3 स्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान

वह सीमा जिस तक स्थगित कर संपत्ति को पहचाना जा सकता है, वह कंपनी की भावी कर योग्य आय की संभावना के मूल्यांकन पर आधारित है जिसके विरुद्ध स्थगित कर संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 मालसूचियां

कंपनी मालसूचियों की लागत का अनुमान, सबसे विश्वासाहार्य प्रमाणों को ध्यान में रख कर करती है जैसेकि ऐसी मालसूचियों की सामग्री की लागत और ऊपरी खर्च को उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रबंधन भी मालसूचियों के शुद्ध प्राप्य मूल्यों का अनुमान, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रख कर करता हैं। इन माल सूचियों का भविष्य, भावी तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकती हैं।

3.24.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को वास्तविक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु और निकासी दर के साथ–साथ भावी विकास से संबंधित छुट दरें, चिकित्सा लागत के रुझान, भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर शामिल है। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएं उचित हैं। हालांकि, इन धारणाओं में किसी भी बदलाव के फलस्वरूप गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

कंपनी वित्तीय विलेखों और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करती है। इसमें आकलनों को विकसित करना और विलेख के मूल्य के प्रति बाजार में सहभागियों की तर्कसंगत धारणाएं शामिल हैं। कंपनी की धारणाएं यथासंभव अवलोकन योग्य डेटा पर, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर किसी अन्य लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन, भारतीय लेखांकन मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभावना के बारे में आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को, सर्वोत्तम निर्णय के रूप में लागू किया गया है।

3.24.8 खान बंद करने और पुनर्स्थापना दायित्व

पर्यावरणीय देनदारियां और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ): पर्यावरणीय देनदारियां और एआरओ के आकलन के लिए, संभावना और भावी लागतों के बारे में धारणाओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता है।

3.24.9 मूल्यह्रासयोग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन (मूर्त और अमूर्त)

परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अवमूल्यित/ अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन करती है। इन आकलनों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित होती है जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता को बदल सकती है।

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
–पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	291.64	13.33	–	304.97	0.87	(0.02)	–	0.85	304.12	290.77
–लीजहोल्ड भूमि	1275.96	26.19	4.27	1297.88	284.54	143.61	3.97	424.18	873.70	991.42
इमारतें और संबंधित उपकरण	5297.52	55.43	151.02	5201.93	1793.18	168.11	(1.45)	1962.74	3239.19	3504.34
संयंत्र और मशीनरी										
–स्टील संयंत्र	76201.26	5840.00	156.16	81885.10	28346.52	2593.05	170.42	30769.15	51115.95	47854.74
–अन्य – स्वामित्व	3060.27	97.78	51.74	3106.31	2003.22	121.51	53.48	2071.25	1035.06	1057.05
–अन्य – लीजहोल्ड (नोट देखें (ii))	1616.86	41.36	–	1658.22	763.40	105.79	–	869.19	789.03	853.46
फर्नीचर व फिक्सचर	130.63	5.19	(0.56)	136.38	97.54	6.35	(1.34)	105.23	31.15	33.09
वाहन	1355.05	30.27	9.13	1376.19	822.08	67.67	8.78	880.97	495.22	532.97
कार्यालय उपकरण	61.19	0.85	0.74	61.30	49.93	2.35	0.67	51.61	9.69	11.26
विविध वस्तुएं	347.78	21.62	4.21	365.19	222.92	15.10	3.57	234.45	130.74	124.86
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	401.22	35.65	0.52	436.35	255.92	38.00	0.18	293.74	142.61	145.30
जल आपूर्ति और सीवरेज	629.66	37.35	0.93	666.08	343.98	38.01	0.93	381.06	285.02	285.68
ईडीपी उपकरण	420.09	15.10	2.70	432.49	364.78	11.46	2.47	373.77	58.72	55.31
रेलवे लाइन्स और सिडिंग्स	809.72	31.55	(2.79)	844.06	251.99	20.57	0.09	272.47	571.59	557.73
उप जोड़ 'क'	**91898.85**	**6251.67**	**378.07**	**97772.45**	**35600.87**	**3331.56**	**241.77**	**38690.66**	**59081.79**	**56297.98**
पिछले वर्ष के आंकड़े	81090.65	11435.39	627.19	91898.85	33068.36	2968.86	436.35	35600.87	56297.98	
ख. सोशल सुविधाएं										
भूमि										
–फ्रीहोल्ड भूमि	10.89	–	–	10.89	–	–	–	–	10.89	10.89
–लीजहोल्ड भूमि	10.00	–	–	10.00	6.08	0.12	–	6.20	3.80	3.92
इमारतें और संबंधित उपकरण	745.08	15.34	0.02	760.40	334.61	27.03	0.04	361.60	398.80	410.47
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	176.11	4.64	0.19	180.56	104.89	6.99	0.18	111.70	68.86	71.22
फर्नीचर व फिक्सचर	26.75	0.67	0.75	26.67	20.47	1.30	0.47	21.30	5.37	6.28
वाहन	11.27	0.10	0.14	11.23	10.03	0.22	0.18	10.07	1.16	1.24
कार्यालय उपकरण	4.51	0.09	0.06	4.54	3.89	0.17	0.04	4.02	0.52	0.62
विविध वस्तुएं	231.23	8.45	2.60	237.08	145.18	12.00	2.32	154.86	82.22	86.05
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	135.96	5.28	–	141.24	98.60	11.83	–	110.43	30.81	37.36
जल आपूर्ति और सीवरेज	300.85	3.09	0.05	303.89	131.27	7.93	(0.43)	139.63	164.26	169.58
ईडीपी उपकरण	11.38	0.74	1.12	11.00	9.81	0.38	1.03	9.16	1.84	1.57
उप जोड़ 'ख'	**1664.03**	**38.40**	**4.93**	**1697.50**	**864.83**	**67.97**	**3.83**	**928.97**	**768.53**	**799.20**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1492.40	177.50	5.87	1664.03	809.79	59.39	4.35	864.83	799.20	
ग. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियां	58.91	6.61	8.58	56.94	–	–	–	–	56.94	58.91
पिछले वर्ष के आंकड़े	57.17	35.27	33.53	58.91	–	–	–	–	58.91	
जोड़ ('क'+ 'ख'+ 'ग')	**93621.79**	**6296.68**	**391.58**	**99526.89**	**36465.70**	**3399.53**	**245.60**	**39619.63**	**59907.26**	**57156.09**
पिछले वर्ष के आंकड़े	82640.22	11648.16	666.59	93621.79	33878.15	3028.25	440.70	36465.70	57156.09	

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

नोट: पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(क) लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया	**3384.72**	3064.92
(ख) स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर परिशोधन–संदर्भ नोट 41	**52.91**	.
(ग) निर्माण के दौरान व्यय का चार्ज किया गया	**4.04**	4.15
	3441.67	3069.07

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 48.1 देखे

(ii) भूमि:

(क) कंपनी द्वारा स्वामित्व/कब्जा/पट्टे पर ली गई भूमि में 67,305.79 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 68,019.40 एकड़) शामिल है, जिसका शीर्षक/पट्टा कार्य पंजीकरण लंबित है।

(ख) इसमें 34,484.73 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 34,576.05 एकड़) शामिल है, जिसका टाइटल विवादास्पद है।

(ग) विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केंद्रीय/राज्य/अर्ध–सरकारी प्राधिकरणों को 9,737.83 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 9367.80 एकड़) हस्तांतरित/हस्तांतरण करने के लिए सहमत या निपटारे के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसके संबंध में हस्तांतरण विलेख (कनवेंस डीड)/ पंजीकरण किया जाना बाकी है।

(घ) 5,832.01 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 6187.95 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।

(ड़) इसमें 4486.75 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 4,070.09 एकड़) शामिल है जिस पर अनधिकृत कब्जा है।

(च) 1,770.89 एकड़ जमीन (31 मार्च, 2018 को 1,762.92 एकड़) जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, किंतु कब्जा दिखाया गया है।

(छ) भूमि स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए वर्ष 2007 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास ₹ 53.70 करोड़ की राशि जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) है।

(ज) झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ निष्कर सम्पत्ति भूमि शामिल है, गजट अधिसूचना सं. 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त 2009, केवल 15.62 एकड़ के लिए ₹ 13.91 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया। शेष 5.51 एकड़ का विवाद चल रहा है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से लंबित अनुमोदन, खातों में ऊपर का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।

(झ) 1000.00 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 836.00 एकड़) मैसर्स बोकारो पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीएससीएल) को अधिकार के तहत दिया गया।

(ञ) समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 27.04.2015 के अधिग्रहित अधिसूचना संख्या एसओ 1125 (ई) के तहत 1.8955 एकड़ भूमि शामिल की गई।

निदेशक मंडल द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी और बिक्री पर विचार के निर्धारण पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।

(ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सलेम के साथ वर्ष 2013 के दौरान भूमि खोनेवालों के लिए देय मुआवजे के लिए ₹ 0.06 करोड़ जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) पड़ा हुआ है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियाँ

(क) भवनों में 31 मार्च, 2019 को शुद्ध ब्लॉक ₹ 20.15 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 21.23 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए हस्तांतरण विलेख (कनवेंस डीड) कंपनी के नाम अभी पंजीकृत होनी बाकी है।

(ख) अनधिकृत कब्जे के तहत 6095 (31 मार्च, 2018 तक 7107), आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
5: प्रगति पर पूंजी कार्य					
इस्पात संयंत्र और इकाइयां		15785.16		18168.23	
टाउनशिप		100.84		91.56	
अयस्क खान और खदान		340.08		314.32	
		16226.08		18574.11	
घटाएंः प्रावधान		236.13	15989.95	215.26	18358.85
निर्माण भंडार और स्पेयर		19.95		24.65	
घटायेंः गतिशील वस्तुओं के लिए प्रावधान		3.24	16.71	3.18	21.47
लंबित निर्माण के दौरान व्यय आवंटन (नोट 5.1)			6.84		15.11
			16013.50		18395.43
5.1 निर्माण के दौरान व्यय लंबित आवंटन					
आरंभिक शेष राशि	(क)		15.11		11.09
वर्ष के दौरान किया गया व्यय					
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ					
वेतन एवं मजदूरी		79.29		90.30	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान		3.46		3.86	
यात्रा रियायत		2.42		2.96	
कल्याण व्यय		0.07		0.07	
ग्रेच्यूटी		1.14	86.38	3.53	100.72
अन्य व्यय					
तकनीकी सलाहकार की फीस और तकनीकें		3.11		4.47	
बिजली और ईंधन		76.25		76.29	
अन्य व्यय		2.92		6.19	
ब्याज और वित्त शुल्क		703.74		668.52	
मूल्यह्रास		4.04	790.06	4.15	759.62
			876.44		860.34
घटाएंः वसूली					
अर्जित ब्याज		0.01		0.27	
परिसमापन हर्जाना		.		0.22	
किराया प्रभार		0.29		0.45	
सन्ड्रीज		2.68	2.98	8.86	9.80
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	(ख)		873.46		850.54
	कुल (क)+(ख)		888.57		861.63
घटाएंः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ प्रगति पर पूंजी कार्य को आवंटित राशि			881.73		846.52
अग्रेसित राशि			6.84		15.11

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

6: निवेश संपतियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. भवन										
भवन	1.45	0.49	–	1.94	0.62	0.03	(0.20)	0.85	1.09	0.83
उप जोड़ 'क'	**1.45**	**0.49**	–	**1.94**	**0.62**	**0.03**	**(0.20)**	**0.85**	**1.09**	**0.83**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.45	–	–	1.45	0.59	0.03	–	0.62	0.83	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने, निर्माण या विकसित करने या इसकी मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
किराए से आय	**1.70**	1.52
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय*		
प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जो किराए पर आय उत्पन्न नहीं करते*	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.70**	1.52
मूल्यह्रास	**0.03**	0.03
निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.67**	1.49

*निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्च अलग–अलग पहचाने नहीं जा सकते हैं और उन्हें महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) लीजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्ति किरायेदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टे के तहत किराए पर दी जाती है, जो मासिक रूप से देय किराये के साथ ली जाती हैं। निवेश संपत्ति के गैर–रद्द करने योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्त करने योग्य मामलें:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक वर्ष के अन्दर	**1.55**	1.37
एक वर्ष बाद में लेकिन 5 वर्षों बाद नहीं	**6.22**	5.42
5 वर्षो से बाद में	**3.45**	4.11
	11.22	10.90

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2019 तक निवेशित संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 30.71 करोड़ है (31 मार्च, 2018 तक ₹20.53 करोड़)

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत सक्रिय बाजार में इसी तरह की संपत्तियों की मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है जिसमें निम्न शामिल हैं:

क) अलग–अलग तरह की संपत्तियों की एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में ऐसी संपत्तियों की हाल की कीमतें, उस अन्तर को समायोजित करते हुए।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	103.28	0.48	–	103.76	98.81	1.16	0.01	99.96	3.80	4.47
खनन अधिकार	1792.30	31.12	–	1823.42	342.17	40.94	6.73	376.38	1447.04	1450.13
उप–जोड़ 'क'	**1895.58**	**31.60**	–	**1927.18**	**440.98**	**42.10**	**6.74**	**476.34**	**1450.84**	**1454.60**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1923.50	9.62	37.54	1895.58	401.02	40.76	0.80	440.98	1454.60	
ख. सोशल सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	0.62	–	–	0.62	0.59	0.01	–	0.60	0.02	0.03
उप–जोड़ 'ख'	**0.62**	–	–	**0.62**	**0.59**	**0.01**	–	**0.60**	**0.02**	**0.03**
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.62	–	–	0.62	0.56	0.03	–	0.59	0.03	
जोड़ ('क'+ 'ख')	**1896.20**	**31.60**	–	**1927.80**	**441.57**	**42.11**	**6.74**	**476.94**	**1450.86**	**1454.63**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1924.12	9.62	37.54	1896.20	401.58	40.79	0.80	441.57	1454.63	

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकृत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

**सभी परिशोधन परिवर्तन मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च में शामिल हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8: निवेश – गैर चालू

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	**31 मार्च, 2019 को**	31 मार्च, 2018 को
लागत पर किया गया निवेश				
सहायक कंपनियों में				
सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	**37,000**	37,000	**0.04**	0.04
			0.19	0.19
एसोसिएट कंपनियों में (गैर–उद्धृत)				
अल्मोड़ा मैगनासाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 100/– शेयर)	**40,000**	40,000	**0.40**	0.40
			0.40	0.40
संयुक्त उद्यमों में (गैर–उद्धृत)				
एनटीपीसी– सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**49,02,50,050**	49,02,50,050	**490.25**	490.25
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**12,40,25,000**	12,40,25,000	**124.03**	124.03
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	**9,87,18,048**	9,87,18,048	**52.51**	52.51
सेल– बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	**32,00,000**	32,00,000	**3.20**	3.20
एमजेक्शन सर्विसेज़ लिमिटेड	**40,00,000**	40,00,000	**4.00**	4.00
एस एंड टी खनन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**1,29,41,400**	1,29,41,400	**12.94**	12.94
सेल मोइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	**1,00,000**	1,00,000	**0.10**	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	**69,37,59,279**	69,37,59,279	**693.76**	693.76
सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	**1,30,17,801**	1,30,17,801	**18.75**	18.75
सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	**1,00,000**	1,00,000	**0.10**	0.10
सेल राईट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	**2,40,00,000**	2,40,00,000	**24.00**	24.00
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	**2,50,000**	2,50,000	**0.25**	0.25
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	**46,80,000**	46,80,000	**4.68**	4.68
उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 100/– शेयर)	**97,900**	97,900	**0.98**	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	**63,000**	63,000	**0.06**	0.06
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	**3,52,32,600**	10,500	**35.23**	0.01
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	**24,500**	24,500	**0.02**	0.02
सेल–बंगाल अलॉयड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	**10,000**	10,000	**0.01**	0.01
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	**12,97,780**	12,97,780	**1.30**	1.30
जीईडीसीओएल सेल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**2,60,000**	–	**0.26**	–
			1,466.43	1,430.95
जोड़ (क)			**1,467.02**	1,431.54
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश				
उद्धृत इक्विटी				
एचडीएफसी लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**60,000**	60,000	**11.81**	10.95
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**2,500**	2,500	**0.58**	0.47
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**1,57,300**	1,57,300	**6.30**	4.38
एमएसटीसी लिमिटेड	**3,20,000**	3,20,000	**3.65**	4.70
			22.34	20.50
गैर–उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**22,03,150**	22,03,150	**37.21**	34.05
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**3,60,000**	3,60,000	**70.54**	17.57
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**50,00,000**	50,00,000	**5.00**	5.00
सीमेंट एंड अलायड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	–	–
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	–	–
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	–	–
ईस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	**30,00,000**	30,00,000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड *	**1,80,000**	1,80,000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
			115.94	59.81

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8: निवेश – गैर चालू (जारी)

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	**31 मार्च, 2019 को**	31 मार्च, 2018 को
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	**1,16,500**	1,16,500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**250**	250	**.**	.
एनएमडीसी मेघाहतुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**25**	25	**.**	.
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**1,377**	1,377	**0.01**	0.01
बोलानी ओसी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 25/– शेयर)	**200**	200	**.**	.
ईस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20/– शेयर)	**23,000**	23,000	**0.05**	0.05
			0.18	0.18
जोड़ (ख)			**138.46**	80.49
जोड़ योग (क + ख)			**1,605.48**	1,512.03
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			**20.73**	20.73
निवल निवेश			**1,584.75**	1,491.30
उद्धृत निवेश की कुल राशि (बाजार मूल्य)			**22.34**	20.50
गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि			**1,583.14**	1,491.53
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			**20.73**	20.73
			1,584.75	1,491.30

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य ₹ 10 है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

* संस्था परिसमापन के तहत है इसलिए शेयरधारकों के साथ संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

संस्था परिसमापन में है इसलिए कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	–	–
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित *	–	–
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट	**7.83**	7.83
	7.83	7.83
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	**7.83**	7.83
	–	–

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

10: ऋण – गैर चालू

विचाराधीन माल – सुरक्षित		–		–
विचाराधीन माल – असुरक्षित				
सुरक्षा राशि (₹ 3.20 करोड़ के प्रावधान सहित)	**103.47**		101.81	
कर्मचारियों को ऋण	**95.45**		124.53	
सबंधित पक्षों का ऋण	**4.90**		–	
अन्य को ऋण	**363.36**	**567.18**	225.14	451.48
ऋण – प्रभावित क्रेडिट		–		–
		567.18		451.48
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**3.20**		3.20
		563.98		448.28

* प्राप्तियों में निदेशकों से प्राप्य राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
11: अन्य वित्तीय संपत्तियां – गैर चालू				
डेरिवेटिव संपत्तियां		**172.29**		76.73
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम		**3.54**		3.54
दावा वसूली योग्य		**7.89**		7.89
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		**81.91**		76.95
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**0.08**		0.09
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण और अग्रिम	**10.53**		10.53	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	**10.53**	–	2.53	8.00
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा		**0.19**		0.19
		265.90		173.39
घटा, संदिग्ध संपत्ति के लिए प्रावधान		**7.49**		7.21
		258.41		166.18
12: स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)				
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
बही मूल्य और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	**10,115.99**		8,996.20	
वित्तीय संपत्ति / देनदारियों का परिशोधन	**17.40**		28.39	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**23.96**	**10157.35**	10.46	9035.04
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	–		8.73	
वित्त पट्टा दायित्व	**94.69**		85.64	
डेरिवेटिव समायोजन	**45.13**		54.81	
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	**1121.70**		1156.38	
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	**10323.46**		9985.34	
अन्य	**418.92**	**12003.90**	877.58	12168.48
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)		**1051.83**		1051.83
आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (निवल)		**2898.38**		4185.27

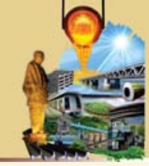

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

12: स्थगित कर परिसंपत्तियां (जारी)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में सारांशित किया गया है:

(₹ करोड़)

	1 अप्रैल, 2018 को	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
बही मूल्य और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	8996.19	1,119.80	–	10115.99
वित्तीय संपत्ति / देनदारियों का परिशोधन	28.39	(10.99)	–	17.40
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	10.46	–	13.50	23.96
	9035.04	**1,108.81**	**13.50**	**10157.35**
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	8.73	106.55	(115.29)	–
वित्त पट्टा दायित्व	85.64	9.05		94.69
डेरिवेटिव समायोजन	54.81	(9.68)		45.13
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	1156.38	(34.68)		1121.70
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	9985.34	338.13		10323.46
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1051.83	–		1051.83
अन्य	877.58	(458.66)		418.92
	13220.31	**(49.29)**	**(115.29)**	**13055.73**
आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (निवल)	**(4,185.27)**	**1,158.10**	**128.79**	**(2,898.38)**

कंपनी का ₹ 29,542.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 28,575.26 करोड़) का संचित व्यापार घाटा (निवेश भत्ता सहित) (संचित अनावृत मूल्यह्रास ₹ 21,537.70 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 18,823.78 करोड़) सहित) है और 31 मार्च, 2019 को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 1,051.83 करोड़ की एमएटी क्रेडिट है। हानि होने की तारीख से ₹ 8,005.17 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 9,751.48 करोड़) की अनावृत व्यावसायिक हानि अधिकतम आठ वर्ष की अवधि के लिए ऑफ़सेट के लिए उपलब्ध है और अप्रयुक्त कर (एमएटी) क्रेडिट, पंद्रह वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर ऑफसेट के लिए उपलब्ध होगी।

तदनुसार, संचित व्यापार घाटे पर आस्थगित कर संपत्ति ₹ 2,797.33 करोड़ (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कुछ भी नहीं) और ₹ 1,051.83 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को 31 मार्च, 2019 को भारतीय लेखांकन मानको के अनुसार मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
13: वर्तमान कर संपत्ति (निवल)		
वर्तमान कर संपत्तियां		
अग्रिम आयकर (प्रावधान का निवल)	**153.63**	190.31
	153.63	190.31

14: अन्य परिसंपत्तियां – गैर वर्तमान

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		**456.24**		341.37
अन्य को अग्रिम		**4.18**		4.18
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**736.71**		646.94
प्रीपेड व्यय		**25.35**		25.43
पूंजीगत अग्रिम	**201.87**		133.76	
घटा: संदिग्ध पूंजीगत अग्रिम के लिए प्रावधान	**4.21**	**197.66**	11.19	122.57
		1420.14		1140.49
घटा: अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**63.54**		61.95
		1356.60		1078.54

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
15: इनवेंटरीज़*				
स्टोर और स्पेयर्स				
उत्पादन	**2796.93**		2154.53	
ईंधन भंडार	**137.50**		84.32	
अन्य	**25.48**		24.54	
	2959.91		2263.39	
जोड़ः इन–ट्रांजिट	**248.34**		155.02	
	3208.25		2418.41	
घटाः अचल/ अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	**232.26**	**2975.99**	233.97	2184.44
कच्चा माल				
कच्चा माल	**3690.45**		4599.69	
जोड़ः इन–ट्रांजिट	**2430.24**		2586.51	
	6120.69		7186.20	
घटाः अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	**15.17**	**6105.52**	17.64	7168.56
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
तैयार माल	**6964.53**		4430.95	
प्रगति पर कार्य	**3395.76**	**10360.29**	3212.72	7643.67
		19441.80		16996.67

*लेखांकन नीति संख्या 3.6 के अनुसार मूल्य निर्धारण किया गया है।

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
16: व्यापार प्राप्य – वर्तमान		
विचाराधीन माल – सुरक्षित	–	.
विचाराधीन माल – असुरक्षित	**4495.05**	3869.94
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट	**198.26**	190.02
	4693.31	4059.96
संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान	**198.26**	190.02
	4495.05	3869.94

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
17 (i): नगद और नगद समकक्ष				
हाथ में नगदी और स्टैम्प		**0.10**		0.04
हाथ में चेक		**31.88**		77.60
बैंकों में शेष				
चालू खाते	**2.58**		1.81	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता की अवधि की सावधि जमा	**0.01**		–	
कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	**0.02**	**2.61**	–	1.81
		34.59		79.45

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
17 (ii): अन्य बैंक शेष		
निर्धारित बैंक शेष	**179.24**	168.30
अवैतनिक लाभांश खाते	**5.59**	6.21
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	–	0.10
	184.83	174.61

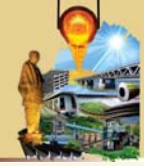

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
18: ऋण – वर्तमान				
विचाराधीन माल – सुरक्षित		–		–
विचाराधीन माल – असुरक्षित				
सुरक्षा जमा	**10.09**		8.48	
कर्मचारियों को ऋण	**39.61**		60.92	
संबंधित पार्टियों को ऋण	**2.10**		7.00	
अन्य को ऋण	**2.67**	**54.47**	1.97	78.37
		54.47		78.37
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**1.23**		14.96
		53.24		63.41

* प्राप्य में निदेशकों से देय राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
19: अन्य वित्तीय संपत्ति – वर्तमान				
डेरिवेटिव संपत्तियां		–		47.66
दावे वसूली योग्य		**769.62**		715.85
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		**385.17**		311.17
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**6.36**		6.76
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		**259.15**		.
बिल प्राप्य		**1036.75**		1787.27
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	**21.68**		23.66	
घटाः संबंधित संदिग्ध पार्टियों के लिए अग्रिम प्रावधान	**13.42**	**8.26**	13.42	10.24
		2465.31		2878.95
घटा संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**304.43**		107.01
		2160.88		2771.94

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
20: अन्य संपत्ति – वर्तमान				
हाथ में सोने के सिक्के		**0.23**		0.23
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	**324.84**		254.67	
अन्य को अग्रिम	**868.14**	**1192.98**	851.03	1105.70
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**2832.62**		2511.82
जमा – जीएसटी		**5.11**		33.80
जीएसटी प्राप्य–इनपुट सेवा		**4.53**		.
जीएसटी प्राप्य		**1633.13**		1813.70
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटे गए टीडीएस		**0.66**		.
प्रीपेड खर्च		**31.05**		24.26
दावे प्राप्य		**147.87**		184.46
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**74.57**		45.68
		5922.75		5719.65
घटाः अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**55.34**		85.23
		5867.41		5634.42

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
21: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत				
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति		**11.47**		32.50
		11.47		32.50

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह माना जाता है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों के भीतर बेची जाएगी और ऐसी संपत्तियों को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संयंत्र और मशीनरी को इसकी मूल लागत और उचित मूल्य से पुनः वर्गीकरण के समय बिक्री लागत घटाकर दोनों में से कम में मापा गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह एक स्तर तीन का माप है। इस दृष्टिकोण के तहत बाजार में धातु की कीमत मुख्य इनपुट है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

22: इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अधिकृत पूंजी		
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और पूरी तरह चुकाई गई पूंजी		
(4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक पूरी तरह चुकाए गए)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरुआत में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4130407654	4130.41	4130407654	4130.41
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	1200	–	–	–
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष #	**4130408854**	**4130.41**	**4130407654**	**4130.41**
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	117635	0.12	117635	0.12
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर				
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	–1200	.	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**116435**	**0.12**	**117635**	**0.12**
कुल बकाया इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) *1996 में जारी किए गए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR) में 117635 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें यूएस $ 125 मिलियन की कुल राशि के लिए प्रत्येक यूएस $ 29.55 का उपयोग किया गया।

ii) #1961727 शेयर सहित (पिछले वर्ष 1731709 शेयर) IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए, जिस पर मतदान के अधिकार फ्रॉजेन हुए हैं।

iii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

iv) कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी नहीं है।

v) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण
भारत के राष्ट्रपति	3097767449	75.00	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	396663164	9.60	395451358	9.57

vi) कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
रिजर्व और अधिशेष				
रिजर्व पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**1.75**		1.75	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	–	**1.75**	–	1.75
सिक्योरिटीज प्रीमियम				
प्रारंभिक शेष	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	**235.10**	–	235.10
बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**2340.69**		1973.64	
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	**383.55**		606.80	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित	**730.10**	**1994.14**	239.75	2340.69
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**5095.13**		5095.13	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	–	**5095.13**	–	5095.13
प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	**23898.88**		24570.11	
जोड़ेः वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	**2,178.82**		(481.71)	
जोड़ेः अन्य विस्तृत आय / (हानि)	**214.62**		177.53	
जोड़ेः बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व से स्थानांतरण	**730.10**		239.75	
घटाः बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व में स्थानांतरण	**383.55**		606.80	
घटाः सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	**26638.87**	–	23898.88
अन्य विस्तृत आय				
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र				
प्रारंभिक शेष	**11.59**		2.80	
एफवीओसीआई इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**44.46**	**56.05**	8.79	11.59
कुल अन्य इक्विटी		**34021.04**		31583.14

अन्य रिज़र्व की प्रकार और उद्देश्य

रिजर्व पूंजी

रिजर्व पूंजी पूंजीगत लाभ से बनाया गया है, इसे कुछ विशिष्ट पूंजीगत लेनदेन से अर्जित लाभ द्वारा बनाया गया है। आरक्षित पूंजी शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ में से बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व बनाया जाना है। इस रिजर्व को बांड के रिडेम्प्शन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) रिजर्व

कंपनी ने अन्य विस्तृत आय में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने के लिए इक्विटी प्रतिभूतियों को चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा किए जाते हैं। प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता ख़त्म होने पर कंपनी इस रिजर्व से प्रतिधारित आय में राशि स्थानांतरित करती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

24: उधार – गैर चालू

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
सुरक्षित					
रिडीम योग्य गैर परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)	प्रतिभूति संदर्भ		
9.35%	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
9.00%	14–अक्तूबर–2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.75%	15–सितंबर–2024		(ख,घ)	**50.00**	100.00
8.70%	25–अगस्त–2024		(क)	**300.00**	300.00
8.30%	3–अगस्त–2023		(क)	**800.00**	800.00
8.30%	1–अगस्त–2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.35%	19–नवंबर–2022		(क)	**1185.00**	1185.00
9.30%	23–अगस्त–2021		(क)	**400.00**	400.00
8.55%	11–अगस्त–2021		(क)	**700.00**	700.00
8.80%	26–अक्तूबर–2020		(ख,ग)	**84.00**	98.00
8.27%	25–अगस्त–2020		(क)	**265.00**	265.00
9.30%	25–मई–2020		(क,प)	**216.00**	288.00
8.72%	30–अप्रैल–2020		(क)	**660.00**	660.00
8.75%	23–अप्रैल–2020		(क)	**545.00**	545.00
8.65%	1–फरवरी–2020	5/शून्य	(क)	–	242.00
8.30%	21–जनवरी–2020		(क)	–	500.00
8.65%	30–दिसंबर–2019		(क)	–	450.00
8.50%	7–दिसंबर–2019		(क)	–	120.00
8.60%	19–नवंबर–2019		(क)	–	335.00
8.80%	22–जून–2019		(क)	–	825.00
7.70%	11–मई–2019	5/5	(क)	–	25.00
8.90%	1–मई–2019	5/शून्य	(ख)	–	950.00
कुल बांड				**7860.00**	11443.00
बैंकों से सावधि ऋण					
भारतीय मुद्रा (रुपया) में ऋण			(ज)	**18681.00**	14156.00
विदेशी मुद्रा ऋण			(ज)	**2391.57**	2247.26
				28932.57	27846.26
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(ङ)	**322.56**	358.48
2	नटेक्सिस बैंक		(च)	**12.32**	15.01
इस्पात विकास निधि			(छ)	**204.16**	204.16
				539.04	577.65
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता				**1331.05**	1353.25
कुल गैर वर्तमान ऋण				**30802.66**	29777.16

निदेशकों और अन्य द्वारा कोई ऋण गारंटी नहीं दी गई है।

उधार और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तिथि को कोई अप्राप्ति नहीं है।

सभी बॉन्ड परिपक्वता तिथि पर चुकाए जाने तक देय होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बॉन्ड सुरक्षित हैं:

क) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ख) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ग) ₹ 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय प्रत्येक शुरुआती 26 अक्टूबर, 2014 से लागू है। 26 अक्टूबर, 2019 को देय किस्त अन्य मौजूदा देयताओं में दर्शाई गई है।

घ) 2014, 2019 और 2024 के 15 सितंबर को प्रत्येक ₹ 50 करोड़ की 3 समान किस्तों में प्रतिदेय ।

ङ) ऋण 8.75% की कम वार्षिक ब्याज दर पर 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) के रूप में वर्णित 3 हिस्सों में लिया गया था। 1 (ए) पर ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8% विनिमय उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने की दिशा में है। 1 (बी) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8.0% परिधीय विकास की ओर है। 1 (सी) पर ब्याज 3.66% वार्षिक है और शेष 5.09% वार्षिक परिधि विकास को पूरा करने की दिशा में है। मूलधन और ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

च) ऋण 2030 तक चुकाने योग्य है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही में किया जाता है।

छ) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

ज) ऋण की सीमा तक बीएसएल और बीएसपी के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर पारी–पासु की रैंकिंग के आरोपों से सुरक्षित। एसबीआईईसीबी ऋण 4 थे 5वें, 6वें और 7वें स्थान पर पहली ड्रा–डाउन यानी 25 सितम्बर 2017 के अंत में 4 बराबर किश्तों में चुकाने योग्य है।

झ) 25 मई, 2018 से प्रभावी 5 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय। किस्त 25 मई, 2019 को देय है, वर्तमान देनदारियों में दिखाया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
25: व्यापार देय – गैर वर्तमान		
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम को देय	–	–
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**6.82**	6.38
	6.82	6.38
26: अन्य वित्तीय देयताएँ – गैर वर्तमान		
कर्मचारी संबंधित देय	**535.71**	430.68
ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	**559.63**	551.46
अन्य देनदारियां	**235.28**	197.22
	1330.62	1179.36
27: प्रावधान – गैर वर्तमान		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	–	–
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**2683.07**	2476.95
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**962.64**	974.69
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**18.39**	20.90
खानों के बंद होने के लिए प्रावधान	**74.98**	61.61
अन्य प्रावधान	**556.33**	439.13
	4295.41	3973.28
28: अन्य देयताएँ – गैर वर्तमान		
आस्थगित आय*	**253.19**	138.33
	253.19	138.33

***आस्थगित आय:**

(क) इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार शामिल है और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

(ख) 2018–19 के दौरान केंद्र सरकार का ₹ 295.79 करोड़ के स्वीकृत बजटीय प्रावधान के संबंध में ₹ 105.75 करोड़ का अनुदान राउरकेला के इस्पात सामान्य रुग्णालय से विशिष्ट सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के उन्नयन के लिए मिला था।

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
29. उधार – वर्तमान		
सुरक्षित		
मांग पर प्रतिदेय		
बैंकों से	**3490.26**	2334.39
अन्य ऋण और अग्रिम		
बैंकों से	–	–
असुरक्षित		
अन्य ऋण	**2900.00**	2950.00
वाणिज्यिक पत्र	**4240.96**	3961.88
विदेशी मुद्रा ऋण	–	2998.05
	10631.22	12244.32

1. 31 मार्च, 2019 को बकाया अल्पकालिक उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण:

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित हैं:

(i) सभी मौजूदा संपत्तियों का हाइपोथेकेशन है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
30: व्यापार देय – वर्तमान				
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.2 देखें)		**67.45**		48.22
संबंधित पार्टियों को देय राशि		**174.47**		9.30
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि		**7016.07**		7482.98
		7257.99		7540.50
31: अन्य वित्तीय देनदारियां – वर्तमान				
कर्मचारी संबंधी बकाया		**156.82**		159.95
उधार पर ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं		**756.89**		920.54
अर्जित ब्याज और इस्पात विकास निधि ऋण पर देय		**152.00**		152.00
अन्य देनदारियां – देनदार बैंकिंग व्यवस्था		**191.09**		325.45
व्युत्पन्न देयता		**4.54**		65.24
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता		**3607.71**		3271.71
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता		**128.45**		115.53
अनधिकृत परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज		**1.01**		1.01
सुरक्षा जमा	**1483.84**		1323.33	
कमः सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त निवेश	–	**1483.84**	–	1323.33
अप्रदत्त लाभांश		**5.59**		6.21
पूंजीगत कार्यों के लिए देय		**3598.18**		3701.83
अन्य देनदारियां		**4607.19**		4127.40
		14693.31		14170.20
32: अन्य देयताएँ – वर्तमान				
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय		**1456.63**		1880.13
अन्यों से अग्रिम प्राप्त आय		**94.72**		112.80
विलंबित आय *		**13.46**		11.90
देय जीएसटी		**2158.00**		2135.74
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता		**0.76**		–
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से टीडीएस काटा गया		**21.32**		–
अन्य देनदारियां		**2961.28**		3001.85
		6706.17		7142.42

* भिलाई स्टील प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान की गई पुरस्कार की आय और निधि से आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
33: प्रावधान – वर्तमान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		–		31.11
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान		**285.51**		308.77
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान		**107.93**		105.60
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान		**2.88**		2.03
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान		**39.48**		40.30
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान		**12.78**		–
मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान		**1247.52**		1216.24
खनन वनीकरण / बहाली आदि के लिए प्रावधान		**344.33**		319.25
अन्य प्रावधान		**268.34**		280.88
		2308.77		2304.18
33ए: वर्तमान कर देयता (निवल)				
प्रारंभिक शेष	–		4.52	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	–		–	
कमः वर्ष के दौरान भुगतान / हस्तांतरित राशि	–		4.52	
कमः वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया	–	–	–	–
		–		–

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
34: संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	63292.24	55971.08
निर्यात	2872.64	2243.70
निर्यात प्रोत्साहन	102.42	82.48
उप जोड़ (क)	66267.30	58297.26
सेवाओं की बिक्री		
सेवा प्रभार	28.53	23.56
उप जोड़ (ख)	28.53	23.56
अन्य प्रचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	335.90	337.76
खाली / कबाड़ की बिक्री।	54.41	80.00
विविध	281.17	223.78
उप जोड़ (ग)	671.48	641.54
जोड़ (क + ख+ ग)	66967.31	58962.36

राजस्व का पृथक्करण

माल और सेवाओं का स्वरुप

कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और केवल कंपनी उसी खंड का रिपोर्ट है।

(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अन्दर	63292.24	55971.08
भारत के बाहर	2975.06	2326.18
कुल	66267.30	58297.26
(2) मुख्य उत्पाद		
लोह एवं इस्पात	62541.86	55481.04
अन्य द्वितीयक एवं प्रति उत्पाद	3725.44	2816.22
कुल	66267.30	58297.26

अनुबंध शेष

निम्न तालिका ग्राहकों से प्राप्तियों के अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो 'व्यापार प्राप्य' में शामिल हैं।

व्यापार प्राप्य	4495.05	3869.94
अनुबंधित संपत्ति	–	–
अनुबंध देयताएं	1456.63	1880.13

35. अन्य आय		
ब्याज आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	0.79	0.78
ग्राहकों	133.92	101.78
कर्मचारियों	13.36	16.75
बैंक के जमा	5.33	4.84
अन्य	39.58	41.94
उप जोड़ (क)	192.98	166.09
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से लाभांश	4.26	6.31
निवेश से लाभांश	40.18	69.85
(निवेशों से लाभांश, ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य शामिल है)		
उप जोड़ (ख)	44.44	76.16
अन्य गैर–प्रचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	1.10	6.12
सरकार से प्राप्त अनुदान	0.62	0.54
प्रावधान जिनको अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है	87.65	90.64
वापस लिखित अन्य देनदारियां	59.21	81.62
परिसमापन हर्जाना	101.37	20.02
अन्य	45.45	43.26
उप जोड़ (ग)	295.40	242.20
जोड़ (क+ख+ग)	532.82	484.45

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
36: उपभुक्त सामग्री की लागत		
कच्चा लोहा	**5095.08**	3818.79
कोयला	**26041.91**	21445.07
कोक	**31.32**	31.63
चूना पत्थर	**1355.12**	1232.17
डोलोमाइट	**591.92**	474.80
फेरो मैंगनीज	**425.17**	337.61
फेरो सिलिकोन	**236.85**	201.73
सिलिको मैंगनीज	**1323.69**	1193.85
जस्ता	**172.30**	176.84
एल्युमीनियम	**315.65**	242.58
अन्य	**1816.72**	1299.85
	37405.73	30454.92
कम: अंतर खाता समायोजन	**5114.82**	3776.11
	32290.91	26678.81

37: तैयार वस्तुओं और प्रगति कार्य की इनवेंटरी में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**4430.95**	5822.05
कार्य प्रगति पर	**3212.72**	3985.00
	7643.67	9807.05
कम: बंद हुआ स्टॉक		
तैयार माल	**6964.53**	4430.95
कार्य प्रगति पर	**3395.76**	3212.72
	10360.29	7643.67
	(2,716.62)	2163.38
कम: स्टॉक में वृद्धि (–)/ कमी होने पर उत्पाद शुल्क	**–**	1027.89
	(2,716.62)	1135.49

38: कर्मचारी लाभ व्यय *		
वेतन – मजदूरी	**6675.15**	6461.98
छुट्टी नकदीकरण	**447.61**	357.55
भविष्य निधि और अन्य धन में कंपनी का योगदान	**901.62**	753.71
यात्रा रियायत	**33.35**	61.55
कल्याण व्यय	**524.99**	354.63
ग्रेच्यूटी	**247.62**	860.65
	8830.34	8850.07
*** कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय को ऊपर शामिल नहीं किया गया है और चार्ज किया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**86.38**	100.72

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
39: वित्त लागत		
वित्त लागत		
विदेशी पूंजी ऋण*	**169.24**	526.99
गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	**834.39**	915.78
बैंक उधार – कामकाजी पूंजी	**52.08**	42.97
इस्पात विकास निधि ऋण	**4.94**	4.08
अन्य	**2075.14**	1319.53
अन्य उधार लागत	**19.13**	13.40
	3154.92	2822.75
* विदेशी विनिमय उतार चढ़ाच लाभ ₹ 41.69 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹120.04 करोड़ हानि) सहित		
ब्याज और वित्त शुल्कों पर व्यय, ऊपर शामिल नहीं है और इन्हें निर्माण के दौरान व्यय में चार्ज किया गया है:		
विदेशी मुद्रा ऋण	**125.97**	94.89
गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	**210.97**	365.43
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**3.24**	4.09
अन्य	**363.56**	204.11
	703.74	668.52

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
40: अन्य व्यय				
स्टोर और पुर्जों की खपत				
खपत	**4429.88**		3614.23	
कमः विभागीय निर्मित स्टोरज	**925.98**		735.15	
कमः तैयार उत्पाद को स्टोरेज तथा स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपभोग किया	**526.62**	**2977.28**	473.26	2405.82
मरम्मत और रख–रखाव				
इमारतें	**204.40**		193.77	
संयंत्र और मशीनरी	**1003.92**		821.56	
अन्य	**265.76**	**1474.08**	228.48	1243.81
संचालन व्यय				
कच्चा माल	**478.13**		425.91	
स्क्रैप वसूली	**335.21**	**813.34**	282.30	708.21
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षण शुल्क	**2.12**		1.79	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.64**		0.51	
अन्य सेवाओं में	**1.30**		1.16	
कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	**0.84**	**4.90**	0.67	4.13
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	**65.12**		85.42	
निवेश	–		13.08	
स्टोर, स्पेयर्स और विविध व्यय	**177.32**	**242.44**	117.24	215.74

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
40: अन्य व्यय (जारी)		
बिजली और ईंधन	**6052.52**	5809.81
मालभाड़ा बाहर की ओर	**2610.60**	2241.95
रॉयल्टी और सेस	**2046.24**	1271.58
रूपांतरण शुल्क	**306.43**	306.08
अंतर–संयंत्र हस्तांतरण/आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क	**0.09**	63.76
हर्जाना और घाट शुल्क	**49.79**	38.82
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर	**129.29**	115.82
बीमा	**27.52**	24.87
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	**19.62**	16.76
छपाई और स्टेशनरी	**8.94**	8.22
दर और कर	**46.24**	58.30
किराया	**82.50**	80.52
सुरक्षा खर्च	**591.71**	512.39
यात्रा खर्च	**159.98**	157.51
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय (नोट – 49.13 को देखे)	**15.94**	82.07
प्रशिक्षण खर्च	**44.02**	41.81
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (नोट – 49.6 को देखे)	**31.18**	25.70
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**163.56**	3.73
स्थिर संपत्तियों की बिक्री/स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	**45.27**	72.80
लेखापरीक्षा शुल्क की लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति	**0.09**	0.04
बट्टे खाता – विविध	**0.10**	2.61
चालन व्यय – तैयार माल	**174.25**	186.43
बिक्री एजेंटों को कमीशन	**14.34**	6.53
निर्यात बिक्री व्यय	**37.36**	47.01
विविध	**658.95**	523.41
	18828.57	16276.24
41: असाधारण मदें		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	**100.72**	254.20
पेंशन देनदारियों का वापस लिखना	–	(458.16)
अवैध खनन के लिए प्रावधान	–	340.72
जिला खनिज निधि का उलटाव	–	(261.76)
मजदूरी और वेतन का उलटाव	–	(110.82)
कोयला ब्लॉक अभ्यार्पण के लिए प्रावधान	–	209.39
प्रवेश कर	**92.23**	–
रॉयल्टी अंतर	**143.54**	–
स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर परिशोधन	**52.91**	–
	389.40	(26.43)
41क: प्रति शेयर अर्जन		
वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़)	**2178.82**	(481.71)
इक्विटी शेयरों की संख्या	**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर कमाई – मूल और मन्दित (₹)	**5.27**	(1.17)
प्रति शेयर शेयर मूल्य (₹)	**10.00**	10.00

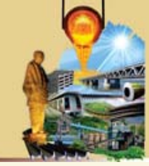

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

42. वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के वक्तव्य में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट को पर्यवेक्षण के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

स्तर 1: वित्तीय प्रपत्रों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा के उपयोग पर अधिकतम विश्वास करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो प्रपत्र स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2019 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां		172.29		172.29
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	22.34			22.34
गैर उद्धृत			116.12	116.12
कुल वित्तीय संपत्तियां	**22.34**	**172.29**	**116.12**	**310.75**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता		4.54		4.54
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**4.54**	–	**4.54**

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां		124.39		124.39
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	20.50			20.50
गैर उद्धृत			59.99	59.99
कुल वित्तीय संपत्तियां	**20.50**	**124.39**	**59.99**	**204.88**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता		65.24		65.24
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**65.24**	–	**65.24**

iii) वित्तीय संपत्ति और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है

(₹ करोड़)

	स्तर	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	स्तर–3	617.22	630.80	514.87	544.76
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	स्तर–2	172.29	172.29	124.39	124.39
इक्विटी उपकरण					
उद्धरित	स्तर–1	22.34	22.34	20.50	20.50
गैर उद्धृत	स्तर–3	116.12	116.12	59.99	59.99
कुल वित्तीय संपत्तियां		**927.97**	**941.55**	**719.75**	**749.64**
वित्तीय देनदारियां					
उधार	स्तर–3	46829.65	47150.97	47358.17	47714.31
अन्य भुगतान	स्तर–3	10775.62	10817.79	9947.63	9988.81
व्युत्पन्न देयता	स्तर–2	4.54	4.54	65.24	65.24
कुल वित्तीय देनदारियां		**57609.81**	**57973.30**	**57371.04**	**57768.36**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय प्रपत्रों का मूल्य निर्धारित करने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या काउंटरपार्टी उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर फारवर्ड की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार के बही मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का बही मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ङ) निश्चित ब्याज दर की वित्तीय संपत्तियों और देयताएं (वित्त पट्टे दायित्वों सहित) जो परिशोधित लागत पर हैं, का उचित मूल्य तुलन–पत्र तिथि को समान संपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के समान नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश:

गैर उद्धृत इक्विटी निवेश का उचित मूल्य अनुमान स्तर –3 में शामिल हैं और निवेशक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उपयुक्त अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के संबंध में कोई बदलाव नहीं आया है।

(vi) निम्न तालिका स्तर–3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय प्रपत्रों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: (₹ करोड़)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां
31 मार्च, 2017 को	**58.39**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	1.60
31 मार्च, 2018 को	**59.99**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	56.13
31 मार्च, 2019 को	**116.12**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2018 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**अमूर्त लागत**	**एफवीटीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**अमूर्त लागत**
वित्तीय संपत्ति						
निवेश						
इक्विटी प्रपत्र *		138.46			80.49	
व्यापार स्वीकार प्राप्य			4495.05			3869.94
नकद और नकद समकक्ष			34.59			79.45
अन्य बैंक शेष			184.83			174.61
ऋण			617.22			514.87
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	172.29			124.39		
अन्य प्राप्तिया			2247.00			2828.99
कुल	**172.29**	**138.46**	**7578.69**	**124.39**	**80.49**	**7467.86**
वित्तीय देनदारियां						
उधारी			46829.65			47358.17
व्यापार देय			7264.81			7546.88
व्युत्पन्न देयता	4.54			65.24		
अन्य देनदारियां			10775.62			9947.63
कुल	**4.54**	–	**64870.08**	**65.24**	–	**64852.68**

'संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश भारतीय लेखा मानक–27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुसार लागत पर लिया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन

वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणीवार टिप्पणी– 43 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वयित किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों की जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को स्थायी रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रबंधन किया जाता है। कंपनी सक्रिय रूप से सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प लिखती है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक प्रतिपक्षी कंपनी के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने में विफल रहती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में इस जोखिम का सामना करती है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना आदि। कंपनी के क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों की बही मूल्य राशि तक ही सीमित है।

– नकद और नकद समकक्ष

– डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्र

– व्यापार प्राप्य

–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत पर मापी जाती है

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने जाने वाले ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफ़ॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहां ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट उचित लागत पर उपलब्ध है, कंपनी द्वारा इसे प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार करना है।

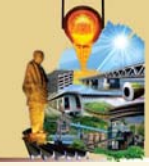

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नगद और नगद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम केवल उच्च रेटेड बैंकों में खाते और विविध बैंक जमा को स्वीकार करके प्रबंधित किया जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उच्च रेटेड बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्षियों के रूप में केवल इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है। कंपनी अपनी होल्डिंग्स को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके। व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली "ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि परिभाषित सीमाओं के अंदर है।

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है

व्यापार प्राप्य

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

(₹ करोड़)

एजिंग (31 मार्च, 2019 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	3770.89	572.15	124.52	43.46	182.29	4693.31
अपेक्षित हानि दर	1.80%	0.39%	0.00%	0.05%	70.25%	4.22%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	67.96	2.23	0.00	0.02	128.05	198.26
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (निवल हानि)	**3702.93**	**569.92**	**124.52**	**43.44**	**54.24**	**4495.05**

एजिंग (31 मार्च, 2018 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	2997.57	697.14	92.93	74.74	197.58	4059.96
अपेक्षित हानि दर	0.03%	0.38%	2.30%	2.81%	92.26%	4.68%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	0.84	2.66	2.14	2.10	182.28	190.02
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (निवल हानि)	**2996.73**	**694.48**	**90.79**	**72.64**	**15.30**	**3869.94**

संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान का मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	
31 मार्च, 2017 को	**176.48**
प्रावधान में परिवर्तन	13.54
31 मार्च, 2018 को	**190.02**
प्रावधान में परिवर्तन	8.24
31 मार्च, 2019 को	**198.26**

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

कंपनी किसी भी संभावित क्रेडिट हानि के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रपत्रों का आकलन करके "व्यापार प्राप्तियों के अलावा और ऋण अग्रिम " पर क्रेडिट हानि के लिए राशि प्रदान करती है। चूंकि इस श्रेणी में विविध प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी सभी के लिए लगातार लागू करने के लिए आकर्षित कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति शुरुआती मान्यता पर 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में व्यापक वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित हानि आधारित क्षति नहीं है, यद्यपि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत हानि प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख) नकदी जोखिम

दूरदर्शी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यापार की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी की स्थिति और नकद और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इनको पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के लिए बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है और तालिका में प्रकट राशि संविदात्मक गैर रियायती नकदी प्रवाह होती है। 12 महीने के भीतर देय शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का असर महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2019 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	17626.05	4901.99	5955.80	27521.22	56005.06
व्यापार देयता	7257.99	–	–	6.82	7264.81
अन्य देनदारियां	10611.18	111.29	104.45	1409.63	12236.55
कुल	**35495.22**	**5013.28**	**6060.25**	**28937.67**	**75506.42**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	4.54	–	–	–	4.54
कुल	**4.54**	–	–.	–.	**4.54**

31 मार्च, 2018 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	18348.05	5719.16	4611.01	27190.55	55868.77
व्यापार देयता	7540.49	0.64	0.85	4.89	7546.87
अन्य देनदारियां	10392.85	112.45	96.56	1270.94	11872.80
कुल	**36281.39**	**5832.25**	**4708.42**	**28466.38**	**75288.44**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता	65.24	–	–	–	65.24
कुल	**65.24**	–	–	–	**65.24**

* उधार में वित्त पट्टा दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है, वित्त पट्टा दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के प्रकटीकरण के लिए नोट 49.9 (ख) देखें।

ग) बाजार ज़ोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेनदेन भारतीय रुपए में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के एक्सपोजर कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर (यूएसडी) में अंकित होते हैं।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर–आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने तक देय) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, वह बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद होती है और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है।

फॉरवर्ड विनिमय अनुबंधः

मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किए जाते हैं जिन्हें अन्य समान मुद्रा लेन–देन द्वारा ऑफसेट होने की उम्मीद नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार स्वीकार योग्य	42.62	–	1.89	–
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	–	–	–	–
अन्य बैंक शेष	–	–	–	–
ऋण	–	–	–	–
डेरीवेटिव वित्तीय संपत्ति (उधार हेज के लिए सम्पूर्ण राशि)	–	–	3343.41	–
अन्य देनदारियां	–	–	–	–
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के लिए शुद्ध जोखिम	**42.62**	–	3345.30	–
वित्तीय देनदारियां				
ऋण	2406.58	344.58	3619.36	327.06
व्यापार स्वीकार योग्य	3460.07	366.69	90.63	330.72
व्युत्पन्न देयता	4.54		29.35	
अन्य देनदारियां	20.34	191.77	68.30	137.27
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के लिए शुद्ध जोखिम	**5891.53**	**903.04**	3807.64	795.05

संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका कंपनी की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर 'अन्य सभी चीजों के बराबर' के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए पर आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का +/– 6.82% परिवर्तन मानता है (वर्ष 2018: 4.24%)। आईएनआर/यूरो विनिमय दर के लिए +/– 7.26% परिवर्तन (वर्ष 2018: 6.90%) माना जाता है। इन दोनों प्रतिशतों को पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होता है और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफ़सेट करने वाले खाते के फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध भी ध्यान में रखता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर/युएसडी– 6.82% की वृद्धि (31 मार्च 2019)	(398.90)	
आईएनआर/युएसडी – 6.82% की कमी –6.82% (31 मार्च 2019)	398.90	
आईएनआर/युएसडी– – की वृद्धि 4.24% (31 मार्च 2018)		(19.60)
आईएनआर/युएसडी– – की कमी 4.24% (31 मार्च 2018)		19.60
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर/युरो– 7.26% की वृद्धि (31 मार्च 2019)	(65.56)	
आईएनआर/युरो – 7.26% की कमी (31 मार्च 2019)	65.56	
आईएनआर/युरो – 6.90% की वृद्धि (31 मार्च 2018)		(54.86)
आईएनआर/युरो – 6.90% की कमी (31 मार्च 2018)		54.86

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर दी जाती हैं। 31 मार्च, 2019 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के निवेश सभी सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का प्रभाव महत्त्वहीन माना जाता है। निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन +/– 1% (वर्ष 2017: +/– 1%) के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को धारित वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

i) देयताएं

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2019 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है।

ब्याज दर जोखिम अनावृत्ति

ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर)	–	2998.05
निश्चित दर उधार	46829.65	44360.12
जोड़ उधारी	**46829.65**	47358.17

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता नीचे दी गई है। (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ब्याज संवेदनशीलता		
ब्याज दर– 100 आधार अंको की बढ़ोतरी	468.30	473.58
ब्याज दर– 100 आधार अंको की कमी	–468.30	–473.58

ii) परिसंपत्तियां

कंपनी की सावधि जमा परिशोधित लागत पर की जाती है और निश्चित दर जमा होती हैं। इसलिए वे लेखा मानक–107 में परिभाषित ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वाहक राशि और न ही भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम अनावृत्ति

वित्तीय संपत्ति का समग्र जोखिम नीचे दिया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिवर्तनीय दर जमा/ ऋण	–	–
जमा/ ऋणों पर निश्चित दर	802.05	689.48
जोड़ जमाराशि	**802.05**	689.48

ग) मूल्य जोखिम

अनावृत्ति

कंपनी अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम का सामना करती है (नोट–8 देखें)। कंपनी शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानती है, इसलिए तुलन–पत्र तिथि पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम की समस्या नहीं आती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं

– एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करना

कंपनी तुलन–पत्र में प्रस्तुत इक्विटी की वाहक राशि से कम नकद और नकद समकक्षों के आधार पर पूंजी पर नज़र रखती है। प्रबंधन अत्यधिक लाभ उठाने से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्त पोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तर को ध्यान में रखता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण को कम करने के लिए संपत्ति बेच सकती है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
शुद्ध ऋण	46610.23	47104.11
जोड़ इक्विटी	38151.57	35713.67
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	**1.22**	**1.32**
लाभांश		
(i) इक्विटी शेयर		
भुगतान किये गए शेयर पूंजी पर 31 मार्च, 2019 @ 5% के लिए वर्ष का अंतिम लाभांश समाप्त हुआ	206.53	शून्य
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है	206.53	शून्य

45: गिरवी रखी परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान		
इंवेंटरीज और व्यापार प्राप्तियां (वचनबद्ध सीमा तक)	**3490.26**	2334.39
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) – दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**134.00**	198.00
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) –बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**21072.57**	16403.26
भूमि और संयंत्र और मशीनरी (शहर तालुका मौज–वाडेज, जिला अहमदाबाद, गुजरात में) – आईएसपी	**7726.00**	11245.00

46: प्रभावशाली कर मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर पूर्व लाभ / (हानि)	**3,337.89**	(758.94)
पीएफएस के लिए घरेलू कर दर	**34.944%**	34.944%
संभावित कर व्यय (क)	**1,166.39**	(265.20)
कर मुक्त आय / गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**0.74**	(12.59)
भिन्न कर दर मदों के लिए समायोजन	**(0.44)**	(1.48)
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	**(12.46)**	(16.09)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर	**4.84**	35.73
कॉर्पोरेट कर दर में वृद्धि	–	(28.39)
अन्य	–	10.79
कुल समायोजन (ख)	**(7.32)**	(12.03)
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	**1,159.07**	(277.23)
कर व्यय में शामिल हैं:		
वर्तमान कर व्यय	–	.
आस्थगित कर क्रेडिट	**1,159.07**	(277.23)
लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	**1,159.07**	(277.23)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i)	कंपनी के विरुद्ध लंबित अपीलीय/ न्यायिक निर्णय के दावे :		
	क) उत्पाद शुल्क	**5080.94**	4527.42
	ख) संयंत्रों से स्टॉकयार्डों को अंतरराज्य स्टॉक हस्तांतरण पर बिक्री कर *	**740.68**	739.90
	ग) बिक्री कर संबंधी अन्य मामले	**591.38**	629.13
	घ) आयकर	**972.39**	1416.94
	ङ) अन्य कर, उपकर और लेवी	**7226.47**	6794.71
	च) सिविल मामले **	**3949.52**	3495.56
	छ) प्रवेश कर	**2038.21**	2125.99
	ज) विविध **	**3653.27**	2942.42
	* कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है क्योंकि बिक्री कर अंतिम बिक्री पर भुगतान किया गया है। ** इसमें ₹ 26.72 करोड़ (31 मार्च, 2018 ₹ 60.97 करोड़ के अनुसार) के दावे शामिल हैं, जिनके ₹ 23.26 करोड़ (31 मार्च, 2018 ₹ 35.37 करोड़) के दावे हैं।		
(ii)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे को ऋण के रूप में नहीं माना गया:		
	क) बिक्री कर	**106.53**	64.29
	ख) शुल्क, उपकर और लेवी	**288.51**	629.27
	ग) सिविल मामले	**116.64**	98.99
	घ) विविध *	**2886.45**	2757.72
	* इसमें ₹ 53.79 करोड़ (31 मार्च, 2018 ₹ 100.94 करोड़ के अनुसार) के दावे शामिल हैं, जिनके ₹ 28.78 करोड़ (31 मार्च, 2018 ₹ 103.95 करोड़) के दावे हैं।		
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनी पर विवादित आय कर/सेवा कर/अन्य मांग, जिनके लिए कंपनी उद्यम करार के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हो सकती हैं	**36.35**	34.76
(iv)	ग्राहकों से आहरित बिल तथा बैंकों में भुनाया गया	**189.01**	68.83
(v)	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वृद्धि संबंधी दावे तथा कर्मचारियों द्वारा दावे	**401.96**	441.70

47.2 (क) (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए प्रवेश कर अधिनियमों की लेवी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और विचार के लिए सिद्धांतों या परीक्षणों को निर्धारित किया है। वर्ष के दौरान, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 4 मई, 2018 को अपना आदेश दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले सामानों पर कंपनी द्वारा एंट्री टैक्स लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। तदनुसार, असाधारण मदों के तहत लाभ और हानि के विवरण में ₹ 92.23 करोड़ की राशि का आरोप लगाया गया है। अन्य न्यायालयों की नियमित पीठें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी। अपूर्ण छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर लगाने पर अन्य न्यायालयों की नियमित पीठ द्वारा निर्णय, मार्च, 2019 3192 तक क्रमशः ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़, ₹ शून्य करोड़, और ₹ 5.15 करोड़ के विवाद के तहत एंट्री टैक्स की मांग कुल मिलाकर ₹ 1338.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1092.28 करोड़) ₹ 241.00 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ और ₹ 5.15 कुल मिलाकर ₹ 1430.66 करोड़ 31 मार्च 2018 तक) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

(ii) पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2017 में पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल प्रवेश कर को शामिल किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 15.06.2018 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश रद्द करते हुए, प्रवेश कर पर डीएसपी और आईएसपी की रिट याचिका पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण को प्रेषित की।

पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल द्वारा विवादित प्रवेश कर की ₹ 209.52 करोड़ (31 मार्च 2018 तक ₹ शून्य करोड़) की कुल मांग के लंबित निर्णय को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय को लंबित करते हुए, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर लगाने के मामले में, 31 मार्च 2019 तक ₹ 89.40 करोड़ की विवादित प्रवेश कर मांग (31 मार्च 2018 तक ₹ 295.50 करोड़) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी द्वारा SLP को खारिज कर दिया, 2009–14 के आदेश के लिए बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित है, कानून का सवाल खुला रखते हुए 18 जनवरी, 2017 को आदेश दिया गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की तारीख 7/8/2013 की तिथि 2009–14 के टैरिफ से संबंधित याचिका सं. 275 / जीटी / 2012 के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) (2014 की अपील 15.18) के समक्ष चुनौती दी गई है। जिसमें कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीवीसी द्वारा 2008–05 से 2008–09 के वित्तीय वर्ष के टैरिफ से संबंधित सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एपीटीईएल के आदेश के खिलाफ 3 दिसंबर, 2018 के आदेश जिसका भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी असर पड़ सकता है को रद्द कर दिया गया। राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देने के बाद ही वित्तीय निहितार्थ का पता लगाया जा सकता है। 31 मार्च 2019 तक 587.72 करोड़ के डीवीसी के विवादित दावों के लंबित निर्धारण (31 मार्च 2018 तक ₹ 587.72 करोड़ तक) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और ऊपर नोट नंबर 47.1 (i) (f) में शामिल किया गया है। उक्त दावों के खिलाफ, डीवीसी को पूरी राशि का भुगतान किया गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत खुलासा किया गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2017 से लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण चालान मूल्य पर विचार किया गया है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत झारखंड राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक ₹ 3701.48 करोड़ (31 मार्च 2018 तक ₹ 3374.46 करोड़) की मांग की है, जो कोयले, स्टील और लोहे के वस्तु की लेन–देन मूल्य पर बाज़ार शुल्क के लिए है। जैसा कि मामला उप–न्यायिक है, राशि को नोट नं 47.1 (i) (ई) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

47.4 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), कोलकाता ने अपने फैसले में, निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और संशोधित अनुलाभ और भत्तों के ₹ 325.13 करोड़ की राशि 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए अधिकारी के भुगतान का उचित निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने कंपनी को 7.12.2016 को मामले की सूचना दी। मामले में स्टे याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जैसा कि मामला उप–न्यायिक है, उपरोक्त नोट 47.1 (v) में राशि को आकस्मिक देयता के रूप में बताया गया है।

47.5 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने अधिसूचित मूल्य पर क्रमशः 13 जनवरी, 2017 और 14 जनवरी, 2017 से एक पक्षीय रूप से अधिसूचित मूल्य पर स्वदेशी धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्तियों का दावा किया गया है जो वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्यों से विपथन है। कंपनी ने सेल और बीसीसीएल और सीसीएल के बीच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच आपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कीमतों पर आधारित आपूर्तियों का उल्लेख किया है। बीसीसीएल और सीसीएल के अंतर दावे, एमओयू दरों से अधिक और एकतरफा अधिसूचित दरों पर ₹ 334.45 करोड़ की राशि, नोट नंबर 47.1 (ii) (डी) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं।

47.6 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के अपने पत्र मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने सं. 11–599/2014 एफसी के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अंतर्गत गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि वन भूमि (आंशिक अथवा पूरी तरह से) वाले मौजूदा खनन पट्टों, जहां एफसी अधिनियम के तहत वन भूमि के एक भाग के लिए ही अनुमोदन प्राप्त किया है, के मामले में कतिपय शर्तों, जो इस प्रकार की वन भूमि के एनपीवी के मामले में एफ सी अधिनियम की धारा 2 (iii) के तहत केंद्र सरकार ने खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली शामिल है, इसके के अध्यधीन शेष वन क्षेत्र भूमि के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है।

इस मामले में एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी कंपनी के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी मत के अनुसार लागू नहीं होंगे और एनपीवी केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करना अपेक्षित होगा जो एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं और संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए नहीं हैं। झारखण्ड उच्च न्यायालय में संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में मामले को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से पिछले साल प्राप्त ₹ 96.28 करोड़ की मांग के खिलाफ एक रिट याचिका छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

47.7 दिनांक 2 अगस्त, 2017 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अवैध खनन के संबंध में कॉमन कॉज मामले में दिये गये निर्णय के अनुसरण में, मांग/ कारण बताओ नोटिस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बिना और उससे परे उत्पादन किए गए खनिज पदार्थों की कीमत की वसूली करने तथा प्रचालित करने के लिए सहमति से खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत आगे अधिक उत्पादन के प्रति जारी की गई है। झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी ने अभिप्रायित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। चूंकि यह मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और वर्तमान मुकदमे के उलझाव पर विचार करते हुए कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रावधान किया है:

(क) ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा लौह अयस्क के संबंध में क्रमशः ₹ 245.89 करोड़ और ₹ 1768.42 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 212.85 करोड़ और ₹ 1478.86 करोड़) की राशि (ब्याज सहित)। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित आधार पर ₹ 348.52 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 15.07 करोड़) की राशि प्रदान की है। ऊपर दिए गए नोट नंबर 47.1 (i) (एच) में ₹ 1665.79 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(ख) चूना पत्थर के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹ 24.88 करोड़ (ब्याज सहित) (31 मार्च 2018 को ₹ 20.28 करोड़) की राशि। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित आधार पर ₹ 8.91 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 1.64 करोड़) की राशि प्रदान की है। एक आकस्मिक देयता के रूप में ₹ 15.97 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि को नोट नंबर 47.1 (i) (एच) में माना गया है।

47.8 कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹ 434.81 करोड़ (ब्याज सहित) (31 मार्च 2018 को ₹ 354.54 करोड़)। खनिज रियायत नियम, 1960 की धारा 55 (5) के तहत संशोधन आवेदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ पढ़ा गया है। रीविजनल अथॉरिटी, कोयला मंत्रालय ने कंपनी को स्टे प्रदान किया है। तदनुसार, लंबित निपटान, नोट संख्या 47.1 (i) (एच) में ₹ 434.81 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.9 (क) मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) और मेसर्स डेनिएल कोरस बीवी (डीसी) (कंसोर्टियम में) ने सेल के खिलाफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/राउरकेला स्टील प्लांट के खिलाफ 16 मई, 2018 को ₹ 626.02 करोड़ की राशि प्रदान की है।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ, प्रबंधन ने दिल्ली में अपील दायर की है। अपील को निपटान के लिए, प्रबंधन ने ₹ 300 करोड़ रुपये जमा किए हैं। ऊपर नोट संख्या 47.1 (ii) (डी) में आकस्मिक देयता के तहत ₹ 707.43 करोड़ (ब्याज सहित) का योग प्रकट किया गया है।

(ख) अनुबंध से इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमश ने सेल / भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ मामला दायर किया है। 20.07.2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ ₹ 106.92 करोड़ की राशि प्रदान की है।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ, प्रबंधन ने दिल्ली में अपील दायर की है जिसे भर्ती किया गया है। आकस्मिक देयता के तहत अपील के निपटान में लंबित, नोट नंबर 47.1 (ii) (डी) में ₹ 106.92 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

47.10 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के दावों का लंबित निपटान, बीसीसीएल द्वारा चयनात्मक लोडिंग चार्ज से संबंधित ₹ 27.00 करोड़ की राशि और आउटपुट मात्रा पर अतिरिक्त रॉयल्टी से संबंधित ₹ 14.49 करोड़, नोट संख्या 47.1 (ii) (डी) में आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

47.11 5.545 एकड़ की भूमि की माप डीवीसी को 30 वर्षों के लिए आवंटित की गई थी, यानी लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर 12.07.1966 से, एएसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने के लिए, डीवीसी को भूमि दी गई थी। बाद की अवधि के लिए कोई पट्टा समझौता नहीं था, अर्थात, 13/07/1996 से प्रभावी था। किसी भी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। निपटान के वर्ष में उसी का हिसाब रखा जाएगा।

47.12 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, होरोमोटो स्टैंड में भूमि के नोट नंबर 4 (ii) (बी) के तहत पट्टे के नवीकरण (2599.54 एकड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल) के बारे में कंपनी के दावे को खारिज कर दिया गया, 222.54 एकड़ की सतह क्षेत्र को छोड़कर जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है।

47.13 गैर–अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन 01.01.2017 से देय है। दिनांक 3 अगस्त, 2017 और 24 नवंबर, 2017 को भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा वेतन पुनरीक्षण के संबंध में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में व्ययनीयता और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए। कर्मचारियों और पिछले तीन वर्षों के कर से पहले औसत लाभ के नकारात्मक आंकड़ों के मद्देनजर, नेशनल जाइंट कमिटी फॉर द स्टील इंडस्ट्री (एनजेसीएस) के साथ लंबित बातचीत ऐसे वेतन संशोधन के लिए उद्योग:

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि के लिए ₹ 308.24 करोड़ (असाधारण मद के रूप में दिखाया गया ₹ 77.67 करोड़ सहित) अवधि के लिए 'कर्मचारी लाभ व्यय' के लिए प्रभारित गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन और वेतन संशोधन की दिशा में सर्व–समावेशी प्रावधान वापस लिखा गया था।

(ii) वर्ष 01–01–2017 से 31–03–2019 की अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, वर्ष के दौरान प्राप्त संस्थान के इंस्टीट्यूट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय, और इंड एएस–37 के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, चूंकि शर्तों में से एक दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान है वर्तमान में पूरा नहीं हुआ है, कंपनी ने खातों में कोई प्रावधान नहीं करने पर विचार किया है।

48.1 निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और (अग्रिमों के लिए) प्रदान नहीं की गई हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पूंजी प्रतिबद्धताओं	7031.26	10747.11
अन्य प्रतिबद्धताएं	2026.68	1824.86

48.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (नोट सं. 30 में व्यापार देय के संबंध में प्रकट किए गए अनुसार) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस प्रकार के पक्षकारों की सीमा तक निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़)

सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष मूलधन राशि।	**67.45**	48.22
ii.	वर्ष के दौरान संचित ब्याज की राशि तथा वर्ष के अंत में भुगतान नहीं की गई शेष राशि।	–	–
iii.	आगे ब्याज की बकाया और देय राशि, चाहे वह आगे के वर्षों में भी हो और उस तारीख तक उपरोक्त के अनुसार बकाया ब्याज वास्तव में धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में निषेधों के प्रयोजन के लिए लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया गया है।	–	–
iv.	उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष रहता है।	–	–
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
v.	धारा 16 की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान की गई राशि सहित भुगतान की गई ब्याज की राशि।	–	–
vi.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–

48.3 कुछ व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियों तथा अन्य देयों के शेष की पुष्टि/मिलान और बाद के समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। प्रावधान, जहां आवश्यक समझे गए हैं, किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को इस प्रकार की लंबित पुष्टि/ मिलान को कोई खास प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

48.4 पिछले अभ्यास के अनुसार, कंपनी के विभिन्न खानों में कंपनी के पास 41.52 मिलियन टन लौह अयस्क जुर्माना है। चूंकि इस तरह के लौह अयस्क जुर्माना के उपयोग/बिक्री में अनिश्चितताओं के तत्व शामिल हैं, अशिष्टता के मामले के रूप में, खातों में ऐसे जुर्माना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान वास्तविक निपटान से अर्जित राजस्व को खातों की पुस्तकों में मान्यता दी गई है।

48.5 ब्लॉक भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, (फरीदपुर–दुर्गापुर) और अंडाल, जिलाः पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर स्टील प्लांट की भूमि के हिस्से के लिए भू–राजस्व, उपकर और ब्याज की बकाया राशि की मांग उठाई है। कंपनी और इसकी टाउनशिप के रूप में पिछले 40 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए, ₹ 494.51 करोड़ की कुल मिलाकर दो मांग नोटिस दिनांक 21.02.2018 और 08.03.2018 क्रमशः जारी किए गए।

कंपनी ने मांगों को लेकर लड़ाई लड़ी है। भूमि का वह हिस्सा जिसके खिलाफ माँग की गई है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से अधिग्रहित किया गया था और इस तरह के अधिग्रहण को भारत के संघ में निहित किया गया था, जबकि इसकी भूमि के कुछ अन्य हिस्सों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था। भारत के राष्ट्रपति की ओर से ऐसी भूमि है पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार कोई भू–राजस्व देय नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य का भी भुगतान किया था और न्यायिक घोषणा के अनुसार, भूमि के लिए कोई भू–राजस्व देय नहीं है जिसके लिए पूंजीगत मूल्य का भुगतान किया जाता है। जैसा कि कंपनी की राय है कि कंपनी के खिलाफ उठाई गई मांग बिल्कुल भी देय नहीं है। 26 अप्रैल, 2018 और 28 अप्रैल, 2018 को इस आशय का प्रतिनिधित्व पहले ही किया जा चुका है। यह मामला 26 जून, 2018 को जिला भूमि और भूमि सुधार अधिकारी द्वारा भू–अभिलेख निदेशालय को भेजा गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों से और कोई संवाद नहीं किया गया है।

48.6 (i) कंपनी के पास आगे के नुकसान, अघोषित मूल्यह्रास और आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के तहत उपलब्ध अन्य राहत के मद्देनजर कर योग्य आय नहीं है।

(ii) तीन साल से पहले के दौरान पुस्तक के नुकसान के मद्देनजर और विशेषज्ञ राय / न्यायिक घोषणाओं (न्यायिक न्यायालयों सहित) के आधार पर, अधिनियम की धारा 115 जेबी के अनुसार वर्ष के दौरान लाभ के लिए मिनिमम आल्टरनेटिव टैक्स (एमएटी) के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

49.1 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है, जो कि 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन पर प्रभावी है। भारतीय लेखांकन मानक 18 – राजस्व / भारतीय लेखांकन मानक 115– राजस्व ग्रहकों के साथ अनुबंध, ₹ 10678.01 करोड़ की जीएसटी राशि (पिछले वर्षः ₹ 7864.70 करोड़) संचालन से राजस्व में शामिल नहीं है। पूर्वोक्त परिवर्तन के मद्देनजर, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालनों से प्राप्त राजस्व 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।

49.2 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बिक्री में अनंतिम अनुबंध की कीमतों पर मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों की बिक्री शामिल हैः ₹ 5012.76 करोड़ (पिछला वर्षः ₹ 4802.50 करोड़) और संचयी रूप से 31 मार्च, 2019 तकः ₹ 1725.16 करोड़ (पिछले वर्ष तकः ₹ 12271.05 करोड़)।

49.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार, कंपनी को अधिशेष लाभ के रूप में कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30% तक योगदान करने की आवश्यकता है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन शामिल हो सकते हैं और निवृत्ति उपरांत लाभ तदनुसार कंपनी ने कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए 9% वेतन का प्रावधान किया है। 1 जनवरी, 2007 वेतन का 3% और 1 अप्रैल, 2015, आगे, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ वेतन 1 जनवरी, 2012 से 6% और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 2% प्रदान किया गया है।

9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक बोर्ड की बैठक में पेंशन योजना को इस संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से और उसके बाद, पेंशन के लिए योगदान को कर से पहले लाभ के प्रतिशत (पीबीटी) को औसत नेट–मूल्य रूप में मापा जाएगा । यदि पीबीटी का औसत नेटवर्थ का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है, तो पेंशन अंशदान की राशि कार्यकारी अधिकारियों के लिए मूल वेतन अधिक डीए के 9% और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन अधिक डीए का 6% तक सीमित होगी, अन्यथा राशि पेंशन के लिए योगदान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान की स्थिति में भी, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमान डीए के 3% और 2% की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। चूंकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ औसतन नेट–मूल्य के 8% से अधिक है, 1 अप्रैल, 2018 क्रमशः कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए क्रमशः 9% और वेतन का 6% का प्रावधान किया गया है।

जैसे, 30 अप्रैल, 2019 को, सेल पेंशन योजना/ट्रस्ट डीड / नियमों से ऊपर की शर्तों को नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील्स (एनजेसीएस) और स्टील एक्सक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) के नामांकित लोगों द्वारा निष्पादित किया गया है।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/देयता, 'कर्मचारी लाभ व्यय और निर्माण के दौरान व्यय' क्रमशः ₹ 235.76 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 359.40 करोड़) और ₹ 46.25 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 4.77 करोड़) के लिए देय है।

49.4 अनुसंधान और विकास व्यय, लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया और वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति / पूंजी चालू कार्य के लिए क्रमशः ₹ 305.09 करोड़ (₹ 314.71 करोड़) और ₹ 14.77 करोड़ (₹ 20.79 करोड़) आवंटित किया गया। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि, खातों के संबंधित प्रमुख में दिखाया गया है। राशि का संबंध विच्छेद निम्नानुसार हैः

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कच्चा माल	144.76	115.05
कर्मचारियों के लाभ का खर्च	64.81	97.95
खपत किया गया स्टोर और स्पेयर	12.46	11.40
बिजली और ईंधन	23.37	21.61
मरम्मत और रख–रखाव	3.98	6.53
अवमूल्यन और परिशोधन खर्च	7.69	8.54
अन्य खर्च	42.96	49.53
वित्त लागत	5.06	4.10
कुल	**305.09**	**314.71**

49.5 कंपनी एक पूरे संयंत्र की संपत्ति को कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) मानती है। कंपनी ने आंतरिक रूप से समीक्षा की है कि क्या कोई संकेतक हैं कि सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर क्षीण हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेतक मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाता है। परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर उपयोग में मूल्य आधारित है। जब भी एक सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के आगे, कंपनी सीजीयू की परिसंपत्तियों की शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है, जिसमें कोई भी ऐसा संकेत मौजूद होता है, जो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार होता है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार कंपनी द्वारा अपने अलग–अलग सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किसी भी तरह की हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

49.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को हर वित्तीय वर्ष में खर्च करने की आवश्यकता होती है, कंपनी के औसत शुद्ध लाभ में से कम से कम 2% कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार तुरंत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए जाते हैं। चूंकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष से पहले तीन तुरंत वित्तीय वर्ष के दौरान औसत शुद्ध नुकसान की सूचना दी; वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, ₹ 30.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.00 करोड़) की बजट राशि के तुलना में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 31.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.70 करोड़) की राशि निम्नलिखित प्रमुखों के तहत खर्च की है।

(₹ करोड़)

विवरण	**2018–19**	2017–18
शिक्षा	12.03	7.65
स्वास्थ्य देख–भाल	4.84	5.11
आजीविका सृजन	2.71	3.54
नारी सशक्तिकरण	0.47	0.75
पेय जल	0.03	1.44
स्वच्छता	0.73	0.47
खेल–कूद	0.79	0.79
कला और संस्कृति	5.39	1.13
ग्रामीण विकास	1.84	2.07
सामाजिक सुरक्षा	0.35	0.33
पर्यावरण शाश्वतता	1.62	2.20
परियोजना अभिचिह्नीकरण और निगरानी	0.03	0.00
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.36	0.23
कुल	**31.18**	**25.70**

इसके अलावा, संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए कोई खर्च नहीं किया गया है।

49.7 सामान्य वित्तीय नियम 238 (5) और (6) के अनुपालन में, इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	खर्च किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष और वर्तमान वर्ष से)
2018–19	1.47	1.02
2017–18	1.33	2.61
2016–17	2.32	2.15

49.8 वर्ष 2018–19 के दौरान इस्पात सामान्य रुग्णालय, राउरकेला को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उन्नयन के लिए ₹ 295.79 करोड़ का बजटीय प्रावधान के तहत केंद्र सरकार का ₹ 105.75 (₹ एक सौ पांच करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये) अनुदान प्राप्त हुआ है। "अन्य देयताएं– आस्थगित आय" शीर्षक के तहत बैलेंस शीट में एक पंक्ति वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

49.9 भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए एस) 17 के आधार पर पट्टों के विषय में सूचनाः

(क) कंपनी ने कर्मचारियों तथा तीसरी पार्टी को अलग–अलग अवधि के लिए संपत्तियों के पट्टे आवंटित किए हैं। बुक किए गए मूल्य के समायोजन के बाद पट्टे से प्राप्त प्रीमियम को पट्टे के वर्ष में अन्य राजस्व पर बुक किया जाता है। नवीकरण प्रीमियम, जमीन का भाड़ा और पट्टे पर दिए गए नवीकरण के लिए लंबित संपत्तियों को सेवा प्रभार को प्राप्ति वर्ष में आमदनी के रूप में माना जाता है।

(ख) वित्त पट्टा देयताएं (नोट 24 से 31 देखें) वित्त पट्टे के अंतर्गत संबंधित परिसपंत्तियों द्वारा सुरक्षित की गई है। संबंधित वर्षों के भावी न्यूनतम वित्त पट्टा भुगतान निम्नानुसार थे।

(₹ करोड़)

	देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष बाद	कुल
31 मार्च 2019				
पट्टा भुगतान	282.32	1062.56	1727.79	3072.67
वित्त प्रभार	–163.38	–501.00	–948.79	–1613.17
निवल वर्तमान मूल्य	118.94	561.56	779.00	1459.50
31 मार्च 2018				
पट्टा भुगतान	261.85	915.89	2068.04	3245.78
वित्त प्रभार	–156.70	–527.49	–1092.81	–1777.00
निवल वर्तमान मूल्य	105.15	388.40	975.23	1468.78

ग) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण

विद्युत संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ विद्युत क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में एक विद्युत संयंत्र को सहभागी किया है। विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार कंपनी पक्षकारों द्वारा करार को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक विद्युत क्रय करता रहेगा जो कि परिसंपत्ति के विशिष्ट स्वरूप और स्थान–स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनार्थिक प्रस्ताव होना निर्धारित किया गया है।

ऑक्सीजन संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे (अथवा प्रचालन पट्टे) के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है। ऑक्सीजन खरीदने के करार की निर्धारित अवधि 15 वर्ष है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता के पश्चात् पट्टा करार के अंतर्गत अपने अधिकारों के कारण वित्त पट्टों के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है।

घ) पट्टे/ किराए पर ली गई परिसंपत्तियाँः

(i) कंपनी के पास कार्यालय सुविधाओं, अतिथि गृहों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों, जिनका आवधिक आधार पर नवीकरण किया जा सकता है, के लिए विभिन्न प्रचालनरत पट्टे हैं। वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में माने गए इन पट्टों के लिए किराया व्यय ₹ 18.87 करोड़ (₹14.16 करोड़) है।

(ii) तुलन–पत्र की तारीख को गैर–रद्दकरणीय प्रचालनात्मक पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान नीचे दिए गए हैंः

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	43.53	43.23
एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	173.45	172.23
5 वर्ष से अधिक	215.29	258.35

49.10 राजहारा से राउघाट के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक की अवधि के लिए नकदी और वस्तु में योगदान राउघाट खानों से आश्वस्त ट्रैफिक शुरू होने पर पूरा होने के पश्चात् सेल के योगदान में विमोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से नगदी में वसूला जाएगा। प्रबंधन का मत है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंड पूरे किए जाएंगे और ब्याज निवेश की तारीख से प्रोद्भूत होता है। वापस की जाने वाली राशि में मूलधन और ब्याज शामिल है। तदनुसार, ब्याज की गणना की गई है और वर्ष के दौरान ₹ 22.51 करोड़ (आज की तारीख तक ₹ 56.76 करोड़) ब्याज के रूप में माने गए हैं। वर्ष के दौरान भारत के सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार समय अनुपात आधार पर मान्यता का इस प्रकार व्यवहार सही है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि राजस्व के संग्रहण और उपाय के बारे में कोई विशेष अनिश्चित्ता नहीं है।

49.11 आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27 अक्तूबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), भद्रावती, सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सलेम, का नीतिगत विनिवेश करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत सरकार के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के अनुरूप, सेल के बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी का नीतिगत विनिवेश का अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की। एएसपी के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 14 फरवरी, 2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। एसएसपी और वीआईएसपी की पीआईएम/ईओ आई भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

49.12 **वर्तमान मानक के लिए नए मानक/संशोधन जारी किए गए हैं लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरण जारी करने की तारीख तक प्रभावी नहीं हैं।**

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होने के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियमों के माध्यम से, भारतीय लेखांकन मानक के लिए निम्नलिखित नए और संशोधन अधिसूचित किए हैं जो कंपनी ने उनके लिए लागू नहीं किए हैंः कंपनी 1 अप्रैल, 2019 से नए मानकों और वर्तमान मानकों के संशोधन को लागू करेगी।

भारतीय लेखा मानक 116: पट्टे – भारतीय लेखांकन मानक 116 यह वर्तमान भारतीय लेखा मानक 17 को अधिक्रमित करेंगे। नया मानक पट्टे और व्यवस्था और उसके व्यवहार में पट्टेधारक और पट्टे लेने वाले इन दोनों के वित्तीय विवरणों की पहचान करने के लिए एक व्यापक मॉडल प्रदान करता है। नए मानक को अधिक निर्णय लेने और अनुमान लगाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है (जैसे, निर्धारण करना जब किसी ग्राहक को किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग करने, उधार लेने की वृद्धिशील दर का अनुमान लगाने) और अधिक खुलासे करने का अधिकार है (जैसे, छूट की दर, भारित औसत लीज अवधि, अन्य गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी)।

भारतीय लेखांकन मानक 116 एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल को प्रस्तुत करता है और जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य का न हो, तब 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए संपत्ति और देनदारियों को पहचानने के लिए इसमे एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है। पट्टेदार को अंतर्निहित पट्टे की संपत्ति का उपयोग करने के लिए अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति का योग्य उपयोग करने की आवश्यकता है और पट्टा भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करने

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

वाले पट्टे दायित्व है। भारतीय लेखांकन मानक 17 को वित्त पट्टे और परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे के वर्गीकरण की आवश्यकता है, भारतीय लेखांकन मानक 116 के तहत आवश्यक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 116 के तहत, एक पट्टेदार अन्य गैर–वित्तीय संपत्तियों के समान ही सही उपयोग की संपत्ति (जैसे कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) और अन्य वित्तीय देनदारियों के समान पट्टा देयताएं को मापता है।

प्रारंभिक आवेदन पर कंपनी अपने परिसरों और अन्य परिसंपत्तियों के परिचालन पट्टों के लिए नई परिसंपत्तियों और देनदारियों को पहचान लेगी। उन पट्टों से संबंधित खर्चों की प्रकृति पिछली अवधि में पट्टे के किराए से बदलकर, क) सही–से–उपयोग संपत्ति के लिए परिशोधन परिवर्तन, और ख) पट्टा देयता पर अर्जित ब्याज होगा।

कम लेखांकन के संबंध में आवश्यकताएँ भारतीय लेखांकन मानक 17 के रूप में निहित लेखांकन आवश्यकताओं के समान हैं। तदनुसार, एक पट्टेदार अपने पट्टों को परिचालन पट्टों या वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखेगा, और उन दो प्रकार के पट्टों के लिए अलग–अलग हिसाब रखेगा।

कंपनी वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक 12 परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहारों के बारे में अनिश्चितताः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखांकन मानक 12 परिशिष्ट 'ग' अनिश्चितताओं के बारे में अधिसूचित किया है। इस परिशिष्ट के अनुसार, कंपनी की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्रासंगिक कर प्राधिकरण प्रत्येक कर उपचार, या कर उपचार की कंपनी को स्वीकार करते हुए, कि कंपनियों ने अपने आयकर दाखिल में उपयोग करने की योजना बनाई है या उपयोग की योजना है, जिसे निर्धारित करते समय सबसे अधिक संभावना राशि या कर उपचार के अपेक्षित मूल्य की गणना करने पर कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर की दरें इनपर विचार करना होगा। कंपनी वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय वक्तव्यों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ग. भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन – आयकरः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए, तदनुसार एक इकाई लाभांश के आयकर परिणामों को पहचान लेगी। लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेन–देन या घटनाओं को मान्यता दी। यह नोट करना प्रासंगिक है कि संशोधन उन स्थितियों में संशोधन नहीं करता है जहां इकाई लाभांश पर कर का भुगतान करती है जो कि शेयरधारकों की ओर से कराधान अधिकारियों को भुगतान किए गए लाभांश का एक हिस्सा है। भारतीय कराधान मानक 12 के अनुसार, लाभांश की राशि का भुगतान या कर अधिकारियों को देय लाभांश के हिस्से के रूप में इक्विटी के लिए शुल्क लिया जाता है। कंपनी वित्त वर्ष 2019–2020 के बाद के वित्तीय विवरणों पर परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

घ. भारतीय लेखांकन मानक 19 में संशोधन – योजना संशोधन, परित्याग या निपटानः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' संशोधन, योजना संशोधन और बस्तियों के लिए लेखांकन के संबंध संशोधन जारी किए। कंपनी वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ङ. भारतीय लेखांकन मानक 23 – उधार लेने की लागतः संशोधन स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई विशिष्ट उधार लेना संबंधित संपत्ति या उसके उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के बाद बकाया रहता है, तो उधार लेना उन फंडों का हिस्सा बन जाता है जो एक इकाई आम तौर पर उधार के लिए पूंजीकरण दर की गणना करते समय उधार लेती है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

च. भारतीय लेखांकन मानक 28 – सहयोगी और संयुक्त उपक्रम में दीर्घकालिक ब्याजः संशोधन स्पष्ट करते हैं कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में दीर्घकालिक ब्याज जों वह सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश का हिस्सा है लेकिन जिस पर इक्विटी पद्धति लागू नहीं होती है, उसके लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधन लागू होती है। कंपनी के सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में वर्तमान में कोई दीर्घकालिक ब्याज नहीं है।

छ. भारतीय लेखांकन मानक 103 – व्यापार संयोजन और भारतीय लेखांकन मानक 111 – संयुक्त व्यवस्था

भारतीय लेखांकन मानक 103 के संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि जब कोई इकाई एक संयुक्त संचालन का व्यवसाय का नियंत्रण प्राप्त करती है, तो वह पहले से आयोजित ब्याज की फिर से गणना होती है। भारतीय लेखांकन मानक 111 के संशोधन स्पष्ट करते हैं कि जब एक इकाई एक व्यवसाय का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करती है जो एक संयुक्त ऑपरेशन है, इकाई उस व्यवसाय में पहले से रखे गए व्याज को लागू नहीं करती है। यदि कोई व्यवसाय का नियंत्रण / संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करता है, तो कंपनी यह घोषणा लागू करेगी की यह एक संयुक्त ऑपरेशन है।

49.13 पर्यावरण/वन स्वीकृति मदों के कारण बारसुआ (17.05.2014 से प्रभावी), भवनाथपुर (29.04.2013 से प्रभावी) और पूनापानी (01.03.2004 से प्रभावी) नामक खानों का प्रचालन अस्थायी रूप से बंद करने के संबंध में वास्तविकता और तुलनीयता के आधार पर कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान निवल व्यय, जिसमें ₹ 15.94 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 82.07 करोड़) का मूल्यह्रास शामिल नहीं है लाभ और विवरण नोट सं. 40 'अन्य व्यय' के अंतर्गत (नोट संख्या 40 में देखें) शामिल किया गया है। शीर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन तथा मजदूरी	6.94	41.05
भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे	0.04	3.80
ऊर्जा क्रय	0.85	10.70
मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.35	8.36
विविध व्यय तथा प्रावधान	8.70	21.21
कुल व्यय	**16.88**	**85.12**
घटाएं: आय	0.94	3.05
निवल व्यय	**15.94**	**82.07**

49.14 सेल के निदेशक बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी पर प्रत्येक ₹ 10 यानी 5% की इक्विटी शेयर पर ₹ 0.50 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो कंपनी के आगामी आमसभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रेच्युटी: उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक निरंतर सेवा की है, (गैर–कार्यपालक के मामले में 30 वर्षों के बाद सेवा की प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन 30 वर्षों से आगे की सेवा के लिए) को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक होने पर 15 दिन की दर से देय 01 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए ₹ 20 लाख की अधिकतम राशि और अन्य गैर–कार्यपालकों के लिए किसी आर्थिक अधिकतम सीमा के बिना बीमांकन संबंधी मूल्यांकन के लिए माना गया है।

छुट्टी नकदीकरण: उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने अर्जित और अर्द्ध वेतन छुट्टी संचित की है, अर्जित छुट्टियों और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए संयुक्त रूप से 300 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन अधिवर्षिता पर देय। संचित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की भी अनुमति 18 नवंबर, 2015 तक किसी वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिनों तक के लिए दी गई है और उसके बाद रोक दिया गया।

भविष्य निधि: कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यासों को मूल वेतन महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से किया गया अंशदान।

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ: सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल और/या स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभः अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय।

दीर्घकालीन सेवा पुरस्कारः 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने और अधिवर्षिता पर भी वस्तु के रूप में देय।

50.1.2 परिभाषित लाभ देयताओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक –19 के तहत अपेक्षितानुसार अन्य प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान *:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा का लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6339.98 (6153.06)	2785.70 (2740.01)	963.66 (936.21)	116.66 (103.73)	22.95 (23.14)
ii)	सेवा लागत	274.04 (288.50)	71.21 (124.27)	– (–)	– (–)	1.16 (1.52)
iii)	ब्याज लागत	447.86 (443.02)	198.85 (198.91)	67.92 (67.61)	8.51 (7.65)	1.62 (1.70)
iv)	बीमांकन लाभ(–)/हानि (+)	–306.28 (–328.47)	181.63 (35.10)	21.62 (76.25)	14.78 (14.01)	.1.67 (.1.03)
v)	पूर्व सेवा लागत	– (582.04)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	भुगतान किये गए लाभ	737.19 (798.19)	268.81 (312.56)	116.14 (116.44)	6.43 (8.73)	2.78 (2.40)
vii)	**वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v–vi)**	**6018.40** (6339.96)	**2968.58** (2785.73)	**937.06** (963.63)	**133.52** (116.66)	**21.27** (22.93)

(ख) परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का मिलान

कंपनी ने एक पृथक निधि के जरिए उपदान देयता का निधियन किया है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों, जिनके जरिए निधि द्वारा निवेश किया गया है, द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। उपदान निधि की परिसंपत्तियों और परिभाषित लाभ उपदान देयताओं के उचित मूल्य का मिलान नीचे दिए गए अनुसार है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2018–19	2017–18
i)	वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	6308.85	5836.33
ii)	योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित आय	45.27	23.11
iii)	कम्पनी का वास्तविक अंशदान	187.28	798.07
iv)	ब्याज आय/बीमांकन लाभ/हानि(–)	473.17	449.45
v)	लाभ भुगतान	737.19	798.19
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	6277.42	6308.85
vii)	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (50.1.2) (क)(vii))	6018.40	6339.96
viii)	**तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (vii)–(vi) ***	**–259.15**	**31.11**

* निवेश से प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर विचार के पश्चात वर्ष 2018–19 के दौरान उपदान निधि के व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा किसी राशि का अंशदान किए जाने की संभावना नहीं है। उपदान के अलावा परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए निधियन नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(ग) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए गए व्यय:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा का लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	सेवा लागत	274.04 (288.50)	71.21 (124.27)	– (–)	– (–)	1.16 (1.52)
ii)	ब्याज लागत	–25.31 (–6.34)	198.85 (198.91)	67.92 (67.61)	8.51 (7.65)	1.62 (1.70)
iii)	बीमांकन लाभ (–)/हानियां	–306.28 (–328.47)	181.63 (34.85)	21.62 (76.25)	14.78 (14.01)	–1.67 (–1.03)
iv)	पूर्व सेवा लागत	– (582.04)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
v)	योजना परिसम्पत्तियों से संभावित आय	45.27 (23.11)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	**–102.81** (512.60)	**451.69** (358.02)	**89.54** (143.86)	**23.29** (21.66)	**1.10** (2.19)
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय:					
	क) लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित (नोट 39)	247.62 (860.65)	447.61 (357.55)	67.92 (67.61)	23.29 (21.66)	1.10 (2.19)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित (नोट 5.1)	1.14 (3.52)	4.08 (0.47)	– (–)	– (–)	– (–)
	ग) ओसीआई में प्रभारित	–351.54 (–351.58)	– (–)	21.63 (76.25)	– (–)	– (–)
	घ) लाभ एवं हानि लेखा के लिए प्रभारित – अन्य व्यय	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
viii)	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक आय	518.64 (472.50)				

(घ) कटौती दर में आधे प्रतिशत के प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	उपदान	–205.62	193.94
ii)	छुट्टी	–122.26	114.24
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ	–57.04	52.50
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	–1.37	1.24
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	–5.88	6.10

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की कमी	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	उपदान	119.37	–111.95
ii)	छुट्टी	115.08	–122.08

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(च) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में परिकल्पित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट दर का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा मंहगाई दर में में 1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि	चिकित्सा मंहगाई दर में में 1 प्रतिशत प्वाइंट की कमी
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	–49.59	45.50

(छ) उपदान ट्रस्ट में निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बीमा निवेश	88.68	86.25
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां	1.38	1.36
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	3.00	4.24
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम प्रतिभूतियाँ	6.93	8.12
बैंक में उपलब्ध नकदी	0.01	0.03
कुल	**100.00**	100.00

(ज) **बीमांकित अनुमान**

क्र. सं.	विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	31 मार्च, 2018 को
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.50%	7.70%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अंतिम	आईएएलएम (2006–08) अंतिम
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी– आयु के अनुसार 0.10% से 0.50%	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी – आयु के अनुसार 0.10% से 0.50%
iv)	चिकित्सा लागत रुख दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य प्रीमियम.
v)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	7.50%	7.70%
vi)	वेतन संवर्धन कार्यकारी	कार्यकारी: 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी– 2017 से सेवा शुरू करने के प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् 6% बढ़ोतरी.	कार्यकारी: 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी – 2017 से सेवा शुरू करने के प्रत्येक 10 वर्ष के पश्च्यात 6% बढ़ोतरी.
		बीमांकित मूल्यांकन हेतु भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारको पर ध्यान रखा गया।	

(झ) **परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल**

(₹ करोड़)

अवधि	**31 मार्च, 2019 को**
1 वर्ष तक	806.41
1 से 2 वर्ष तक	817.96
2 से 3 वर्ष तक	791.82
3 से 4 वर्ष तक	751.69
4 से 5 वर्ष तक	717.59
5 से 10 वर्ष तक	2923.79
10 से अधिक वर्षों के लिए	4045.94
पूर्व सेवा से संबंधित कुछ गैर–छूट प्राप्त भुगतान	10855.20
घटाएं: ब्याज के लिए छुट	4836.80
संभावित लाभ देयताएं	**6018.40**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

51. सामान्य

51.1 अनुभाग रिपोर्टिंग

i) बिज़नेस अनुभागः विनिर्माण यूनिटें होने के नाते पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और तीन अलॉय इस्पात संयंत्रों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए एस) – 108 – प्रचालन अनुभाग के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख बिज़नेस अनुभाग के रूप में माना गया है।

ii) प्रबंधन के मत में कैप्टिव खान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकण मानक (भारतीय ए एस) – 108 – प्रचालन अनुभाग के पैरा 27 के अनुसार कंपनी के बिज़नेस अनुभाग में सूचित करने योग्य नहीं है। चूंकि कैप्टिव खानें विभिन्न संयंत्रों, खानों को कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं इसलिए खानों को लेखाकरण प्रयोजन के लिए लागत केंद्र के रूप में माना जाता है।

51.2 संबंधित पार्टी

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय ए एस–24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का स्वरूप

सहायक कंपनियां

सेल – जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड
सेल – रेफ़्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
सेल सिंदरी प्रोजक्ट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

संयुक्त उद्यम कंपनी

एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी. लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल एंड मॉइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीएल केरल लिमिटेड
सेल राइट्स बंगाल वेगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड
एन.ई. स्टील एंड गेलवेनाइज़िंग प्राइवेट लिमिटेड
नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड
रोमल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड एनएमडीसी सेल लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
जीइडीसीओएल सेल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

असोसिएट कंपनी

अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड

अन्य कंपनी

आईसीवीएल मॉरीशियस
रिवेरडेल माइनिंग (पीटीवाई) लिमिटेड (आरएमएल)
मिनास दे बेंगा (मॉरीशियस) लिमिटेड मोज़ाम्बिक
आई सी वी एल जांबिज मॉरीशियस लिमिटेड
प्रोमार्क सर्विसेज लिमिटेड आरपीयू
बेंगा पॉवर प्लांट (मॉरीशियस) लिमिटेड
मिनास दे बेंगा एलडीए
बेंगा एनर्जिआ एसए
इस्को उज्जैन पाइप एंड फॉउंडरी कंपनी लिमिटेड
यूईसी – सेल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

रोजगार पश्चात लाभ योजनाएं

एचएसएल बीएसपी प्रोविडेंट फंड, भिलाई
डीएसपी प्रोविडेंट फंड , दुर्गापुर
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राउरकेला
बोकारो स्टील एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड, बोकारो
इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इन्स्टिट्यूशन, बर्नपुर
इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इन्स्टिट्यूशन, कोलकाता
इस्को लिमिटेड वर्क्स प्रोविडेंट फंड, बुरनपुर
सेल एएसपी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर
सेलम स्टील प्रोविडेंट फंड, सेलम
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट , भद्रावती
सेल प्रोविडेंट फंड , नई दिल्ली
हिंदुस्तान स्टील प्रोविडेंट फंड,, रांची
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सेंट्रल परचेस ऑर्गनाईजेशन, सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, कलकत्ता प्रोविडेंट फंड
भारत रीफ्रैक्टरीज प्रोविडेंट फंड, बोकारो
इफको प्रोविडेंट फंड, रामगढ़
सीसीएसओ प्रोविडेंट फंड, धनबाद
सेल आर एम डी इस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड,
कोलकाता बोलानी ओर्स माइन्स प्रोविडेंट फंड, बोलानी
सेल एम्प्लॉईज़ सुपरन्यूएशन बेनिफिट फंड
सेल ग्रैचुइटी फंड

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अनिल कुमार चौधरी
श्री पी. के. सिंह (30 जून, 2018 तक)
श्री रमन (31 जुलाई, 2018 तक)
डॉ. जी. विश्वकर्मा
श्रीमती सोमा मंडल
श्री हरिनन्द राय (01 अगस्त, 2018 से)
श्री अतुल श्रीवास्तव
श्री विवेक गुप्ता (01 मई, 2018 से)
श्री के के गुप्ता (21 दिसम्बर, 2018 से)
प्रोफ़ेसर एन के तनेजा
सीए के एस चौहान
डॉ समर सिंह
श्री निलांजन सान्याल
सीए प्रमोद बिंदल
श्रीमती अंशु वैश्य
प्रोफ़ेसर अशोक गुप्ता
श्री एम रवि (09 अक्टूबर, 2018 तक)
श्री ए के रथ
श्री अश्विनी कुमार (28 फरवरी, 2019 तक)
श्री पी के सिंह
श्री ए दासगुप्ता
श्री डी चट्टराज
श्री कल्याण माइति (08 दिसम्बर, 2018 तक)
श्री एस के साहा (31 अक्टूबर, 2018 तक)
श्री पी साईदेव (31 जनवरी, 2019 तक)
श्री काजल दास
श्रीमती के रमन
श्री एन रामचंद्रन (30 जून, 2018 तक)
श्री पी के मिश्रा (31 जुलाई, 2018 तक)
श्री ए व्ही कमलाकर (21 नवम्बर, 2018 से)
श्री टी एस प्रकाश (30 अप्रैल, 2018 तक)
श्री एस के मिश्रा
श्री मुकुल अखोरी (30 अप्रैल, 2018 तक)
श्री एस के सिंह (05 नवम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)
श्री सुबीर मोंडल (22 नवम्बर, 2018 से)
श्री अजय अरोरा (01 जनवरी, 2019 से)
श्री राम गोपाल (01 जनवरी, 2019 से)
श्री मुकेश चन्द जैन
श्री आर के आहूजा (21 नवम्बर, 2018 तक)
श्री अतुल सक्सेना (30 जून, 2018 तक)
श्री एस के दास (01 जुलाई, 2018 से 04 नवम्बर, 2018 तक)
श्री ए चिदंबरम (01 अगस्त, 2018 से 20 नवम्बर, 2018 तक)
श्री एम वी जोडे (01 नवम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)
श्री सी एन भट्टाचार्य

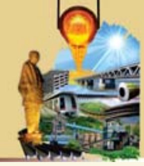

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

ग. वर्ष के दौरान कंपनी तथा संबंधित पार्टी के बीच लेन–देन का ब्यौरा (₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक कंपनी/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	योग	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश की खरीद	35.48 (100.07)		35.48 (100.07)	8 : निवेश
ii)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	– (–0.66)		– (–0.66)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
iii)	दी गई सेवाएं	11.05 (8.58)		11.05 (8.58)	35: अन्य आय
iv)	किराया आय	0.26 (0.12)		0.26 (0.12)	
v)	प्राप्त लाभांश	42.71 (74.31)		42.71 (74.31)	
vi)	वस्तुओं की बिक्री	6.44 (3.74)		6.44 (3.74)	34 : संचालन से राजस्व
vii)	अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	5.47 (–)		5.47 (–)	34 : संचालन से राजस्व
viii)	वस्तुओं की खरीद	232.41 (153.51)		232.41 (153.51)	25/30 : व्यापार देनदारियां
ix)	विद्युत की खरीद	2134.94 (2134.18)		2134.94 (2134.18)	40 : अन्य व्यय
x)	प्राप्त सेवाए	58.06 (44.95)		58.06 (44.95)	40 : अन्य व्यय
		1.31 (1.48)		1.31 (1.48)	5 : पूंजीगत : डब्लूआईपी
xi)	ब्याज आय	0.78 (0.74)		0.78 (0.74)	
xii)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक		8.11 (8.63)	8.11 (8.63)	38 : कर्मचारी लाभ व्यय

घ. वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के पास शेष (₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	1467.02 (1431.54)	8 : निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	17.50 (17.68)	
iii)	अन्य ऋण और अग्रिम	43.36 (39.44)	24/29: ऋण
iv)	ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	16.85 (16.85)	
v)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	3.54 (3.54)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
vi)	व्यापार प्राप्य	6.69 (4.93)	9/16 : व्यापार प्राप्य
vii)	व्यापार देय	189.01 (153.80)	25/30 : व्यापार देय
viii)	प्रतिभूति जमा	0.39 (0.33)	26/31 : अन्य वित्तीय देयताएं

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

ङ. **संबंधित पार्टियों के साथ सामग्री लेन–देन का विवरण** (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट सं. और लेखा शीर्ष
निवेश की खरीद			
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	–	100.00	8 : निवेश
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	35.22	–	
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	–	0.01	
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	–	0.02	
जीइडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.26	0.04	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम			
सेल एससीएल केरला लिमिटेड	–	–0.66	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
वस्तुओं की बिक्री			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	1.42	3.74	34 : संचालन से राजस्व
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	3.92	–	
एनटीपीसी– सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	1.10	–	
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व			
एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी लिमिटेड	5.47	–	34 : संचालन से राजस्व
वस्तुओं की खरीद			
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी. लिमिटेड	220.67	141.81	25/30 : व्यापार देय
अल्मोरा मॅग्नेसाईट लिमिटेड	11.74	11.70	
विद्युत की खरीद			
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	839.93	815.72	40 : अन्य व्यय
एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी लिमिटेड	1295.01	1318.46	
प्राप्त लाभांश			
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	6.00	5.60	35: अन्य आय
सेल रिफैक्ट्री कंपनी. लिमिटेड	4.26	6.31	
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	12.40	12.40	
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	20.00	50.00	
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	0.05		
दी गई सेवाएं			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	0.67	1.46	
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	7.08	5.65	
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	0.04	1.12	
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1.91	0.35	
सेल रिफैक्ट्री कंपनी. लिमिटेड	1.35		
नीलामी सेवाएं			
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	58.06	44.95	40 : अन्य व्यय
	1.31	1.48	5 : पूंजीगत : डब्लू आई पी
अंतरण प्रभार			
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	1.72	1.77	40 : अन्य व्यय

च. वर्ष के दौरान केंद्र सरकार (भारतीय रेलवे सहित) के साथ लेन–देन के लिए बिक्री और व्यापार प्राप्य में ₹ 10665.71 करोड़ (₹ 11770.05 करोड़) तथा ₹ 2222.39 करोड़ (₹ 2063.36 करोड़) शामिल हैं, जो बिक्री तथा व्यापार प्राप्य का क्रमशः 16.09% (20.19%) और 49.44% (53.31%) है।

51.3 भारतीय लेखांकण मानक (भारतीय ए एस) 37 द्वारा आवश्यक 'आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति, प्रावधान' को प्रकट करना।

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

खनन वनरोपण लागत – नवीकरण (जिसमें नवीकरण माना जाने वाला भी शामिल है)/ सरकारी प्राधिकारियों से पट्टे पर लिए खनन की मंजूरी पर वन भूमि के खनन उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए खान पर वनरोपण कार्य के संबंध में देय।

खनन समापन लागत – खदानों के समापन हेतु अनुमानित देयता, यह खनन कार्य की समाप्ति पर लगाया जाता है।

पीछे का अतिरिक्त भार हटाने का खर्च – भविष्य के वर्षों में कार्य के लिए खदान पर पीछे का अतिरिक्त भार हटाने में लगाया जाता है।

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचालन	खनन वनरोपण लागत	खनन समापन लागत	अतिरिक्त भार हटाने का खर्च	कुल
01 अप्रैल, 2018 तक शेष	202.09	67.30	117.16	386.55
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.24	12.74	41.66	54.64
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.25	(0.63)	0.00	(0.38)
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	0.00	0.00	7.45	7.45
31 मार्च, 2019 को शेष राशि	**202.08**	**80.67**	**151.37**	**434.12**

51.4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 34 (3) की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्यौराः (₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम*	वर्ष के अंत में बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋण और अग्रिम	वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम राशि
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* वसूली के लिए संदेहास्पद होने के कारण ₹ 2.53 करोड़ (₹ 2.53 करोड़), के लिए बही–खातों में प्रावधान किया गया है।

ii) कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋणों के अलावा) जिनमें, पुनःभुगतान के लिए कोई समय कार्यक्रम नहीं है अथवा सात वर्ष से अधिक की भुगतान अवधि है; और

iii) फर्मों/ कंपनियों, जिनमें निदेशक इच्छुक हैं, को ऋणों के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

51.5 वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो इसलिए जहां भी आवश्यक हो पिछले अवधियों के अंको को पुनः समूहीकृत किया गया है।

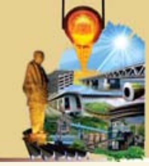

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

52. प्रचालन खण्ड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआई–एसएल	अन्य	अन्तर खंड बिक्री	कुल
राजस्व											
– बाह्य बिक्री											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	16,463.61	8,788.65	14,510.32	16,167.83	7,762.59	630.85	1,687.49	122.88	133.08		66,267.30
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	15,994.93	7,168.64	12,210.22	14,039.97	6,811.00	442.88	1,344.11	142.18	143.33		58,297.26
– अंतर खंड बिक्री											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	302.60	263.52	998.51	91.42	168.62	184.05	7.63	52.80	4,862.59	(6,931.74)	–
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	299.80	184.88	217.67	211.33	73.02	206.18	12.70	18.36	3,881.30	(5,105.24)	–
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	16,766.21	9,052.17	15,508.83	16,259.25	7,931.21	814.90	1,695.12	175.68	4,995.67	(6,931.74)	66,267.30
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	16,294.73	7,353.52	12,427.89	14,251.30	6,884.02	649.06	1,356.81	160.54	4,024.63	(5,105.24)	58,297.26
परिणाम											
– संचालन लाभ / (–) ब्याज और असाधारण मदों से पूर्व हानि											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	1,608.91	586.63	2,109.74	2,290.86	303.46	(5.28)	(120.50)	(73.49)	181.88		6,882.21
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	1,240.52	(58.57)	398.70	804.13	(329.50)	(25.84)	(118.24)	(108.34)	234.52		2,037.38
– वित्तीय लागत											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											3,154.92
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष											2,822.75
– असाधारण मद											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											389.40
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष											(26.43)
– कराधान व्यय											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											1,159.07
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष											(277.23)
– वर्ष के लिए लाभ / हानि (–)											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											2,178.82
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष											(481.71)
अन्य सूचना											
– खंड की परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	31,549.20	6,548.52	20,076.32	15,292.37	18,856.76	572.30	2,856.49	419.41	20,266.36		1,16,437.73
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	28,756.68	6,400.05	19,484.61	14,524.30	18,770.09	518.32	2,459.07	533.47	22,743.21		1,14,189.80
– सेगमेंट देयताएं (लंबी अवधि की उधार सहित)											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	7,709.02	2,451.24	4,421.29	3,418.32	1,693.55	198.85	368.95	66.57	57,958.37		78,286.16
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	7,409.47	2,364.33	4,017.17	3,746.95	1,922.70	207.46	383.28	79.88	58,344.89		78,476.13
– पूंजीगत व्यय											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	1,304.73	139.23	1,012.87	1,121.28	147.21	2.95	9.18	1.48	207.91		3,946.84
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	2,481.46	296.50	1,638.38	1,362.65	599.44	2.89	7.82	2.15	386.53		6,777.82
– मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	692.29	200.20	754.72	611.36	746.73	9.08	99.23	7.22	263.89		3,384.72
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	512.86	195.57	721.75	561.87	724.35	11.44	95.74	7.30	234.04		3,064.92
– मूल्यह्रास के अलावा गैर नकद खर्च											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	26.75	15.34	10.54	6.66	21.86	1.48	0.44	0.10	159.27		242.44
31 मार्च, 2018 को समाप्त पूर्व वर्ष	19.00	11.34	15.26	56.00	36.79	2.00	14.17	2.81	58.37		215.74

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
एकल भारतीय लेखांकन मानको (इंड एएस) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट	
सशर्त राय	
हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण पूर्ण किया है जिसमे, 31 जनवरी, 2019 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि के विवरण (जिनमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं), नकद प्रवाह विवरण, उस समय समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इक्विटी परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्याएं (जिन्हें यहाँ "भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" संबोधित किया है) शामिल है, जिसमें उस वर्ष के लिए 8 शाखाओं के शामिल किये गए है जिन्हें कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षको द्वारा ऑडिट किया गया है।	
हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, और नीचे दिए गए अन्य मामलों के अनुभाग में उल्लिखित शाखाओं के वित्तीय इंडस्ट्रीज़ के अलग–अलग इंडस्ट्रीज़ पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ के रूप में वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और सत्यता पूर्वक देते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण, जिसमें भारतीय लेखा मानक कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं, 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार और इसके लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इसका नकदी प्रवाह और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन उस तिथि को समाप्त हो गया।	
सशर्त राय के आधार पर कंपनी ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है : (i) विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर की माँग की राशि का मूल्य 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,637.35 करोड़ था (संदर्भ नोट सं. 47.2 (ए)) और (ii) पूर्ववर्ती वर्षो मे विद्युत आपूर्ति के लिए निर्मित बिलों के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) को चुकाई गयी राशि और बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा डीवीसी को अग्रिम रूप में रोकी गयी राशि का मूल्य दिनांकः 31 मार्च, 2019 को ₹ 587.72 करोड़ था (संदर्भ नोट सं. 47.2 (ब)); यदि उपरोक्त सभी प्रतिबंधों के प्रभाव पर विचार किया गया होता तो 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 2,437.90 करोड़ की कुल व्यापक आय (शुद्ध कर) के मुकाबले ₹ 990.36 करोड़ का शुद्ध व्यापक आय होता। 31 मार्च, 2019 के अनुसार अन्य इक्विटी का अंडरस्टेटमेंट ₹ 1,447.54 करोड़, वर्तमान देंनदारियों का ₹ 2,225.07 करोड़ और परिसंपत्ति का अंडरस्टेटमेंट ₹ 777.53 करोड़ होता।	उपरोक्त (i) में उल्लेखित विषय–वस्तु के संबन्धित, कंपनी का विचार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायधीशों की पीठ ने दिनांकः 11 नवम्बर, 2016 के अपने निर्णय के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रवेश कर की संवैधानिक वैधता को जारी रखा है और विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर अधिनियम लागू किये जाने पर सिद्धांत/परीक्षण स्थापित किया है। शीर्ष न्यायालय के नियमित संबन्धित पीठ स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, विषयों की सुनवाई करेंगें। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के राज्यों में प्रवेश कर लागू किये जाने पर शीर्ष न्यायालय के नियमित पीठों द्वारा प्रलंबित निर्णय और कोलकाता उच्च न्यायालय से संबन्धित प्रकरण के संबंध में, विवाद के अंतर्गत प्रवेश कर के मांगों पर आकस्मिक देनदारियों के रूप में विचार किया गया है। (ii) इसमें उल्लेखित विषय के संबंध में, कंपनी का विचार है कि इस मामले मे लंबे समय से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष उप–न्यायिक हैं और स्थगन के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, डीवीसी द्वारा अपिलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 2004–09 के दरों से संबंधित नागरिक अपील, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.12.2018 को जारी आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है। एपीटीईएल द्वारा निर्देशित रिटेल टैरिफ को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (एसईआरसी) अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही लगाया जा सकता है। वैध एवं योग्यता के आधार पर लड़े गए उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित विवादित मांगों पर आकस्मिक देनदारियों के रूप में विचार किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि वर्तमान दायित्व 31 मार्च, 2019 के अनुसार अस्तित्व में हो। इसलिए, वर्ष के दौरान, लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन के मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और इस आधार पर नियम जारी किए गए और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नीति संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण सबूत हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
मामले की प्रमुखता हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं I. वेतन संशोधन हेतु इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) से अनिर्णीत व्यवहार और डीपीई कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों के कर से पहले औसत लाभ के नकारात्मक आंकड़ों और आईसीएआई के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर, कंपनी ने गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन (01.01.2017 से लंबित) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है (संदर्भ नोट सं 4.7.13); II. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियों सहित ₹ 5,012.76 करोड़ की कुल बिक्री (31 मार्च, 2019 तक संचित ₹ 17,252.66 करोड़) जो कि अस्थायी अनुबंध पर मान्यता प्राप्त है (नोट संख्या 49.2 देखें)। इन मामलों में हमारी राय मे परिवर्तन नहीं है।	

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें अब से स्टैंडअलोन इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के बारे में हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इसके बारे में किसी भी आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वास्तव मे स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण से विसंगत है या लेखापरीक्षण मे प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा वास्तव मे गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है; हमें उस सत्य का वर्णन करना आवश्यक है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह की सामग्री की गलत जानकारी, योग्यता प्राप्त विचार अनुभाग में वर्णित मामलों के संबंध में उपस्थित है।

प्रमुख लेखापरीक्षण प्रकरण

मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर अनुमान में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षण के संदर्भ में समग्र रूप से और हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। योग्यता प्राप्त विचार और मामलों की प्रमुखताओं में वर्णित मामलों के अलावा, हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षण मामलों के नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षण मामले	प्रमुख लेखापरीक्षण मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	**प्रावधान और आकस्मिक ऋण** कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिसका अंतिम परिणाम आसानी से पूर्वानुमान नहीं कीया जा सकत और जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण ऋणों मे परिणामीत हो सकता है। प्रासंगिक ऋणों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे नोट सं. 47 और 48.5 में प्रस्तुत किए गए हैं और नोट संख्या 3.17 के साथ भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में पढ़ा जाता है। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है। इसके लिए प्रावधान स्तर को स्थापित करने के लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, जोखिम को बढ़ाता है जो प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों को उचित रूप से या पर्याप्त रूप से उद्घाटित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक प्रमुख लेखापरीक्षण मामला माना जाता है।	मुकदमों और आकस्मिक ऋणों की उचित समझ पाने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों से विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हम कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम द्वारा दिए गए मुकदमेबाजी मामलों का संक्षिप्त विवरण पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, जहां लागू, बाहरी कानूनी या नियामक सलाह कंपनी द्वारा मांगी गई है। हमने कंपनी के यूनिट/कानूनी और वित्त टीम के साथ चर्चा की, जो कुछ भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के आकलन का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ सामग्री मामलों पर ध्यान दे सकता है। ऊपर दिये गए कारणो से, हमने रिकॉर्ड किए गए प्रावधानों की संख्या की समीक्षा की और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के खुलासे की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए हमारे पेशेवर निर्णय का उपयोग किया।
2.	**कर व्यय** वर्तमान कर के लिए प्रावधान (लेखा लाभ पर न्यूनतम वैकल्पिक कर सहित) अग्रेनीत नुकसान की उपलब्धता, आयकर/खातों की पुस्तकों के अनुसार घिसावट, लाभ और हानि के विवरण, बैलेंस शीट, आदि पर निर्भर है। अघोषित मूल्यह्रास और आगे बढ़ने वाले नुकसान को आस्थगित कर आस्तियों को इस हद तक मान्यता देनी चाहिए कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके खिलाफ अप्रयुक्त कर नुकसान और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 12 और 48.6 को देखें।	कंपनी के कर योग्य लाभ और भुगतान किए गए कर, आगे बढ़ने वाले नुकसान के विवरण और भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमान का विवरण प्राप्त किया। परीक्षण की अवधि जिस पर इस तरह की अघोषित हानि पर कर की संपत्ति को स्थगित कर दिया जाएगा, उसे प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं सहित भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध वसूल किया जाएगा। समग्र रूप से, आंतरिक रूप से और कुछ मुद्दों पर उपलब्ध विभिन्न न्यायिक/न्याय व्यवस्था संबंधी घोषणाओं के साथ–साथ विभिन्न मुद्दों पर कानूनी/कर विशेषज्ञों द्वारा राय दी गई है।
3.	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति** ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और उनके संबंधित घिसावट और परिशोधन मात्रा के वहन मूल्य को प्रभावित करते हैं। इनमें लागत को पूंजीकरण या खर्च करने; वार्षिक संपत्ति जीवन की समीक्षा;	हमने जगह–जगह नियंत्रणों का आकलन किया, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरणों का परीक्षण किया, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षण मामले	प्रमुख लेखापरीक्षण मामलों पर लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
	परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण या माप और मान्यता मानदंड के लिए प्रबंधन मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग का निर्णय शामिल है। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में महत्व और निर्णय के स्तर और आवश्यक अनुमानों के कारण, हम इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण मामला मानते हैं।	सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए मान्यता मानदंड किया। इन प्रक्रियाओं को करने में, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की जिसमें अंतर्निहित लागतों की प्रकृति भी शामिल है; सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण; घिसावट की गणना में लागू परिसंपत्ति की उपयुक्तता; प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति का उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती हैं। हमने देखा है कि कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ हैं।
4.	**अर्धनिर्मित पूंजी** कंपनी विभिन्न परियोजना जैसे मिलों की स्थापना और विस्तार, सुविधाओं आदि को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में इन परियोजनाओं को पर्याप्त समय लगता है। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में भौतिकता और निर्णय के स्तर और आवश्यक अनुमानों के कारण, हम इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण मामला मानते हैं।	हमने प्रमुख नियंत्रणों की पहचान और परीक्षण के संदर्भ में पूंजी कार्य–प्रगति पर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की समझ और मूल्यांकन का प्रदर्शन किया। हमने परियोजनाओं की प्रगति और प्रबंधन के इरादे को आगे बढ़ाने और परिसंपत्ति को अपने इच्छित उपयोग की स्थिति में लाने के लिए मूल्यांकन किया।

वित्तीय स्थिति के रूप में स्टैंडअलोन इंड एएस के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह और कंपनी के इक्विटी में परिवर्तन, जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पढ़ें जाते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखा और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतफहमी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए ज़िम्मेदार है, खुलासा करना, लागू होना, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का आशय रखता है या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक बोर्ड भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के देखरेख के जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यह भौतिक मिथ्या से मुक्त है, चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की विवरण जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन, जो आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री की गड़बड़ी का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, तो वे इन भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद की जा सकती हैं।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम ये भी करते हैं:

- भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक दुर्व्यवहार के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखा या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में कूटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ

प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन संबंधित प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमाण के आधार पर, क्या एक घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षण के विवरण में स्टैंडअलोन इंड वित्तीय विवरणों से संबंधित खुलासों या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है,। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के विवरण की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमाण पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को जारी रखने में कठिनाई हो सकती है
- भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और क्या स्टैंडअलोन इंड वित्तीय विवरणों आधारभूत लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारित के साथ संवाद करते हैं, जिनके बारे में अन्य मामलों में, लेखापरीक्षण और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने लेखापरीक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम बयान के साथ प्रभारित अभिशासन भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए हमारी स्वतंत्रता पर, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को सहन करना उचित समझा जा सकता है।

अभिशासन के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षण मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षण के विवरण में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए यथोचित उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

हमने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में इंड एएस में शामिल 8 शाखाओं के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2019 को कुल ₹ 46,594.92 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 24,376.35 करोड़ की कुल आय के वित्तीय विवरणों की प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है, जिनकी रिपोर्ट को हमें प्रदान किया गया है, और जहा तक इन शाखाओं के संबंध मे शामिल राशियों और घोषणाओं का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के संबंध मे केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के में निर्धारित मामलों पर परिशिष्ट 1 मे एक कथन दे रहे हैं ।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षण और शाखाओं के वित्तीय विवरणों पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, जिसका जिक्र ऊपर दिए गए अन्य मामलों में किया गया है, पर विचार करने के आधार पर हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट पेश करते हैं किः

    (क) हमने वे सभी आवश्यक सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी ।

    (ख) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत योग्यता अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून के अनुसार अनिवार्य उचित खातों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन खातों की जांच से प्रतीत होता है।

    (ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षण किए गए कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को हमारे पास भेजा गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उसे अच्छी तरह से देखा है।

    (घ) अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित बैलेंस सीट और लाभ और इस रिपोर्ट में हानि विवरण को संबंधित खातों के अनुसार ध्यान में रखा गया है।

    ङ) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत वर्णित मामलो के प्रभावों को छोड़कर, हमारी

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
राय में भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत कथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ–साथ जारी किए गए संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना करते हैं।	
च) हमारी राय में ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" पर शीर्षक के अंतर्गत वर्णित मामलों का कंपनी की कार्यप्रणाली पर विपरित प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है।	
छ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती।	
ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में ''परिशिष्ट 2'' में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।	
झ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधनों सहित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल मामलों के संबंध में, हमारी राय में और श्रेष्ठ सूचना के और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार :	
i. कंपनी ने लम्बित मुकदमों का इसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की घोषणा भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत कर दी है; (नोट संख्या 47 और 48.5 देखें)	
ii. कंपनी के पास कोई लम्बी अवधि के अनुबंध नहीं थे जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं जिनके लिए किसी महत्वपूर्ण हानि का अनुमान नहीं था; और	
iii. कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में ₹ 120,75,460 की राशि को स्थानांतरित नहीं किया है जो कि द्वावा हित परिपक्व जमा हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2017–18 मे कंपनी को कथित निधि में जमा करने की आवश्यकता है।	परिपक्व हो चुके जमाओं के लिए लोगों के वारिसों/संबंधियों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है लेकिन दावाकर्ताओं द्वारा कानूनी वारिस होने का प्रमाण दस्तावेज जमा न कराने के कारण बकाया है। कानूनी वारिसों को परिपक्व जमा वापिस करने के लिए उचित विधि को अपनाया जा रहा है।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) की आवश्यकता के अनुसार, हम ''परिशिष्ट 3'' में कंपनी के संबंध में भारत के लेखनियंता और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का वर्णन कर रहे हैं।	
4. भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।	

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई

हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन

हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

निदेशक मंडल के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 28 जून, 2019

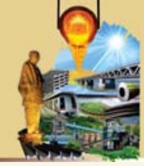

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अनुलग्नक '1'

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. अचल संपत्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने अधिकतम मामलों में पूरे विवरण का अभिलेख रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण के साथ इसकी स्थायी सम्पत्तियों की स्थिति शामिल है। लेकिन कुछ भूमियों के संबंध में लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अद्यावत स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर में करने की जरूरत है और आय के रिकोर्ड को भूमि की होल्डिंग और लोकेशन की सीमा के संबंध में समायोजित करना होगा। इसमें देरी उन प्रक्रियात्मक मामलों के कारण हुई जो संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभागों के राजस्व रिकार्ड के साथ सुनिश्चित करने और समायोजित करने में शामिल हैं।

ख. सामान्यतः कंपनी की स्थायी सम्पत्तियों का सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों में चरणबद्ध तरीके से किया गया ताकि सभी सम्पत्तियों को तीन वर्ष में शामिल किया जा सके। लेकिन यह देखा गया है कि कुछ भूमि और भवन पर अवैध रूप से/अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। जैसा कि बताया गया, इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि दिखाई नहीं दी। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी सम्पत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह अवधि उचित है।

प्रबंधन के उत्तर:

स्थायी संपत्ति रजिस्टरों में संबंधित संयंत्रों के क्षेत्रों की लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अपडेट करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

अतिक्रमण/अनधिकृत व्यवसाय के तहत भूमि और भवनों से निवासियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ग. हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की जांच करने पर पता चलता है कि अचल सम्पत्तियों के अधिकार/लीज डीड निम्न को छोड़कर कंपनी के नाम पर है:

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	लीज़ वाली भूमि	भवन
वह क्षेत्र जो कंपनी के नाम पर नहीं है	46587.26 एकड़	17244.15 एकड़	571.24 वर्ग मीटर
इसका सकल खंड (₹ करोड़)	175.00	149.10	0.48
इसका शुद्ध खंड (₹ करोड़)	175.00	126.89	0.31

ii. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के संबंध में:

क. इस वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्रीज का भौतिक सत्यापन उचित समय पर किया गया है। कुछ मामलों में स्टॉक का सत्यापन आंखों से देखकर सर्वे/अनुमानों के माध्यम से किया गया है।

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, खातों में इन्वेंट्रीज के भौतिक सत्यापन पर दिखाई देने वाली त्रुटियों की जांच उचित प्रकार से की गई है जो महत्वपूर्ण नहीं थी।

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित अनुदान और ऋण कम्पनियों, उपक्रमों, सीमित दायित्व सांझेदारी या कंपनी में शामिल अन्य पार्टियों को नहीं दिया गया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद (iii) (क), (iii) (ख) और (iii) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत कंपनी ने शामिल कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन की गई है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 और उसके नियमों के अर्थों के अंतर्गत किसी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में निर्धारित लागत रिकार्ड रखने की आवश्यकता है।

हमने इस रिकार्ड को अच्छी तरह से देखा है, और हमारी राय यह है कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्धारित खाते और रिकार्ड का रखरखाव किया गया है। लेकिन हमने यह देखने के लिए रिकार्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि ये रिकार्ड सही या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. वैद्यानिक देयों के संबंध हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार:

क) कंपनी ने सामान्यतः अपने देयों को नियमित रूप से उचित प्राधिकारों को जमा कराया है, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, मूल्य योजित कर (जिनमें माल एवं सेवा कर शामिल है), उपकर और अन्य वैद्यानिक शुल्क शामिल हैं। हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2019 को खातों के अनुसार कोई भी बकाया देय छह महीने से अधिक समय से बकाया नहीं है।

ख) हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कुछ विवादित वैद्यानिक देय हैं, जिन्हें 31 मार्च, 2019 को जमा नहीं कराया गया है जो निम्न हैं:

अधिनियम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर और वैट	बिक्री कर और वैट डिमांड	10.45	उच्चतम न्यायालय
		494.15	उच्च न्यायालय
		597.33	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
		186.32	बिक्री कर विभाग
वस्तु एव सेवा कर	जीएसटी डिमांड	16.63	उच्च न्यायालय
प्रवेश शुल्क	प्रवेश शुल्क डिमांड	1257.26	उच्चतम न्यायालय
		484.06	उच्च न्यायालय
		758.68	ट्रिब्यूनल
		48.22	विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	295.95 333.37 4109.99 518.03 0.32	उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय सीईएसटीएटी विभाग बीईएफ़आर
सेवा कर	सेवा कर	34.32 64.07 202.58	उच्च न्यायालय सीईएसटीएटी विभाग
सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	4.20 1.71	सीईएसटीएटी विभाग
आय कर अधिनियम, 1961	अनुपलब्धियों पर टीडीएस	2.32 134.60	उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय
	टीडीएस के अन्य मामले	0.22 21.93	आईटीएटी विभाग
	आय कर विवाद	194.52 552.99 47.61	उच्च न्यायालय आईटीएटी विभाग
	कुल	**10,371.83**	

viii. इस वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार को ऋण या उधार चुकाने में या ऋणपत्र धारकों को देय राशि को चुकाने में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है। इसलिए, आदेश का अनुच्छेद 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

ix. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण इन्स्ट्रुमेंट सहित) के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋणों का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए प्राप्त किया गया था।

x. हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास और हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और ऑडिट के लिए प्रयुक्त विधियों के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि कंपनी द्वारा या कंपनी पर इस वर्ष के दौरान इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई जालसाजी दिखाई नहीं दी है।

xi. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकार की कंपनीयों पर अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होती है। इसलिए, इस आदेश का अनुच्छेद 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xii. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार यह कम्पनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के लेनदेन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां भी लागू होती हैं, का अनुपालना किया गया है और भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में इस प्रकार के लेनदेनों की घोषणा संबंधित नियमों सहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानक–24 – 'संबंधित पार्टी घोषणाएं' की आवश्यकता के अनुसार की गई है।

xiv. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेख की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। इसलिए, आदेश का अनुच्छेद 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xv. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित अन्य लोगों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3(xv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई
हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

निदेशक मंडल के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 28 जून, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अनुलग्नक–2

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ओडिट के साथ–साथ भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का इसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन को स्थापित करने और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है जो इन्सटीटयूट ओफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दिशानिर्देशों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का मूल घटक माना जाता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, प्रयोग और रखरखाव शामिल हैं जिनका संचालन इसके व्यापार व्यवस्थित और सक्षम तरीके से करने के लिए किया गया था, जिनमें कंपनी की नितियों की अनुपालना, इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और त्रुटियों की रोकथाम एवं उनका पता लगाना, लेखों की शुद्धता और सम्पूर्णता, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर हमारी जिम्मदारी है की वित्तीय प्रवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपनी राय देना। हम हमारा लेखापरीक्षण वित्तीय प्रवेदन (दिशानिर्देश नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में दिशानिर्देश नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार किया है और इसका प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10), जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होता है, के अंतर्गत किया गया है, और ये दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होते हैं, दोनों ही को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट के अनुसार आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षण की योजना बनाएं और उसे पूरा करें ताकि इस बारे में उचित गारंटी दी जा सके कि क्या वित्तीय प्रवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और उसे बनाए रखा गया और क्या इस प्रकार के नियंत्रणों का सभी तरह से प्रभावी संचालन हुआ या नहीं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करना, ये हमारे लेखापरीक्षण में शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय प्रवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस जोखिम का मूल्यांकन करना कि महत्वपूर्ण कमजोरी है, और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावी संचालन की जांच और मूल्यांकन इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर करना ये शामिल था। चुनी गई विधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित थी, जिनमें भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में जालसाजी या त्रुटि के कारण बड़ी त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन करना शामिल शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षण प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है वह हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए वित्तीय प्रवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर पर्याप्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित गारंटी प्रदान करने के लिए और भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए डिजाइन किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नितियां और विधियां शामिल हैं जो (1) उस रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तारपूर्वक, शुद्धता और ईमानदारी से कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और स्थिति को प्रस्तुत करता है; (2) जो इस बात की उचित गारंटी देता है कि उन लेनदेनों को दर्ज किया गया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार किया गया है; और जो (3) कंपनी की सम्पित्तयों की अनाधिकृत खरीद, प्रयोग, या स्थिति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित गारंटी प्रदान करता है जिनका भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आंतरिक सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों की अभिसंधि या अनुचित प्रबंधन उल्लंघन शामिल हैं, गलती या जालसाजी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और पकड़ में न आने की संभावना होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के भावी अनुमानों में इस बात का जोखिम हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या पॉलिसी या विधियों की अनुपालना की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली शामिल है और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 को प्रभावी रूप से संचालित थे, जिसका आधार कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के निर्धारित मापदंड हैं जिनमें इंस्टीट्यूट ओफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर दिशानिर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के मूल घटकों पर विचार किया गया है।

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई
हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अनुलग्नक–3

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

कंपनी के रिकार्डों के सत्यापन पर आधारित और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशा–निर्देश

	प्रश्न	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी सिस्टम के माध्यम से प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, साथ–साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण, यदि हो, बताया जा सकता हैं।	कंपनी चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन के संबंध में लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। अन्य संयंत्र/इकाइयों के संबंध में कंपनी विरासत सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करती है। हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, और शाखाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, जहाँ भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित हैं, खातों की अखंडता की कमी के कोई उदाहरण नहीं हैं और कोई वित्तीय निहितार्थ नोट/प्रतिवेदन नहीं किया गया है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कर्ज की ऋण/उधार/ ब्याज आदि के मामले मे, कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण दिया गया हो? यदि हाँ, तो वित्तीय असर कहा जा सकता है।	प्राप्त हुई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को कर्ज ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/ऋणशोधन के मामलों के पुनर्स्थापन का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त/स्वीकार्य की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा लागू किए गए चेक और शाखाओं/इकाइयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, हमारी यह राय हैं कि केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/स्वीकार्य ठीक से खाते थे/इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है।

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई
हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 30 मई, 2019 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(अ) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षण आयोजित किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना आयोजित की गई और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की जांच व कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी का आधार बनेगा या उसका पूरक होगा।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर
(इंदू अग्रवाल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षण एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, रांची

स्थान : रांची
तिथि : 27 जुलाई, 2019

सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

फार्म संख्या एमआर–3

{कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमारे द्वारा संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित व्यवहारों का अनुसरण किए जाने के प्रति स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एतदद्वारा "सेल/कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) का सचिवीय लेखापरीक्षण गया है। सचिवीय लेखापरीक्षण की प्रक्रिया का संचलन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षण किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर, हम, एतद्द्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार 31 मार्च, 2019) को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षण अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र–व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय परिषद अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनयम एवं दिशानिर्देश:

- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (शेयरों का अत्यधिक अधिग्रहण और हस्तानान्तरण) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (ऋण प्रतिभूति को जारी एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कम्पनी अधिनियम और ग्राहक के साथ संव्यवहार से संबंधित है;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमन) विनियम, 2009; लागू नहीं
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (कर्मचारी भंडार विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टाक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; लागू नहीं
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009; लागू नहीं
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (प्रतिभूतियों की खरीदारी) विनियम, 2018; लागू नहीं

(vi) कम्पनी के संबंध में नीचे उल्लिखित विशिष्ट लागू विधियों (उद्योग पर यथा लागू) के अंतर्गत अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत समयकालिक प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा रहा है:

- (क) खदान अधिनियम, 1952
- (ख) खदान और लवण (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957
- (ग) कारखाना अधिनियम, 1948
- (घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू अनुछेदों के अनुपालन का परीक्षण किया है:

(क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का सामान्यतः अनुपालन किया गया है।

(ख) नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने निम्नलिखित अवलोकनों की शर्त पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

प्रेक्षण संख्या 1 कम्पनी ने निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) तथा 25(4) का अनुपालन नहीं किया है।

प्रेक्षण संख्या 2 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग घ (क) के साथ पठनीय विनियम 19(4) का अनुपालन नहीं किया गया है तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा विनियम के अंतर्गत की गई परिभाषा के अनुसार नीतियों एवं मापदंडों का निर्माण नहीं किया गया है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल में 7 मई, 2018 से 30 जून, 2018 के दौरान कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन करके विधिवत गठन नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करके किए गए थे।

सामान्यतः निदेशक मंडल को बैठकों की अनुसूची तैयार करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए जाते हैं, कार्यसूची तथा कार्यसूची के विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठकों से पूर्व कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और अर्थपूर्ण प्रतिभागिता को संभव बनाने के लिए एक व्यवस्था विद्यमान है।

निदेशक मंडल की बैठक/समिति (समितियों) में लिए जाने वाले निर्णय बैठक में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की एकमत से सहमति से लिए गए हैं तथा किसी प्रकार की असहमति, यदि कोई हो, को बैठक के कार्यवृत्त में दर्शाया गया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन को नियंत्रित और सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और संचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी में ऐसी कोई घटना/क्रियाएं घटित नहीं हुई हैं जिनसे ऊपर संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कम्पनी की कार्यप्रणाली पर कोई प्रमुख प्रभाव हुआ हो।

कृते **अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस संख्या 5774
सीपी संख्या : 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2019

इस रिपोर्ट को अनुबंध क के रूप में अनुबंधित हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है

सचिवीय रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमारी समतिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने के सुनिश्चय के लिए औचक जांच आधार पर सत्यापन किए गए हैं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है तथा हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से ही सूचित किए गए प्रेक्षण/टिप्पणियां/खामियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है वहां हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच औचक आधार पर परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तथा इस मत की प्रस्तुति करने तक ही सीमित है कि क्या कम्पनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं स्थापित है तथा क्या अनुपालन स्थापित है अथवा नहीं।
6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार के आश्वासन की प्रस्तुति है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशालिता का आश्वासन जिससे प्रबंधन ने कंपनी के सभी कार्यों का निष्पादन किया है।

कृते **अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस संख्या 5774
सीपी संख्या : 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.07.2019

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2018–19

क) कम्पनी का सिद्धांत

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में कम्पनी का तत्व विचार विधियों, विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों सहित दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन की पुष्टि के लिए पारदर्शिता, प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग का सुनिश्चय करना तथा समग्र संगठन में शेयरधारक मूल्य में संवर्धन किए जाने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ एक उत्तरदायी कॉरपोरेट सिटिजन की भूमिका का निर्वाह करते हुए सम्पूर्ण संगठन आचरण पूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना है। देश में कॉरपोरेट शासन के उच्चतर मानकों की अनुरूपता के प्रति कम्पनी प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों के प्रति निदेशक मंडल की उत्तरदेयता होने तथा निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का प्रथम कर्त्तव्य कम्पनी के हितों का सरंक्षण और संवर्धन करने के तथ्य को कम्पनी द्वारा मान्यता दी गई है।

ख) निदेशक मंडल

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक निदेशक (यथा कार्यकारी निदेशक) तथा 10 गैर–कार्यकारी निदेशक (जिनमें से 2 सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 8 स्वतंत्र निदेशक हैं)। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की दिनांक 27.04.2018, 30.05.2018, 03.08.2018, 20.09.2018, 02.11.2018, 21.12.2018, 07.02.2019 और 27.03.2019 को आठ बैठकें आयोजित की गई हैं।

निदेशकों के नाम तथा वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या, किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशक पद का वर्ग	वर्ष 2018–19 के दौरान नि. मं. की कितनी बैठकों में भाग लिया	अंतिम बैठक में उपस्थिति	31.03.2019 के अनुसार धारित निदेशक पदों की संख्या*	31.03.2019 के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नि.मं. की बैठकों में प्रतिभागिता**
1. श्री पी.के. सिह (30.06.2018 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष	2	–	–	–
2. श्री अनिल कुमार चौधरी$ (22.09.2018 से)	कार्यकारी अध्यक्ष	8	हां	–	–
3. प्रोफेसर अशोक गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	8	हां	–	एम–1
4. सी.ए. प्रमोद बिन्दल	स्वतंत्र निदेशक	8	हां	–	सी–1
5. श्रीमती अंशु वैश्य	स्वतंत्र निदेशक	7	हां	–	एम–1
6. डा. जी. विश्वकर्मा	कार्यकारी निदेशक	8	हां	3	–
7. श्री रमन (31.07.2018 तक)	कार्यकारी निदेशक	2	–	–	–
8. श्री सरस्वती प्रसाद$	गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	8	हां	4	–
9. डॉ. समर सिंह	स्वतंत्र निदेशक	7	हां	–	सी–1 एम–1
10. श्री निलांजन सन्याल	स्वतंत्र निदेशक	8	हां	–	एम–1
11. श्रीमती सोमा मंडल	कार्यकारी निदेशक	8	हां	–	–
12. सी.ए. के.एस. चौहान	स्वतंत्र निदेशक	8	हां	–	एम–1
13. प्रोफेसर एन. के. तनेजा	स्वतंत्र निदेशक	8	हां	–	–
14. श्री अतुल श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक	8	हां	–	एम–1
15. श्री पुनीत कंसल (07.05.2018 से)	गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	6	–	–	–
16. श्री हरी नंद राय (01.08.2018 से)	कार्यकारी निदेशक	6	हां	2	एम–1
17. श्री के. के. गुप्ता (21.12.2018 से)	स्वतंत्र निदेशक	2	–	1	सी–1
18. श्री विवेक गुप्ता (27.03.2019 से)	कार्यकारी निदेशक	1	–	1	एम–1

* इनमें निजी कम्पनियों में धारित निदेशक पद शामिल है।

** इस उद्देश्य से केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति को ही विचार में लिया गया है। एम = सदस्य, सी = अध्यक्ष

$ श्री अनिल कुमार चौधरी की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से पूर्व वे कम्पनी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। श्री सरस्वती प्रसाद द्वारा 01.07.2018 से 21.09.2018 के दौरान अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया था।

श्री सरस्वती प्रसाद के अलावा उपर्युक्त में से कोई भी निदेशक वर्ष 2018–19 के दौरान सेल के अलावा किसी अन्य सूचीबद्ध कम्पनी के निदेशक मंडल में नहीं थे। श्री सरस्वती प्रसाद एनएमडीसी लिमिटेड तथा केआईओसीएल लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी शामिल थे।

ग) लेखापरीक्षा समिति

(i) संदर्भ शर्तें:

लेखापरीक्षा समिति के प्राथमिक जिम्मेदारी वित्तीय विवरण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर कम्पनी द्वारा की गई व्यवस्था, प्रबंधन एवं निदेशक द्वारा प्रमाणित लेखांकन एवं विधिक अनुपालन तथा कम्पनी के लेखापरीक्षण, लेखांकन एवं सामान्यतः वित्तीय विवरण प्रक्रिया के प्रति निदेशक मंडल को उनके प्रबंध उत्तरदायित्वों की समीक्षा के कार्य में सहयोग प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों से सम्पर्क, निष्कर्षों पर विचार–विमर्श किया जाता है और सुझाव दिए जाने के साथ–साथ अन्य संबद्ध मामलों एवं कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखांकन नीतियों की समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल के सम्मुख तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व लेखापरीक्षा समिति द्वारा इनकी समीक्षा प्रबंधन के साथ की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठकों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इनमें प्रस्तुत तथ्यों को संज्ञान में लिया जाता है।

(ii) **संरचनाः**

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का प्रारंभिक गठन वर्ष 1998 में किया गया था तथा समय समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सीए प्रमोद बिन्दल (अध्यक्ष) , प्रोफेसर अशोक गुप्ता, श्रीमती अंशु वैश्य, डा. समर सिंह, श्री निलांजन सन्याल तथा निदेशक (तकनीकी) शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई थी तथा बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	पद	कितनी बैठकों में भाग लिया
सीए प्रमोद बिन्दल, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	9
प्रोफेसर अशोक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
श्रीमती अंशु वैश्य, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8
श्री निलांजन सन्याल, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
डा. समर सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9
श्री रमन, निदेशक (तकनीकी) (31.7.2018 तक)	सदस्य	1
श्री हरिनन्द राय, निदेशक (तकनीकी) (1.8.2018 से)	सदस्य	7

घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(i) सरकारी उपक्रम होने के नाते सेल के निदेशकों की नियुक्ति और उनके नामांकन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के कार्य भारत सरकार द्वारा किए जाते है। तथापि, कंपनी द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) गठित की गई है जो मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न मामलों, कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमन से सम्बद्ध मामलों और कंपनी के कार्यकारी के प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को अंतिम रूप प्रदान करने के कार्य देखती है। इसमें समिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के विभागों के दिशा–निर्देशों को मानती है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में श्रीमती अंशु वैश्य (अध्यक्ष), श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष, सेल, प्रोफेसर अशोक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, श्री निलांजन सानयाल, स्वतंत्र निदेशक, प्रोफेसर एन.के. तनेजा, स्वतंत्र निदेशक एवं संयुक्त सचिव और सदस्य के तौर पर इस्पात मंत्रालय (सरकार द्वारा नामित निदेशक) शामिल हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 178(2) के अंतर्गत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से निदेशक के लिए योग्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने, जिनकी नियुक्ति वरिष्ठ प्रबंधन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जा सके, निदेशक मंडल के सम्मुख उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने की अनुशंसा करने तथा निदेशक मंडल, इसकी समितियों तथा वैयक्तिक निदेशकों के निष्पादन का प्रभावी मूल्यांकन करने की विधि का विशिष्ट निर्धारण करने की अपेक्षा की गई है। ऐसा मूल्यांकन निदेशक मंडल, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अथवा किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाना है तथा मूल्यांकन व्यवस्था के कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा नामांकन एवं पारिश्रमिक द्वारा की जानी अपेक्षित की गई है। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 17(10) एवं 25(4) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(8) के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशकों की नियमावली में स्वतंत्र निदेशकों की सेवाओं को जारी रखने अथवा हटाए जाने का निर्णय लिए जाने के लिए निष्पादन मूल्यांकन किए जाने की अपेक्षा की गई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय प्रावधानों से छूटें ज्ञापित की गई हैं जिनमें, अन्यों के साथ–साथ, नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन तथा पारिश्रमिक से सम्बद्ध खंड 178 के उप खंड (2), (3) तथा (4) सरकारी कम्पनियों के निदेशकों के लिए लागू न होने की व्यवस्था की गई है। सेल के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक एवं अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार से नामांकन/नियुक्ति के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, नियुक्ति के नियम तथा शर्तों एवं सभी निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भी भारत सरकार द्वारा लिया जाता है तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यात्मक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का मूल्यांकन किए जाने की विधिवत निर्धारित प्रक्रिया स्थापित है।

(ii) पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹)

निदेशक का नाम	वेतन*	सेवानिवृत्ति एवं अन्य लाभ	योग
श्री पी.के. सिंह (30.6.2018 तक)	12,70,312	1,41,662	14,11,974
श्री अनिल कुमार चौधरी	39,38,243	4,24,454	43,62,697
डा. जी. विश्वकर्मा	35,73,914	3,70,176	39,44,090
श्री रमन (31.7.2018 तक)	21,02,241	1,62,775	22,65,016
श्रीमती सोमा मंडल	35,75,492	4,36,064	40,11,556
श्री अतुल श्रीवास्तव	44,29,043	–	44,29,043
श्री हरिनंद राय (1.8.2018 से)	24,03,202	2,10,498	26,13,700
श्री विवेक गुप्ता (27.3.2019 से)	3,21,410	–	3,21,410
योग	**2,16,13,857**	**17,45,629**	**2,33,59,486**

*वेतन में पेंशन शामिल है।

(iii) गैर–कार्यकारी निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा) को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप समिति/स्वतंत्र निदेशकों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए सीटिंग शुल्क के रूप में ₹ 20,000 का भुगतान किया जाता है।

(iv) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन का संचलन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी वेतनमानों तथा नियमों के अनुसार होता है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर चुकता किए जाने वाले निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) के अलावा अन्य कोई परिवर्तनशील प्रोत्साहन चुकता नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बोनस अथवा स्टॉक ऑप्शन का भुगतान नहीं किया गया है।

(v) **नियम एवं शर्तें**

पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निदेशक के तौर पांच साल अथवा उनकी अधिवार्षिता की आयु अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, नामित किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अतिरिक्त निदेशक के रूप में की जाती है तथा इसके पश्चात कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में उनकी नियुक्ति की जाती है।

तथापि, इस नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन का भुगतान किए जाने के आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

ङ) हितधारक संबंध समिति

(i) डॉ. समर सिंह की अध्यक्षता तथा सीए के.एस. चौहान, स्वतंत्र निदेशक एवं सदस्य के रूप में दो पूर्णकालिक निदेशकों यथा निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (कार्मिक) से युक्त एक स्टेकधारक संबंध समिति का गठन किया गया है तथा यह कम्पनी के सिक्योरिटी धारकों की समस्याओं एवं शेयरों के स्थानांतरण, तुलन–पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि जैसी शिकायतों पर विचार एवं समाधान निकालने के कार्य करती है।

(ii) अनुपालन अधिकारी का नाम : श्री एम.सी. जैन, कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव।

(iii) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कोई शिकायत कार्रवाई के लिए लंबित नहीं है। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान कुल 18 शिकायतें प्राप्त की गई थी। सभी 18 शिकायतों का समाधान कर लिया गया था तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कार्रवाई के लिए कोई शिकायत शेष नहीं थी।

च) जोखिम प्रबंधन समितिः कम्पनी द्वारा सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया गया है तथा कम्पनी के प्रमुख जोखिम अधिकारी द्वारा इस समिति में सचिव की भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के अधिकांश निदेशक इस समिति में सदस्य हैं। रोजमर्रा के कार्यों के निर्वाह की प्रक्रिया में आने वाले जोखिमों के समाधान के लिए कम्पनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया है। गतिशील व्यवसाय वातावरण में जोखिम प्रबंधन नीतियों का प्रभाव अत्यंत व्यापक एवं प्रभावी होता है। जोखिम प्रबंधन समिति सेल में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों के समाधान के साथ–साथ नीति निर्माण एवं अनवरत प्रभाव्यता के लिए जोखिम प्रबंधन क्रियाओं के मूल्यांकन भी करती हैं।

छ) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति वस्तुतः आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रति संवहनीय स्वरूप में अपने व्यवसाय संव्यवहार करने के लिए अपने स्टेकधारकों के साथ की गई एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसमें संगठनों द्वारा अपने क्रियाकलापों के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हितों का संरक्षण किया जाता है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन के साथ–साथ कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध्ध है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सीए के.एस. चौहान, स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

ज) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की उप समितियों (बीएससी) की समीक्षा की गई थी तथा कुछ समितियों का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में, अनिवार्य समितियों के अलावा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मामलों की विस्तृत जांच किए जाने एवं विचार किए जाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप समितियां कम्पनी द्वारा गठित की गई हैं:

- रणनीतिक मामले एवं संयुक्त उद्यम समिति – निदेशक मंडल के सम्मुख रणनीतिक संबंध एवं कम्पनी की संयुक्त उद्यम कम्पनी के निर्माण से संबंधित मामलों तथा उनके निष्पादन की जांच एवं अनुशंसा के लिए।
- परियोजना समिति – निदेशक मंडल को नई परियोजनाएं के प्रति स्वीकृति देने, प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग एवं योजनाओं के अनुमोदन इत्यादि के लिए ।
- प्रचालनात्मक मामलों से संबद्ध समिति उत्पादन, निष्पादन, बिक्री एवं विपणन निष्पादन, खानों एवं कोयला खानों का प्रचालनात्मक निष्पादन; खानों एवं संयंत्रों में अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता एवं संयंत्रों इत्यादि के संबंध में कच्चे माल की गुणवत्ता इत्यादि के समन्वय की समीक्षा के लिए।
- स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति – जो संयंत्र तथा खानों से संबंधित मामलों के संबंध में नीति, प्रक्रियाओं एवं स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण मामलों की समीक्षा करती है।

झ) निदेशक मंडल की विभिन्न उप समितियों की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक मंडल की उप समिति	लेखापरीक्षा समिति	परियोजना समिति	रणनीतिक मामले एवं सं.उ. समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति	हितधारक संबंध समिति	प्रचालनात्मक मामलों की समिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
आयोजित बैठकें	**9**	**3**	**2**	**7**	**2**	**2**	**1**	**4**
निदेशकों की उपस्थिति								
श्री पी.के. सिंह (30.6.2018 तक)	–	–	–	–	–	–	–	–
श्री सरस्वती प्रसाद (1.7.2018 से 21.9.2018 तक अध्यक्ष)	–	–	–	1	–	–	–	–
श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष (22.9.2018 से)	–	–	–	3	–	–	–	–
श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशक (वित्त) (21.09.2018 तक)	–	1	–	–	1	–	1	3
प्रोफेसर अशोक गुप्ता	9	–	–	7	2	2	–	4
सीए प्रमोद बिंदल	9	3	2	–	–	–	–	4
श्रीमती अंशु वैश्य	8	–	2	7	2	2	–	–
डा. जी. विश्वकर्मा	–	3	2	–	–	–	–	–
श्री रमन* (31 जुलाई, 2018 तक)	1	1	–	–	–	–	–	2
डा. समर सिंह	9	–	2	–	2	–	1	–
श्री नीलांजन सन्याल	9	3	2	7	–	2	–	4
श्रीमती सोमा मंडल	–	–	–	–	–	–	–	4
सीए के.एस. चौहान	–	3	–	–	2	–	1	4
प्रोफेसर एन.के. तनेजा	–	3	2	7	–	–	–	4
श्री अतुल श्रीवास्तव	–	–	–	–	2	2	1	–
श्री पुनीत कंसल (7 मई, 2018 से)	–	2	2	7	–	–	–	3
श्री हरिनंद राय* (1.8.18 से)	7	2	–	–	1	2	–	2
श्री के.के. गुप्ता (21.12.18 से)	–	1	–	–	1	1	–	–
श्री विवेक गुप्ता (27.3.19 से)	–	–	–	–	–	–	–	–

* वर्ष में कुछ समय के लिए श्री रमन एवं श्री हरिनंद राय को निदेशक (कच्ची सामग्री एवं लॉजिस्टिक्स) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

ञ) उपर्युक्त के अलावा स्वतंत्र निदेशकों की 1 बैठक का आयोजन वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया था।

ट) आम सभाएं:

स्थल तथा समय जहां पिछली तीन वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल
2017–18	20.09.2018	10.30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110001
2016–17	22.09.2017	10.30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110001
2015–16	21.09.2016	10.30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110001

(i) पिछले 3 वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठकों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4 विशेष संकल्प पारित किए गए थे तथा इनमें से कोई पोस्टल बैलेट से नहीं किया गया था:

वित्तीय वर्ष	विशेष पारित संकल्पों की संख्या
2015–16	1
2016–17	2
2017–18	1

(ii) आगामी वार्षिक आम बैठक तक कोई भी विशेष संकल्प पोस्टल बैलेट से पारित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(ढ) प्रकटीकरण:

(i) आर्थिक संबंध: कम्पनी द्वारा ऐसे किसी प्रोमोटर , निदेशक अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कम्पनियों, संबंधियों, इत्यादि के साथ कोई सामग्रीगत प्रकृति का ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जिससे मुख्यतः कम्पनी के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होना संभावित हो। निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता से सम्बद्ध मापदंडों के संबंध में की गई घोषणा एवं पुष्टि को संज्ञान में ले लिया है। केवल निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए दी जाने वाली फीस के अलावा किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के साथ किसी प्रकार की आर्थिक संबद्धता अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी के कोई शेयर/परिवर्तनीय उपकरण (कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट) नहीं हैं।

(ii) स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल: सेल एक सरकारी कम्पनी है तथा इसके स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन एवं उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र: एक सरकारी कम्पनी के रूप में सेल के निदेशक मंडल में निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा 1 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है। स्वतंत्र निदेशक को जारी किया गया नियुक्ति पत्र स्वतंत्र निदेशक के नामांकन/नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा उल्लिखित नियम एवं शर्तों पर आधारित थ।

(iv) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय (फैमिलियराइजेशन) कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात एक इंडक्शन एवं परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में कम्पनी के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाती है जिसमें अन्यों के साथ–साथ संगठनात्मक संरचना, कम्पनी के संयंत्र एवं यूनिटें, उत्पाद पोर्टफोलियो, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन, आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम इत्यादि की प्रस्तुति की जाती है। कम्पनी द्वारा कम्पनी के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों के लिए निदेशकों के दौरे की व्यवस्था भी की जाती है जिससे उन्हें संयंत्रों/यूनिटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा, निदेशकों का नामांकन लोक उद्यम विभाग, स्कोप, आईओडी इत्यादि जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा निगमित शासन के संबंध में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा परिचय कार्यक्रम में की गई प्रतिभागिता का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(v) कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की व्हीसल ब्लोअर नीति को अपनाया गया है तथा किसी भी कार्मिक को किसी भी मामले के संबंध में लेखापरीक्षा समिति/प्रबंधन से सम्पर्क करने की मनाही नहीं की गई है। व्हीसल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कम्पनी द्वारा व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता के उच्चतर मानकों को अंगीकार करके अपने क्रियाकलापों के संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी चौकसी तंत्र व्यवस्था का निर्माण भी किया गया है। कम्पनी के सभी कर्मचारी तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के सभी निदेशक इस तंत्र व्यवस्था के दायरे में आते हैं। कर्मचारियों के लिए इस तंत्र–व्यवस्था का निर्माण उन्हें अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद जालसाजी अथवा आचार संहिता से संबंधित मामलों की जानकारी देने के लिए किया गया है। इस तंत्रव्यवस्था का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें कर्मचारियों को उचित व्यवहार से बचाव करने एवं विशिष्ट मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक उनकी पहुंच स्थापित किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। चौकसी तंत्रव्यवस्था से संबंधित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(vi) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनिवार्य अपेक्षाओं तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो माह से कम की अल्पावधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की न्यूनता थी। एक सरकारी कम्पनी होने के नाते सेल के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले नामांकन के आधार पर की जाती है। सेल के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने का मामला इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं उससे संबंधित संशोधनों के अनुसार गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अभी पूरी तरह से अंगीकार नहीं गया है।

(vii) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में दो महिला निदेशक थे।

(viii) इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 2009 की फाइल संख्या 7(12)/2008–सेल(पीसी) के माध्यम से सेल के निदेशक मंडल स्तर के तथा निदेशक मंडल से नीचे के स्तर के कार्यकारियों को 1 जनवरी, 2007 से दस वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर, 2016 तक के लिए संशोधित वेतनमानों के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए थे। कम्पनी द्वारा इसके संबंध में तथा अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन कर लिया गया है। सेल के निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल से नीचे के स्तर के कार्यकारियों के 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी संशोधित वेतनमानों के संबंध में राष्ट्रपति निदेश अभी इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(7) के अंतर्गत अपेक्षित स्वतंत्रता की घोषणा यह कहते हुए कर दी गई है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149 के उप खंड (6) में उल्लिखित स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं।

(x) आचार संहिता: निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों तथा कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आचार संहिता तैयार की गई है। वार्षिक आधार पर उनसे आचार संहिता के अनुपालन के प्रति पुष्टि प्राप्त की जाती है। आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट – www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(xi) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार नीति : सूचीबद्धता अनुबंध के अनुबंधों के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार नीति को अंगीकार किया गया है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट – www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(xii) सामग्री की पूर्ति की पूरक व्यवस्था से संबंधित नीति: कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा सामग्री की पूर्ति के निर्धारण के लिए एक नीति स्वीकार की गई है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट – www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान सामग्री की पूर्ति की पूरक व्यवस्था नहीं की गई है।

(xiii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर अपलोड किया गया है।

(xiv) वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के अध्यक्ष तथा निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जो क्रमशः कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी हैं।

तथापि, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) की नियुक्ति न होने के कारण कम्पनी के अध्यक्ष को 22.9.2018 से 3 माह की अवधि अर्थात 22.12.2018 से, जो कि अगले तीन माह अर्थात 22.3.2019 के लिए विस्तारित की गई थी, कम्पनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके पश्चात निदेशक (परियोजना एवं व्यवसाय योजना) को दिनांक 23.3.2019 से 3 माह की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था जिसे आगामी आदेशों तक के लिए विस्तारित किया गया था।

(xv) कम्पनी के निदेशक मंडल का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के मैट्रिक्स के चार्ट का निर्माण सेल के निदेशक मंडल के दायरे में नहीं आता है।

(xvi) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिमान्य आवंटन अथवा योग्य संस्थान स्थापन के माध्यम से कोई निधियां सृजित नहीं की गई हैं।

(xvii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V के पैरा सी के खंड 10(i) के अनुसरण में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव द्वारा यह प्रमाणन किया गया है कि सेल के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनियों के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(xviii) कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों से सम्बद्ध नेटवर्क फर्म/नेटवर्क की सभी इकाईयों को समेकित आधार पर ₹ 4.91 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

(xix) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरणः

कम्पनी द्वारा महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों का गठन कर लिया गया है। इन शिकायत समितियों का गठन लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत निवारण के लिए किया गया है। कम्पनी के सभी कर्मचारी इस नियमावली के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कुल शिकायतों तथा निवारण की गई शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या	:	7
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	:	5
31.3.2019 के अनुसार लंबित शिकायतों की कुल संख्या	:	2

(xx) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र नहीं दिया गया थ।

(xxi) केवल सीए प्रमोद बिंदल, जिनके पास मैसर्स वायु एग्रो फार्म प्रा.लि. के 5000 इक्विटी शेयर हैं, के अलावा किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक द्वारा शेयर/परिवर्तनीय उपकरण (कनवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट) का धारण नहीं किया गया है।

(xxii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एवं उससे सम्बद्ध संशोधन का विवरण नीचे दिया गया हैः

क. इंडिया रेटिंग	₹ करोड़ में	वर्तमान रेटिंग		पूर्व रेटिंग
विवरण	**रेटिड राशि**	**09.11.2018**	**स्थिति**	**02.08.2017**
दीर्घकालिक बॉण्ड	17000	इंड एए– स्टेबल आउटलुक	संशोधित	इंड एए– नैगेटिव आउटलुक
अल्पकालिक(सीपी)	8000	इंड ए1+	पुनःपुष्टि	इंड ए1+
निधि आधारित कार्यशील पूंजी आधारित सीमा*	4500	इंड एएस– स्टेबल आउटलुक/ इंड ए1+	संशोधित	इंड एए– नैगेटिव आउटलुक / इंड ए1+
गैर– निधि आधारित कार्यशील पूंजी आधारित सीमा	2000	इंड ए1+ (पुनःपुष्टि)	पुनःपुष्टि	इंड ए1+
गैर– निधि आधारित सीमा	7000	इंड एए– स्टेबल आउटलुक	संशोधित	इंड एए– नैगेटिव आउटलुक
बैंक ऋण	2000	इंड एए– स्टेबल आउटलुक	संशोधित	इंड एए– नैगेटिव आउटलुक
लोक जमा	1000	इंड टीएए स्टेबल आउटलुक	संशोधित	इंड टीएए नैगेटिव आउटलुक
* अद्यतन तिथि के अनुसार बैंक स्वीकृति सीमा ₹7000 करोड़				
ख. केयर रेटिंग	**₹ करोड़ में**	**वर्तमान रेटिंग**		**पूर्व रेटिंग**
विवरण	**रेटिड राशि**	**27.09.2018**	**स्थिति**	**27.09.2017**
दीर्घकालिक बांड्स कार्यक्रम	19000	केयर एए– आउटलुक स्टेबल	संशोधित	केयर एए – नैगेटिव आउटलुक
दीर्घकालिक जन जमा	1000	केयर एए– आउटलुक स्टेबल	संशोधित	केयर एए – नैगेटिव आउटलुक
अल्पकालिक सीपी/आईसीडी कार्यक्रम	8000	केयर ए1+	पुनःपुष्टि	केयर ए1+ *
		06.03.2019		
दीर्घकालिक निधि आधारित बैंक सुविधाएं (आवधिक ऋण)	30000	केयर एए – आउटलुक स्टेबल	निर्दिष्ट	लागू नहीं
* दिनांक 24.11.2017 का पत्र				
ग. ब्रिकवर्क्स रेटिंग	**₹ करोड़ में**	**वर्तमान रेटिंग**		**पूर्व रेटिंग**
विवरण	**रेटिड राशि**	**12.09.2018**	**स्थिति**	**31.08.2017**
दीर्घकालिक बांड्स कार्यक्रम	5000	बीडब्ल्यूआर एए नैगेटिव आउटलुक	पुनःपुष्टि	बीडब्ल्यूआर एए नैगेटिव आउटलुक

(xxiii) माल असबाब के प्रति जोखिमः दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2018/0000000141 के अनुसार सेल को माल असबाब के प्रति किसी प्रकार का जोखिम प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसके द्वारा प्रमुख सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए गए हैं। सेल द्वारा कोयले की आपूर्ति विभिन्न विधियों से करने की व्यवस्था की गई है तथा यह अब पांच देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक जैसे विभिन्न भौगोलिक स्थलों से प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क के लिए सेल की स्वयं अपनी लौह अयस्क खानें हैं जहां से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार रिफ्रेक्टरिज तथा फैरो–एलॉय के लिए सेल के अपने संयंत्र हैं तथा सेल द्वारा लाइमस्टोन की आपूर्ति दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत की जाती है।

ण) **संचार का माध्यमः**

तिमाही परिणामों का प्रकाशन अपेक्षाओं के अनुसार नीचे दर्शाई गई तिथियों को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया गया हैः

समाप्त तिमाही	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	31.03.2019
प्रकाशन की तिथि	04.08.2018	03.11.2018	08.02.2019	31.05.2019
समाचार पत्र का नाम ई–अंग्रेजी एच– हिन्दी	मिन्ट (ई) हिन्दुस्तान (एच)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (ई) जनसत्ता (एच)	मिन्ट (ई) हिन्दुस्तान (एच)	बिजनेस लाइन (ई) अमर उजाला (एच)

तिमाही/वार्षिक परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपने अधिकारिक समाचार भी अपनी वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं।

त) **सामान्य शेयरहोल्डर्स जानकारीः**

थ) वार्षिक आम सभा दिनांक 30 अगस्त, 2019 को एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110001 में आयोजित की जानी अनुसूचित की गई है।

द) वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019

ध) बुक क्लोजर की तिथिः 24 अगस्त, 2019 से 30 अगस्त, 2019, दोनो दिन शामिल हैं।

न) कम्पनी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैंः

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जिजीभॉय टावर्स ,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई –400001 (स्टॉक कोड संख्या 500113)

द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट संख्या सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई 400051 (कोड : एसएआईएल)

कम्पनी द्वारा वर्ष 1996 में जारी जीडीआर को लन्दन स्टॉक एक्सचेंज, 10 पाटेमोस्टर स्कवॉयर, लंदन, ईसी4एम 7एलएस, यू.के. में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018–19 के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

ऩ) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में प्रत्येक माह के दौरान कम्पनी के शेयरों का उच्च एवं न्यून मूल्य नीचे दिया गया हैः

महीना और वर्ष	सेंसेक्स		बीएसई पर सेल (₹)		निफ्टी		एनएसई पर सेल (₹)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल'18	35,213.30	32,972.56	81.30	70.70	10759.00	10,111.30	81.30	70.55
मई'18	35,993.53	34,302.89	80.00	68.15	10929.20	10,417.80	80.00	68.15
जून'18	35,877.41	34,784.68	91.10	71.15	10893.25	10,550.90	91.10	71.05
जुलाई'18	37,644.59	35,106.57	83.55	69.85	11366.00	10,604.65	83.55	69.85
अगस्त'18	38,989.65	37,128.99	82.00	73.70	11760.20	11,234.95	82.00	73.65
सितंबर'18	38,934.35	35,985.63	81.20	67.70	11751.80	10850.30	81.25	67.80
अक्तूबर'18	36,616.64	33,291.58	71.30	61.75	11035.65	10004.55	71.35	61.80
नवंबर'18	36,389.22	34,303.38	70.95	54.40	10922.45	10341.90	71.10	54.45
दिसंबर'18	36,554.99	34,426.29	57.35	49.05	10985.15	10333.85	57.30	49.00
जनवरी'19	36,701.03	35,375.51	56.90	45.60	10987.45	10583.65	56.80	45.55
फरवरी'19	37,172.18	35,287.16	50.40	44.10	11118.10	10585.65	50.40	44.00
मार्च'19	38,748.54	35,926.94	56.60	49.00	11630.35	10817.00	56.60	48.90

(vi) **रजिस्ट्रार तथा शेयर एजेंट**

मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–1,
नई दिल्ली–110020
फोन नम्बर 011–41406149

(vii) **शेयर ट्रांसफर सिस्टम :**

कम्पनी के इक्विटी शेयरों की खरीद बिक्री अनिवार्य तौर डिमैटरालाइज्ड स्वरूप में किया जाता है। सूचीबद्धता करार के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के दायरे में शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निदेशक मंडल की शेयर ट्रांसफर समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

(viii) **31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरणः**

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	संख्या	योग का %	₹ में	योग का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	311310	86.51	400925390	0.97
501 – 1000	24308	6.75	198183030	0.48
1001 – 2000	12337	3.43	189451050	0.47
2001 – 3000	4008	1.11	103456860	0.25
3001 – 4000	1854	0.51	66993030	0.16
4001 – 5000	1615	0.45	77140450	0.19
5001 – 10000	2394	0.67	178992930	0.43
10001 – 50000	1603	0.45	332149760	0.80
50001 100000	165	0.05	119745010	0.29
100000 से ऊपर	259	0.07	39638215380	95.96
कुल	**359853**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

ix) **31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्नः**

	वर्ग	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
क	**प्रोमोटरों की धारिता**		
1	**प्रोमोटर**		
	– भारतीय प्रोमोटर अर्थात भारत सरकार	3097767449	75.00
	– विदेशी प्रोमोटर		
	कंर्सट की भूमिका वाले व्यक्ति	–	–
	उप–योग	**3097767449**	**75.00**
ख	**गैर–प्रोमोटर धारक**		
3	संस्थागत निवेशक		
क	म्युचुअल फंड्स एवं यूटीआई	125978984	3.05
ख	बैंक एवं वित्तीय संस्थान	75751320	1.83
ग	बीमा कंपनियां	413794834	10.02
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	169385488	4.10
	उप–योग	**784910626**	**19.00**
4	अन्य		
क	निजी निगमित निकाय	60672027	1.47
ख	भारतीय जनता	165196124	4.00
ग	एनआरआई/ओसीबी	19900901	0.48
घ	जीडीआर	116435	0.00
ङ	कोई अन्य – आईईपीएफ	1961727	0.05
	उप–योग	**247847214**	**6.00**
	कुल योग	**4,13,05,25,289**	**100.00**

(x) **31.3.2019 की स्थिति के अनुसार डिमेटिरयलाइजेशन की स्थिति**

विवरण	शेयरों की संख्या	पूंजी का %	खातों की संख्या
एनएसडीएल	4048765152	98.02	213833
सीडीएसएल	77404740	1.87	122812
कुल डिमेटिरलाइज्ड	**4126169892**	**99.89**	**336645**
फिजिकल	4355397	0.11	23208
योग	**4130525289**	**100.00**	**359853**

भारत सरकार के शेयर डिमेट के रूप में हैं।

(xi) **कंपनी के संयंत्र/इकाई/सहायक कम्पनियां जहां मौजूद हैं:**

स्टील प्लांट्स

- भिलाई स्टील प्लांट , भिलाई –490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर –713203, पश्चिम बंगाल
- राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला –769011, ओडिशा
- बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी –827001, झारखंड
- आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर –713325, पश्चिम बंगाल
- अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर –713208, पश्चिम बंगाल
- सलेम स्टील प्लांट, सलेम–636013, तमिलनाडु
- विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती –577031, कर्नाटक
- चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट, चंद्रपुर, महाराष्ट्र

इकाइयां

- केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद–828127, झारखंड
- केंद्रीय विपणन संगठन, इस्पात भवन, 40, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता –700 071, पश्चिम बंगाल
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र, रांची–834002, झारखंड
- पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, सेल हाउस, तीसरी मंजिल, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल।
- ग्रोथ डिवीजन, सेल हाउस, तीसरी मंजिल, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल।
- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची–834002, झारखंड
- कच्चा माल डिवीजन, 10, कैमक स्ट्रीट, इंडस्ट्री हाउस, कोलकाता–700017, पश्चिम बंगाल
- आयरन एंड स्टील, रांची–834002, झारखंड के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र
- सेल कंसल्टेंसी डिवीजन, 16–20 फ्लोर, एससीओपीई मीनार, नॉर्थ टॉवर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली –110092
- सेल सुरक्षा संगठन, रांची –834002, झारखंड
- सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट, बोकारो –827001, झारखंड

सहायक कम्पनियां

- आईआईएससीओ–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (विघटन के तहत)
- सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड, सलेम–636013, तमिलनाडु
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली–110003 (हटा देने की प्रक्रिया के तहत)
- सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला –828135, झारखंड (हटा देने की प्रक्रिया के तहत)

(xii) **कोई सवाल/शिकायत होने पर शेयरहोल्डरों के लिए पत्राचार का पताः**

मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,
एफ –65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–I,
नई दिल्ली –110020
फोन नंबर. 91–11–41406149, फैक्स नंबर 91–11–41709881
ईमेलः admin@mcsregistrars.com

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–

(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 जुलाई, 2019

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("विनियम") के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी,डी और ई में किए गए निर्धारण तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों, जो वर्ष के दौरान लागू हैं, के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष विनियमों 17 से 27 में निर्दिष्ट के संबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीआईएनःएल27109डीएल1973जीओआई006454) ("कम्पनी") द्वारा कॉरपोरेट शासन के संबंध में किए गए अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कॉरपोरेट शासन के प्रमाणन के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट के अनुसार जांच करना है जो कॉरपारेट शासन की शर्तों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए कम्पनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने तक ही सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षण है और न ही यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में किसी प्रकार की मत अभिव्यक्ति है।

हमारे मतानुसार तथा हमें उपलब्ध्ध सर्वोत्तम जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निम्नलिखित की शर्त पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं किः

कम्पनी में 23 मार्च, 2019 से इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि तक कोई मुख्य वित्त अधिकारी नहीं है।

कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में 7 मई, 2018 से 30 जून, 2018 की अवधि के दौरान अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट शासन के संबंध में अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि उपर्युक्त अनुपालन को न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन माना जा सकता है और न ही इससे उस कौशल एवं प्रभाव्यता की प्रस्तुति होती है जिसके उपयोग से प्रबंधन द्वारा कम्पनी के कार्यों का सम्पादन किया गया है।

कृते सिंघी एंड कंपनी	**कृते चैटर्जी एंड कंपनी**	**कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी**	**कृते ए. के. साबत एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई	फर्म पंजीकरण सं. 302114ई	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
(श्रेणिक मेहता)	**(बेदांता भट्टाचार्य)**	**(विपुल गिरोत्रा)**	**(ए.के.साबत)**
साझीदार	साझीदार	साझीदार	साझीदार
(एम. सं. 063769)	(एम. सं. 060855)	(एम. सं. 084312)	(एम. सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2019

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड कः कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
2. कम्पनी का नाम : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता : इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
4. वेबसाइट : www.sail.co.in
5. ईमेल आईडी : investor.relations@sailex.com
6. रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष : 2018–19
7. कम्पनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार): इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का निर्माण

   राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोडः 330
8. कम्पनी के निर्माण/दी जा रही सेवा के तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन–पत्र के अनुसार):
   (i) हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद का निर्माण
   (ii) रेल्स का निर्माण
   (iii) रिइनफोर्समेंट बार, वॉयर रॉड्स, स्ट्रक्चरल्स इत्यादि का निर्माण
9. स्थलों की कुल संख्या जहां कम्पनी द्वारा अपने व्यवसायिक क्रियाकलाप किए जाते हैं:
   (i) अंतर्राष्ट्रीय स्थलः शून्य
   (ii) सेल द्वारा अपने स्वामित्व के भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला तथा बर्नपुर में स्थित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों एवं सालेम, दुर्गापुर तथा भद्रावती में स्थित तीन विशेष इस्पात संयंत्रों से अपने प्रचालन किए जाते हैं। एक अन्य यूनिट चन्द्रपुर फैरो–एलॉय संयंत्र (सीएफपी) से फैरो–एलॉय का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत बोकारो में सेल रिफाइनरी यूनिट (एसआरयू) भी है जिसकी झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में चार रिफ्रेक्टरी निर्माण यूनिटें हैं।

   इनके अलावा, सेल की अन्य यूनिटों का विवरण नीचे दिया गया है:
   - सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, पश्चिम बंगाल;
   - कच्ची सामग्री डिवीजन (आरएमडी – झारखंड में किरिबुरू, मेघाहतुबुरू, गुआ, मनोहरपुर (चिरिया), उड़ीसा में बोलानी, काल्टा, बरसुआ (तलदिह सहित);
   - बीएसपी खानें (लौह अयस्क) राजहारा ग्रुप में, छत्तीसगढ़ में दल्ली ग्रुप, रोघाट;
   - कूटेश्वर, मध्य प्रदेश में आरएमडी फ्लक्स खानें; झारखंड में भवंतपुर, तुलसीडामर;
   - छत्तीसगढ़ में नंदिनी, हिरी, बराद्वार में बीएसपी फ्लक्स खानें;
   - कर्नाटक में भादीगुंड, केंचापुडा में वीआईएसपी फ्लक्स खानें;
   - झारखंड में चसनाला,जीतपुर, तसरा, सीतानाला में कोलियरियां डिवीजन (कोयला खानें) तथा पश्चिम बंगाल में रामनागोर;
   - केन्द्रीय विपणन संगठन, कोलकाता मुख्यालय;
   - केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद;
   - दिल्ली में सेल कंसलटेंसी डिवीजन;
   - रांची में लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, सेल संरक्षा संगठन, सेन्टर फार इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट;
   - कोलकाता में पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन तथा विकास डिवीजन
   - राउरकेला में केन्द्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान;
   - कोलकाता में परिवहन एवं शिपिंग;

     सेल के पास 37 शाखा कार्यालयों (बीएसओ), 10 सक्रिय ग्राहक सम्पर्क कार्यालयों, 25 विभागीय मालगोदाम तथा कार्यात्मक परेषण एजेंसी यार्ड हैं।
10. कम्पनी किस बाजार में कार्य कर ही है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीयः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

खंड ख : कम्पनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (भा. रुपए) : ₹ 4,130.53 करोड़
2. कुल टर्नओवर (भा. रुपए) : ₹ 66,267.30 करोड
3. करों के पश्चात कुल लाभ (भा. रुपए) : ₹ 2,178.82 करोड
4. कर पश्चात लाभ का कितना % व्यय सीएसआर पर किया गया:

   कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान घाटे उठाए गए हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर क्रियाकलापों पर कोई व्यय किया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि एक उत्तरदायी कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में कम्पनी द्वारा सीएसआर प्रयासों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह के तौर पर सीएसआर क्रियाकलापों के संबध में वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 31.18 करोड़ का व्यय किया गया है।
5. **उन क्रियाकलापों की सूची जिनपर उपर्युक्त 4 में व्यय किए गए हैं:–**
   क. पेयजल सुविधाएं एवं स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा प्रोत्साहन
   ख. शिक्षा, आय उत्पत्ति एवं कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण
   ग. महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की देखभाल
   घ. पर्यावरण संवहनीयता
   ङ. कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन
   च. खेल प्रोत्साहन
   छ. ग्रामीण विकास : अवसंरचना विकास

खंड गः अन्य विवरण

1. **क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां हैं?**
   क. सेल रिफ्रेक्टरी कम्पनी लिमिटेड
   ख. सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड (बंद किए जाने की प्रक्रिया में)
   ग. सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बंद किए जाने की प्रक्रिया में)
   घ. छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
   ङ. आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं. लिमिटेड (दिवालिया प्रक्रिया में)
2. **क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या इंगित करें।**

   मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रयास सहायक कम्पनियों पर लागू होते हैं।
3. **क्या कोई अन्य इकाई/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कम्पनी के साथ व्यापार करते हैं वे कम्पनी की व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई /संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ? [30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक]**

   जी, नहीं।

खंड घः व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. **व्यापार उत्तरदायित्व के उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरणः**
   क) व्यापार उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरणः
   - डीआईएन संख्या 07957068
   - नाम : श्री अतुल श्रीवास्तव
   - पदनामः निदेशक (कार्मिक)
   - व्यापार उत्तरदायी प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	एम.बी.बालाकृष्णन
3.	पदनाम	कम्पनी सचिव
4.	टेलीफोन नम्बर	011–24368105
5.	ईमेल आईडी	Secy.sail@sailex.com

2. **सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में दें)**

   कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यवसाय के संबंध में जारी सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्वों के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत व्यवसाय उत्तरदायित्व के क्षेत्रों को अंगीकार किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

पी1 – व्यवसाय का संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ स्वयं किया जाना चाहिए।

पी2 – व्यवसाय को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके जीवन क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।

पी3 – व्यवसाय में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पी4 – व्यवसाय में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

पी5 – व्यवसाय के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पी6 – व्यवसाय के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

पी7 – व्यवसाय के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

पी8 – व्यवसाय के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

पी9 – व्यवसाय के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ–साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यापारिक नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों से संपर्क और सीएसआर	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	सीएसआर	ग्राहकों से संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास निम्न से संबंधित कोई नीति/नीतियां हैं.....	हां	हां कंपनी की गुणवत्ता और पर्यावरण नीतियां हैं जो सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करती हैं।	हां	हां यह कंपनी की आचरण संहिता, मानव संसाधन नीतियों और विभिन्न अन्य मानव संसाधन प्रथाओं में शामिल है	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
2	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप है?	हां	–	हां	नहीं	–	हां	–	हां	–
4	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
5	क्या कंपनी में निदेशक मंडल की कोई विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी हैं, जो नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6	नीति के ऑन लाईन अवलोकन के लिए लिंक का उल्लेख करें	–	–	–	@	–	*	–	@	–
7	क्या सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से नीति से अवगत करा दिया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कोई इन–हाउस व्यवस्था स्थापित है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
9	क्या कंपनी में ऐसी कोई शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित है, जो नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों का निवारण करे?	हां	–	हां	नहीं	–	नहीं	–	नहीं	–
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यचालन के बारे में किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच करवाई है?	नहीं	–	नहीं	नहीं	–	हां	–	हां	–

2 क. यदि क्रमांक 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया यह बताएं कि ऐसा क्यों हैं: (2 विकल्पों को चिन्हित करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	कंपनी ऐसी व्यवस्था में नहीं है कि वह विशिष्ट सिद्धांतों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन और कार्यान्व्यन करे	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन और श्रम शक्ति नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	यह कार्य आगामी छः महीनों में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	यह कार्य आगामी एक वर्ष में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	इस्पात के क्षेत्र में कंपनी अग्रणी स्थिति में है और अनेक अग्रगामी उपलब्धियां प्राप्त करने का रिकार्ड है तथा कंपनी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से वार्ता करके इन उपलब्धियों का लाभ देश के संपूर्ण इस्पात उद्योग को पहुंचाया है। इसलिए किसी औपचारिक नीति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।		ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने एवं उनकी पूर्ति करने के लिए कम्पनी व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं स्थापित हैं। ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स का आकलन ग्राहकों से नियमित रूप से प्राप्त होने वाले फीडबैक से किया जाता और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी स्थापित की गई है।

* - http://sail.co.in/pdf/corporateenvironmentalpolicy.pdf
@ - http:// sail.co.in/pdf/csrpolicy.pdf

- **कम्पनी की किसी व्यवसाय प्रभावी लोक अथवा विनियामक नीति में संलिप्तता नहीं है।**

3. व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित शासन (गवर्नेंस):
   - **निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कम्पनी के बीआर निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है। 3 माह में, 3–6 माह में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक**

     वार्षिक
   - **क्या कम्पनी बीआर अथवा संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?**

     जी, हां। कम्पनी संवहनीयता रिपोर्ट के अंक प्रकाशित करती है। रिपोर्ट का इलैक्ट्रानिक वर्जन कम्पनी की वेबसाइट पर मध्यवर्ती वर्ष में अपलोड किया जाता है। संवहनीयता रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक http://www.sail.co-in/ है।

खंड ङ : सिद्धांत–वार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसाय को स्वयं शासन एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के साथ किया जाना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को कम्पनी की नीति में शामिल किया गया है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कम्पनियों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ /अन्यों के लिए किया गया है?**

   जी नहीं, इन नीतियों का कार्यान्वयन सेल द्वारा किया जाता है तथा यह कम्पनी के कर्मचारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/बोलीदाताओं इत्यादि को कवर करती है।

   एक उत्तरदायी कॉरपोरेट सिटीजन होने के नाते सेल द्वारा न केवल अपने व्यवसाय अत्यधिक आचारपूर्ण व्यवहार में किए जाते हैं अपितु सेल अपने कर्मचारियों को भी आचारपूर्ण मानकों को अपनाने तथा आसपास के समुदायों के बीच उसकी छाप छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

   कम्पनी में आचरण, अनुशासन एवं अपील (सीडीए) नियमावली लागू है जिसमें कम्पनी के अधिकांश अधिशासियों के लिए लागू आचार संहिता दी गई है जबकि सेल के सम्बद्ध संयंत्रों/यूनिटों के गैर–अधिशासी कामगारों को मानक आदेश (संघ तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुए त्रैपक्षीय करार) में उल्लिखित आचरण/अनाचरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। जुलाई, 2007 में कम्पनी द्वारा ₹ 100 करोड़ मूल्य अथवा उससे ऊपर के सभी ठेकों/अधिप्राप्तियों के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वित की गई है। इसके पश्चात और अधिक ठेकों/अधिप्राप्तियों को शामिल किए जाने के लिए इस निर्धारित राशि को घटाकर ₹ 20 करोड़ कर दिया गया था तथा सीएमओ विभागीय मालगोदामों द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी अनुबंधों को, निर्धारित राशि को विचार में लिए बिना, भी सत्यनिष्ठा संधि में कवर किया गया है। सेल के साथ व्यवसाय संव्यवहार करने वाले बोलीदाताओं/ठेकेदारों/एजेंसियों के संबंध में व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित किए जाने के दिशानिर्देश कार्यान्वित किए गए हैं तथा उन्हें सत्यष्ठिा संधि के अंतर्गत लाया गया है जिसमें सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारों के प्रति भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी सहित अनैतिक व्यवहार करते हुए पाए जाने की स्थिति में उचित कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था की गई है।

   आचरणपूर्ण व्यवहार के प्रसार, विशेषतः समाज में, के लिए सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्ष 2011 में एथिक्स क्लब की स्थापना की गई है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदेयता, संवेदना, एकता तथा देशप्रेम इत्यादि के प्रमुख मूल्यों पर ध्यान केन्द्रित करके इसका शिक्षण प्रदान करना पाठ्यक्रम के अलावा एथिक्स क्लब का एक अतिरिक्त क्रियाकलाप है। राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, सालेम तथा भद्रावती जैसे अन्य नगरों में स्थित सेल की टाउनशिपों में भी इस प्रक्रिया का प्रारम्भ किया गया है तथा एथिक्स क्लब के सदस्यों की संख्या आज कई हजारों में है। इस क्लब के लिए 11 से 16 वर्ष का कोई विद्यार्थी स्वैच्छिक तौर पर सदस्यता प्राप्त कर सकता है। क्लब के सदस्यों को एथिक्स के युवा चैम्पियन कहा जाता है। सेल का ऐसा मानना है कि आयु के प्रारंभिक दौर में युवा चैम्पियनों में व्याप्त आचरण मूल्य भविष्य में संधारणीय आचार विकास में अपना योगदान अवश्य देंगे।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है?**

   वर्ष 2018–19 के दौरान सेल के सतर्कता कार्यालय में केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा इस्पात मंत्रालय सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 842 शिकायतें प्राप्त की गई हैं। शिकायतों की जांच कम्पनी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सिस्टम एवं प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों इत्यादि के संदर्भ में की गई थी तथा इन शिकायतों के अनुसार ध्यान में लाई गई अनियमितताओं के साथ–साथ अपेक्षित प्रक्रियात्मक सुधारों को कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन की जानकारी में लाया गया था जिनके संबंध में प्रबंधन द्वारा सहमति देते हुए कार्यान्वयन कर लिया गया था। इस प्रकार, ऐसा माना जा सकता है कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार लगभग 100% शिकायतों का समाधान कर लिया गया था।

सिद्धांत 2: व्यवसाय के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके जीवन क्रम में संवहनीयता को योगदान प्राप्त होता हो।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।**

   i) माइक्रो–एलॉयिंग के बिना उच्च शक्ति के आईपीई600 स्ट्रक्चरों का विकास एनबी, वी तथा टीआई जैसे माइक्रो–एलॉयिंग घटकों के संरक्षण के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग उच्च शक्ति के इस्पात में करने से संरचनाओं का डिजायन न्यून खंड में तैयार किया जा सकेगा जिससे इस्पात का उपयोग कम होगा और ऐसा होने के कच्ची सामग्री/संसाधनों के उपयोग में तथा इस्पात के उत्पादन के लिए अपेक्षित ऊर्जा खपत में कमी आएगी। खनन, न्यून प्रदूषण स्तर इत्यादि के संदर्भ में इससे सीधा प्रभाव पर्यावरण पर होगा।

   ii) आईएस 2062ई250 बीआर एनपीबी200 तथा एमबी300 संरचना खंडों का विकास किसी शक्ति विशेष तथा अपेक्षित उपयोज्यता के लिए इष्टतम खंडीय प्रोफाइल प्रदान करके संरचना की कार्यकुशलता एवं संरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य हल्के एवं कुशल खंड प्रदान करके संरचना के वजन को कम करना है। इससे संरचना की अपेक्षित सुरक्षा के प्रति किसी प्रकार के जोखिम के बिना नैसर्गिक संसाधनों तथा ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण में सहयोग मिल सकेगा।

   iii) आईएस 2062ई250 बीआर बी200 तथा एमबी250 तथा एनपीबी250 संरचना खंडों का विकास किसी शक्ति विशेष तथा अपेक्षित उपयोज्यता के लिए इष्टतम खंडीय प्रोफाइल प्रदान करके संरचना की कार्यकुशलता एवं संरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य हल्के एवं कुशल खंड प्रदान करके संरचना के वजन को कम करना है। इससे संरचना की अपेक्षित संरक्षा के प्रति किसी प्रकार के जोखिम के बिना नैसर्गिक संसाधनों तथा ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण में सहयोग मिल सकेगा।

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, इत्यादि) प्रति यूनिट उपयोग (वैकल्पिक):**

   i) **पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है।**

सेल में उत्पादन की प्रति यूनिट खपत	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
विशिष्ट जल खपत (एम³/टीसीएस)	3.44	3.62
पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन लोड (एम²/टीसीएस)	0.70	0.74
कोक दर (किलोग्राम/टीएचएम)	453	456

   ii) **उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के पश्चात से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है?**

   यह सूचना उपलब्ध नहीं है

3. **क्या कम्पनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत धारणीयता के लिए स्रोत किया जाता है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

   सेल की कैप्टिव खानों में से नियमित आपूर्तियों के अलावा कोकिंग कोयला, फ्लक्स (लाइमस्टोन, डोलोमाइट), इत्यादि जैसी कुछ इनपुट सामग्रियों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अथवा स्थापित आपूर्तिकताओं से किए गए दीर्घकालिक करारों के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। आईएसओ–14000 के साथ संयंत्रों तथा यूनिटों के प्रमाणन के लिए पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था (ईएमएस) स्थापित है। कार्बन फुटप्रिंटों को न्यूनतम करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। खानों तथा पोर्टों से संयंत्र तक प्रत्येक कच्ची सामग्री का परिवहन मुख्यत रेल से किया जाता है। विधिवत स्थापित व्यवस्था एवं प्रतिस्पर्धी क्रय प्रक्रियाओं के कारण संधारणीय स्रोत की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

   भारत सरकार की नीति के अनुसरण में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुछ श्रेणियों की प्राप्ति लघु एवं मध्यम उद्योगों (एसएमई) से की जाती है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति का अनुसरण करते हुए स्थानीय तौर पर अधिप्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रमुख संयंत्रों में स्थानीय स्तर की नीति है जिससे वे वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति संयंत्र के आसपास के स्थानों पर स्थित महिला समिति/समाज, सैल्फ हैल्प ग्रुपों (एसएचजी) इत्यादि सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से कर पाते हैं। सेल संयंत्रों द्वारा वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन आवधिक रूप से किया जाता है जिससे स्थानीय एवं छोटे वेंडरों में क्षमता एवं सक्षमता का निर्माण हो पाता है। इसके अलावा, संयंत्र/यूनिटों द्वारा सामग्री का क्रय जीईएम पोर्टल से किया जाता है जहां लगभग 30% आपूर्तिकर्ता लघु एवं मध्यम उद्योगों से हैं।

5. **क्या कम्पनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का प्रतिशत क्या है? (<5%, 5–10%, >10% के अनुसार पृथक–पृथक) इसके अलावा इसके संबंध में 50 अथवा अधिक शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।**

   सेल संयंत्रों तथा यूनिटों द्वारा विभिन्न प्रकार की सोलिड वेस्ट यथा स्लैग, फ्लू डस्ट, वेस्ट रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स इत्यादि का उपयोग 4आर के सिद्धांतों (रिड्यूज, रिकवर, रीसाइकल एवं रियूज) के अनुसार बढ़ाने के भरसक प्रयास किए गए हैं। कुल उत्पन्न सोलिड वेस्ट में से सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली बीएफ स्लैग वेस्ट की प्रक्रिया सीमेंट उद्योग में आगे इनपुट सामग्री के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र के माध्यम से होती है। दूसरी तरफ, बीओएफ स्लैग का उपयोग कुछ सीमा तक सिन्टर निर्माण के माध्यम से तथा ऑयरन निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में लाइमस्टोन के आंशिक विकल्प के तौर पर होता है। इसके अलावा, बीओएफ स्लैग का उपयोग आंतरिक रूप से सड़क निर्माण के लिए तथा संयंत्र परिसरों के भीतर रेल ट्रैक पर गिट्टी के तौर पर बिछाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान 95.89 प्रतिशत बीएफ स्लैग तथा 55.94 प्रतिशत बीओएफ स्लैग का उपयोग किया गया है।

   मिल स्केल तथा लाइम/डोलो फाइन्स जैसे अन्य अपशिष्ट को सिन्टर निर्माण के लिए पूरी तरह से रिसाइकिल किया जाता है तथा वेस्ट रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स का पूर्ण उपयोग या तो बाह्य एजेंसियों को बेचकर अथवा आंतरिक रूप में उपयोग करके किया जाता है। अपशिष्टों के पुनःउपयोग तथा रिसाइकलिंग का विवरण सेल की पर्यावरण नीति में किया गया है तथा तदनुसार विभिन्न प्रचालनों से उत्पन्न सोलिड वेस्ट के अधिकतम उपयोग के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं।

   वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 23% सोलिड वेस्ट को रिसाइकल किए गए थे/85.17% सोलिड वेस्ट का पुनःउपयोग किया गया था। इसके साथ–साथ कोक ओवन गैस, बीएफ गैस तथा बीओएफ गैस जैसे बॉयो उत्पादों का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ईंधन के तौर पर किया जाता है।

सिद्धांत 3: व्यवसाय में सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1. **कृपया सेल में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   1.4.2019 की स्थिति के अनुसार सेल के कर्मचारियों की संख्या 72339 (अधिशासी: 11851; गैर–अधिशासी: 60488) है।

2. **कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   दिनांक 1.4.2019 की स्थिति के अनुसार सेल के संयंत्रों/यूनिटों के संविदा श्रमिकों की कुल संख्या 69121 है।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   1.4.2019 की स्थिति के अनुसार सेल में स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 4157 है (अधिशासी : 913, गैर–अधिशासी:3244)

4. **कृपया दिव्यांगता वाले कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   1.4.2019 की स्थिति के अनुसार सेल के संयंत्रों/यूनिटों में दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या 782 है (अधिशासी :132, गैर–अधिशासी: 650)

5. **क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?**

   संयंत्र/इकाई स्तर पर अधिकतम गैर–कार्यकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व वाली ट्रेड यूनियनों को प्रक्रिया के अनुसार मान्यता दी जाती है। शीर्ष स्तर पर, इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस), एक द्विपक्षीय मंच जिसमें पांच केंद्रीय व्यापार संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं अर्थात् आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस और बीएमएस हैं और मुख्य संयंत्रों के मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधि, सभी गैर–कार्यकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकारियों का प्रतिनिधित्व उनके संयंत्र/इकाइयों के संबंधित अधिकारी संघ (ओए) द्वारा किया जाता है जो इस्पात अधिकारियों की फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) से संबद्धित है तथा सेल के प्रतिनिधि अधिकारियों का शीर्ष निकाय है।

6. **कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?**

   सेल के लगभग सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियन अथवा अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं।**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
बाल/बलित/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
लैंगिक उत्पीड़न	7	2
पक्षपात पूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है?**

   इस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। निष्पादन प्रबंधन व्यवस्था के अंर्तगत प्रत्येक कार्यकारी अधिकारी से प्रबंधन को यह सूचित करने के लिए कहा जाता है कि अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए उसे कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

   महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (तकनीकी/प्रबंधकीय/कार्यात्मक) दिया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 44,369 (कुल कर्मचारियों का 61%) नियमित कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया था। वर्तमान में सेल आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कर रही है जिसमें संविदा कर्मचारी विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। 100% संविदा श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है जो संयंत्र परिसर हेतु गेट पास जारी करने के लिए अनिवार्य है। कार्यस्थल पर नौकरी के दौरान भी संविदा श्रमिकों के कौशल उन्नयन का ध्यान रखा जाता है।

सिद्धांत 4: व्यवसाय में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक , विशेषत: वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

1. **क्या कम्पनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का निर्धारण किया है?**

   जी, हां।

2. **उपर्युक्त में से क्या कम्पनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों का निर्धारण किया है ?**

   स्टेकधारकों को प्राप्त अधिकारों के प्रति कभी किसी प्रकार का पक्षपात अथवा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है।

3. **सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों की सेवाओं के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।**

   कम्पनी द्वारा किए गए कुछ विशेष प्रयासों का उल्लेख नीचे किया गया है:

   i) आदिवासियों की भावी पीढ़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में लगभग 524 आदिवासी बच्चों को ज्ञानोदय छात्रावास, भिलाई तथा बीएसपी स्कूल, राजहारा, बरहोर्स (एक लुप्त प्राय: आदिवासी जाति) को ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत बोकारो,सारांदा सुवन छात्रावास, किरिबुरू, आरटीसी रेजिडेंशियन पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर ओर माइन्स के उन्मुक्त वातावरण में बोर्डिंग, लॉजिंग एवं सम्पूर्ण आहार, वस्त्र, मुफ्त चिकित्सा उपचार, खेल एवं सांस्कृतिक अवसरों में प्रतिभागिता के साथ मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

   ii) किरिबुरू खानों में स्थापित एकलव्य तीरंदाजी अकादमी निकटवर्ती जनजातीय क्षेत्र के 21 युवाओं (9 लड़कियों तथा 12 लड़कों) को मॉडर्न आर्चरी में नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करके खेल के लिए मंच उपलब्ध करवा रही है। आरएमडी उन्हें स्पोर्टस कोचिंग के साथ–साथ नि:शुल्क स्कूली शिक्षा, छात्रावास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इन कैडेटों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में अपने बल पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। .

   iii) 34 वरिष्ठ नागरिकों को मान एवं सम्मान से युक्त घरेलू वातावरण में निवास करने के अवसर प्रदान करने के लिए सियान सदन में मनोरंजन सुविधाओं से युक्त 20 पूर्ण सुसज्जित कमरों में ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है। इन बुजुर्गों के कल्याण और मनोरंजन के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से दैनिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है।

सिद्धांत 5: व्यवसाय के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

1. **क्या कम्पनी की मानवाधिकार नीति में केवल कम्पनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी होती है?**

   कम्पनी में कोई मानवाधिकार नीति नहीं है। तथापि, अधिकांश पहलुओं को कम्पनी ने अपनी व्यवसाय संव्यवहार एवं आचरण संहिता एवं विभिन्न मानव संसाधन नीतियों तथा व्यवहारों में शामिल किया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने स्टेकधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?**

   वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्टेकधारकों से कुल 18 शिकायतें प्राप्त की गई थी तथा सभी शिकायतों का समाधान वर्ष 2018–19 के दौरान कर दिया गया था।

सिद्धांत 6: व्यवसाय के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुन: बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कम्पनी को ही कवर किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी होती है?**

   सेल में नीति एवं रणनीति का निर्माण कम्पनी के विजन एवं अवधारणों के अंतर्गत विधिवत निर्मित प्रक्रिया से किया जाता है। सेल के विजन, रणनीतियों एवं नीतियों में स्थिरता का मूल तत्व शामिल है। विविध प्रकार की नीतियों में स्थिरता की अवधारणा पर केन्द्रित गुणवत्ता, पर्यावरण एवं सुरक्षा इत्यादि को शामिल किया गया है। संयंत्र स्तर पर मानव संसाधन व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संचार, अनुरक्षण, टाउनशिप, ऊर्जा प्रबंधन एवं सामाजिक उत्तरदेयता इत्यादि की नीतियां भी स्थिरता विकास की संकल्पना पर केन्द्रित हैं।

   सेल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति में स्वच्छतर एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग, खोदे गए गढ्ढों एवं परित्यक्त स्थलों को भरने के माध्यम से संयंत्रों तथा खानों के आसपास के क्षेत्रों में अपने सभी क्रियाकलापों में सुदृढ़ पर्यावरण व्यवहारों के उपयोग से स्वच्छ एवं संवहनीय पर्यावरण के अनुरक्षण की व्यवस्था है। इस नीति में सुदृढ़ ऑडिट तंत्रव्यवस्था तथा पारदर्शी रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से पर्यावरण की नियमित मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है तथा उत्सर्जन, उत्प्रवाह एवं परिवेशी वायु गुणवत्ता की जाती है तथा उपलब्ध डाटा पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करवाया जाता है।

   एक अनिवार्य स्वैच्छिक पहल के तौर पर पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था के कार्यान्वयन को आईएसओ 14001 मानकों से सम्बद्ध किया गया है जिससे यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी उपकरण बन गया है। इस व्यवस्था को अपनाकर सेल द्वारा स्टेकधारकों की चिंताओं का समाधान किया गया है।

2. **क्या कम्पनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की रणनीतियां/उपक्रम स्थापित हैं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।**

   जी, हां। सेल एक उत्तरदायी कॉरपोरेट इकाई है तथा इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन का अल्पीकरण प्रौद्योगिकी उन्नयन, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के स्रोत, नई प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के व्यवस्थापन तथा विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के प्रतिस्थापन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। ऐसे सभी प्रयास स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अंगीकार किए जाने पर अधिक बल देकर किए जाते हैं जिससे पिछली पांच वर्षों के दौरान विशिष्ट कार्बन डॉयोक्साइड उत्सर्जन लगभग 3 प्रतिशत तक कम कर लिया गया है।

   सेल अपने कार्बन फुटप्रिंट तथा सीओ$_2$ के प्रच्छादन के सामर्थ्य का मूल्यांकन अपने विद्यमान बॉयोटिक संसाधनों के माध्यम से करना चाहती है। वनारोपण के माध्यम से कार्बन प्रच्छादन किए जाने की एक परियोजना राउरकेला इस्पात संयंत्र में की जा रही है जिसमें सीओ$_2$ का उत्सर्जन एवं उत्पन्न कार्बन का सिस्टम में वापस स्थापित करने के प्रच्छादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

   सेल द्वारा पिछले आठ वर्षों से संवहनीय विकास नीति को भी अपनाया गया है तथा वैश्विक रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों (जीआरआई) के अनुसार अपनी कॉरपोरेट संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.sail.co.in) के कॉरपोरेट सिटीजन खंड में उपलब्ध है।

   कम्पनी के रणनीतिक/उपक्रमों में जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक पर्यावरण मामलों को विचार में लिया गया है जो की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके लिए हाइपरलिंक https://www.sail.co.in/sites/default/files/Climate_Change.pdf है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं**

   जी, हां। कम्पनी द्वारा उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति को अंगीकार किया गया है तथा इसके द्वारा संभावित पर्यावरणीय जोखिमों के लिए विधिवत परिभाषित तंत्रव्यवस्था भी स्थापित की गई है।

4. **क्या कम्पनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है।**

सेल द्वारा काफी समय पूर्व ऐसी ऊर्जा कुशल परियोजनाओं का निर्धारण किया गया था जिन्हें आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वन के दौरान स्वच्छ विकास तंत्रव्यवस्था (सीडीएम) के लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था। इनमें से नीचे प्रस्तुत छः परियोजनाओं वैद्यकरण वीसीएस एवं आईएसओ मानकों के अनुसार सत्यापित उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए हुआ थाः

1. भिलाई इस्पात संयंत्र में पीबीएस (पीपी–1) के बॉयलर नम्बर 6 में ब्लास्ट फर्नेस गैस फायरिंग सिस्टम की स्थापना।
2. आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र में बॉयलर यूनिट बी के ऊर्जा संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस गैस फायरिंग सिस्टम की स्थापना।
3. राउरकेला इस्पात संयंत्र में सिंटर संयंत्र–1 के दोनों किनारों में मल्टी–स्लिट बर्नर की स्थापना।
4. भिलाई इस्पात संयंत्र में सिंटर संयंत्र नम्बर 3 के सिंटर कूलर का हीट रिकवरी सिस्टम।
5. भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्फोट भट्टी नम्बर 3 तथा 4 में बेहतर संचलन दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के लिए विद्युत आपूर्ति का थीरिस्टोराइजेशन।
6. बोकारो इस्पात संयंत्र के सिंटर संयंत्र में मल्टी–स्लिट बर्नर की स्थापना। लगभग 1.37 मिलियन टन कॉर्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन क्रेडिट जमा हुए हैं।

यह सब स्वैच्छिक स्वरूप में किया गया है। अतः इस अनुपालन को अनिवार्य रूप से फाइल की जाने की अपेक्षा नहीं की गई है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।

जी, हां। सेल द्वारा अपने आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम के दौरान अद्यतन उत्कृष्ट स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को पहले से कार्यान्वित कर लिया गया है। ऐसी कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों में : कोक ड्राई कूलिंग संयंत्र (सीडीसीपी) के साथ टॉलर कोक ओवन बैटरी, टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) और चूर्णित कोल इंजेक्शन (पीसीआई) सिस्टम के साथ बड़े ब्लॉस्ट फर्नेस, सिन्टर कूलर से हीट रिकवरी सुविधा से युक्त सिन्टर संयंत्र, रोलिंग मिलों में वॉकिंग बीम रिहिटिंग फर्नेस, ऊर्जा उत्पत्ति के लिए गैस–फायर्ड बॉयलर्स इत्यादि शामिल हैं।

आरएसपी में पावर प्लांट के सौर पैनल।

सेल द्वारा एक कॉरपोरेट इकाई के तौर पर अपने संयंत्रों तथा यूनिटों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही के वर्षो के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित कर ली गई हैं:

- 1 एमडब्ल्यू का ग्राउंड माउंटिड सौर ऊर्जा संयंत्र जो आरएसपी में राज्य विद्युत बोर्ड की इलैक्ट्रिक्ल ग्रिड व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
- 3 एमडब्ल्यू के रूफ टॉप सौर ऊर्जा यूनिट जिन्हें संयंत्रों एवं यूनिटों के विभिन्न भवनों में स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, निम्नलिखित परियोजनाओं/योजनाओं के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पत्ति के कार्य प्रगति पर हैं:–

- मंदिरा बांध, आरएसपी में 10 एमडब्ल्यू हाइडैल ऊर्जा संयंत्र जिसके लिए आरएसपी तथा ग्रीन एनर्जी डेवलमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के मध्य हस्ताक्षरित संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की योजना के अंतर्गत विभिन्न भवनों पर 6.195 एमडब्ल्यू रूफ टॉप सौर यूनिट की स्थापना।

सेल द्वारा निम्नलिखित स्थलों पर लगभग 240 एमडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पति के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं:–

- बोकरो सौर ऊर्जा संयंत्र से 120 एमडब्ल्यू क्षमता
- सालेम सौर ऊर्जा संयंत्र से 50 एमडब्ल्यू क्षमता
- राउरकेला सौर ऊर्जा संयंत्र से 40 एमडब्ल्यू क्षमता
- कुल्टी सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 एमडब्ल्यू क्षमता
- भिलाई सौर ऊर्जा संयंत्र से 7 एमडब्ल्यू क्षमता

स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कौशल, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि की उपयोज्यता के लिए किए गए उपर्युक्त प्रयास के संदर्भ https://www.sail.co.in/sites/ default/files/ClimateChange.pdf में दिए गए हैं।

6. क्या वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा हैं?

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा सेल संयंत्रों और खानों को 'ऑपरेट करने की सहमति' प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। 'संचालन करने की सहमति' में निर्धारित शर्तों के अनुसार वायु उत्सर्जन और निर्हन गुणवत्ता के लिए संबंधित मानदंडों का अधिकतर पालन किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार उत्पन्न विभिन्न अपशिष्टों को पर्यावरण–अनुकूल तरीके से संभाला और निपटाया जाता है। इन्हें कम्पनी द्वारा सीपीसीबी/एससीपीबी को नियमित आधार पर भी सूचित किया जाता है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से दो भिन्न संयंत्रों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो दिशानिर्देश प्राप्त किए गए हैं। सम्बद्ध प्राधिकारियों से सम्पर्क करके समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार कर ली गई है तथा दोनों दिशानिर्देशों की अधिकांश शर्तों का पालन कर लिया गया है।

सिद्धांत 7ः व्यवसाय के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

1. क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।

कम्पनी निम्नलिखित की सदस्य हैः

क. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
ख. एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एस्सोचम)
ग. सेन्टर फॉर आर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट (सीओडी)
घ. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)
ङ. कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेन्टर (सीडीसी)
च. फोरम ऑफ वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस)
छ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटल्स (आईआईएम)
ज. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स (आईआईपीई)
झ. इंडो यूएसएसआर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आईयूसीसीआई)
ञ. इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (आईपीई)
ट. इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट (आईआरटी)
ठ. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट (पीएमए)
ड. द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी)
ढ. वर्ल्ड कंफेडेरेशन ऑफ प्रोडिक्टविटी साइंस (डब्ल्यूसीपीएस)
ण. स्टेंडिंग कांफ्रेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (स्कोप)
त. इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए)
थ. इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी)
द. ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पलाइज (एआईओई)

2. क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है/सहयोग प्राप्त किया है। हां/नहीं। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समेकित विकास नीतियां, ऊर्जा संरक्षण, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

जी, नहीं

सिद्धांत 8ः व्यवसाय के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

1. क्या कम्पनी का सिद्धांत–8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।

जी, हां। सेल का सामाजिक उद्देश्य ही कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) का निर्वाह करना है। इस्पात निर्माण के व्यवसाय के साथ–साथ कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय संव्यवहार ऐसे स्वरूप में किए जाते जिनमें समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें। किसी भी संगठन के सामाजिक दायित्व उसके व्यवसाय से समाज पर होने वाले प्रभावों से प्रारम्भ होते हैं।

मूलभूत विचार तथा लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव स्थापित करने के उद्देश्य से सेल द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों की संरचना एवं क्रियान्वयन के कार्य प्रारम्भ से ही इसी अवधारणा से किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप सेल के संयंत्रों के आसपास स्थित अज्ञात गांव आज औद्योगिक हब के रूप में परिवर्तित हो गए हैं।

सेल के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्रयास कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नियमावली, 2014 के उपबंधों के अनुरूप किए जाते हैं। सेल द्वारा अपनी सीएसआर परियोजनाओं का सम्पादन इस्पात टाउनशिपों, खानों तथा देश में दूर स्थित कोनों में ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है जिनमें आदर्श इस्पात ग्राम (एमएसवी), का अनुरक्षण करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, टीकाकरण, प्रसव पूर्व एवं पश्च सेवाएं, शिक्षा, जल सुविधाओं की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पर्यावरण संवहनीयता, महिला सशक्तीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संवहनीय आय उत्पत्ति, वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, दिव्यांगों, खेल प्रोत्साहन, कला एवं संस्कृति इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनों को आंतरिक दलों/अपनी फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?

निदेशक मंडल स्तर पर गठिन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के दिशानिर्देशन में सेल की अनुमोदित वार्षिक योजना में सूचीबद्ध सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन आंतरिक संसाधनों अथवा निर्धारित योग्य बाह्य एजेंसी अथवा एनजीओ/विशेषज्ञ एजेंसियों/संस्थानों/सोसायटियों के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कम्पनी की सीएसआर नियमावली एवं सीएसआर नीति के अंतर्गत किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाओं का स्वरूप दीर्घकालिक/निरंतर प्रकृति का होता है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मिड–डे भोजन, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से

संवहनीय जीविका उत्पत्ति इत्यादि अतः कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से उन्हें प्राप्त विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है जैसे कि मिड–डे भोजन परियोजना का कार्यान्वयन भिलाई तथा राउरकेला में अक्षय पात्र फाउंडेशन, राउरकेला के घेरे में स्थित ग्रामों के लिए जल एवं स्वच्छता परियोजना का कार्यान्वयन ग्राम विकास के सहयोग से, बोकारो में संवहनीय जीविका उत्पत्ति परियोजना का कार्यान्वयन झारक्राफ्ट के माध्यम से तथा विभिन्न संयंत्रों/यूनिट स्थलों पर रामकृष्ण मिशन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

केवल ऐसे मामलों में जहां किसी सीएसआर परियोजना के लिए विशिष्ट एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो कम्पनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार सुदृढ़ साख एवं ट्रैक रिकार्ड वाले बाह्य कार्यान्वयन पार्टनर का निर्धारण सीएसआर परियोजना की ऐसी कार्रवाईयों के लिए किया जाता है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

सेल के प्रत्येक संयंत्र/यूनिट में उच्च स्तरीय समिति स्थापित है जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक द्वारा की जाती है तथा यह समिति संबंधित संयंत्र/यूनिट में कार्यान्वयन के लिए सीएसआर परियोजनाओं का निर्धारण करती है। यही समिति ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति एवं सम्पादन की निगरानी के साथ–साथ किए गए सीएसआर प्रयासों से प्राप्त सामाजिक लाभों का ऑडिट भी करती है।

कम्पनी की सीएसआर तथा सवंहनीयता प्रयासों के प्रभाव मूल्यांकन/सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया वर्ष 2015 तथा 2016 के दौरान बाह्य व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से भी की गई है।

इसके अलावा, सेल में एक सुदृढ़ आंतरिक तंत्र व्यवस्था स्थापित है जो सीएसआर तथा सवंहनीयता के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों/प्रयासों को मॉनीटर करती है। निदेशक मंडल की सीएसआर उप समिति द्वारा नियमित आधार पर सीएसआर क्रियाकलापों तथा सवंहनीयता के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती है।

4. **सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कम्पनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? परियोजनाओं का विवरण तथा भारतीय रुपए में किए गए व्यय का विवरण दें।**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% भाग सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है। कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान घाटे उठाए जाने के तथ्य के बावजूद भी सेल के निदेशक मंडल द्वारा जारी सीएसआर क्रियाकलापों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की अनुरूपता के अनुसार) को जारी रखने के लिए बजट निर्धारण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के पश्चात से सीएसआर बजट निर्धारण तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

वर्ष	सीएसआर निर्धारण	सीएसआर व्यय
2016–17	29.34 (इसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 की अप्रयुक्त ₹ 24 करोड़ की राशि शामिल है)	29.05
2017–18	26.00 (इसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 की अप्रयुक्त ₹ 0.29 करोड़ की राशि शामिल है)	25.70
2018–19	30.00 (इसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 की अप्रयुक्त ₹ 0.30 करोड़ की राशि शामिल है)	31.18

सीएसआर के लिए अलग बजट के अलावा भी सेल द्वारा प्रतिवर्ष ₹ 350 करोड़ की राशि का व्यय सेल के संयंत्रों/यूनिटों के आसपास रहने वाले गैर–सेल नागरिकों को सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है तथा यह सुविधा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल की उपलब्धि, खेल कोचिंग, कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन इत्यादि के लिए मुफ्त अथवा अत्यंत मामूली लागत पर प्रदान की जाती है।

सेल के संयंत्र/यूनिट मुख्यतः ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहां के निवासी सुविधाओं से वंचित, कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक हैं।

किए गए सीएसआर क्रियाकलापों का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना "स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रोत्साहन में अपना योगदान देते हुए सेल द्वारा अपने संयंत्रों एवं यूनिटों के आसपास स्थित क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों में, जहां शौचालय नहीं थे अथवा दुष्क्रियाशील थे, 672 शौचालयों का निर्माण करके 100% अनुपालन किया गया है।

सेल द्वारा अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई तथा राउरकेला में स्थित 600 से अधिक सरकारी विद्यालयों में लगभग 64,000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्वास्थ्यवर्द्धक एवं पोषक आहार के रूप में मिड–डे भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

शिक्षाः समाज का विकास शिक्षा के माध्यम से करने के उद्देश्य से सेल द्वारा इस्पात टाउनशिप में एवं उसके बाहर स्थित 77 से अधिक विद्यालयों के लगभग 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय) एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों में स्थित हैं जहां सीएसआर के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा, मिड–डे भोजन, वर्दी, जूते, पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलों तथा परिवहन की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सेवाः सेल के संयंत्रों/यूनिटों के आसपास निवास करने वाले लगभग 1.72 करोड़ निवासियों को गहन एवं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा अवसंरचनाओं में वर्ष 2011–18 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 44,000 ग्राम वासियों सहित 60,000 से अधिक निवासियों के लिए उनके द्वार पर तथा एम्बुलेंस/एमएमयू के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य जांच, प्रयोगशाला जांच, दवाएं, टीकों की सुविधाओं से युक्त लगभग 3050 स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान 710 ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक एवं विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण तथा 1168 साधारण महिलाओं को औद्योगिक एवं कृषि तकनीकों, व्यावहारिक कौशल, हथकरघा प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा गया है। लगभग 816 ग्रामीण युवाओं को विभिन्न आईटीआई केन्द्रों में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

ग्रामीण विकासः सेल द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात से 450 ग्रामों के 79.03 लाख से अधिक लोगों को सेल द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं जिससे दूर–दुरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख लोगों की पेय जल समस्याओं का समाधान हो पाया है।

पर्यावरणीय संवहनीयताः सेल द्वारा अपनी टाउनशिप में पार्कों, जल निकायों तथा वनस्पति उद्यानों का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर रोपित किए गए 50 लाख से भी अधिक वृक्षों का अनुरक्षण किया जा रहा है।

खेल, कला एवं संस्कृतिः सेल द्वारा नियमित रूप से अंतरग्राम खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों एवं टूर्नामेंटों के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, ओजस्वी खिलाड़ियों एवं महिलाओं को बोकारो (फुटबाल), राउरकेला (हॉकी), भिलाई (पुरुष एथेलिटक्स), दुर्गापुर (महिला एथेलिटिक्स) एवं किरिबुरू, झारखंड (तीरंदाजी) के माध्यम से रेजिडेंशियल कोचिंग प्रदान की जाती है।

5. **क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने का सुनिश्चय करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में वर्णन करें।**

सेल के संयंत्र/यूनिटों द्वारा सदैव अनौपचारिक स्टेकधारक प्रतिभागिता के माध्यम से उनके क्षेत्रों में कार्य किए हैं। इस क्रियाओं से उनकी आवश्यकताओं, स्थानीय मामलों को समझने में मदद मिलती है जिसमें ध्यान दिए जाने अथवा मध्यवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। आसपास स्थित ग्रामों के लिए सामान्यतः स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ ग्राम से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में समय के अनुसार बातचीत की जाती है। सेल के संयंत्रों/यूनिटों में स्थानीय प्राधिकरण एवं विभिन्न स्टेकधारकों के साथ परामर्श से सीएसआर क्रियाकलापों की योजना बनाए जाने के लिए विधिवत निर्मित संगठनात्मक तंत्रव्यवस्था स्थापित है।

इसके अलावा, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधार/उन्नयन के कार्य किए जाते हैं जिससे समुदायों में स्वामित्व के भाव की उत्पत्ति होती है तथा सामाजिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों के अंतर्गत ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी स्वरूप में मूल्य वर्द्धक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रारम्भ में कोई भी ग्राहक शिकायत कार्रवाई के लिए लंबित नहीं थी। वर्ष के दौरान विभिन्न ग्राहकों से कुल 2,497 शिकायतें प्राप्त की गई थी जिनमें से 2466 शिकायतों का संतोषजनक समाधान वर्ष में कर लिया गया था तथा शेष 31 शिकायतें (लगभग 1.24%) वर्ष के अंत में लंबित थी।

2. **क्या कम्पनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां/नहीं/लागू नहीं (अतिरिक्त सूचना)।**

सेल द्वारा अपनी प्रत्येक आपूर्ति के साथ ग्राहकों को विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट दी जाती है। पैकेट/कॉयल/हीट नम्बर, आकार, मद की गुणवत्ता की प्रस्तुति लेबल पर स्रोत सत्यापन के लिए की जाती है। ब्रांडिड उत्पादों के मामले में उत्पाद का ब्रांड भी दर्शाया जाता है।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

4. **क्या आपकी कम्पनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?**

जी, हां। ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स के एक संरचित स्वरूप में ग्राहक संतोष स्तर का मापन किया जाता है तथा ऐसा कम्पनी के प्रमुख ग्राहकों के संबंध में हमारे उत्पाद की गुणवत्ता, सेवा एवं मूल्यों के संदर्भ में उनसे प्राप्त होने फीडबैक के आधार पर प्रत्येक माह किया जाता है।

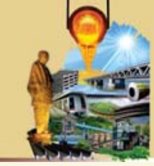

समेकित तुलन–पत्र

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिसंपत्ति			
गैर–चालू परिसंपत्ति			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**59922.27**	57169.57
(ख) पूंजीगत कार्य– प्रगति पर	5	**16013.61**	18395.43
(ग) निवेश संपत्ति	6	**1.09**	0.83
(घ) अमूर्त संपत्ति	7	**1451.14**	1455.03
(ङ) निम्न में उपयोग करने के लिए निवेश इक्विटी पद्धति		**2839.60**	2555.01
(च) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	8	**135.23**	73.85
(ii) व्यापार प्राप्य	9	**–**	–
(iii) ऋण	10	**563.98**	448.28
(iv) अन्य वित्तीय संपत्ति	11	**254.87**	162.64
(छ) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	12	**2866.77**	4161.98
(ज) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	13	**154.09**	190.39
(झ) अन्य गैर–चालू संपत्ति	14	**1356.60**	1078.54
		85559.25	85691.55
चालू संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	15	**19510.33**	17024.30
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	16	**4497.48**	3870.99
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**65.58**	94.00
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	17 (ii)	**222.11**	251.55
(iv) ऋण	18	**54.04**	63.92
(v) अन्य वित्तीय संपत्ति	19	**2161.21**	2772.38
(ग) अन्य चालू संपत्ति	20	**5870.83**	5639.78
		32381.58	29716.92
बिक्री के लिए वर्गीकृत संपत्तियां	21	**11.47**	32.50
कुल संपत्तियां		**117952.30**	115440.97
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**35515.62**	32816.12
(ग) गैर–नियंत्रित ब्याज		**0.01**	0.01
		39646.16	36946.66
देयताएं			
गैर–मौजूदा देनदारियों			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	**30802.66**	29777.16
(ii) व्यापार देयताएं	25		
(क) सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया और छोटे उद्यम	–	**–**	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की तुलना में"लेनदारों की बकाया कुल अन्य राशि		**6.82**	6.38
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	26	**1330.62**	1179.36
(ख) प्रावधान	27	**4295.64**	3974.42
(ग) अन्य गैर–वर्तमान देनदारियाँ	28	**253.19**	138.33
		36688.93	35075.65
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियों			
(i) उधार	29	**10631.22**	12244.32
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया और छोटे उद्यम		**67.45**	48.22
(ख) लेनदारों की कुल बकाया राशि अन्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की तुलना में		**7157.79**	7478.42
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	31	**14738.09**	14190.32
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	32	**6707.26**	7144.75
(ग) प्रावधान	33	**2315.40**	2312.63
(घ) कर की देनदारियां (शुद्ध)	33क	**–**	–
		41,617.21	43,418.66
कुल ईक्विटी और देयताएं		**117952.30**	115440.97
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	3		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

समेकित लाभ एवं हानि का विवरण
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचालन से राजस्व	34	**66973.58**	58966.16
अन्य आय	35	**494.52**	415.19
कुल आय		**67468.10**	59381.35
व्यय			
खपत हुई सामग्रियों की लागत	36	**32402.97**	26737.90
तैयार माल और निर्माणाधीन माल की इंवेंट्री में परिवर्तन	37	**(2716.16)**	1138.82
उत्पाद शुल्क		–	1406.14
कर्मचारी लाभ व्यय	38	**8849.10**	8865.87
वित्तीय खर्च	39	**3154.92**	2822.75
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**3385.34**	3065.97
अन्य खर्चे	40	**18676.16**	16181.82
कुल खर्च		**63752.33**	60219.27
असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि), इक्विटी विधि और कर का उपयोग करने के लिए निवेश के शुद्ध लाभ का भाग		**3715.77**	(837.92)
इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश में लाभ का भाग		**222.87**	284.86
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि)		**3938.64**	(553.06)
घटाएं: असाधारण मद	41	**389.40**	(26.43)
कर से पहले लाभ/(हानि)		**3549.24**	(526.63)
कर व्यय			
वर्तमान कर		**8.67**	7.06
आस्थगित कर		**1,186.99**	(287.90)
कुल कर व्यय		**4.87**	35.61
पूर्व वर्ष		**1,200.53**	(245.23)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**2348.71**	(281.40)
अन्य व्यापक आय			
क (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप		**330.01**	275.32
OCI के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि		**57.96**	8.79
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		**(128.82)**	(97.80)
ख (i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लिए OCI का भाग		**95.75**	0.49
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)		**354.90**	186.80
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/ (हानि)		**2703.61**	(94.60)
मालिकों को देय लाभ			
कंपनी के स्वामी		**2348.71**	(281.40)
अनियंत्रित ब्याज		–	–
		2348.71	(281.40)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय/(हानि)			
कंपनी के मालिक		**2703.61**	(94.60)
अनियंत्रित ब्याज		–	–
		2703.61	(94.60)
प्रति शेयर अर्जित आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10/ – प्रत्येक)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर मूल और डायलूटेड आय (₹ में)	41क	**5.69**	(0.68)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	3		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2018 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	–	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	–	0.12
	1 अप्रैल, 2018 को शेष	**इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31 मार्च, 2019 को शेष**
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	.	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	.	0.12

ख. अन्य इक्विटी (₹ करोड़)

	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय – रिजर्व				
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व	रिटेंड आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	इक्विटी विधि के रूप में निवेश लेखांकन	कुल अन्य इक्विटी	गैर–नियंत्रण ब्याज	योग
1 अप्रैल, 2017 को शेष	504.33	235.10	5,102.76	1,973.64	25,041.72	2.80	51.38	32,911.73	0.01	32,911.74
(हानि) वर्ष के लिए	–	–	–	–	(281.40)	–	–	(281.40)	–	(281.40)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	–	–	–	–	177.52	8.79	0.49	186.80	–	186.80
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	–	–	–	–	**(103.88)**	**8.79**	**0.49**	**(94.60)**	–	**(94.60)**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–	–	(239.75)	239.75	–	–	–	–	–
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	606.80	(606.80)	–	–	–	–	–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	1.38	–	(1.38)	–	–	–	–	–
संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त निवेश के कारण परिवर्तन	6.59	–	–	–	–	–	–	6.59	–	6.59
मालिकों के रूप में अपनी क्षमता में मालिकों के साथ लेन–देन										–
लाभांश	–	–	–	–	(6.31)	–	–	(6.31)	–	(6.31)
लाभांश पर कर	–	–	–	–	(1.28)	–	–	(1.28)	–	(1.28)
गैर–नियंत्रण ब्याज पर लेन–देन	–	–	–	–	(0.01)	–	–	(0.01)	–	(0.01)
31 मार्च, 2018 को शेष	**510.92**	**235.10**	**5,104.14**	**2,340.69**	**24,561.81**	**11.59**	**51.87**	**32,816.12**	**0.01**	**32,816.13**
1 अप्रैल, 2018 को शेष	**510.92**	**235.10**	**5,104.14**	**2,340.69**	**24,561.81**	**11.59**	**51.87**	**32,816.12**	**0.01**	**32,816.13**
(हानि) वर्ष के लिए	–	–	–	–	2,348.71	–	–	2,348.71	–	2,348.71
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	–	–	–	–	214.69	44.46	95.75	354.90	–	354.90
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	–	–	–	–	**2,563.40**	**44.46**	**95.75**	**2,703.61**	–	**2,703.61**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–	–	(730.10)	730.10	–	–	–	–	–
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	383.55	(383.55)	–	–	–	–	–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	2.18	–	(2.18)	–	–	–	–	–
संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त निवेश के कारण परिवर्तन	1.02	–	–	–	–	–	–	1.02	–	1.02
मालिकों के रूप में अपनी क्षमता में मालिकों के साथ लेनदेन										–
लाभांश	–	–	–	–	(4.26)	–	–	(4.26)	–	(4.26)
लाभांश पर कर	–	–	–	–	(0.88)	–	–	(0.88)	–	(0.88)
गैर–नियंत्रण ब्याज पर लेन–देन	–	–	–	–	0.01	–	–	0.01	–	0.01
31 मार्च, 2019 को शेष	**511.94**	**235.10**	**5,106.32**	**1,994.14**	**27,464.45**	**56.05**	**147.62**	**35,515.62**	**0.01**	**35,515.63**

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझीदार
एम. नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझीदार
एम. नं. 060855

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझीदार
एम. नं. 084312

कृते ए के साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए के साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले लाभ/(हानि)	**3549.24**	(526.63)
निम्न के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	**3385.34**	3065.97
अचल संपत्तियों (निवल) के निपटान पर हानि/(लाभ)	**45.27**	72.80
ब्याज आय	**(128.32)**	(9.79)
लाभांश आय	**(1.73)**	(1.85)
वित्तीय खर्च	**3113.23**	2822.75
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव पर अवास्तविक नुकसान / (लाभ)	**41.69**	–
बुरा ऋण और संदिग्ध अग्रिम / प्राप्य के लिए प्रावधान	**65.12**	85.42
अन्य प्रावधान	**177.52**	130.78
संयुक्त उद्यमों से लाभ का हिस्सा	**(222.87)**	(284.86)
लावारिस बैलेंस और वापस लिखे गएअ अतिरिक्त प्रावधान	**(146.86)**	(172.26)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**9877.63**	5182.33
संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तनः		
व्यापार प्राप्ति योग्य	**(677.57)**	(849.46)
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्ति और अन्य संपत्ति	**(38.00)**	(1747.53)
व्यापार देय	**(300.96)**	2307.25
अन्य वित्तीय देनदारियां, अन्य देनदारियां और प्रावधान	**999.82**	2813.91
इंवेंटरी	**(2647.93)**	(1405.91)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह, कार्यशील पूंजी में बाद के परिवर्तन	**7212.99**	6300.59
आयकर भुगतान (शुद्ध)	**2.16**	(137.05)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**7215.15**	6163.54
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद (पूंजीगत कार्य–प्रगति सहित) और अमूर्त	**(3981.19)**	(6757.62)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री / निपटान से आय	**100.71**	153.09
वर्तमान और गैर–वर्तमान निवेशों की खरीद	**26.50**	126.65
सावधि जमाओं (शुद्ध) में परिवर्तन	**29.44**	(13.36)
प्राप्त ब्याज	**128.32**	9.79
प्राप्त लाभांश	**1.73**	1.85
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग) (ख)	**(3694.49)**	(6479.60)
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घ अवधि के उधार (शुद्ध) से आय	**1374.42**	10689.68
अल्पकालिक उधार (शुद्ध) से आय	**(1613.10)**	(7568.72)
प्रदत्त भुगतान लागत	**(3310.40)**	(2851.54)
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**(3549.08)**	269.42
नकद और नकद समकक्षों में वृद्धि (क + ख + ग)	**(28.42)**	(46.64)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**94.00**	140.64
वर्ष के अंत में नकदी और नकद समकक्ष (नोट नंबर 17 (i))	**65.58**	94.00

नकदी प्रवाह के विवरण – भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन के लिए इकाई को ऐसे खुलासे उपलब्ध करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेषों के मध्य मिलान का समावेशन शामिल है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो गया है और आवश्यक प्रकटीकरण नीचे किया गया है। इस संशोधन के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई अन्य प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़)

			गैर–नकदी परिवर्तन		
	31.03.2018 को	**नगदी प्रवाह**	**उचित मूल्य परिवर्तन**	**मौजूदा/गैर–मौजूदा वर्गीकरण**	**31.03.2019 को**
उधार – गैर मौजूदा	29777.16	1,303.22	3,329.99	(3,607.71)	30802.66
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	3271.71	(3,271.71)	–	3607.71	3607.71
उधार– मौजूदा	12244.32	(1,223.77)	(389.33)	–	10631.22

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
संलग्न नोट, इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**
ईडी (एफ़ एंड ए) और कंपनी सचिव	*अध्यक्ष*
	डीआईएनः 03256818

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एण्ड कंपनी	**कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी**	**कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी**	**कृते ए के साबत एण्ड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई	फर्म पंजीकरण सं. 302114ई	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)	**(बेदांत भट्टाचार्य)**	**(विपुल गिरोत्रा)**	**(ए के साबत)**
साझीदार	साझीदार	साझीदार	साझीदार
एम. नं. 063769	एम. नं. 060855	एम. नं. 084312	एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. **कॉरपोरेट जानकारी**

संचालनों की प्रकृति

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ('सेल' या 'मूल कंपनी') सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये सहायक कंपनियां (मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर 'ग्रुप' कहलाती हैं) संयुक्त उद्यम और सहयोगी, मुख्य रूप से देश में स्टील उत्पादन व्यवसाय में लगी हुई हैं।

सामान्य जानकारी और भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन का विवरण

समूह, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा ('एमसीए')) के अनुसार अधिसूचित किया गया है। समूह व संयुक्त उपक्रम और सहयोगी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को 30 मई, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश**

ए) **समग्र विचार**

समेकित वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और माप सारांश का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो नीचे दी गई अवधि के दौरान समान रूप से लागू किए गए थे:

तैयारी का आधार

निम्न को छोड़कर ऐतिहासिक मूल्य के तहत चालू विषयों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

- तय वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जिन्हें लाभ और हानि के आधार पर उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और
- बिक्री के लिए सुरक्षित संपत्ति, वहन राशि से कम और उचित मूल्य से कम पर विक्रय
- परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर परिमित की गई परिसंपत्तियां।

समेकन का आधार

सहायक कंपनियां

सहायक संस्थाएं (संरचित निकाय सहित) वे सभी इकाइयां हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई को नियंत्रित करता है जब समूह के संपर्क में आता है, या उसके पास अधिकार होता है, इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न देता है और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक पूरी तरह से उस तिथि से समेकित हैं जिस पर नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उन्हें तारीख से हटा दिया जाता है। अवधि के दौरान अधिग्रहित या छोड़ी गई सहायक कंपनियों के लाभ/हानि (नुकसान) और अन्य व्यापक आय ('ओसीआई') अधिग्रहण की प्रभावी तिथि से, या निपटान की प्रभावी तिथि तक, जैसा कि लागू हो, मान्यता प्राप्त है। सभी समेकित सहायक कंपनियों के पास 31 मार्च, 2019 की सुसंगत रिपोर्टिंग तिथि है।

समूह संपत्ति और देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर मूल और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को क्रम के आधार पर समेकित करता है। समूह की कंपनियों के बीच परस्पर कंपनी लेन–देन, संतुलन और अवास्तविक लाभ समाप्त हो जाते हैं। जब तक लेन–देन हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं देता तब तक अवास्तविक नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं। सहायक कंपनियों की लेखा नीतियों को बदल दिया गया है जहां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

गैर–नियंत्रित हितों, इक्विटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत, लाभ और हानि और शुद्ध परिसंपत्तियों के एक सहायक के बयान का हिस्सा है जो समूह द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। लाभ/(हानि) और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर–नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही यह गैर–नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। समूह मूल कंपनियों के मालिकों और उनके स्वामित्व के हितों के आधार पर गैर–नियंत्रित हितों के बीच सहायक आय की कुल व्यापक आय या हानि का श्रेय देता है।

समूह गैर–नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेन–देन होता है। स्वामित्व में ब्याज और गैर–नियंत्रित हितों की मात्रा के बीच समायोजन में स्वामित्व हित में इस तरह के बदलाव से सहायक में अपने रिश्तेदार हितों को प्रतिबिंबित होता है। गैर–नियंत्रित हितों के लिए समायोजन की राशि और भुगतान किए गए या प्राप्त किसी भी विचार के बीच कोई अंतर इक्विटी के भीतर मान्यता प्राप्त है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी

ऐसी संस्थाओं में निवेश जिनमें महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है, लेकिन इक्विटी पद्धति के तहत एक नियंत्रित ब्याज का हिसाब नहीं दिया जाता है अर्थात निवेश शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है, अधिग्रहण के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी सद्भावना/पूंजी आरक्षित की पहचान करना, जैसा कि मामला हो सकता है, जो निवेश में अंतर्निहित होगा। निवेश की वहन राशि उसके बाद समायोजित कर दी जाती है ताकि निवेश करने वाले की कुल संपत्ति के हिस्से में पोस्ट अधिग्रहण परिवर्तन हो, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सके। लाभ और हानि के समेकित बयान में निवेशी के संचालन के परिणामों के समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्य सकल लाभांश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। समूह और सहयोगियों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय, प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

- संयुक्त उद्यम – संयुक्त उद्यम में ब्याज का आरंभिक रूप से लागत पर मान्यता के बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है। निवेश की वहन राशि उसके बाद समायोजित कर दी जाती है ताकि निवेश करने वाले की कुल संपत्ति के हिस्से में अधिग्रहण पश्चात परिवर्तन हो, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सके। लाभ और हानि के समेकित बयान में निवेशी के संचालन के परिणामों के समूह का हिस्सा शामिल है। संयुक्त उपक्रम से प्राप्त या प्राप्य लाभांश निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। समूह और संयुक्त उद्यमों के बीच लेन–देन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं।
- संयुक्त संचालन – समूह संयुक्त संचालन की संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय के अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और यह किसी भी संयुक्त रूप से या संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय का संयुक्त हिस्सा है। इन्हें उपयुक्त शीर्षक के तहत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

जब एक इक्विटी–हिसाब निवेश में समूह के नुकसान का हिस्सा बराबर हो जाता है या किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियों सहित इकाई में अपनी रुचि से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान की पहचान नहीं करता है, जब तक कि उसने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या अन्य संस्था का भुगतान नहीं किया है।

बी) **व्यावसायिक संयोजन**

समूह व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में अधिग्रहण विधि को लागू करता है। किसी सहायक का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित विचार की गणना अधिग्रहण तिथि पर हस्तांतरित संपत्तियों के उचित मूल्यों और समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें किसी भी संपत्ति या देयता का उचित मूल्य एक आकस्मिक विचार व्यवस्था से उत्पन्न शामिल होता है। अधिग्रहण की लागत के रूप में खर्च किया जाता है।

व्यापार संयोजन में ग्रहण की गई पहचान योग्य संपत्ति और देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों को शुरू में अधिग्रहण–तिथि पर उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता

सद्भावना को प्रारंभिक रूप से लागत पर मापा जाता है, जो कि हस्तांतरित विचार और गैर–नियंत्रण वाले हितों के लिए मान्यता प्राप्त राशि के अतिरिक्त होने के नाते और शुद्ध पहचान योग्य संपत्ति अधिग्रहित और देनदारियों पर किसी भी पिछले ब्याज का अधिग्रहण किया गया है। यदि अर्जित की गई शुद्ध संपत्ति का उचित मूल्य हस्तांतरित कुल विचार से अधिक है, तो सौदे की खरीद पर परिणामी लाभ ओसीआई में मान्यता प्राप्त है और पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में जमा हुआ है। हालाँकि, अगर सौदे की खरीद का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, तो इकाई ओसीआई के माध्यम से एक ही उपाय के बिना, पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में सीधे लाभ के तौर पर पहचाने जाते हैं।

जहां नकद मूल्य के किसी भी हिस्से के निपटान को स्थगित कर दिया जाता है, भविष्य में देय राशि को विनिमय की तिथि के अनुसार उनके वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है। छूट की दर का उपयोग समूह की वृद्धिशील उधारी दर है, जिस दर पर समान उधार को एक स्वतंत्र निवेशक से तुलनीय नियम और शर्तों के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक विचार को इक्विटी या वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत राशि को बाद में लाभ और हानि के कथनों के अनुरूप मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है।

ब्याज नियंत्रण प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या व्यवसायों से जुड़े व्यापारिक संयोजनों का लेखा–जोखा लिया गया है। संयोजन इकाइयों की संपत्ति और देनदारियों को उनकी वहन मात्रा पर परिलक्षित किया जाता है। लेखांकन नीतियों में सामंजस्य बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों को छोड़कर उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए या किसी भी नई संपत्ति या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

सी) **वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण**

समूह वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है। किसी संपत्ति को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में बेचा या उपभोग किए जाने की उम्मीद या प्राप्ति का इरादा है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर महसूस किए जाने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए एक दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबः

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय होने के कारण है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है और नकदी और नकद के समतुल्य है। आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–वर्तमान संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। रुपये में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचनाओं को तब तक निकटतम दो दशमलव तक गोल कर दिया गया है जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया।

2.2 अनुमान और प्रबंधन निर्णय का उपयोग

समूह के लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के राजस्व और व्यय की राशि वित्तीय विवरणों की सूचित अवधि और नोट्स का खुलासा होता है। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों के लिए किसी भी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वही निर्धारित किया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखा और नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

मूर्त संपत्ति

माल या सेवाओं के उत्पादन या/और आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, लागत पत्रक में, किसी भी बाद में संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान में बताए गए हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपार्जित नकद मूल्य तुल्यता की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने के किसी भी सीधे जिम्मेदार लागत और किसी भी अनिवार्य वर्तमान मूल्य इसके इच्छित क्षयकारी उपयोग के लिए है। प्लांट और मशीनरी में वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति भी शामिल है।

स्व–निर्मित संपत्ति के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपरिव्यय का आवंटन, पूर्व परीक्षण खर्च (राजस्व का शुद्ध) सहित सीधे जिम्मेदार उधार लागत शामिल है।

एक वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन और प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का मूल्य रखने वाले पुर्जों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित प्रमुखों के तहत पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जब उचित हो, तभी यह संभव है कि आने वाले खर्च से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के लिए प्रवाहित हों और मद की लागत मज़बूती से मापा जाना। प्रतिस्थापित वस्तु की ले जाने वाली राशि की पहचान की गई।

50 लाख या अधिक संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की किसी भी मरम्मत को आइटम की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है अगर यह संभावित है कि भविष्य में होने वाले लागत के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे। बदली हुई वस्तु (सामानों) की वहन राशि की पहचान की जाती है।

3.1.3 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट संपत्ति के उपयोगी जीवन से अधिक, संपत्ति की लागत का 5% के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए, सीधी रेखा पद्धति पर मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, जल आपूर्ति और सीवरेज और रेलवे लाइन्स एंड सिडिंग्स और उसके घटक, जहाँ तकनीकी विशेषज्ञों के लिए उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ग्रहण किया गया उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैः

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष में)
फैक्ट्री भवन	35 से 40
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40
जल आपूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे पटरियां और साइडिंग	35 से 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के इन वर्गों के लिए, समूह का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर समूह इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है।

अनुमान के आधार पर किसी भी बदलाव के प्रभाव के कारण प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है।

जहां मूल्यह्रास संपत्ति की ऐतिहासिक लागत एक परिवर्तन से गुजरती है, संपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर संशोधित अप्रकाशित मूल्यह्रास राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान जोड़/विलोपन पर मूल्यह्रास प्रो–राटा के आधार पर इसके अलावा/विलोपन के महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। ₹ 5000 तक की लागत वाली परिसंपत्तियाँ उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास की जाती हैं जिसमें वे उपयोग करते हैं।

भिलाई में स्थित भिलाई विस्तार पावर प्रोजेक्ट (पीपी–II) पर मूल्यह्रास का शुल्क 'कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

पूंजीगत पुर्जों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त जीवन या मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन को प्रदान किया जाता है, जैसा कि आश्वस्त है, जो भी कम हो।

3.2 अमूर्त संपत्तियां

3.2.1 मान्यता और माप

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्तियों के रूप में माना जाता है और सभी संबंधित लागतों को कुल अनुमानित न्यूनतम भंडार के लिए वार्षिक उत्पादन के आधार पर संशोधित किया जाता है। यदि खनन अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो शेष नवीकरण से संबंधित निर्णय के वर्ष में राजस्व से संबंधित शेष राशि वसूल की जाएगी।

अधिग्रहण लागत यानी लाइसेंस के अधिग्रहण से जुड़ी लागत और संबंधित व्यावसायिक शुल्क सहित पता लगाने के अधिकार, वैधानिक वानिकी मंजूरी के लिए भुगतान, जैसा कि आश्यकता अनुसार खनन अधिकार के अलावा इस्तेमाल किया जाता है।

अन्य अमूर्त संपत्तियां

सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और पांस साल या इसे लाइसेंस के समय से अधिक परिशोधित किया जाता है, जो भी कम हो।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे मज़बूती से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति और प्रक्रिया को समूह द्वारा पहचाना जा सके और नियंत्रित किया जा सके। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय राजस्व व्यय के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है, तब मान्यता प्राप्त है।

3.2.2 अनुवर्ती लागत

इसके बाद के खर्च को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जो कि इससे संबंधित संपत्ति में होता है। अन्य सभी व्यय लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.3 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह, कैश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में पूरे एक प्लांट की परिसंपत्तियों पर विचार करके, यदि कोई है, तो संकेतक सूचियों का पता लगाने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को अपनी संपत्ति की राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो कुल विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो लाभ–हानी में क्षति नुकसान को मान्यता दी जाती है।

जहां एक क्षति हानि के बाद विपरीत दिशा पकड़ती है, परिसंपत्ति (या नकदी–उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती हैः क्षति हुई राशि की हानि को पहले के वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए मान्यता दी गई थी। एक हानि का उलट लाभ और हानि के बयान में तुरंत मान्यता प्राप्त है।

3.4 स्ट्रिपिंग लागत

सतह की खान के उत्पादन चरण के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऐसी लागत भविष्य की अवधि में अयस्क की बेहतर पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- यह संभावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ (एक अयस्क निकाय में सुधार) इकाई के लिए प्रवाह होगा,

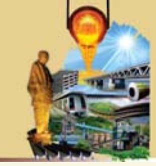

- इकाई एक अयस्क निकाय के घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है।

व्यय, जिसे विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सका है कि अयस्क तक पहुँचने के लिए प्रभारित राजस्व है, खदानों को छोड़कर 5 साल की खनन योजना के अनुसार स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर, कोलियरियों को छोड़कर, जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है।

3.5 उधार की लागत

अर्हक संपत्ति के लिए अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लेने की लागत सीधे जिम्मेदार है, जिसमें पर्याप्त समय होता है, उस परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है, जो परिसंपत्ति को उसके उद्देश्य के लिए पूरा करना और तैयार करना आवश्यक है।

समूह बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त अवधि मानता है।

लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेन–देन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों के कार्यकाल में परिशोधन की जाती है। अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है, जिसमें ये खर्च किए गए हैं।

3.6 आविष्कारों की सूची

कच्चे माल, भंडारण और पुर्जों और तैयार/अर्ध–तैयार उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्य संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की वस्तुओं के मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर–चलती वस्तुओं की पहचान के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व का शुल्क लिया जाता है। अर्द्ध–तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो केवल समाप्त चरण में वसूली योग्य मूल्य है, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए अनुमानित है।

अवशेषी उत्पाद और अन्य स्क्रैप अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर हैं।

लागत का निर्धारण करने का आधार हैः

कच्चे माल – आवधिक भारित औसत लागत

मामूली कच्चे माल – गतिमान औसत लागत

स्टोर और पुर्जे – गतिमान औसत लागत

सामग्री पारगमन में – लागत पर

तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद – सामग्री लागत और श्रम का उचित हिस्सा, उपरिव्यय और करों से संबंधित।

3.7 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त है।

सरकारी अनुदान को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में व्यवस्थित अवधि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, यह आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि के बयान के लिए मान्यता दी जाती है, जो ऐसे अनुदानों से संबंधित हैं/जिन्हें कवर करना वांछनीय है। जहां पर कंपनी गैर–आर्थिक अनुदान प्राप्त करता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित राशि में सकल रूप में अभिलिखित किया जाता है और अन्तर्निहित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल और लाभ के खपत के तरीके पर आय के विवरण के लिए अवमुक्त किया जाता है।

3.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

लेन–देन की तिथि में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेन–देन को समूह की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लाभ और हानि के परिणामस्वरूप निपटान और विदेशी मुद्रा में मूल्य मौद्रिक वस्तुओं के समझौता और पुनर्विचार को अवधि–अंत विनिमय दरों पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

समूह ने 31 मार्च, 2009 को (29 दिसम्बर, 2011 के संशोधित के अनुसार) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमों 2009 से संबंधित लेखा मानक –11 के संबंध में उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर का लेखा–जोखा लिया। 31 मार्च 2016 तक सभी पूर्व–मौजूदा दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, लंबी अवधि के मौद्रिक मदों से संबंधित विनिमय अंतर (फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स से उत्पन्न) , वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली, जहां तक वे अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की वहन राशि में समायोजित की जाती हैं।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि–अंत में रेट नहीं किया जाता है और ऐतिहासिक लागत (लेन–देन की तारीख में विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित) पर मापा जाता है, उचित मूल्य पर मापा जाने वाले गैर–मौद्रिक वस्तुओं को छोड़कर, जब तिथि में विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है, उचित मूल्य निर्धारित किया गया।

3.9 कर्मचारियों के लिए लाभ

परिभाषित (निश्चित) अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना के तहत एक समूह एक अलग इकाई में निश्चित योगदान का भुगतान करता है। परिभाषित अंशदान को सेवानिवृत्ति लाभ योजना के भुगतान को उस खर्च के रूप में जाना जाता है, जो कर्मचारियों ने योगदान के लिए सेवा प्रदान की है। प्रोविडेंट फंड्स की ओर योगदान उस अवधि के लाभ और हानि के ब्यौरे के लिए लिया जाता है जब फंड में योगदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना लाभ की वह राशि है जो किसी भी कर्मचारी को सेवा या नौकरी के पूरा होने पर उसकी नौकरी की लंबाई, आखिरी सैलरी व अन्य संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के आधार पर मिलेगी। हालांकि किसी भी लाभ को लेकर कानूनी शर्त या दायित्व समूह के पास ही रहता है।

परिभाषित लाभ योजना के लिए मान्य देनदारी योजना संपत्ति के उचित मूल्य को कम करने वाली रिपोर्टिंग तिथि के परिभाषित लाभ भार के वर्तमान मूल्य के साथ–साथ गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ व हानि और पिछली सेवा की लागतों का समायोजन है। प्रबंधन सालाना एक स्वतंत्र मुनीम द्वारा अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए परिभाषित लाभ भार (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य का आंकलन करता है। बीमांकिक लाभ और हानि वर्ष के लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल होते हैं।

विमुद्रीकरण, बीमांकिक लाभ और हानि, संपत्ति की सीलिंग में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर लाभ बैलेंस शीट में उस चार्ज या क्रेडिट के साथ प्रतिबिंबित होता है, जो उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्य होते हैं।

प्लान एसेट्स (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न, बैलेंस शीट में उस चार्ज या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है, जो उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। अन्य व्यापक आय में पुनःमापन को तुरंत प्रतिपूर्ति को बरकरार रखे गए आय में प्रतिबिंबित किया जाता है और इसे लाभ व हानि के ब्यौरे में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में वेतन, बोनस, एक्स–ग्रेसिया, वार्षिक अवकाश और सिक लीव जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी उस वर्ष दी जाती हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं समूह को दी जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्य देनादारियों को संबंधित सेवाओं के बदले में अपेक्षित लाभों की अघोषित मात्रा के आधार पर मापा जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर हुए खर्च को फौरन लाभ और हानि वाले ब्यौरे से लिया जाता है।

3.10 राजस्व मान्यता

राजस्व को मिले हुए या मिलने वाले प्रतिफल के उचित मूल्य के आधार पर मापा जाता है।

सामानों की बिक्री

सेल्स यानी बिक्री माल और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतों से निर्धारित होता है। सेल्स तब मान्य होता है जब यह प्रदर्शन के दायित्वों की पूर्ति ग्राहकों को अच्छा सामान व सेवाएं देकर करता है और ग्राहक जब उन सामान व सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहां बिक्री का हिसाब अल्पकालीन या अस्थायी रूप से किया जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्री मान्य है :

i) लदान के बिल का मुद्दा

ii) परत अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों पर सौदेबाजी, ऐसे मामलों में जहां शिपमेंट के बिना सामग्री मूल्य की प्राप्ति संबंधित अनुबंधों के क्रेडिट के पन्नों में प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन को वसूली की निश्चित आय के रूप में जाना जाता है।

लौह अयस्क का जुर्माना जिसे आसानी से न तो उपयोग किया जा सकता और न ही बेचा जा सकता है को स्टॉक में शामिल किया जाता है और राजस्व को निपटान में माना जाता है।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति के जरिये एक उपचय आधार पर मापा जाता है। लाभांश तब मान्य होता है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

3.11 पूर्ववर्ती वर्षों में संबंधित समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो किसी भी मामले में 0.5 प्रतिशत टर्नओवर से अधिक नहीं पहुंचता को वर्तमान वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

3.12 चल संपत्ति नुकसान और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

चल संपत्ति के क्षति के दावों का हिसाब तब किया जाता है जब ये मूल कंपनी द्वारा पुनर्प्राप्त करने योग्य माना जाता है। क्योंकि यह मामला ऋण संबंधि क्षति के अंतिम निपटान पर हो सकता है। ऐसे में ये कैपिटल कॉस्ट से समायोजित किए जाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मान्य होते हैं।

दामों में वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों के दावों को उस हद तक महत्व दिया जाता है, जब तक कि मूल कंपनी इन दावों को स्वीकार न कर ले।

3.13 पट्टा

पट्टे के रूप में समूह

वित्त पट्टे

वित्त पट्टों, जो पट्टेदार को प्रभावी ढंग से पट्टे पर वस्तु के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करते हैं और पट्टे पर दी गई वस्तु का स्वामित्व उचित मूल्य के निचले स्तर पर पूंजीकृत होता है और पट्टे की अवधि के अंत में न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य और पट्टे पर संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। ऐसे पट्टों के तहत लीज भुगतान वित्त प्रभार और रिटर्न की निहित दर के आधार पर लीज देयता में कमी के बीच किया जाता है।

वित्तीय शुल्क सीधे आय के खिलाफ लगाया जाता है। लीज प्रबंधन शुल्क, कानूनी शुल्क और अन्य प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पूंजीकृत हैं।

अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कि समूह पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगा तो पट्टे पर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन या पट्टे की अवधि से कम पर मूल्यह्रास की जाती है।

परिचालन पट्टे

पट्टों पर अधिग्रहित परिसंपत्ति जहां पट्टेदार द्वारा जोखिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और स्वामित्व का इनाम बनाया जाता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज रेंटल सीधे किराये के आधार पर लाभ और हानि के ब्यौरे में सीधे जोड़ा जाता है, सिवाय इस परिस्थिति के जहां किराए में निर्धारित बढ़ोतरी अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों में कम क्षतिपूर्ति करती है।

समूह एक ऋणदाता के रूप में

वित्त पट्टे

पट्टे जिन्हें प्रभावी ढंग से पट्टेदार/ठेकेदार को हस्तांतरित किया जाता है और पट्टे पर दिए गए मद के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वित्त पट्टे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पट्टे के किराये की रसीदें वित्त आय और पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच वापसी की निहित दर के आधार पर जमा की जाती है। आकस्मिक किराये को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन ठेके/पट्टे

ऐसे पट्टे जिनमें समूह पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के इनाम को स्थांतरित नहीं करता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित पट्टे की संपत्ति उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किए जाते हैं। किराये की आय को किराये की अवधि के आधार पर सीधे जोड़ा जाता है, सिवाय इस परिस्थिति के जहां किराए में निर्धारित बढ़ोतरी समूह को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों में कम क्षतिपूर्ति करती है।

3.14 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां ऐसी संपत्ति होती है जो किराया लेने के साथ–साथ पूंजीगत मूल्य वृद्धि/लाभ के लिए ली जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन–देन की लागत के रूप में मापा जाता है। शुरुआती मान्यता के बाद निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और खराब हानि के रूप में घोषित/नियत किया जाता है। निवेश संपत्ति की बिक्री पर कोई लाभ या हानि शुद्ध बिक्री आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और इसी को लाभ और हानि का ब्यौरा माना जाता है।

3.15 गैर वर्तमान संपत्ति बिक्री के लिए

समूह बिक्री के लिए गैर–वर्तमान परिसंपत्ति का वर्गीकरण करता है, अगर इसकी वहन राशि बिक्री के माध्यम से मुख्य रूप से वापस पाई जा सके। इस स्थिति को तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए रखे गए बंद किए गए संचालन सहित गैर मौजूदा परिसंपत्तियों को ढुलाई मात्रा में मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में बेचने के लिए ठीक दाम को कम और अलग से पेश किया जाता है। एक बार अगर संपत्ति बिक्री के लिए वर्गीकृत हो जाए तो वह मूल्यह्रास व परिशोधन के अधीन नहीं रहती।

बंद किए गए संचालन की बिक्री या फिर से माप से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ–हानि के ब्यौरे में एक पंक्ति वस्तु के हिस्से के रूप में प्रस्तु किया जाता है।

3.16 खदान/भंडार बंद होना

खदान बंद करने के प्रावधान में अवसंरचना का विखंडन और उजाड़, अवशिष्ट पदार्थों को हटाना और खदान के लिए अशांत क्षेत्रों का इलाज शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित है। लेखांकन अवधि के लिए खदान बंद करने की लागतें तब प्रदान की जाती हैं, जब ऑपरेशन और पोस्ट बंद होने के दौरान बहाली की अनुमानित भविष्य की लागतों के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है।

प्रारंभिक बंदी और बहाली का प्रावधान 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में पूंजीकृत होता है। जारी ऑपरेशंस के लिए बंदी और नवीनीकरण प्रावधानों में बाद की गतिविधियां, जिनमें विस्तार से संबंधित अन्य गतिविधियां शामिल हैं, जो कैपिटलाइजेशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है, अद्यतन लागत अनुमान, ऑपरेशंस के अनुमानित अस्तित्व में बदलाव, क्लोजर के समय में बदलाव गतिविधियों और छूट दरों में संशोधन भी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के भीतर पूंजीकृत हैं। इन लागतों को उन परिसंपत्तियों के जीवन पर ह्रास किया जाता है जिनसे वे संबंधित हैं। बंद परिचालन से संबंधित बंद प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन लाभ व हानि के ब्यौरे में जोड़ा जाता है। प्रावधानों को स्थापित करने में लागू छूट के परिशोधन को वित्त लागत के रूप में लिया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक संपत्ति

प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब समूह ने एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप दायित्व प्रस्तुत किया है और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान के तहत उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दिए जाते हैं, जहां धन का समय मूल्य भौतिक है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है और अगर यह निश्चित रूप से तय हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी व प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है तो प्राप्य को एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियां पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के समूह या नियंत्रण के अंदर पूरी तरह से नहीं होने वाली घटना या अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व से की जाएगी। क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। समूह अन्य विवरणों में वित्तीय देनदारियों के लिए आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करता है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को अनुचित या दूरस्थ माना जाता है, किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति

आकस्मिक संपत्ति आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभ की आमद की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, हालांकि जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है वहां इसका खुलासा किया जाता है।

3.18 आयकर

कर व्यय लाभ और हानि के ब्यौरे में आस्थगित/विलंबित कर के साथ शामिल होता है और यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में या सीधे इक्विटी में मान्य नहीं होते।

वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि से मापा जाता है। लाभ और हानि के बाहरी मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर या तो ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित आयकर की गणना देयता विधि का उपयोग करके की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्य होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट (एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट) या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के खिलाफ किया जाएगा। गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद होती है। जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता तय की जाती है, जो कर दरों और कर कानूनों के आधार पर बनाई गई है या रिपोर्टिंग तिथि में अधिनियमित किया गया है। लाभ और हानि के बाहरी मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर या तो ओसीआई में या इक्विटी में मान्य होते हैं।

3.19 नकद और नकद समराशि

नकद और नकद समराशि में हाथ में कैश और मांग जमा शामिल हैं। इसके अलावा अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (3 महीने से कम की मूल परिपक्वता) जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं को भी नकद समराशि माना जाता है। हालांकि परिवर्तन जोखिम के अधीन है।

3.20 खंड रिपोर्टिंग

समूह के लिए 8 रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट हैं : 5 एकीकृत स्टील प्लांट और 3 मिश्र धातु स्टील प्लांट, जो अलग–अलग विनिर्माण इकाइयां हैं। इन सभी को रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट माना गया है। इन ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान करने में प्रबंधन आमतौर पर समूह के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण संचालन को अपने मुख्य संचालन के रूप में बताता है।

इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट को अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को विभिन्न तकनीकों, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतर–खंड हस्तांतरण हाथ की लंबाई की कीमतों पर किए जाते हैं जो समान वस्तुओं या सेवाओं के अकेले बिक्री में असंबंधित ग्राहकों को लगाए गए मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए, समूह उसी माप की नीतियों का उपयोग करता है जो कि उसके समेकित वित्तीय विवरणों में उपयोग की जाती हैं।

इसके अलावा, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां जो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, एक खंड को आवंटित नहीं की जाती हैं। यह मुख्य रूप से समूह के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन कार्यों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए सेगमेंट लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में पूर्व अवधियों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। खंडों के बीच कोई विषम आवंटन लागू नहीं किया गया है।

3.21 इक्विटी/शेयर और आरक्षित निधि

शेयर कैपिटल जारी किए गए शेयरों के मूल्य का नाममात्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिभूति प्रीमियम में शेयर पूंजी के मुद्दे पर प्राप्त कोई भी प्रीमियम शामिल होता है।

इक्विटी के अन्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन में जनसांख्यिकीय और वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन और योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी से बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं।

- रक्षित बॉन्ड को छुड़ाना
- अन्य लेन–देन सीधे अन्य व्यापक आय में दर्ज किए जाते हैं।
- रोककर रखी कमाई में वर्तमान और पूर्व की अवधि में कमाए मुनाफे भी शामिल हैं।

3.22 वित्तीय उपकरण

मान्यता, प्रारंभिक माप और पुनःमान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है और शुरुआत में लेन–देन की लागतों से समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर जिन्हें प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय संपत्ति और सभी पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं। एक वित्तीय दायित्व की पहचान तब की जाती है जब इसे बुझा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, रद्द किया जाता या फिर खत्म कर दिया जाता है।

वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और आगामी माप

आगामी माप के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित या बढ़ी हुई लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कम से कम हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

परिशोधन/अमूर्त या बढ़ी लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि इसमें दोनों निम्न शर्तें पूरी होती हों तो :

i) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है।

ii) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करती हैं।

समूह के नकद और नकद समकक्ष, व्यापार और अधिकांश अन्य प्राप्य वित्तीय साधनों की श्रेणी में आते हैं।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्ति

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे व्यापार के लिए आयोजित इक्विटी साधन हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

एफवीओसीआई पर वित्तीय संपत्ति

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण साधन हैं जिन्हें व्यापार मॉडल को इकट्ठा करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या गैर–व्यापारिक इक्विटी उपकरण हैं जो इस श्रेणी के लिए नामित हैं।

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ब्याज और लाभांश आय, हानि के नुकसान और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, इन्हें लाभ या हानि के ब्यौरे में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और बाद में इनका माप

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, ट्रेडिंग के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियों या एफवीटीपीएल में नामित को छोड़कर, जो बाद में लाभ या हानि के उचित मूल्य पर किए जाते हैं उन्हें नफा और नुकसान के रूप में गिना जाता है। सभी व्युत्पन्न/गौण वित्तीय साधनों का लेखा एफवीटीपीएल पर दिया जाता है।

सन्निहित व्युत्पन्न/गौण

गैर–व्युत्पन्न मेजबान अनुबंधों में सन्निहित किए गए गौण को एक अलग व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है जब वे व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा करते हैं। इनके जोखिम और विशेषताओं को मेजबान अनुबंधों के साथ निकटता से संबंधित नहीं किया जाता है और अनुबंध एफवीटीपीएल में मापा नहीं जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड एएस–109 के अनुसार, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए खराब/दुर्बल हानि की माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित ऋण हानि/एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है जो अनुबंध के अनुसार समूह के कारण होता है और समूह द्वारा प्राप्त होने वाली सभी नकदी प्रवाह के अनुसार होता है।

व्यापार प्राप्य राशियां

समूह भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 109 वित्तीय साधनों में निर्दिष्ट दृष्टिकोण को लागू करता है, जिसके लिए प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर जोखिम विवरण और खराब हानि की मान्यता के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के साथ क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

3.23 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान और आकलन

3.23.1 पट्टों का वर्गीकरण

समूह विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए पट्टे पर देने की व्यवस्था में प्रवेश करता है। वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों के आकलन पर आधारित है, लेकिन पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। इस तरह के विकल्प को खरीदने के लिए पट्टेदार का विकल्प और खरीद का अनुमान संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य और पट्टे पर संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य के अनुपात के आधार पर अनुमान लगाया जाता है।

3.23.2 बंद होने व पुनःस्थापन के दायित्व

बंद होना और पुनःस्थापन लागत खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है और बंदी और पुनःस्थापन खर्च का अधिकांश हिस्सा खदान बंद होने के बाद के वर्षों में होता है। हालांकि खर्च होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, लेकिन समूह वर्तमान बहाली तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी लागत का अनुमान लगाता है।

3.23.3 आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह समूह की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.23.4 सामान/माल सूची/स्टॉक

समूह सबसे विश्वसनीय सबूतों को ध्यान में रखते हुए सामान/स्टॉक/माल सूची की लागत का अनुमान लगाता है, जैसे कि सामग्री की लागत, ऊपरी खर्च और उत्पादन की वास्तविक लागत आदि। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामान के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन आविष्कारों की प्राप्ति, भविष्य की तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकते हैं।

3.23.5 निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, चिकित्सा लागत के रुझान, भविष्य के वेतन में वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति की दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। समूह मानता है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धारणाएं उपयुक्त हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

3.23.6 उचित मूल्य माप

समूह वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक लागू करता है। इसमें उपकरण की कीमत के लिए बाजार के प्रतिभागियों के अनुरूप विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं। समूह की धारणाएं जहाँ तक संभव हो, अवलोकन योग्य आंकड़ों या उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होती हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर सुरक्षित व सुविधाजनक लेन–देन में प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.23.7 प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को सर्वोत्तम निर्णय लागू किया जाता है।

3.23.8 खदान बंद करने और बहाली की बाध्यता

पर्यावरण दायित्व और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ) : संभावना और भविष्य की लागत के बारे में मान्यताओं के अलावा, पर्यावरणीय देनदारियों और एआरओ के आकलन के लिए वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.23.9 मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्ति (मूर्त और अमूर्त) के उपयोगी जीवन

प्रबंधन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता वास्तविक सामान्य उपयोग अपक्षय से संबंधित हैं जो संयंत्र और उपकरणों की उपयोगिता को बदल सकती है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
– पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	296.75	13.33	–	310.08	0.87	(0.02)	–	0.85	309.23	295.88
– भूमि अधिग्रहण	1275.96	26.19	4.27	1297.88	284.54	143.61	3.97	424.18	873.70	991.42
इमारतें और संबंधित उपकरण	5299.93	55.43	151.02	5204.34	1793.57	168.15	(1.45)	1963.17	3241.17	3506.36
संयंत्र और मशीनरी										
–स्टील संयंत्र	76201.26	5840.00	156.16	81885.10	28346.52	2593.05	170.42	30769.15	51115.95	47854.74
– अन्य – स्वामित्व	3072.63	99.35	51.74	3120.24	2011.72	121.80	53.48	2080.04	1040.20	1060.92
– अन्य – लीजहोल्ड (नोट देखें (ii))	1616.86	41.36	–	1658.22	763.40	105.79	–	869.19	789.03	853.46
फर्नीचर व फिक्सचर	130.74	5.27	(0.56)	136.57	97.57	6.37	(1.34)	105.28	31.29	33.17
वाहन	1355.52	30.64	9.13	1377.03	822.12	67.73	8.78	881.07	495.96	533.40
कार्यालय उपकरण	62.00	0.90	0.74	62.16	50.28	2.44	0.67	52.05	10.11	11.71
विविध वस्तुएं	347.94	21.62	4.21	365.35	222.98	15.11	3.57	234.52	130.83	124.96
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	401.30	35.65	0.52	436.43	255.99	38.00	0.18	293.81	142.62	145.31
जल आपूर्ति और सीवरेज	629.75	37.35	0.93	666.17	344.06	38.01	0.93	381.14	285.03	285.69
ईडीपी उपकरण	420.25	15.10	2.70	432.65	364.89	11.47	2.47	373.89	58.76	55.37
रेलवे लाइन्स और सिडिंग्स	809.72	31.55	(2.79)	844.06	251.99	20.57	0.09	272.47	571.59	557.73
उप जोड़ 'क'	**91920.61**	**6253.74**	**378.07**	**97796.28**	**35610.50**	**3332.08**	**241.77**	**38700.81**	**59095.47**	**56310.12**
पिछले वर्ष के आंकड़े	81112.30	11435.50	627.19	91920.61	33077.03	2969.82	436.35	35610.50	56310.12	
ख सोशल सुविधाएं										
भूमि										
–पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.89	–	–	10.89	–	–	–	–	10.89	10.89
– भूमि अधिग्रहण	10.00	–	–	10.00	6.08	0.12	–	6.20	3.80	3.92
इमारतें और संबंधित उपकरण	745.35	15.34	0.02	760.67	334.66	27.04	0.04	361.66	399.01	410.69
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	176.11	4.64	0.19	180.56	104.89	6.99	0.18	111.70	68.86	71.22
फर्नीचर व फिक्सचर	26.75	0.67	0.75	26.67	20.47	1.30	0.47	21.30	5.37	6.28
वाहन	11.27	0.10	0.14	11.23	10.03	0.22	0.18	10.07	1.16	1.24
कार्यालय उपकरण	4.51	0.09	0.06	4.54	3.89	0.17	0.04	4.02	0.52	0.62
विविध वस्तुएं	231.23	8.45	2.60	237.08	145.18	12.00	2.32	154.86	82.22	86.05
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	135.96	5.28	–	141.24	98.60	11.83	–	110.43	30.81	37.36
जल आपूर्ति और सीवरेज	300.85	3.09	0.05	303.89	131.27	7.93	(0.43)	139.63	164.26	169.58
ईडीपी उपकरण	11.38	0.74	1.12	11.00	9.81	0.38	1.03	9.16	1.84	1.57
उप जोड़ 'ख'	**1664.30**	**38.40**	**4.93**	**1697.77**	**864.88**	**67.98**	**3.83**	**929.03**	**768.74**	**799.42**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1492.67	177.50	5.87	1664.30	809.83	59.40	4.35	864.88	799.42	
ग सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियां	60.03	6.61	8.58	58.06	–	–	–	–	58.06	60.03
पिछले वर्ष के आंकड़े	58.29	35.27	33.53	60.03	–	–	–	–	60.03	
जोड़ ('क' + 'ख' + 'ग')	**93644.94**	**6298.75**	**391.58**	**99552.11**	**36475.38**	**3400.06**	**245.60**	**39629.84**	**59922.27**	**57169.57**
पिछले वर्ष के आंकड़े	82663.26	11648.27	666.59	93644.94	33886.86	3029.22	440.70	36475.38	57169.57	

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
नोटः पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन		
(क) लाभ और हानि खाते को प्रभारित	**3385.34**	3065.97
(ख) स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर परिशोधन–संदर्भ नोट 41	**52.91**	–
(ग) निर्माण के दौरान खर्च को प्रभारित	**4.04**	4.15
	3442.29	3070.12

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 48.1 देखें।

(ii) भूमिः

(क) इसमें मूल कंपनी द्वारा स्वामित्व/कब्जे में/लीज पर ली गई 67,305.79 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 68019.40 एकड़ जमीन) शामिल है, जिसकी टाइटल/लीज विलेख पंजीकरण हेतु लंबित हैं।

(ख) इसमें 34,484.73 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 34,576.05 एकड़ जमीन) शामिल है जिसके संबंध में टाइटल विवाद है।

(ग) इसमें से 9737.83 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 9367.80 एकड़ जमीन) हस्तांतरित/हस्तांतरण के लिए सहमति विभिन्न संयुक्त वेंचर्स/केंद्र/राज्य/अर्ध–सरकारी प्राधिकरणों को निपटान करने के लिए है, जिसके संबंध में हस्तांतरण पत्र विलेख निष्पादित/पंजीकृत किया जाना है।

(घ) 5,832.01 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 6187.95 एकड़) को विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व–कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया है।

(ङ) इसमें 4474.75 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 4,070.09 एकड़) जमीन अनधिकृत व्यवसाय के तहत शामिल है।

(च) 1770.89 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 1,762.92 एकड़) जमीन, जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, को डीम्ड कब्जे के रूप में दिखाया गया है।

(छ) जिला और सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास वर्ष 2007 से, भूमि से परित्यक्त हुए लोगों को देय मुआवजे के रूप में ₹ 53.70 करोड़ जमा (पहले से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में) हैं।

(ज) झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ निष्कर सम्पत्ति भूमि शामिल है, गजट अधिसूचना सं. 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त 2009, केवल 15.62 एकड़ के लिए ₹ 13.91 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया। शेष 5.51 एकड़ का विवाद चल रहा है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से लंबित अनुमोदन, खातों में ऊपर का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।

(झ) 1000.00 एकड़ (31 मार्च, 2018 को 836.00 एकड़) मैसर्स बोकारो पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPSCL) को उपयोग करने के अधिकार के तहत दिया गया।

(ण) इसमें भारतीय डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित, अधिसूचना संख्या एसओ 1125 (ई) दिनांक 27.04.2015, 1.8955 एकड़ जमीन शामिल है।

निदेशक मंडल द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी और बिक्री विलेख के निर्धारण पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।

(त) ₹ 0.06 करोड़ की राशि जिला और सत्र न्यायाधीश, सलेम के पास वर्ष 2013 के दौरान भूमि से परित्यक्त लोगों को देय मुआवजे के तहत जमा (पहले से अर्जित भूमि के संबंध में) है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियांः

(क) बिल्डिंग में 31 मार्च, 2019 को ₹ 20.15 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 21.23 करोड़) का शुद्ध ब्लॉक शामिल है, जिसके लिए मूल कंपनी के नाम पर हस्तांतरण पत्र विलेख पंजीकृत होना बाकी है।

(ख) इसमें 6,095 (31 मार्च, 2018 के अनुसार 7107), अनधिकृत व्यवसाय के तहत आवासीय क्वार्टर/मकान शामिल हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
5: पूंजीगत कार्य – प्रगति पर					
स्टील संयंत्र और यूनिट्स		15785.16		18168.23	
टाउनशिप		100.95		91.56	
अयस्क खान और खदान		340.08		314.32	
		16226.19		18574.11	
कमः प्रावधान		236.13	15990.06	215.26	18358.85
निर्माण भंडार और पुर्जे		19.95		24.65	
कमः गैर–चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान		3.24	16.71	3.18	21.47
निर्माण लंबित के दौरान व्यय आवंटन (नोट 5.1)			6.84		15.11
			16013.61		18395.43

5.1: निर्माण लंबित आवंटन के दौरान व्यय					
प्रारंभिक शेष राशि	(क)		15.11		11.09
वर्ष के दौरान किया गया व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ					
वेतन और मजदूरी		79.29		90.30	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान		3.46		3.86	
यात्रा रियायत		2.42		2.96	
कल्याणकारी व्यय		0.07		0.07	
ग्रेच्युटी		1.14	86.38	3.53	100.72
अन्य खर्चे					
तकनीकी सलाहकारों की फीस और ज्ञान		3.11		4.47	
बिजली और ईंधन		76.25		76.29	
अन्य खर्चे		2.92		6.19	
ब्याज और वित्त शुल्क		703.74		668.52	
मूल्यह्रास		4.04	790.06	4.15	759.62
			876.44		860.34
कमः वसूलियां					
अर्जित ब्याज		0.01		0.27	
परिसमापन हर्जाना		.		0.22	
किराया प्रभार		0.29		0.45	
विविध		2.68	2.98	8.86	9.80
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	(ख)		873.46		850.54
	जोड़ (क) + (ख)		888.57		861.63
कमः संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों/ पूंजीगत कार्य– प्रगति पर को आवंटित राशि			881.73		846.52
आगे ले जाया गया शेष			6.84		15.11

6: निवेश संपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क. भवन										
भवन	1.45	0.49	–	1.94	0.62	0.03	(0.20)	0.85	1.09	0.83
उप–जोड़ 'क'	**1.45**	**0.49**	**–**	**1.94**	**0.62**	**0.03**	**(0.20)**	**0.85**	**1.09**	**0.83**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.45	–	–	1.45	0.59	0.03	–	0.62	0.83	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने या उसके मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि या इसके संवर्धन का कोई संविदात्मक दायित्व नहीं हैं।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
किराए से आय	**1.70**	1.52
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जो किराये पर आय उत्पन्न करते हैं *		
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जो किराये पर आय उत्पन्न नहीं करते थे *	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.70**	1.52
मूल्यह्रास	**0.03**	0.03
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.67**	1.49

* निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्चों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है और उन्हें नगण्य होने की उम्मीद है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियां किराएदार को, देय मासिक किराए पर, लंबी अवधि के परिचालन पट्टों के तहत दी जाती हैं निवेश संपत्ति के गैर–निरस्त पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम लीज भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक साल के भीतर	**1.55**	1.37
एक साल बाद में लेकिन 5 साल बाद नहीं	**6.22**	5.42
5 साल से बाद में	**3.45**	4.11
	11.22	10.90

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2019 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 30.71 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 20.53 करोड़) है

(अ) उचित मूल्य का आकलन

उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण समान गुणों के लिए, सक्रिय बाजार में मौजूदा कीमतें हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, समूह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विचार करता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

क) विभिन्न प्रकृति के गुणों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान मूल्य या कम सक्रिय बाजारों में समान गुणों की हाल की कीमतें, इन अंतरों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह का अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/परिशोधन**				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	103.28	0.48	–	103.76	98.81	1.16	0.01	99.96	3.80	4.47
खनन अधिकार	1792.32	31.12	–	1823.44	342.17	40.94	6.73	376.38	1447.06	1450.15
उप–जोड़ 'क'	**1895.60**	**31.60**	–	**1927.20**	**440.98**	**42.10**	**6.74**	**476.34**	**1450.86**	**1454.62**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1923.52	9.62	37.54	1895.60	401.02	40.76	0.80	440.98	1454.62	
ख सोशल सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	1.08	–	–	1.07	0.69	0.10	–	0.79	0.28	0.41
उप–जोड़ 'ख'	**1.08**	–	–	**1.07**	**0.69**	**0.10**	–	**0.79**	**0.28**	**0.41**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.10	–	0.02	1.08	0.57	0.12	–	0.69	0.41	
जोड़ ('क' + 'ख')	**1896.68**	**31.60**	–	**1928.27**	**441.67**	**42.20**	**6.74**	**477.13**	**1451.14**	**1455.03**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1924.62	9.62	37.56	1896.68	401.59	40.88	0.80	441.67	1455.03	

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीगत विकास लागत आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाली अमूर्त संपत्ति होती है।

** मूल्यह्रास और परिशोधन खर्चों के भीतर सभी परिशोधन परिवर्तन शामिल हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8 : निवेश – गैर चालू

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	**31 मार्च, 2019 को**	31 मार्च, 2018 को
लागत पर किया गया निवेश				
संयुक्त उपक्रमों में (गैर उद्धृत) –निर्धारित इकाइयाँ				
उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य– ₹ 100 / शेयर)	**97,900**	97,900	**–**	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	**63,000**	63,000	**–**	0.06
जोड़ (क)			**–**	1.04
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया गया				
उद्धृत इक्विटी				
एचडीएफसी लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/शेयर)	**60,000**	60,000	**11.81**	10.95
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/शेयर)	**2,500**	2,500	**0.58**	0.47
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/शेयर)	**1,57,300**	1,57,300	**6.30**	4.38
एमएसटीसी लिमिटेड	**3,20,000**	3,20,000	**3.65**	4.70
			22.34	20.50
गैर उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**22,03,150**	22,03,150	**37.21**	34.05
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**3,60,000**	3,60,000	**70.54**	17.57
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**50,00,000**	50,00,000	**5.00**	5.00
सीमेंट एंड अलाइड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	**–**	–
रासायनिक और उर्वरक निगम (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	**–**	–
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	**–**	–
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत) #	**30,00,000**	30,00,000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड *	**1,80,000**	1,80,000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100/शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
			115.94	59.81
सहकारी समिति में				
बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी समिति सोसाइटी	**1,16,500**	1,16,500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति	**250**	250	**0.00**	0.00
एनएमडीसी मेघाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**25**	25	**0.00**	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/शेयर)	**1,377**	1,377	**0.01**	0.01
बोलानी अयस्कों के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति सीमित (अंकित मूल्य ₹ 25/शेयर)	**200**	200	**0.00**	0.00
इस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20/शेयर)	**23,000**	23,000	**0.05**	0.05
			0.18	0.18
जोड (ख)			**138.46**	80.49
कुल जोड़ (क+ख)			**138.46**	81.53
निवेश के मूल्य में हानि का प्रावधान			**3.23**	7.68
शुद्ध निवेश			**135.23**	73.85
उद्धृत निवेश की कुल राशि (बाजार मूल्य पर)			**22.34**	20.50
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि			**116.12**	61.03
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**3.23**	7.68
			135.23	73.85

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य ₹ 10 है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
* इकाई परिसमापन के तहत है, इसलिए, शेयरधारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना गया है।
# संस्था परिसमापन के अधीन है इसलिए मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू				
अच्छा माना जाता है – सुरक्षित		–		–
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित		–		–
प्राप्य – क्रेडिट नुकसान		**7.83**		7.83
		7.83		7.83
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान		**7.83**		7.83
		–		–
* कंपनी के मूल निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्त प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि में शून्य)				
10: ऋण – गैर चालू				
अच्छा माना जाता है – सुरक्षित		–		–
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित				
सुरक्षा जमा (₹ 3.20 करोड़ के प्रावधान सहित)	**103.47**		101.81	
कर्मचारियों को ऋण	**95.45**		124.53	
संबंधित पक्षों को ऋण	**4.90**		–	
दूसरों को कर्ज देना	**363.36**	**567.18**	225.14	451.48
ऋण – क्रेडिट हानि		–		–
		567.18		451.48
कमः संदिग्ध ऋणों का प्रावधान		**3.20**		3.20
		563.98		448.28
* मूल कंपनी के निदेशकों से देय प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष शून्य)				
11: अन्य वित्तीय सहायता – गैर चालू				
व्युत्पन्न संपत्ति		**172.29**		76.73
वसूली योग्य दावा		**7.89**		7.89
प्राप्तियां – अन्य		**81.91**		76.95
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**0.08**		0.09
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	**10.53**		10.53	
कमः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	**10.53**	–	2.53	8.00
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा		**0.19**		0.19
		262.36		169.85
कमः संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		**7.49**		7.21
		254.87		162.64
12: स्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)				
स्थगित कर देनदारियों वाली मदों का कर प्रभाव				
पुस्तक और कर मूल्यह्रास के बीच का अंतर	**10,117.50**		8,996.19	
वित्तीय परिसंपत्तियों / देनदारियों का परिशोधन	**17.40**		28.39	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**23.96**	**10158.86**	10.46	9035.04
स्थगित कर परिसंपत्तियों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	**0.02**		8.73	
वित्त पट्टा दायित्वों	**94.69**		85.64	
व्युत्पन्न समायोजन	**45.13**		54.81	
भुगतान पर अप्रदत्त करों और कर्तव्यों को अनुमति दी जाए	**1121.70**		1156.38	
भावी कर योग्य आय के लिए ऑफसेट करने के लिए उपलब्ध नुकसान	**10323.46**		9985.34	
अन्य	**388.80**	**11973.80**	854.29	12145.19
टैक्स क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)		**1051.83**		1051.83
स्थगित कर (परिसंपत्तियां) / देयताएं (शुद्ध)		**2866.77**		4161.98

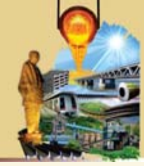

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी मतभेदों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न करों को निम्न प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

(₹ करोड़)

	1 अप्रैल, 2018 को	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर देनदारियों वाली मदों का कर प्रभाव				
पुस्तक और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	8996.19	1ए119.73	–	10117.50
वित्तीय परिसंपत्तियों / देनदारियों का परिशोधन	28.39	(10.99)	–	17.40
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	10.46	–	13.50	23.96
	9035.04	**1,108.74**	**13.50**	**10158.86**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों वाली वस्तुओं का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	8.73	106.09	(115.32)	0.02
वित्त पट्टा दायित्व	85.64	9.05		94.69
व्युत्पन्न समायोजन	54.81	(9.68)		45.13
भुगतान पर अप्रदत्त करों और कर्तव्यों को अनुमति दी जाए	1156.38	(34.68)		1121.70
भावी कर योग्य आय के लिए ऑफसेट करने हेतु उपलब्ध नुकसान	9985.34	338.13		10323.46
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1051.83	–		1051.83
अन्य	854.29	(491.07)		388.80
	13197.02	**(82.16)**	**(115.32)**	**13025.63**
आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) / देयताएं (शुद्ध)	**(4,161.98)**	**1,190.90**	**128.82**	**(2,866.77)**

कंपनी को ₹ 29,542.88 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 28,525.26 करोड़) के व्यापार घाटे (निवेश भत्ता सहित) एकत्रित हो गए हैं (संचित अनवशोधित मूल्यह्रास ₹ 21,537.70 करोड़ (गत वर्ष – ₹ 18,823.78 करोड़)) और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को ₹1,051.83 करोड़ का MAT क्रेडिट हुआ है। ₹ 8,005.17 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 9,751.48 करोड़) की राशि का अनवशोधित व्यावसायिक घाटा, आठ की अधिकतम अवधि के लिए उपलब्ध हैं जो हानि और अप्रयुक्त कर (एमएटी) क्रेडिट की अवधि से पंद्रह वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर ऑफसेट के लिए उपलब्ध होगा।

तदनुसार, संचित व्यापार घाटे पर (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य) पर ₹ 2,797.33 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति और 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,051.83 करोड़ का एमएटी क्रेडिट, IND AS 12 के अनुरूप माना गया है।

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
13ः वर्तमान कर परिसम्पत्तियां/देनदारियां (शुद्ध)				
वर्तमान कर परिसंपत्ति				
अग्रिम आयकर (प्रावधान का शुद्ध)		**154.09**		190.39
		154.09		190.39
14ः अन्य परिसम्पत्तियां – गैर चालू				
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		**456.24**		341.37
अन्य अग्रिम		**4.18**		4.18
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		**736.71**		646.94
प्रीपेड खर्चे		**25.35**		25.43
पूंजीगत अग्रिम	**201.87**		133.76	
कमः संदिग्ध पूंजी अग्रिम के लिए प्रावधान	**4.21**	**197.66**	11.19	122.57
		1420.14		1140.49
कमः संदिग्ध अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान		**63.54**		61.95
		1356.60		1078.54

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
15: मालसूचियां*				
स्टोर और पुर्जे				
उत्पादन	2804.12		2160.06	
ईंधन स्टोर	137.59		85.25	
अन्य	25.48		24.54	
	2967.19		2269.85	
जोड़ें: पारगमन में	248.67		155.02	
	3215.86		2424.87	
कम: गैर चलती / अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	233.94	2981.92	235.45	2189.42
कच्चा माल				
कच्चा माल	3732.92		4612.12	
जोड़ें: पारगमन में	2440.61		2586.51	
	6173.53		7198.63	
कम: अनुपयोगी सामग्रियों के लिए प्रावधान	15.17	6158.36	17.64	7180.99
तैयार / अर्ध–तैयार उत्पाद				
तैयार माल	6973.49		4440.25	
कार्य प्रगति पर	3396.56	10370.05	3213.64	7653.89
		19510.33		17024.30

* लेखांकन नीति सं. 3.6 के अनुसार मान्य

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
16: व्यापार प्राप्तियां – चालू				
अच्छा माना गया – सुरक्षित		.		.
अच्छा माना गया –असुरक्षित		4497.48		3870.99
प्राप्ति – क्रेडिट नुकसान		204.94		196.70
		4702.42		4067.69
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान		204.94		196.70
		4497.48		3870.99

* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि में शून्य)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
17 (i): नकद और नकद समतुल्य				
नकदी और हाथ पर टिकटें		0.10		0.05
हाथ में चेक		31.88		77.60
बैंकों के साथ शेष				
चालू खाता	24.78		9.43	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	8.80		6.92	
3 महीने तक की परिपक्वता के साथ अदालत के आदेशों के अनुसार सावधि जमा	0.02	33.60	.	16.35
		65.58		94.00

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
17 (ii): अन्य बैंक शेष		
निर्धारित बैंक शेष	179.24	168.30
अप्रदत्त लाभांश खाते	5.59	6.21
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम समय के लिए परिपक्वता हेतु सावधि जमा	37.28	77.04
	222.11	251.55

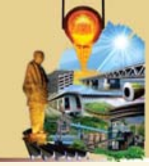

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
18: ऋण — वर्तमान				
अच्छा माना जाता है — सुरक्षित		—		—
अच्छा माना जाता है — असुरक्षित				
सुरक्षा जमा	10.72		9.23	
कर्मचारियों को ऋण	39.61		60.92	
संबंधित पक्षों को ऋण	2.10		7.00	
अन्य ऋण	2.84	55.27	1.73	78.88
ऋण–साख नुकसान		—		—
		55.27		78.88
कमः संदिग्ध ऋणों का प्रावधान		1.23		14.96
		54.04		63.92
' मूल कंपनी के निदेशकों से प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि– शून्य)				
19: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां — चालू				
व्युत्पन्न संपत्ति		—		47.66
दावा — वसूली योग्य		769.87		716.09
प्राप्ति — अन्य		385.17		311.32
कर्मचारियों से प्राप्तियां		6.68		7.20
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		259.15		—
प्राप्य बिल		1036.75		1787.27
संबंधित पक्षों को अग्रिम	21.68		23.66	
कमः संदिग्ध संबंधित पार्टियों के लिए प्रावधान अग्रिम	13.42	8.26	13.42	10.24
		2465.88		2879.78
कम :संदिग्ध संपत्ति के लिए प्रावधान		304.67		107.40
		2161.21		2772.38
20: अन्य परिसंपत्तियां — चालू				
उपलब्ध सोने के सिक्के		0.23		0.23
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	328.30		259.84	
अन्य को अग्रिम	868.14	1196.44	851.03	1110.87
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		2832.62		2512.07
जमा — जीएसटी		5.11		33.80
प्राप्य जीएसटी — इनपुट सेवाएं		4.53		—
प्राप्य जीएसटी		1633.13		1813.70
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटा गया टीडीएस		0.66		—
प्रीपेड खर्चे		31.23		24.42
प्राप्य दावे		147.87		184.46
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्तियां		74.57		45.68
		5926.39		5725.23
कमः संदिग्ध अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		55.56		85.45
		5870.83		5639.78
21: बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां				
बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां		11.47		32.50
		11.47		32.50

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह अत्यधिक संभावना है कि ऐसी परिसंपत्तियां अगले 12 महीने में बेची जाएंगी और ऐसी परिसंपत्तियों को 'बिक्री के लिए वर्गीकृत' आस्तियों के रूप में माना जाता है।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए संयंत्र और मशीनरी को उसकी वहन राशि के कम और पुनर्वितरण के समय बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा गया था। संयंत्र और मशीनरी का उचित मूल्य तुलनीय मूल्य दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। यह उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार एक 3 स्तरीय माप है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रमुख निवेश बाजार में धातु की कीमत है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

22: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अधिकृत पूंजी		
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹ 10 मूल्य के प्रत्येक 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी किए गए और सब्सक्राइब्ड पूंजी और पूरी तरह से भुगतान किए गए		
(4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किया गया)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेष	4130407654	4130.41	4130407654	4130.41
वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों के साथ/बिना (–) के शेयरों में परिवर्तित	1200	–	–	–
साल के दौरान खरीदे गए शेयर				
वर्ष के अंत में शेष #	**4130408854**	**4130.41**	**4130407654**	**4130.41**
मतदान अधिकार के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष की शुरुआत में शेष	117635	0.12	117635	0.12
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर				
वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों के साथ/बिना (–) के शेयरों में परिवर्तित	–1200	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**116435**	**0.12**	**117635**	**0.12**
कुल बकाया इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) * ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR) में 117635 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग, 1996 में / US $ 29.55 में प्रत्येक, कुल के लिए जारी किए गए यूएस $ 125 मिलियन की राशि।

ii) # 1961727 शेयर शामिल (पिछले वर्ष 1731709 शेयर) IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए, जिस पर मतदान के अधिकार फ्रीज हैं।

iii) मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

v) मूल कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण
भारत के राष्ट्रपति	**3097767449**	**75.00**	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	**396663164**	**9.60**	395451358	9.57

(v) मूल कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही किसी भी शेयर को वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

23: अन्य ईक्विटी

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
आरक्षित और अधिशेष				
पूंजीगत रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	510.92		504.33	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.02		6.59	
कमः वर्ष के दौरान उपयोग	–	511.94	–	510.92
सुरक्षा प्रीमियम				
प्रारंभिक शेष	235.10		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	235.10	–	235.10
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	2340.69		1973.64	
बरकरार कमाई से स्थानांतरण	383.55		606.80	
बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरण	730.10	1994.14	239.75	2340.69
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	5104.14		5102.76	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.18		1.38	
कमः वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	5106.32	–	5104.14
प्रतिधारित कमाई				
प्रारंभिक शेष	24561.81		25041.72	
जोड़ः वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	2,348.71		(281.40)	
जोड़ः अन्य व्यापक आय / (हानि)	214.69		177.52	
जोड़ः बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	730.10		239.75	
कमः बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	383.55		606.80	
कमः इक्विटी लाभांश	4.26		6.31	
कमः इक्विटी लाभांश पर कर	0.88		1.28	
गैर–नियंत्रित ब्याज के साथ लेन–देन	0.01		(0.01)	
कमः सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	2.18	27464.45	1.38	24561.81
अन्य व्यापक आय				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट				
प्रारंभिक शेष	11.59		2.80	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	44.46	56.05	8.79	11.59
इक्विटी खाते की अन्य व्यापक आय में शेयर निवेशित खाते				
प्रारंभिक शेष	51.87		51.38	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	95.75	147.62	0.49	51.87
कुल अन्य इक्विटी		35515.62		32816.12

अन्य रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

पूंजी रिजर्व

कैपिटल रिजर्व को पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है, यह पूंजीगत प्रकृति के कुछ विशिष्ट लेनदेनों से कमाए गए लाभ से बनता है। शेयरधारकों को वितरण के लिए कैपिटल रिजर्व उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयरों के जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिज़र्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व

समूह को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बांड रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है, जो लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध हैं। बांड के मोचन तक आरक्षित बनाए रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (OCI) आरक्षित

समूह ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता दी जाती है, तो समूह इस आरक्षित राशि से आय को बरकरार रखता है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
24.उधार – गैर चालू					
सुरक्षित					
रिडीम योग्य गैर–परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)	प्रतिभूति संदर्भ		
9.35%	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
9.00%	14–अक्तूबर–2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.75%	15–सितंबर–2024		(ख,घ)	**50.00**	100.00
8.70%	25–अगस्त–2024		(क)	**300.00**	300.00
8.30%	3–अगस्त–2023		(क)	**800.00**	800.00
8.30%	1–अगस्त–2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.35%	19–नवंबर–2022		(क)	**1185.00**	1185.00
9.30%	23–अगस्त–2021		(क)	**400.00**	400.00
8.55%	11–अगस्त–2021		(क)	**700.00**	700.00
8.80%	26–अक्तूबर–2020		(ख,ग)	**84.00**	98.00
8.27%	25–अगस्त–2020		(क)	**265.00**	265.00
9.30%	25–मई–2020		(क,झ)	**216.00**	288.00
8.72%	30–अप्रैल–2020		(क)	**660.00**	660.00
8.75%	23–अप्रैल–2020		(क)	**545.00**	545.00
8.65%	1–फरवरी–2020	5/शून्य	(क)	–	242.00
8.30%	21–जनवरी–2020		(क)	–	500.00
8.65%	30–दिसंबर–2019		(क)	–	450.00
8.50%	7–दिसंबर–2019		(क)	–	120.00
8.60%	19–नवंबर–2019		(क)	–	335.00
8.80%	22–जून–2019		(क)	–	825.00
7.70%	11–मई–2019	5/5	(क)	–	25.00
8.90%	1–मई–2019	5/शून्य	(ख)	–	950.00
कुल बांड				**7860.00**	11443.00
बैंकों से सावधि ऋण					
रुपया ऋण			(ज)	**18681.00**	14156.00
विदेशी मुद्रा ऋण			(ज)	**2391.57**	2247.26
				28932.57	27846.26
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(ङ)	**322.56**	358.48
2	नैटेक्सिस बांके		(च)	**12.32**	15.01
स्टील विकास फंड			(छ)	**204.16**	204.16
				539.04	577.65
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता				**1331.05**	1353.25
कुल गैर वर्तमान ऋण				**30802.66**	29777.16

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा कोई ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

उधारी और ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है।

सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

बॉन्ड सुरक्षित, संबंधित सुविधाओं के संबंध में निम्न द्वारा, हैं :

क) जिला अहमदाबाद, गुजरात के शहर तालुका मौजे––वाडेज की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्तियां और समूह का संयंत्र और मशीनरी तथा इस्को स्टील प्लांट (ISP) से संबंधित जमीन, जिस पर यह बना हुआ है, पर परस्पर साथ साथ रैंकिंग के प्रभार से सुरक्षित है।

ख) जिला अहमदाबाद, गुजरात के शहर तालुका मौजे––वाडेज की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्तियां और समूह का संयंत्र और मशीनरी तथा दुर्गापुर स्टील संयंत्र (DSP) से संबंधित जमीन, जिस पर यह बना हुआ है, पर परस्पर साथ साथ रैंकिंग के प्रभार से सुरक्षित है।

ग) 26 अक्तूबर, 2014 से ₹ 14 करोड़ प्रत्येक की 12 समान वार्षिक किस्तों में रिडीमएबल है। 26 अक्टूबर, 2019 को देय किस्त को अन्य वर्तमान देनदारियों में दिखाया गया है।

घ) 2014, 2019 और 2024 के 15 सितंबर को प्रत्येक ₹ 50 करोड़ की 3 समान किस्तों में रिडीमेंबल है।

ङ) सॉफ्ट आधार के ऋण को 3 किस्तों में निकाला गया है जिन्हें 1(क), 1(ख) और 1(ग) को 8.75% वार्षिक ब्याज पर लिया गया है। 1(क) पर ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8%, एक्सचेंज के उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजना (4%) के लिए है। 1(ख) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8.0% वार्षिक परिधि विकास को पूरा करने हेतु है। 1 (ग) पर ब्याज 3.66% वार्षिक है और शेष 5.09% वार्षिक परिधि विकास को पूरा करने हेतु है। मूलधन और ब्याज वार्षिक प्रतिदेय है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

च) ऋण 2030 तक चुकाने योग्य है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही में किया जाता है।

छ) पुनर्भुगतान की शर्तें SDF प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

ज) ऋण की सीमा तक बीएसएल और बीएसपी की वर्तमान और भविष्य की चल संयंत्र और मशीनरी पर परस्पर की रैंकिंग के प्रभार से सुरक्षित है। SBIECB का ऋण पहले ड्रॉप डाउन अर्थात 25 सितंबर, 2017 से 4वें, 5वें, 6वें और 7वें वर्ष के अंत के बाद में 4 बराबर किश्तों में चुकाने योग्य है।

झ) 25 मई, 2018 से शुरु हो कर 5 समान वार्षिक किस्तों पर रिडिम होगा। 25 मई, 2019 को देय किस्त को चालू में दिखाया गया है देनदारियां।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
25: व्यापार देय – गैर चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय	–	–
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	6.82	6.38
	6.82	6.38
26: अन्य वित्तीय देनदारियां – गैर चालू		
कर्मचारी संबंधित बकाया	535.71	430.68
संचित ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं	559.63	551.46
अन्य देनदारियां	235.28	197.22
	1330.62	1179.36
27: प्रावधान – गैर चालू		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	0.07	–
उपार्जित अवकाश देयता का प्रावधान	2683.08	2477.94
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	962.76	974.81
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	18.39	20.90
खानों को बंद करने का प्रावधान	75.01	61.64
अन्य प्रावधान	556.33	439.13
	4295.64	3974.42
28: अन्य देयताएं –गैर चालू		
आस्थगित आय*	253.19	138.33
	253.19	138.33

* आस्थगित आय में शामिल हैं:

(क) भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भिलाई स्टील प्लांट को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट के रूप में सम्मानित किया गया है और फंड से होने वाली कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

(ख) केंद्र सरकार से ₹ 105.75 करोड़ का अनुदान, 2018–19 के दौरान इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला को विशिष्ट सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के रुप में उन्नयन के उद्देश्य से प्राप्त हुआ था, जबकि बजटीय प्रावधान ₹ 295.79 करोड़ का था।

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
29.उधार – चालू		
सुरक्षित		
माँग पर देय		
बैंकों से	3490.26	2334.39
अन्य ऋण और अग्रिम		
बैंक से	–	–
असुरक्षित		
अन्य ऋण	2900.00	2950.00
वाणिज्यिक पत्र	4240.96	3961.88
विदेशी मुद्रा ऋण	–	2998.05
	10631.22	12244.32

1. **31 मार्च, 2019 तक बकाया अल्पावधि उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण:**
   बैंकों से उधार, संबंधित सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार सुरक्षित हैं:

(i) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
30: व्यापार भुगतान – चालू				
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.2 देखें)		**67.45**		48.22
संबंधित पक्षों को देय राशि		**174.47**		9.30
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि		**6983.32**		7469.12
		7225.24		7526.64
31: अन्य वित्तीय देयताएं – चालू				
कर्मचारी संबंधी बकाया		**156.82**		159.95
ब्याज संचित परंतु उधार पर देय नहीं		**756.89**		920.54
ब्याज संचित और इस्पात विकास निधि ऋण पर देय		**152.00**		152.00
अन्य देनदारियों–देनदार बैंकिंग व्यवस्था		**191.09**		325.45
व्युत्पन्न दायित्व		**4.54**		65.24
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता		**3607.71**		3271.71
वित्त पट्टे दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता		**128.45**		115.53
दावारहित परिपक्व जमा और उपार्जित ब्याज		**1.01**		1.01
सुरक्षा जमा	**1488.38**		1325.77	
कमः सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त निवेश	**–**	**1488.38**	–	1325.77
अप्रदत्त लाभांश		**5.59**		6.21
पूंजी कार्यों के लिए देय		**3605.29**		3708.94
अन्य देनदारियां		**4640.32**		4137.97
		14738.09		14190.32
32: अन्य देयताएं – चालू				
ग्राहकों से अग्रिम में प्राप्त आय		**1456.63**		1882.56
अग्रिम में प्राप्त आय – अन्य		**94.72**		112.80
अस्थिगत आय*		**13.46**		11.90
जीएसटी देय		**2158.00**		2135.74
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता		**0.76**		–
आपूर्तिकर्ताओं से जीएसटी पर काटा गया टीडीएस		**21.32**		–
अन्य देनदारियां		**2962.37**		3001.75
		6707.26		7144.75

* आस्थगित आय में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भिलाई स्टील प्लांट को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट के रूप में सम्मानित किए जाने के कारण दिए गए अवार्ड हेतु इनफ्लो आय अवार्ड शामिल है और इस फंड से होने वाली कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

		31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को
33: प्रावधान – चालू				
ग्रेच्युटी का प्रावधान		**–**		31.12
उपार्जित अवकाश देयता का प्रावधान		**285.51**		309.04
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान		**107.93**		105.60
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान		**2.88**		2.03
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान		**39.48**		40.30
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव का प्रावधान		**12.78**		–
वेतन संशोधन का प्रावधान		**1247.52**		1216.24
खान वनीकरण / बहाली आदि के लिए प्रावधान		**344.33**		319.25
अन्य प्रावधान		**274.97**		289.05
		2315.40		2312.63
33क: वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)				
प्रारंभिक शेष	–		6.66	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	–		7.06	
कमः वर्ष के दौरान भुगतान की गई / हस्तांतरित राशि	–		13.72	
कमः वर्ष के दौरान वापस लिखे गए प्रावधान	–	–	–	–
		–		–

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
34: परिचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**63298.26**	55974.82
निर्यात	**2872.64**	2243.70
निर्यात प्रोत्साहन	**102.42**	82.48
उप जोड़ (क)	**66273.32**	58301.00
सेवाओं की बिक्री		
सेवा शुल्क	**28.61**	23.56
उप जोड़ (ख)	**28.61**	23.56
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूलियां	**335.97**	337.82
खाली मदों आदि की बिक्री	**54.51**	80.00
विविध	**281.17**	223.78
उप जोड़ (ग)	**671.65**	641.60
जोड़ (क + ख+ ग)	**66973.58**	58966.16

राजस्व का पृथक्करण

माल और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और कंपनी का केवल यही रिपोर्ट करने योग्य खंड है।

(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत में	**63298.26**	55974.82
भारत के बाहर	**2975.06**	2326.18
जोड़	**66273.32**	58301.00
(2) प्रमुख उत्पाद		
लोहा और इस्पात	**62541.86**	55481.04
अन्य माध्यमिक और बाय–प्रोडक्ट्स	**3731.46**	2819.96
जोड़	**66273.32**	58301.00

अनुबंध शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है प्राप्य जो 'व्यापारिक प्राप्यों' में शामिल हैं।

व्यापार प्राप्य	**4497.48**	3870.99
अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
अनुबंध देयताएं	**1456.63**	1882.56

35. अन्य आय		
ब्याज से आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	**0.79**	0.78
ग्राहक	**133.92**	101.78
कर्मचारी	**13.36**	16.75
बैंक जमा	**9.70**	9.79
अन्य	**39.58**	41.94
उप जोड़ (क)	**197.35**	171.04
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से लाभांश	–	–
निवेश से लाभांश	**1.73**	1.85
(OCI के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर निवेश से लाभांश सहित)		
उप जोड़ (ख)	**1.73**	1.85
अन्य गैर–परिचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	**1.10**	6.12
सहायता राशि	**0.62**	0.54
बट्टे खाते डाले गए प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं	**87.65**	90.64
अन्य देनदारियों की वापसी	**59.21**	81.62
परिसमापन हर्जाना	**101.37**	20.02
अन्य	**45.49**	43.36
उप जोड़ (ग)	**295.44**	242.30
जोड़ (क + ख+ ग)	**494.52**	415.19

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
36: प्रयोग की गई सामग्री की लागत		
लौह अयस्क	**5095.08**	3818.79
कोयला	**26041.91**	21445.07
कोक	**31.32**	31.63
चूना पत्थर	**1355.12**	1232.17
डोलोमाइट	**591.92**	474.80
फेरो मैंगनीज	**425.17**	337.61
फेरो सिलिकॉन	**236.85**	201.73
सिलिको मैंगनीज	**1323.69**	1193.85
जिंक	**172.30**	176.84
अल्युमीनियम	**315.65**	242.58
अन्य	**1928.78**	1358.94
	37517.79	30514.01
घटाएं : अंतर लेखा समायोजन	**5114.82**	3776.11
	32402.97	26737.90
37: निर्मित वस्तुओं और प्रगति पर काम के क्षेत्र में परिवर्तन		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**4440.25**	5829.61
प्रगति पर काम	**3213.64**	3990.99
	7653.89	9820.60
घटाएं: अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	**6973.49**	4440.25
काम प्रगति पर	**3396.56**	3213.64
	10370.05	7653.89
	(2,716.16)	2166.71
घटाएं: स्टॉक में अभिवृद्धि (–) /कमी पर उत्पाद शुल्क	–	1027.89
	(2,716.16)	1138.82
38: कर्मचारी लाभ व्यय *		
वेतन और मजदूरी	**6690.32**	6474.19
अवकाश नकदीकरण	**448.20**	357.93
भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	**902.52**	754.60
यात्रा रियायत	**33.54**	61.56
कल्याणकारी व्यय	**526.66**	356.32
ग्रैच्यूटी	**247.86**	861.27
	8849.10	8865.87
*** कर्मचारियों के पारिश्रमिक और व्यय जिन्हें ऊपर शामिल नहीं किया गया है और निम्न को प्रभारित है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**86.38**	100.72

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
39: वित्त लागत		
ब्याज लागत		
विदेशी मुद्रा ऋण *	**169.24**	526.99
गैर परिवर्तनीय बांड	**834.39**	915.78
बैंक उधार – कार्यशील पूंजी	**52.08**	42.97
इस्पात विकास निधि ऋण	**4.94**	4.08
अन्य	**2075.14**	1319.53
अन्य उधार लागत	**19.13**	13.40
	3154.92	2822.75
* विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव सहित ₹ 41.69 करोड़ का नुकसान (गत वर्षः ₹ 120.04 करोड़ लाभ)		
ब्याज और वित्तीय प्रभारों पर व्यय जिन्हें ऊपर शामिल नहीं किया गया है और निर्माण के दौरान व्यय में लिया गया है		
विदेशी मुद्रा ऋण	**125.97**	94.89
गैर परिवर्तनीय बांड	**210.97**	365.43
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**3.24**	4.09
अन्य	**363.56**	204.11
	703.74	668.52

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
40: अन्य व्यय				
स्टोर और स्पेयरज की खपत				
खपत	**4244.20**		3490.03	
कमः विभागीय निर्मित स्टोरज	**925.98**		735.15	
कमः तैयार उत्पाद जिसे स्टोरेज और स्पेयरज के रूप में आंतरिक रूप से खपत किया गया हैं	**526.62**	**2791.60**	473.26	2281.62
मरम्मत और रख–रखाव				
इमारतें	**204.81**		194.71	
संयंत्र और मशीनरी	**1004.25**		821.88	
अन्य	**265.82**	**1474.88**	228.77	1245.36
संचालन व्यय				
कच्चा माल	**480.21**		428.15	
स्क्रैप से वसूली	**335.21**	**815.42**	282.30	710.45
ऑडिटरों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	**2.13**		1.80	
कर ऑडिट फीस	**0.64**		0.51	
अन्य सेवाओं में	**1.30**		1.16	
आऊट ऑफ पॉकेट व्यय	**0.84**	**4.91**	0.68	4.15
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	**65.12**		85.42	
निवेश	–		13.08	
स्टोर, पुर्जे और विविध	**177.52**	**242.64**	117.70	216.20
बिजली और ईंधन		**6060.16**		5815.89
भाड़ा जावक		**2618.25**		2247.29
रॉयल्टी और उपकर		**2047.04**		1271.58

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
40: अन्य व्यय (जारी)		
रूपांतरण शुल्क	306.43	306.08
अंतर–संयंत्र हस्तांतरण/आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क	0.09	63.76
हर्जाना और घाट शुल्क	49.79	38.82
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर	129.29	115.82
बीमा	27.60	24.99
डाक, तार और टेलीफोन	19.71	16.84
छपाई और स्टेशनरी	9.08	8.28
दरें और कर	46.45	58.64
किराया	82.50	80.61
सुरक्षा खर्च	593.79	514.24
यात्रा खर्च	160.23	157.72
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय (संदर्भ नोट – 49.13)	15.94	82.07
प्रशिक्षण व्यय	44.28	42.08
कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (संदर्भ नोट – 49.6)	31.74	26.34
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	163.59	3.74
अचल संपत्तियों की बिक्री/स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	45.27	72.80
लागत लेखापरीक्षा शुल्क और खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.10	0.05
बट्टे खाते – विविध	0.10	2.61
तैयार माल संभालने पर व्यय	175.62	188.31
विक्रय एजेंटों को कमीशन	14.34	6.53
निर्यात बिक्री व्यय	37.36	47.01
विविध	667.96	531.94
	18676.16	16181.82

41: असाधारण मदें		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	100.72	254.20
पेंशन देनदारियों को वापस लिखना	–	(458.16)
अवैध खनन के लिए प्रावधान	–	340.72
जिला मिनरल फंड को वापस	–	(261.76)
वेतन और मजदूरी के लिए रिवर्सल	–	(110.82)
परित्यक्त कोयला ब्लॉकों के लिए प्रावधान	–	209.39
प्रवेश कर	92.23	–
रॉयल्टी–अंतर	143.54	–
स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर परिशोधन	52.91	–
	389.40	(26.43)

41क: प्रति शेयर अर्जन		
वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़)	2348.71	(281.40)
इक्विटी शेयरों की संख्या	4130525289	4,13,05,25,289
प्रति शेयर अर्जन – मूल और डाइल्यूटेड (₹)	5.69	(0.68)
प्रति शेयर शेयर मूल्य (₹)	10.00	10.00

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

42. वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तीन स्तरों के माप के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के अवलोकन के आधार पर, निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: वित्तीय विलेखों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित)।

स्तर 2: उन वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में खरीदी–बेची नहीं जाती है, को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें अवलोकन योग्य बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग इकाई विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम भरोसा करके किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट,अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है तो विलेख को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ – आवर्ती उचित मूल्य के आधार पर मापी गई हैं (₹ करोड़)

31 मार्च, 2019 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय विलेख				
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां		172.29		172.29
एफवीटीपीएल पर निवेश				
उद्धृत	22.34			22.34
गैर–उद्धृत			116.12	116.12
जोड़ वित्तीय परिसंपत्तियां	**22.34**	**172.29**	**116.12**	**310.75**
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय लिखत				
व्युत्पन्न दायित्व		4.54		4.54
जोड़ वित्तीय देनदारियां	–	**4.54**	–	**4.54**

उचित मूल्य पर मापी गए वित्तीय मूल्य और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप (₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय विलेख				
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां		124.39		124.39
एफवीटीपीएल पर निवेश				
उद्धृत	15.80			15.80
गैर–उद्धृत			64.69	64.69
जोड़ वित्तीय परिसंपत्तियां	**15.80**	**124.39**	**64.69**	**204.88**
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय लिखत				
व्युत्पन्न दायित्व		65.24		65.24
जोड़ वित्तीय देनदारियां	–	**65.24**	–	**65.24**

iii) वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है (₹ करोड़)

	स्तर	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण	स्तर–3	618.02	631.60	515.38	545.27
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर–2	172.29	172.29	124.39	124.39
इक्विटी लिखत'					
उद्धृत	स्तर–1	22.34	22.34	15.80	15.80
गैर–उद्धृत	स्तर–3	116.12	116.12	64.69	64.69
कुल वित्तीय संपत्तियां		**928.77**	**942.35**	720.26	750.15
वित्तीय देनदारियां					
उधार	स्तर–3	46677.65	46998.97	47358.17	47714.31
अन्य भुगतान	स्तर–3	10820.40	10862.57	9967.75	10008.93
व्युत्पन्न देयता	स्तर–2	4.54	4.54	65.24	65.24
कुल वित्तीय देनदारियां		**57502.59**	**57866.08**	57391.16	57788.48

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय लिखतों को महत्व देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य समरुप लिखतों के लिए डीलर या दोहरे उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है

(ख) फारवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंध का उचित मूल्य और मुख्य स्वैप को, तुलन पत्र की तारीख में फारवर्ड दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर को वहन करने वाले उधार के मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ङ) स्थिर ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्तियों और परिशोधन दर पर ली गई देनदारियों (वित्त पट्टा दायित्वों सहित) पर तय ब्याज दर का उचित मूल्य, नकदी प्रवाह पर छूट के साथ निर्धारित किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि को समान परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए बाजार की ब्याज दर के बराबर छूट दर का उपयोग करके किया जाता है।

(v) गैर उद्धरित निवेश:

गैर उद्धरित इक्विटी निवेश के उचित मूल्य का आकलन स्तर–3 में शामिल है और यह निवेशकर्ता समूह की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित है। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, समूह ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसलिए, उचित मूल्यों के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ है।

vi) निम्न तालिका स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके, उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय लिखतों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करता है: (₹ करोड़)

गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2017 तक	59.43
अन्य व्यापक आय में मान्य लाभ/ हानि	5.26
31 मार्च 2018 तक	**64.69**
अन्य व्यापक आय में मान्य लाभ/ हानि	51.43
31 मार्च, 2019 तक	**116.12**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2018 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**अमूर्त लागत**	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	अमूर्त लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
इक्विटी विलेख		138.46			80.49	
व्यापार प्राप्त योग्य			4497.48			3870.99
नकद और नकद समकक्ष			65.58			94.00
अन्य बैंक शेष			222.11			251.55
ऋण			618.02			515.38
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां	172.29			124.39		
अन्य प्राप्त योग्य			2243.79			2825.89
जोड़	**172.29**	**138.46**	**7646.98**	124.39	80.49	7557.81
वित्तीय देनदारियां						
उधारी			46677.65			47358.17
व्यापार देय			7232.06			7533.02
व्युत्पन्न देयताएं	4.54			65.24		
अन्य देनदारियां			10820.40			9967.75
जोड़	**4.54**	–	**64730.11**	65.24	–	64858.94

ii) जोखिम प्रबंधन

समूह वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के एक्सपोज में है। समूह की वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां श्रेणी के अनुसार नोट 43 (i) में संक्षेपित में दी हुई हैं। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। समूह के जोखिम प्रबंधन का समंवय मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ निकट सहयोग से किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों के लिए एक्सपोजर को कम करके समूह के अल्पकालिक से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को स्थायी रिटर्न उत्पन्न करने के लिएप्रबंधित किया जाता है। समूह सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं है और न ही यह ऑपशन में कार्य करता है। समूह के एक्सपोज किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम नीचे वर्णित हैं।

क) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष मूल कंपनी के प्रति दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। समूह, इस जोखिम में विभिन्न वित्तीय लिखतों के साथ एक्सपोज है, उदाहरण के लिए, ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां प्रदान करना, जमा प्रदान करना आदि। क्रेडिट जोखिम के लिए समूह का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि तक सीमित है।

– नकद और नकद समकक्ष

– व्युत्पन्न वित्तीय साधनों

– व्यापार स्वीकार योग्य

– अन्य वित्तीय संपत्तियों को अमूर्त लागत पर मापा जाता है

समूह, ग्राहकों और अन्य समकक्षों की चूक की लगातार निगरानी करता है, इन्हें व्यक्तिगत रूप से या समूह में पहचाना जाता है और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है। जहां उचित लागत, बाह्य क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य समकक्षों के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध हैं, इसको प्राप्त और उपयोग किया जाता है। समूह की नीति केवल साख प्रतिपक्षों के साथ लेनदेन करने की है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

क) **ऋण जोखिम प्रबंधन**

नगद और नगद उपकरण

नकद और नकद समकक्षों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को केवल उच्च श्रेणी के बैंकों को स्वीकार करके और बैंक जमाओं में विविधता लाने तथा देश भर के विभिन्न बैंकों में खातों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

व्युत्पन्न वित्तीय विलेख

व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को भी केवल अन्य पक्ष के उच्च श्रेणीबद्ध बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ या ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने से प्रबंधित किया जाता है। समूह कई पक्षों के साथ अपनी जमाओं को रखता है।

व्यापार प्राप्ति योग्य

व्यापार प्राप्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उन ग्राहकों से बैंक गारंटी लेकर कम किया जाता है जहां क्रेडिट रिस्क अधिक है। समूह देनदारों की ऋण–योग्यता की बारीकी से निगरानी करता है और केवल क्रेडिट–योग्य पार्टियों को ही माल बेचता है। समूह की आंतरिक प्रणालियों में ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जिससे पूर्व–परिकलित मात्रा में क्रेडिट जोखिम को सीमित किया गया है।

अमूर्त लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अमूर्त लागत पर मापा गया अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल है। इन से संबंधित क्रेडिट जोखिम अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण भी होता है। प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि मात्रा परिभाषित सीमाओं के भीतर हों।

ख) **अपेक्षित क्रेडिट हानियां**

समूह निम्न के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करता है

व्यापार प्राप्तियां

समूह एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान को पहचानता है और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करता है। व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए:

(₹ करोड़)

एजिंग (31 मार्च, 2019 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	3831.02	572.15	124.52	43.46	131.27	4702.42
अपेक्षित हानि दर	1.77%	0.39%	5.36%	0.05%	97.55%	4.36%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	67.96	2.23	6.68	0.02	128.05	204.94
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (हानि का नेट)	**3763.06**	**569.92**	**117.84**	**43.44**	**3.22**	**4497.48**

एजिंग (31 मार्च, 2018 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	3005.30	697.14	92.93	74.74	197.58	4067.69
अपेक्षित हानि दर	0.25%	0.38%	9.49%	2.81%	88.88%	4.84%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	7.52	2.66	8.82	2.10	175.60	196.70
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (हानि का नेट)	**2997.78**	**694.48**	**84.11**	**72.64**	**21.98**	**3870.99**

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान कर समाधान (₹ करोड़)

विवरण	
31 मार्च, 2017 को	**181.89**
प्रावधान में परिवर्तन	14.81
31 मार्च, 2018 को	**196.70**
प्रावधान में परिवर्तन	8.24
31 मार्च, 2019 को	**204.94**

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है

समूह किसी भी ऋण घाटे की प्रत्याशा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय लिखतों का आकलन करके "ऋण अग्रिमों और व्यापार प्राप्य के अलावा" पर अपेक्षित क्रेडिट घाटे का प्रावधान करता है। चूंकि इस श्रेणी में ऋण और विभिन्न स्वरुप तथा उद्देश्यों के ऋण और प्राप्य शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि जिसे समूह की पूरी आबादी पर लगातार लागू करने के लिए आकर्षित किया जा सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, समूह की नीति प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करना है और ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर जीवन काल के लिए प्रत्याशित क्रेडिट जोखिम प्रदान करना है। समूह के पास, निम्न क्रेडिट जोखिम प्रकृति पर विचार करने वाली ऐसी परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त हानि आधारित हानि नहीं है, हालांकि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत नुकसान के प्रावधानों का खुलासा किया जाता है।

ठ) **तरलता जोखिम**

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों का रख–रखाव और जब देय होते है तो दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से धन की उपलब्धता। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, समूह प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है। प्रबंधन समूह की तरलता की स्थिति और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है। समूह उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखता है जिसमें इकाई कार्य कर रही होती है। इसके अलावा, समूह की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह को प्रोजेक्ट करना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल संपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के खिलाफ तुलन पत्र तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूह में समूह की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करने के लिए नीचे दी गई तालिकाएं और तालिका में बताई गई मात्रा संविदागत अघोषित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीने के भीतर शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2019 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	17626.05	4901.99	5955.80	27521.22	56005.06
व्यापार देयता	7225.24	0.00	0.00	6.82	7232.06
अन्य देनदारियां	10757.22	121.00	112.53	1427.51	12418.26
जोड़	**35608.51**	**5022.99**	**6068.33**	**28955.55**	**75655.38**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	4.54				4.54
जोड़	**4.54**	–	–	–	**4.54**

31 मार्च, 2018 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 सालत	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	18348.05	5719.16	4611.01	27190.55	55868.77
व्यापार देयता	7526.64	0.64	0.85	4.89	7533.02
अन्य देनदारियां	10392.85	112.45	96.56	1270.94	11872.80
जोड़	**36267.54**	**5832.25**	**4708.42**	**28466.38**	**75274.59**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	65.24				65.24
जोड़	**65.24**	–	–	–	**65.24**

* उधारी में वित्त पट्टा दायित्वों शामिल नहीं है, वित्त पट्टे दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के प्रकटीकरण के लिए नोट 49.9 (बी) देखें।

ग) बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह के अधिकांश लेन–देन भारतीय रूपये में किए गए हैं। मुद्रा विनिमय दरों के लिए एक्सपोजर समूह की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (USD) में दर्शाए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए समूह के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रूपये में नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार, फारवर्ड विनिमय अनुबंध किए जाते हैं। आम तौर पर, समूह की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह (6 महीने के अंदर) को लंबी अवधि के नकदी प्रवाह (6 महीने के बाद) से अलग करती हैं। जहां किसी विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली राशि से बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को समायोजित करने की अपेक्षा की जाती है। आगे कोई हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए किया जाता है जिनकी अन्य समान–मुद्रा लेनदेन द्वारा समायोजित होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर:

समूह के विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण एक्सपोजरों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, ₹ करोड़ में निम्न अनुसार दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2018 तक	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	42.62		1.89	
नकद और नकद समकक्ष				
अन्य बैंक शेष				
ऋण				
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां (सकल राशि, उधार को हेज करने के लिए)			3343.41	
अन्य प्राप्तिया				
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	**42.62**	–	3345.30	–
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	2406.58	344.58	3619.36	327.06
व्यापार देय	3460.07	366.69	90.63	330.72
व्युत्पन्न देयताएं	4.54	–	29.35	
अन्य देनदारियां	20.34	191.77	68.30	137.27
शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियां)	**5891.53**	**903.04**	3807.64	795.05

संवेदनशीलता

निम्न तालिका समूह की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता 'अन्य सभी चीजें समान रशने पर', को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2019 (2018: 4.24%) को समाप्त वर्ष के लिए आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का +/– 6.82% परिवर्तन मानती है। आईएनआर/यूरो विनिमय दर (2018: 6.90%) के लिए । +/– 7.26% परिवर्तन माना जाता है। ये दोनों प्रतिशत पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में बाजार में औसत उतार–चढ़ाव के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर , समूह की विदेशी मुद्रा वित्तीय लिखतों पर आधारित होता है और यह फारवर्ड विनिमय अनुबंधों को भी ध्यान में रखता है जो मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव से होने वाले प्रभावों को समायोजित करता है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूएसडी– 6.82% की वृद्धि (31 मार्च 2019)	(398.90)	
आईएनआर / यूएसडी– 6.82% की कमी (31 मार्च 2019)	398.90	
आईएनआर / यूएसडी– 4.24% की वृद्धि (31 मार्च 2018)		(19.60)
आईएनआर / यूएसडी– 4.24% की कमी (31 मार्च 2018)		19.60
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूरो– 7.26% की वृद्धि (31 मार्च 2019)	(65.56)	
आईएनआर / यूरो– 7.26% की कमी (31 मार्च 2019)	65.56	
आईएनआर / यूरो– 6.90% की वृद्धि (31 मार्च 2018)		(54.86)
आईएनआर / यूरो– 6.90% की कमी (31 मार्च 2018)		54.86

ख) ब्याज दर जोखिम

समूह की नीति, लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम को कम करना है। इसलिए लंबी अवधि के उधार आम तौर पर निश्चित दरों पर होते हैं। 31 मार्च, 2019 को, बैंक की उधार दरों के माध्यम से परिवर्तनीय ब्याज दरों में, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के माध्यम से समूह एक्सपोज कर रहा है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। समूह के सभी निवेश पर निश्चित ब्याज दरों से भुगतान किया जाता हैं। समूह की मुद्रा बाजार निधि के लिए ब्याज दरों को नगण्य माना जाता है। निम्न तालिका +/– 1% (2018: +/– 1%) की ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। मौजूदा बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को यथोचित रूप से संभव माना जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में बदलाव पर यह गणना आधारित है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर धारित वित्तीय लिखत जो ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। अन्य सभी चर स्थिर हैं।

i) देनदारियां

समूह की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम को कम करना है। 31 मार्च, 2019 को, समूह को ब्याज दरों पर बैंक ऋणों के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में बदलाव किया गया है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

नीचे ब्याज दर जोखिम के प्रति समूह के समग्र एक्सपोजर को दिया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर)	–	2998.05
निश्चित दर उधार	46677.65	44360.12
जोड़ उधारी	**46677.65**	**47358.17**

संवेदनशीलता

नीचे ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता है। (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ब्याज संवेदनशीलता		
ब्याज दरें– 100 आधार अंकों से बढ़ोतरी	466.78	473.58
ब्याज दरें–100 आधार अंकों से कम	–466.78	–473.58

ii) परिसंपत्तियां

समूह की स्थिर जमाराशियों को अमूर्त लागत और स्थिर दरों पर किया जाता है। इसलिए वे इंड एएस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं क्योंकि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव नहीं होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों के समग्र एक्सपोजर को दर्शाया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिवर्तनीय दर जमा/ ऋण	–	–
जमा/ ऋणों पर निश्चित दर	840.13	766.93
जोड़ जमाराशि	**840.13**	766.93

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

समूह अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में है (देखें नोट 8)। समूह शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानता है, इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर बकाया एक्सपोज़र पर मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44. पूंजी प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य निम्न हैं

– समूह की क्षमता को एक सुनाम–प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करना

समूह, तुलन पत्र में प्रस्तुत इक्विटी कम नकदी और नकदी समकक्षों की वहन राशि के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है।

प्रबंधन अत्यधिक लिवरेज से बचने के लिए, कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। समूह इसके लिए ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तरों को ध्यान में रखता है। समूह पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के जोखिम विशेषताओं के मद्देनजर इसमें समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की मात्रा को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है या ऋण को कम करने के लिए परिसंपत्तियां बेच सकता है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
शुद्ध ऋण	46389.96	47012.62
कुल इक्विटी	39646.15	36946.65
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	**1.17**	1.27
लाभांश (सेल)		
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश @ 5% प्रदत्त शेयर पूंजी पर	206.53	शून्य
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है	206.53	शून्य

44क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि का नाम	निगमन का प्रमुख स्थान	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	% में आनुपातिक स्वामित्व 31 मार्च, 2019 को	% में आनुपातिक स्वामित्व 31 मार्च, 2018 को
1	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	सहायक कंपनी	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	**100%**	100%
2	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी	रिफ्रैक्टरी सामग्री का उत्पादन	भारत	भारत	**100%**	100%
3	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	**100%**	100%
4	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक कंपनी	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	**74%**	74%
5	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	**50%**	50:%
6	बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	**50%**	50%
7	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाएं	भारत	भारत	**50%**	50%
8	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाएं	भारत	भारत	**40%**	40%
9	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	**26%**	26%
10	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	भारत	**50%**	50%
11	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	मोजाम्बिक	**48%**	48%
12	सेल–मॉइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	फेरो मैंगनीज उत्पादन	भारत	भारत	**50%**	50%
13	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	लॉजिस्टिक्स	भारत	भारत	**50%**	50%
14	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	**49%**	49%
15	सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे वैगन उत्पादन	भारत	भारत	**50%**	50%
16	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	**50%**	50%
17	सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	**50%**	50%
18	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	**26%**	26%
19	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	**21%**	21%
20	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	**26%**	26%
21	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	**49%**	49%
22	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	धातु उत्पाद	भारत	भारत	**26%**	26%
23	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	धातु उत्पाद	भारत	भारत	**26%**	26%
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	**12%**	21%
25	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	**26%**	उपलब्ध नहीं
26	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी	मैग्नेसाईट खनन	भारत	भारत	**20%**	20%

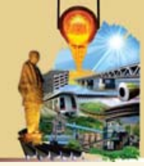

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44ख. इक्विटी विधि निवेशों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यम

एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**52.03**	43.44
अन्य परिसंपत्तियां	**470.50**	764.17
	522.53	807.61
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**3,475.83**	2,789.19
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़ कर)	**427.75**	468.97
अन्य देयताएं	**76.59**	122.63
	504.34	591.60
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**956.75**	711.29
अन्य देयताएं	**39.02**	109.70
	995.77	820.99
शुद्ध परिसंपत्तियां	**2,498.25**	2,184.21
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**1,249.13**	1,092.11

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
राजस्व	**2,656.59**	2,602.17
मूल्यह्रास और परिशोधन	**149.06**	150.38
ब्याज आय	**18.40**	29.37
ब्याज व्यय	**22.50**	41.19
आयकर व्यय या आय	**38.80**	12.94
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**362.33**	331.71
पोस्ट –कर संचालन से कर लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	**(1.88)**	(0.68)
कुल व्यापक आय	**360.45**	331.03
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**7.95**	4.08
अन्य संपत्तियां	**380.77**	307.48
	388.72	311.56
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**89.02**	99.87
तात्कालिक देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	**177.64**	133.51
अन्य देनदारियां	**9.41**	10.14
	187.05	143.65
गैर मौजूदा देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	–	–
अन्य देनदारियां	**11.56**	13.01
	11.56	13.01
शुद्ध संपत्ति	**279.13**	254.77
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ले जाई गई ब्याज राशि	**139.57**	127.39

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
राजस्व	**256.42**	176.15
मूल्यह्रास और परिशोधन	**10.83**	8.07
ब्याज आय	–	0.16
ब्याज व्यय	–	–
आयकर व्यय या आय	**18.82**	16.06
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	**41.56**	37.75
बंद आपरेशन से कर लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	**0.08**	0.25
कुल व्यापक आय	**41.64**	38.00
स्वामित्व का ब्याज	**50.00%**	50.00%

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**18.25**	50.92
अन्य संपत्तियां	**65.29**	37.21
	83.54	88.13
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	**2,370.98**	2,217.58
वर्तमान देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार भुगतान और प्रावधानों को छोड़ कर)	**272.30**	248.04
अन्य देनदारियां	**9.12**	0.51
	281.42	248.55
गैर मौजूदा देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	–	–
अन्य देनदारियां	**17.00**	14.58
	17.00	14.58
शुद्ध संपत्ति	**2,156.10**	2,042.58
कमः शेयर आवेदन धन राशि लंबित आवंटन		180.01
	2,156.10	1,862.57
स्वामित्व ब्याज	**47.82%**	47.82%
ले जाई गई ब्याज की राशि	**1,031.05**	890.68

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
राजस्व	**33.46**	13.91
मूल्यह्रास और परिशोधन	**0.11**	0.13
ब्याज आय	**0.71**	0.65
ब्याज व्यय	**107.46**	89.91
आयकर व्यय या आय	–	0.40
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**(114.21)**	(67.33)
बंद आपरेशनों से कर के बाद लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	**202.63**	3.26
कुल व्यापक आय	**88.42**	(64.07)
स्वामित्व ब्याज	**47.82%**	47.82%

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	7.12	134.91
अन्य संपत्तियां	795.07	295.04
	802.19	429.95
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	548.41	834.01
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	160.63	150.74
अन्य देनदारियां	31.25	70.72
	191.88	221.46
गैर मौजूदा देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार के भुगतान और प्रावधान को छोड़कर)	9.36	15.79
अन्य देनदारियां	293.99	258.20
	303.35	273.99
शुद्ध संपत्ति	855.37	768.51
स्वामित्व ब्याज	50.00%	50.00%
ले जाई गई ब्याज राशि	427.69	384.26

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
राजस्व	880.93	900.72
मूल्यह्रास और परिशोधन	–	–
ब्याज आय	23.87	25.61
ब्याज व्यय	16.24	15.66
आयकर व्यय या आय	20.70	2.09
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	65.17	78.54
बंद आपरेशन से कर के बाद लाभ या हानि	–	–
कुल व्यापक आय	(0.51)	(0.49)
अन्य व्यापक आय	64.66	78.53
स्वामित्व ब्याज	50.00%	50.00%

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	5.60	4.20
अन्य संपत्तियां	40.17	31.43
	45.77	35.63
गैर चालू परिसंपत्ति	710.87	775.68
चालू दायित्व		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	155.57	258.54
अन्य दायित्व	574.59	435.83
	730.16	694.37
गैर–वर्तमान देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (व्यापार भुगतान और प्रावधानों को छोड़कर)	5.45	13.94
अन्य देनदारियां	7.23	5.62
	12.68	19.56
शुद्ध परिसंपत्तियां	13.80	97.38
स्वामित्व ब्याज	26.00%	26.00%
शुद्ध परिसंपत्तियों का परिकलित हिस्सा	3.59	25.32
गुडविल		5.73
ब्याज की ले जाई गई राशि	3.59	31.05

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
राजस्व	276.44	84.13
मूल्यह्रास और परिशोधन	38.69	38.43
ब्याज से आय	0.23	–
ब्याज व्यय	12.09	18.92
आयकर व्यय या आय	2.66	(30.80)
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	(41.65)	(69.03)
बंद आपरेशन से कर लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	0.02	(0.31)
कुल व्यापक आय	(41.63)	(69.34)
स्वामित्व हित	26.00%	26.00%

संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	(3.00)	(24.89)
बंद आपरेशन से कर लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	0.03	0.01
कुल व्यापक आय	(2.97)	(24.88)

सहयोगी न कि व्यक्तिगत महत्वपूर्ण

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	1.07	0.52
बंद आपरेशन से कर लाभ या हानि	–	–
अन्य व्यापक आय	–	–
कुल व्यापक आय	1.07	0.52

संयुक्त उद्यमों के नुकसान की पहचान किया गया हिस्सा, रिपोर्टिंग अवधि और संचयी अवधि दोनों के लिए, जहां सेल ने इक्विटी पद्धति को लागू करते समय संयुक्त उद्यम के नुकसान के अपने हिस्से को पहचानना बंद कर दिया है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड – संचयी	0.01	0.01
सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	0.81	4.57
सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	7.05	6.24
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – रिपोर्टिंग	8.12	8.64
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – संचयी	29.01	20.89
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड – संचयी	0.01	0.01
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	1.35	2.76
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	4.61	3.26
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड – रिपोर्टिंग	0.06	–
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड – संचयी	0.06	–
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	0.01	0.01

संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	20.00	50.00
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	6.00	5.60
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	0.05	–
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमिटेड	12.40	12.40

44ग सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के विवरण

44.ग.1 सेल की दो सहयोगी कंपनियां, जगदीशपुर पावर संयंत्र लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम, 2016 के नियम 4(1) (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नाम को हटाना) तथा कंपनी अधिनियम की धारा 248 (2) के प्रावधानों के अनुसार, फास्ट ट्रैक एक्जिट मोड के तहत कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन दायर किया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन दो सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 को परिसंपत्तियों और देनदारियां तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और व्यय को, समेकित इंडक्स एएस वित्तीय विवरणों में नहीं लिया गया है।

44.ग.2 नीचे विस्तृत रूप से दी गई नियंत्रित संस्थाएं परिसमापन के तहत हैं। इन कंपनियों में निवेश की राशि को, 31 मार्च, 2019 तक, पूरी तरह से प्रदान कर दिया गया है। इन संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि के संबंध में हिस्सेदारी पर शून्य के रुप में लिया गया है:

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का नाम
1	एनएमडीसी–सेल लिमिटेड
	सहायक/ संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की ICVL (संयुक्त उद्यम संस्था):
2	बेंगा पावर संयंत्र (मॉरीशस) लिमिटेड
3	प्रोमर्क सर्विसेज लिमिटेड
4	ICVL उद्यम (मॉरीशस) लिमिटेड
5	बेंगा एनर्जिया SA

44.ग.3 नीचे दी गई एक सहायक कंपनी और छह संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, कुछ लेखांकन नीतियां, समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं। समूह के साथ लेखांकन नीति में असंगति के कारण, इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लाभ/हानि पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है

क्र.सं.	संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का नाम	होल्डिंग कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में अंतर लेखा नीति का विवरण
1	सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड – सहायक	**टिप्पणी संख्या 3.1.3:** अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। पूंजी मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं
2	एम जंक्शन सेवाएं सीमित – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 2.5:** अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर) तीन साल की अवधि में परिशोधित की जाती है।
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 3.2.2:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की प्रमुख मरम्मत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभावित है कि भविष्य में होने वाले लागत के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे। **टिप्पणी संख्या 3.2.3:** पूंजीगत स्पेयर पर मूल्यह्रास, स्पेयरज के उपयोगी जीवन या संबंधित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर, जो भी कम हो, पुनः मूल्यांकन के आधार पर, किया जाता है।
4	सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड– संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या (ख)(क)(iv):** वर्ष के दौरान जोड़/कम होने पर मूल्यह्रास, आनुपातिक आधार पर, इसके जोड़/कम होने के महीने के संदर्भ के आधार पर प्रदान किया जाता है
5	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 1.1:** पूंजीगत स्पेयर्स के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है **टिप्पणी संख्या 1.2:** पूंजीगत मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है **टिप्पणी संख्या 1.5:** अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। **टिप्पणी संख्या 3.4:** सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 साल के लिए या इसके उपयोग के कानूनी अधिकार के आधार पर, जो भी कम हो, किया जाता है।
6	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 3.2:** बिक्रियां, बिक्री कर, छूट और मूल्य रियायतों के बाद शुद्ध हैं। खरीददारों को उनके मामलों सहित सामग्री के प्रेषण के समय पर बिक्री को पहचाना जाता है जहां वितरण दस्तावेजों को खरीददारों के पक्ष में पृष्ठांकित किया जाता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहां पर बिक्रियों को अनंतिम आधार पर लेखांकित किया जाता है। **टिप्पणी संख्या 3.8:** इन्वेंट्री के मूल्यांकन का आधार, सेल से अलग है।
7	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 2.5:** कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44घ. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		निवल मूल्य		लाभ अथवा (हानि)		अन्य व्यापक		कुल व्यापक आय	
समूह, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 को % में स्वामित्व	आनुपातिक अंश	शुद्ध समेकित मूल्य के % के रूप में	लाभ/(हानि) में अंश	समेकित लाभ/(हानि) % के रूप में	अन्य व्यापक आय में अंश	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में अंश	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	38,151.57	96.23%	2,178.82	92.77%	259.08	73.01%	2,437.90	90.06%
सहायक कंपनियां									
सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	100	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	140.10	0.35%	21.81	0.93%	0.07	0.02%	21.88	0.81%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.00%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,249.12	3.15%	181.17	7.71%	(0.95)	.0.27%	180.22	6.66%
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	427.69	1.08%	32.59	1.39%	(0.26)	.0.07%	32.33	1.19%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	139.57	0.35%	20.79	0.88%	0.04	0.01%	20.83	0.77%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	0.72	0.00%	0.11	0.00%	0.01	0.00%	0.12	0.00%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	9.32	0.02%	(10.83)	–0.46%	0.01	0.00%	(10.82)	–0.40%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(1.35)	–0.06%	–	0.00%	(1.35)	–0.05%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड.	47.82	1,031.05	2.60%	(54.62)	–2.33%	96.90	27.30%	42.28	1.56%
सेल–मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(0.80)	–0.03%	–.	0.00%	(0.80)	–0.03%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	0.07	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	21.00	0.05%	8.24	0.35%	–	0.00%	8.24	0.30%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.26	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.63	0.01%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.02	0.00%	(0.09)	0.00%	–	0.00%	(0.09)	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	–	0.00%	(0.02)	0.00%	–	0.00%	(0.02)	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	–	0.00%	(0.00)	0.00%	–	0.00%	(0.00)	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	–	0.00%	(0.00)	0.00%	–	0.00%	(0.00)	0.00%
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लि.	26	0.20	0.00%	(0.06)	0.00%	–	0.00%		0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12	35.14	0.09%	0.21	0.01%	–	0.00%	0.21	0.01%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.72	0.00%	0.21	0.01%	–	0.00%	0.21	0.01%
अनियंत्रित ब्याज				–				–	
समेकन समायोजन		(1,568.03)	–4.24%	(27.46)	–1.17%	(0.00)	0.00%	(24.05)	–0.89%
कुल योग		**39,646.16**	**99.70%**	**2,348.71**	**100.00%**	**354.90**	**100.01%**	**2,707.08**	**100.00%**

44ङ. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल मूल्य		लाभ अथवा (हानि)		अन्य व्यापक		कुल व्यापक आय	
समूह, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्था का नाम	31 मार्च, 2018 को % में स्वामित्व	आनुपातिक अंश	शुद्ध समेकित मूल्य के % के रूप में	लाभ/(हानि) में अंश	समेकित लाभ/(हानि) % के रूप में	अन्य व्यापक आय में अंश	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में अंश	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	35,713.67	96.66%	(481.71)	171.18%	186.32	99.75%	(295.39)	312.25%
सहायक कंपनियां									
सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	100	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	123.36	0.33%	14.20	–5.05%	(0.01)	–0.01%	14.19	–15.00%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	0.02	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.03	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,092.14	2.96%	165.86	–58.94%	(0.34)	–0.18%	165.52	–174.97%
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	408.56	1.11%	39.64	–14.09%	(0.41)	–0.22%	39.23	–41.47%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	127.39	0.34%	21.22	–7.54%	(0.63)	–0.34%	20.59	–21.77%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	0.30	0.00%	(0.24)	0.09%	–	0.00%	(0.24)	0.25%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	20.14	0.05%	(10.93)	3.88%	0.02	0.01%	(10.91)	11.53%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	(3.26)	–0.01%	(2.77)	0.98%	0.01	0.01%	(2.76)	2.92%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	988.76	2.68%	10.18	–3.62%	1.83	0.98%	12.01	–12.70%
सेल–मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(4.57)	1.62%	–	0.00%	(4.57)	4.83%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	0.06	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	–	0.00%	(7.98)	2.84%	–	0.00%	(7.98)	8.44%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	12.76	0.03%	(2.07)	0.74%	–	0.00%	(2.07)	2.19%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.26	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	.	0.00%
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.63	0.02%	(0.75)	0.27%	–	0.00%	(0.75)	0.79%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.21	0.00%	(0.09)	0.03%	–	0.00%	(0.09)	0.10%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	–	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	0.02	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	0.01	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	21	0.23	0.00%	(0.51)	0.18%	–	0.00%	(0.51)	0.54%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.35	0.00%	0.35	–0.12%	–	0.00%	0.35	–0.37%
अनियंत्रित ब्याज				–				–	
समेकन समायोजन		(1,546.00)	–4.17%	(21.18)	7.53%	–	0.00%	(21.17)	22.38%
कुल योग		**36,946.66**	**100.00%**	**(281.40)**	**100.00%**	**186.80**	**100.00%**	**(94.60)**	**100.00%**

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

45: गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के विवरण

वर्तमान और गैर–वर्तमान उधार–ग्रहणों के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी गई संपत्तियों की वहनीय राशि है (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान		
इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य (दृष्टिबधन की सीमा तक)	3490.26	2334.39
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) – दुर्गापुर स्टील प्लांट– (दृष्टिबंधन की सीमा तक)	134.00	198.00
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) –बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट – (दृष्टिबंधन की सीमा तक)	21072.57	16403.26
भूमि और संयंत्र और मशीनरी (शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे–वाडेज में) – आईएसपी	7726.00	11245.00

46: प्रभावी कर मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर से पहले लाभ / (हानि)	3,549.24	(526.63)
पीएफएस के लिए घरेलू कर की दर	34.944%	34.944%
अपेक्षित कर व्यय (क)	1,240.25	(184.03)
कर–मुक्त आय / गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	0.68	(12.59)
अंतर कर दर वस्तुओं के लिए समायोजन	–	(1.48)
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	(14.05)	(16.09)
पहले के वर्षों से संबंधित कर	4.87	35.73
कॉर्पोरेट कर की दर में वृद्धि	–	(28.39)
अन्य	(31.22)	10.79
कुल समायोजन (ख)	(39.72)	(12.03)
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	1,200.53	(196.06)
कर व्यय में निम्न शामिल हैं:		
वर्तमान कर व्यय	–	–
आस्थगित कर ऋण	1,200.53	(252.29)
लाभ और हानि के विवरण में कर व्यय को मान्य (घ)	1,200.53	(252.29)

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	सेल के संबंध में :		
(i)	सेल के खिलाफ लंबित दावा अपीलीय/न्यायिक निर्णय	24252.86	22672.07
(ii)	सेल के खिलाफ अन्य दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	3398.13	3550.27
(iii)	संयुक्त उद्यम करार के तहत विवादित आयकर/सेवा कर/अन्य मांग, जिसके लिए सेल आकस्मिक रूप से संयुक्त उद्यम के तौर पर उत्तरदायी हो सकता है	36.35	34.76
(iv)	ग्राहकों पर आहरित और बैंकों से डिस्काउंट किए गए बिल	189.01	68.83
(v)	ठेकेदारों/आपूर्ति कर्ताओं द्वारा किए गए मूल्य वृद्धि के दावे और कर्मचारियों द्वारा दावे	401.96	441.70
	संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में:		
(vi)	लंबित अपीलीय/न्यायिक निर्णय, सहायक संस्थाओं/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के खिलाफ दावे	35.09	–
(vii)	सहायक/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के खिलाफ अन्य दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	1187.80	44.88

सेल के संबंध में :

47.2 **(क)** (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक न्यायपीठ ने 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए प्रवेश कर अधिनियमों की करारोपण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। वर्ष के दौरान, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4 मई, 2018 को रद्द कर दिया, सेल द्वारा उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले माल पर प्रवेश कर लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। तदनुसार, 'असाधारण मदों' के तहत लाभ और हानि के विवरण में ₹ 92.23 करोड़ की राशि का प्रभार लगाया गया है। अन्य न्यायालयों की नियमित न्यायपीठों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर की करारोपण पर अन्य न्यायालयों की नियमित न्यायपीठ द्वारा लंबित निर्णय, क्रमशः ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़, ₹ शून्य करोड़ और ₹ 5.15 करोड़ के विवाद के तहत प्रवेश कर की माँग 31 मार्च, 2019 तक ₹ 1338.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1092.28 करोड़,₹ 241.00 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ और 31 मार्च, 2018 तक ₹ 1430.66 करोड़ कुल) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

(ii) पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2017 में पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल प्रवेश कर को शामिल किया गया है। इसके अलावा, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2018 को रद्द करते हुए, पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण को प्रवेश कर पर डीएसपी और आईएसपी की रिट याचिका दायर की।

पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल द्वारा विवादास्पद प्रवेश कर की मांगों को लंबित करते हुए ₹ 209.52 करोड़ (31 मार्च, 2018 तक) को ₹ शून्य करोड़ की राशि के फैसले को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर लगाने के मामले में, 31 मार्च, 2019 तक ₹ 89.40 करोड़ (31 मार्च, 2018 तक ₹ 295.50 करोड़) की विवादित प्रवेश कर की माँग को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रश्न को खुला रखते हुए, 18 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा 2009–14 के बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (DVC) के साथ विवाद के संबंध में सेल द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेश दिनांक 7/8/2013 द्वारा, टैरिफ़ से संबंधित याचिका संख्या 275/GT/2012 के खिलाफ़ अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) के समक्ष 2009–14 से संबंधित टैरिफ़ (2014 की अपील संख्या 14) को चुनौती दी गई है जिसमें सेल ने भी हस्तक्षेप किया है और APTEL का आदेश लंबित है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने DVC द्वारा वित्त वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टैरिफ से संबंधित सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसके आदेश के खिलाफ APTEL ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 को रद्द कर दिया, जिसका प्रभाव भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी पड़ सकता है। जैसा कि APTEL द्वारा निर्देशित किया गया है, राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) द्वारा रिटेल टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वित्तीय जटिलताओं का पता लगाया जा सकता है। विद्युत टैरिफ के लंबित स्थिरीकरण, 31 मार्च, 2019 तक ₹ 587.72 करोड़ के DVC के विवादित दावों (31 मार्च, 2018 तक ₹ 587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में इसे शामिल किया गया है। उक्त दावों के खिलाफ, क्ट० को पूरी राशि का भुगतान किया गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत इसका खुलासा किया गया है। 1 अप्रैल, 2017 से आगे के लिए लाभ और हानि विवरण में पूर्ण बीजक के मूल्य पर विचार किया गया है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, झारखंड राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक, कोयला, लोहा और इस्पात की वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर बाजार शुल्क के रूप में ₹ 3701.48 करोड़ (31 मार्च, 2018 तक ₹ 3374.46 करोड़) की मांग की है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए राशि को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.4 अपने फैसले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), कोलकाता ने निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के बकाया राशि के भुगतान के पहलू पर विचार करें और अधिकारियों को संशोधित भत्तों और भत्तों के भुगतान का उचित निर्णय लेकर 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए, ₹ 325.13 करोड़ का भुगतान करें। इस्पात मंत्रालय ने इस मामले की सूचना 7.12.2016 को सेल को दे दी है। मामले में स्टे याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष यह लंबित है। क्योंकि मामला विचाराधीन है, राशि को उपरोक्त नोट 47.1 (v) में आकस्मिक देयता के रूप में दिया गया है।

47.5 स्वदेशी धुला हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (CCL) द्वारा की जाती है जिसका एकतरफा अधिसूचित मूल्य, दिनांक 13 जनवरी, 2017 और 14 जनवरी, 2017 क्रमशः, 2016–17 के लिए सेल के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य से भिन्न है। सेल ने 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक के लिए, सेल और BCCL और CCL के मध्य मान्य और संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आपसी सहमत ज्ञापन के अनुसार आपूर्ति की कीमतों के आधार पर लेखांकन किया है। BCCL और CCL के अंतर दावे, MOU दरों पर एकतरफा अधिसूचित उच्च दरों पर ₹ 334.45 करोड़ की राशि, ऊपर नोट 47.1 (ii) में आकस्मिक देयता के रूप में दी गई है।

47.6 पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF और CC) ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के पत्र संख्या– 11–599/ 2014–FC के द्वारा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FC अधिनियम) के द्वारा गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के बदलाव के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि मौजूदा खनन पट्टों में वन भूमि (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) होने की स्थिति में, जहां FC अधिनियम के तहत वन भूमि के केवल एक हिस्से के लिए ही अनुमोदन प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार ने धारा –2 (iii) के तहत, FC अधिनियम की धारा–2(iii) के तहत, शेष क्षेत्र को वन भूमि होने के लिए, यदि ऐसी वन भूमि का NPV पहले से वसूल नहीं किया गया है तो कुछ शर्तों के अधीन, सामान्य अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) को साकार करना शामिल है।

इस मामले में, सेल द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, FC अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी निगम पर लागू नहीं होगी और NPV को केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे MoEF – CC द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं तथा यह पूरे वन क्षेत्र के लिए नहीं हैं। कुल वन भूमि के लिए छच्ट की प्रयोज्यता के मामले को सेल ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को रखने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से पिछले साल प्राप्त ₹ 96.28 करोड़ की मांग के खिलाफ छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है।

47.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के अवैध खनन के संबंध में, कॉमन कॉज़ मामले में, दिए गए निर्णय के अनुसरण में, धारा 21 (5) के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के बिना और निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादित खनिजों की कीमत की वसूली के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन मंजूरी और आपरेट करने के लिए सहमति से अधिक उत्पादन हेतु जारी किया है। सेल ने झारखंड और ओडिशा के उच्च न्यायालय के समक्ष कथित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्टे प्राप्त किया है। चूंकि मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और मौजूदा मुकदमेबाज की जटिलताओं को देखते हुए, सेल ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्णय लिया है:

(क) लौह अयस्क के संबंध में, ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा ₹ 245.89 करोड़ और ₹ 1768.42 करोड़ (31 मार्च 2018 तक ₹ 212.85 करोड़ और ₹ 1478.86 करोड़) क्रमशः (ब्याज सहित) की राशि मांगी गई है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, सेल ने अनुमानित आधार पर ₹ 348.52 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 15.07 करोड़) की राशि प्रदान की है। ₹ 1665.79 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि को ऊपर दी गई टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(ख) चूने के पत्थर के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹ 24.88 करोड़ (ब्याज सहित) (31 मार्च 2018 को ₹ 20.28 करोड़) की राशि मांगी गई है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, सेल ने अनुमानित आधार पर ₹ 8.91 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 1.64 करोड़) की राशि प्रदान की है। ₹ 15.97 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि को टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.8 कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक ₹ 434.81 करोड़ (ब्याज सहित) (31 मार्च 2018 तक ₹ 354.54 करोड़) की मांग की गई है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR) की धारा 30 के साथ पठित, खनिज रियायत नियम, 1960 की धारा 55 (5) के तहत, संशोधित आवेदन दायर किया गया है। कोयला मंत्रालय के परिशोधन प्राधिकरण ने सेल को स्टे जारी कर दिया है। तदनुसार लंबित निपटान के कारण, टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में, ₹ 434.81 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.9 (क) मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (TPL) और मैसर्स डेनिएल कोरस ठट (DC) (कंसोर्टियम में) ने सेल/राउरकेला स्टील संयंत्र के खिलाफ, संविदा के कारण उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/ राउरकेला स्टील संयंत्र के खिलाफ 16 मई 2018 को ₹ 626.02 करोड़ की राशि का अवार्ड दिया है।

पुरस्कार के खिलाफ प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे दाखिल कर लिया गया है। अपील के लंबित निपटान के लिए, प्रबंधन ने ₹ 300 करोड़ जमा किए हैं। ऊपर टिप्पणी संख्या 47.1 (ii) में आकस्मिक देयता के तहत ₹ 707.43 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

(ख) मैसर्स जेएससी क्रायोजेनमैश ने, अनुबंध से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/भिलाई स्टील संयंत्र के खिलाफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र के खिलाफ 20.07.2018 को ₹ 106.92 करोड़ का अवार्ड दिया है।

पुरस्कार के खिलाफ प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे दाखिल कर लिया गया है। अपील के लंबित निपटान के लिए, टिप्पणी संख्या 47.1 (ii) में आकस्मिक देयता के तहत ₹ 106.92 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

47.10 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के दावों के निपटान के लिए, BCCL द्वारा चयनात्मक लोडिंग शुल्क से संबंधित ₹ 27.00 करोड़ की राशि और आउटपुट मात्रा पर अतिरिक्त रायल्टी से संबंधित ₹ 14.49 करोड़ की राशि को टिप्पणी संख्या 47.1 (ii) में आकस्मिक देयताओं के तहत, ऊपर दिखाया गया है।

47.11 5.545 एकड़ भूमि, DVC को 30 वर्षों के लिए अर्थात 12.07.1966 से लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर दी गई थी। ASP लाभ हेतु बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशन स्थापित करने के लिए DVC को जमीन दी गई थी। बाद की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 13/07/1996 से कोई पट्टा समझौता नहीं था। किसी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसे निपटान के वर्ष में उसी हिसाब से रखा जाएगा।

47.12 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, पट्टे के नवीनीकरण के लिए सेल का दावा (टिप्पणी संख्या 4 (ii) के तहत कुल क्षेत्र 2599.54 एकड़ का खुलासा 4.(ii) (ख)) में को, हॉरोमैंड्स स्टैंड की भूमि को, सतह क्षेत्र 222.54 एकड़ को छोड़कर, सतह क्षेत्र 222.54 एकड़ को छोड़कर, खारिज कर दिया गया है जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया

47.13 गैर–अधिकारियों का वेतन संशोधित होने का मामला 01.01.2017 से देय है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अगस्त, 2017 और 24 नवंबर, 2017 को भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग क्व्) द्वारा जारी किए गए भुगतान और वित्तीय स्थिरता निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में और पिछले तीन वर्षों के कर से पहले औसत लाभ के नकारात्मक आंकड़ों को देखते हुए, स्टील उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (छश्रब्ै) के साथ, इस संशोधन के लिए बातचीत लंबित है:

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(i) 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि के लिए रू.308.24 करोड़ की राशि (अपवादात्मक मदों के रूप में दिखाए गए रू.77.47 करोड़ सहित) 'कर्मचारी लाभ व्यय' के लिए, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, सर्व–समावेशी प्रावधान किया गया था, को वापस लिखा गया है।

(ii) 01–01–2017 से 31–03–2019 तक की अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की राय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई थी और प्दक 37 के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, दायित्वों की राशि के विश्वसनीय आकलनों की शर्तों में से एक दायित्व को वर्तमान में नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कंपनी ने खातों में कोई भी प्रावधान नहीं करने पर विचार किया है।

48.1 अनुबंधों की निष्पादित मात्रा जिन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए और जिन्हें (अग्रिमों का शुद्ध) प्रदान नहीं किया गया है:

सेल के संबंध में:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पूंजी प्रतिबद्धताएं	**7031.26**	10747.11
अन्य प्रतिबद्धताएं	**2026.68**	1824.86

सहयोगी/संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पूंजी प्रतिबद्धताएं	**470.30**	0.35
अन्य प्रतिबद्धताएं	**103.59**	.

सेल के संबंध में:

48.2 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण देय राशि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में दर्शाई गई है (जैसा कि टिप्पणी संख्या 30 व्यापार देयों में खुलासा किया गया है) का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है, सेल के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। 31 मार्च, 2019 को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित खुलासे निम्नानुसार हैं:

सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को अदत्त बकाया मूल राशि	**67.45**	48.22
ii.	वर्ष के दौरान अर्जित की गई ब्याज राशि और वर्ष के अंत में अदत्त बकाया है	–	–
iii.	अगले ब्याज की शेष देय राशि और जो बाद के वर्षों में भी देय, जब तक कि ऐसी तारीख तक, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान लघु उद्यम को, कटौती के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता खंड 23 के तहत व्यय	–	–
iv.	वर्ष के अंत में आपूर्ति कर्ताओं को देय शेष राशि पर देय ब्याज	–	–
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
v.	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ, धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि।	–	–
vi.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–

48.3 कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देयताओं के शेष, यदि चल रहे आधार पर कोई समाधान किया जाता है, जहाँ कहीं भी प्रावधान आवश्यक हो, किए गए हैं, पुष्टिकरण/समाधान और परिणामी समायोजन के अध्याधीन हैं। हालाँकि, प्रबंधन ऐसी लंबित पुष्टियों/समाधानों के कारण, किसी भी प्रकार के वित्तीय प्रभाव के होने की उम्मीद नहीं करती है।

48.4 पिछली प्रथा के अनुसार सेल की विभिन्न खानों में 41.52 मिलियन टन, उम्दा लौह अयस्क का स्टॉक है। चूंकि इस तरह के उम्दा लौह अयस्क के उपयोग/बिक्री में अनिश्चितताओं के तत्व शामिल हैं, अशिष्टता के मामले के रूप में, खातों में ऐसे उम्दा का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान वास्तविक निपटान से अर्जित राजस्व को खातों की पुस्तकों में मान्यता दी गई है।

48.5 ब्लॉक भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, (फरीदपुर–दुर्गापुर) और अंडाल, जिलाः पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर स्टील संयंत्र की भूमि के लिए भू–राजस्व, उपकर और ब्याज की बकाया राशि की मांग की है, जिसे 'सेल' और इसकी टाउनशिप के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसके लिए पिछले 40 वर्षों की अवधि के ₹ 494.51 करोड़ के दो मांग नोटिस दिनांक 21.02.2018 और 08.03.2018 क्रमशः मिले हैं)।

सेल ने मांगों को लेकर वाद विवाद किया है। भूमि का वह हिस्सा जिसके लिए मांग की गई है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से अधिग्रहित किया गया था और यह अधिग्रहण, भारतीय संघ में निहित था, जबकि इस भूमि के कुछ अन्य हिस्सों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और सेल को हस्तांतरित कर दिया था और सेल के पास यह भूमि भारत के राष्ट्रपति की ओर से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार, ऐसी भूमि पर कोई भू– राजस्व देय नहीं है। इसके अलावा, सेल ने भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य का भी भुगतान किया था और न्यायिक घोषणा के अनुसार, कोई भी भू–राजस्व ऐसी भूमि के लिए देय नहीं है जिसके लिए पूंजीगत मूल्य का भुगतान किया जाता है। अतः सेल का मानना है कि सेल के खिलाफ उठाई गई मांग बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस आशय का प्रतिवेदन 26 अप्रैल, 2018 और 28 अप्रैल, 2018 को पहले ही किया जा चुका है। इस मामले को 26 जून, 2018 को जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी द्वारा भू–अभिलेख निदेशालय को भेजा गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बारे में आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

48.6 (i) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के तहत आगे लाए गए नुकसान, गैर अवशोषित मूल्यह्रास और अन्य राहत को देखते हुए, कंपनी के पास कर योग्य कोई आय नहीं है।

(ii) तीन साल से पहले के तात्कालिक पुस्तक–नुकसान को देखते हुए और विशेषज्ञ राय/न्यायिक घोषणाओं के आधार पर (न्यायिक अदालतों सहित), पुस्तक लाभ के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) के लिए वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 115 JB के अनुसार, कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

49.1 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए परिचालन–राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है, जो माल और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन पर 1 जुलाई, 2017 से अप्रभावी है। Ind AS 18 – राजस्व/Ind AS 115 – सेल के संबंध में ग्राहकों के साथ अनुबंधों में, ₹ 10678.01 करोड़ की GST राशि (गत वर्षः ₹ 16.52 करोड़), परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है। उपरोक्त बदलाव को देखते हुए, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिचालन से राजस्व, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।

सेल के संबंध में:

49.2 बिक्री में, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान अनंतिम अनुबंध की कीमतों पर मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बिक्री शामिल हैः ₹ 5012.76 करोड़ (पिछला वर्षः ₹ 4802.50 करोड़) और 31 मार्च, 2019 तक संचयी रूप सेः ₹ 17252.66 करोड़ (पिछले वर्ष तकः ₹ 12271.05 करोड़)।

49.3 लोक उद्यम विभाग (DPE) दिशानिर्देश के अनुसार, सेल को कार्यकारी के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30% तक योगदान करना आवश्यक है। कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के लाभ जिनमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी, पेंशन और स्वां निवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, सेल ने कार्यकारी अधिकारियों के पेंशन

लाभ के लिए, 1 जनवरी, 2007 से 9% वेतन और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 3% का प्रावधान किया है। इसके अलावा, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ, वेतन के 6% की दर से और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 2% की दर से प्रावधान किया है।

9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पेंशन योजना को इस संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से और उसके बाद, पेंशन के लिए योगदान को कर से पहले लाभ (PBT) से औसत शुद्ध मूल्य के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यदि औसत शुध –मूल्य के साथ च्ठज का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है तो कार्यकारी अधिकारियों के लिए पेंशन अंशदान की राशि मूल वेतन के 9% तक सीमित होगी और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन + DA का 6% होगी अन्यथा पेंशन के लिए योगदान की राशि, आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान हानि होने की स्थिति में भी, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए, न्यूनतम पेंशन योगदान को मूल वेतन + DA का 3% और 2% की दर पर रखा जाएगा। चूंकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान सेल द्वारा अर्जित लाभ औसत शुद्ध मूल्य के 8% से अधिक है, अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए वेतन का 9% और 6% का प्रावधान क्रमशः, 1 अप्रैल 2018 से कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए, किया गया है।

अंतः, 30 अप्रैल, 2019 को, सेल पेंशन योजना/न्यास विलेख/नियमों को जिनमें उपरोक्त शर्त शामिल हैं, को नेशनल जॉइंट कमेटी फॉर स्टील्स (NJCS) और स्टील एक्ज़ीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SEFI) के नामांकित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किया गया है।

सेल के संबंध में:

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/देयता, वर्ष के दौरान ₹ 2395.76 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 359.40 करोड़) और ₹ 46.25 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 4.77 करोड़) थी जिसे कर्मचारी लाभ व्यय' के लिए और 'निर्माण के दौरान व्यय' क्रमशः को प्रभारित किया गया है।

सहायक कंपनियों के संबंध में:

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/देयता, क्रमशः रू.3.28 करोड़ की राशि को कर्मचारी लाभ व्यय' और निर्माण के दौरान व्यय' में क्रमशः प्रभारित किया गया है।

49.4 अनुसंधान और विकास व्यय को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित और वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों/पूंजी–प्रगति पर (शुद्ध) में आवंटित किया जाता है, यह राशि ₹ 305.09 करोड़ (₹ 314.71 करोड़) और ₹ 14.77 करोड़ (₹ 20.79) क्रमशः थी। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि को संबंधित खातों में दिखाया गया है। राशि का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
कच्चा माल	**144.76**	115.05
कर्मचारी लाभ व्यय	**64.81**	97.95
प्रयोग किए गए भंडार और स्पेयर्ज	**12.46**	11.40
बिजली और ईंधन	**23.37**	21.61
मरम्मत और रख रखाव	**3.98**	6.53
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**7.69**	8.54
अन्य खर्चे	**42.96**	49.53
वित्तीय लागत	**5.01**	4.10
जोड़	**305.09**	314.71

49.5 कंपनी पूरे संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकदी सृजन इकाई (CGU) मानती है। कंपनी ने आंतरिक रूप से समीक्षा की है कि क्या कोई ऐसा संकेत हैं कि CGUs की परिसंपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर क्षीण हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाता है। परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने वाली अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर उपयोग में मूल्य आधारित है। जब भी किसी CGU की परिसंपत्तियों की वहन राशि, संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो क्षति हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन में आगे, कंपनी CGU की परिसंपत्तियों की शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है जिसमें कोई भी ऐसा संकेत मौजूद नहीं होता है, जो कि किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार कराया जाता है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने अलग–अलग CGU में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किसी भी तरह की हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

49.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सेल को, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तात्कालिक पिछले वर्षों में हुए औसत शुद्ध लाभ के न्यूनतम 2% को व्यय करने की आवश्यकता है। चूंकि, सेल ने तात्कालिक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध हानि दर्ज की है; इसलिए सेल को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

सेल के संबंध में:

हालाँकि, ₹ 30.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.00 करोड़) की बजट राशि के विरुद्ध, सेल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की गतिविधियों पर ₹ 31.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.70 करोड़) की राशि निम्नलिखित शीर्षकों के तहत खर्च की हैः

(₹ करोड़)

विवरण	**2018–2019**	2017–2018
शिक्षा	**12.03**	7.65
हेल्थकेयर	**4.84**	5.11
आजीविका सृजन	**2.71**	3.54
महिला सशक्तिकरण	**0.47**	0.75
पीने का पानी	**0.03**	1.44
स्वच्छता	**0.73**	0.47
खेल	**0.79**	0.79
कला और संस्कृति	**5.39**	1.13
ग्रामीण विकास	**1.84**	2.07
सामाजिक सुरक्षा	**0.35**	0.33
पर्यावरण की स्थिरता	**1.62**	2.20
परियोजना की पहचान और निगरानी	**0.03**	0.00
कार्मिक की क्षमता निर्माण	**0.36**	0.23
जोड़	**31.18**	25.70

इसके अलावा, संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए कोई खर्च नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सहायक कंपनियों के संबंध में:

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर सहायक कंपनियों ने ₹ 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.64 करोड़) की राशि निम्नलिखित शीर्षकों के तहत खर्च की है:

विवरण	2018–2019	2017–2018
शिक्षा	**0.13**	0.06
हेल्थ केयर	**0.09**	0.09
महिला सशक्तिकरण	**0.11**	0.08
स्वच्छता	**0.17**	0.19
कला और संस्कृति	**0.04**	0.20
अन्य	**0.02**	0.02
जोड़	**0.56**	0.64

सेल के संबंध में:

49.7 सामान्य वित्तीय नियम 238 (5) और (6) के अनुपालन में, इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग का विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

वर्ष	केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्ति	अनुदान उपयोग (अथ शेष तथा चालू वर्ष में से)
2018–19	**1.47**	**1.02**
2017–18	1.33	2.61
2016–17	2.32	2.15

49.8 इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रुप में उन्नयन के लिए, रू. 295.70 करोड़ के स्वीकृत बजटीय प्रावधान के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में रू.105.75 करोड़ (रू. एक करोड़ पचेहतर लाख मात्र), सहायता दी गई और इसे "अन्य देयताएं– आस्थगित आय" शीर्षक के तहत बैलेंस शीट में एक पंक्ति में प्रस्तुत किया गया है।

49.9 लीज पर भारतीय लेखांकन मानकों 17 के अनुसार:

(क) सेल ने कर्मचारियों और अन्य पक्ष को, अलग–अलग अवधि के लिए, संपत्तियों के पट्टे प्रदान किए हैं। पुस्तक–मूल्य के मुकाबले समायोजित करने के बाद, प्राप्त लीज प्रीमियम को अन्य राजस्व में दर्ज किया जाता है। नवीकरण प्रीमियम, जमीन का किराया और संपत्तियों का सेवा शुल्क, लीज पर दिए गए लंबित नवीनीकरण को, प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

(ख) वित्त पट्टा देयताएं (टिप्पणी 24 और 31 देखें) को वित्त पट्टे के तहत रखी गई संबंधित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित किया गया हैं। भावी न्यूनतम वित्त पट्टे के भुगतान और संबंधित वर्षों के न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

	देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष के बाद	कुल
31 मार्च, 2019				
पट्टे का भुगतान	**282.32**	**1062.56**	**1727.79**	**3072.67**
वित्तीय प्रभार	**–163.38**	**–501.00**	**–948.79**	**–1613.17**
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**118.94**	**561.56**	**779.00**	**1459.50**
31 मार्च, 2018				
पट्टे का भुगतान	261.85	915.89	2068.04	3245.78
वित्तीय प्रभार	–156.70	–527.49	–1092.81	–1777.00
शुद्ध वर्तमान मूल्य	105.15	388.40	975.23	1468.78

ग) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का वर्णन

ऊर्जा संयंत्र

सेल ने आपूर्ति कर्त्ताओं के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर, कुछ बिजली संयंत्रों के लिए, Ind AS 17 के परिशिष्ट ग के तहत, वित्त पट्टे के रूप में जिम्मेदारी ली है। बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत, सेल तब तक बिजली खरीद जारी रखेगा, जब तक कि पार्टियां समझौते को समाप्त करने का फैसला नहीं करती हैं जो कि परिसंपत्ति की विशेष प्रकृति और स्थान को देखते हुए जो कि एक गैर–आर्थिक प्रस्ताव निर्धारित है।

आक्सीजन संयंत्र

सेल ने आपूर्ति कर्ताओं के साथ आक्सीजन खरीद समझौते के आधार पर Ind AS 17 के परिशिष्ट ग के तहत वित्त पट्टे (या परिचालन पट्टे) के रूप में कुछ आक्सीजन संयंत्रों के लिए जिम्मेदारी ली है। आक्सीजन खरीदने का समझौता 15 साल का निश्चित अवधि के लिए है।

खनन भूमि

सेल ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक मजबूरी पर विचार करने के बाद पट्टे के समझौते के तहत, अपने अधिकारों के आधार पर, खनन पट्टों के लिए पट्टे पर भूमि को लिया है।

(घ) लीज/किराए पर ली गई संपत्तियों के संबंध में:

(i) सेल के पास विभिन्न ऑपरेटिंग पट्टे, कार्यालय सुविधाओं, अतिथि गृह और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हैं जो आवधिक आधार पर नवीकरणीय हैं। मान्यता प्राप्त इन पट्टों के लिए किराये का व्यय, वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में, सेल के संबंध में, सेल के संबंध में ₹ 10.16 करोड़, सहायक कंपनियों के संबंध में ₹ 18.87 करोड़, सहयोगियों के संबंध में: ₹ 0.03 करोड़ है।

(ii) तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार, गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के न्यूनतम पट्टे भुगतान निम्न हैं:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	**43.53**	43.23
एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**173.45**	172.23
5 वर्ष से अधिक	**215.29**	258.35

सेल के संबंध में:

49.10 बवित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 की अवधि के दौरान, नकदी और सामान योगदान के लिए रेलवे अधिकारियों को राजहारा से रोवाघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए, कुल 37 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से, नकदी की वसूली की जाएगी, जिसे रोवाघाट खानों से सुनिश्चित आवागमन की शुरुआत और पूर्ति होने के बाद सेल के योगदान को भुनाया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाएगा और निवेश की तारीख से इस पर ब्याज अर्जित होगा। वापसी राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। तदनुसार, गणना की गई ब्याज की राशि ₹ 22.51 करोड़ (अब तक ₹ 56.76 करोड़) को आय के रूप में मान्यता दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, समय के आधार पर मान्यता का ऐसा उपचार प्रबंधन को देखते हुए किया गया है, राजस्व की वसूली और इसके माप के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है।

49.11 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 27 अक्तूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (ASP), दुर्गा पुर और संयंत्र; विश्वेश्वरैया आयरन और इस्पात संयंत्र (VISP), भद्रावती और सेलम इस्पात संयंत्र (SSP), सेलम के रणनीतिक विनिवेश के लिए "सैद्धांतिक रूप से" निर्णय लिया है। इसके अलावा, सेल बोर्ड द्वारा भी 9 फरवरी, 2017 को हुई बैठक में, भारत सरकार, की "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृति के अनुसार, ASP, VISP और SSP के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी गई। सेल ने प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की है। ASP के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) (PIM)/ अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) को 14 फरवरी, 2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। उपरोक्त के जवाब में प्राप्त ई EoI को तकनीकी योग्यता मानदंडों की पूर्ति न होने के कारण रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ASP, VISP और SSP के लिए संशोधित PIM/EoI जारी किए जाएंगे।

49.12 मौजूदा मानक के लिए नए मानक/मौजूदा मानकों में संशोधन जारी कर दिए गए है परंतु सेल के वित्तीय विवरण जारी करने की तारीख तक प्रभावी नहीं हुए हैं, का खुलासा निम्नानुसार है:

निगमित मामलों के मंत्रालय ("MCA") ने, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) संशोधन नियमों, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियमों में, Ind ASs में निम्न और संशोधित नए नियम अधिसूचित कर दिए है जो सेल ने लागू नहीं किए हैं क्योंकि ये 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हैं। सेल 1 अप्रैल, 2019 से इन नए मानकों को और मौजूदा मानकों में संशोधन को अपनाएगा।

क. Ind AS 116: लीज – Ind AS 116, वर्तमान Ind AS 17 का अतिक्रमण करेगी। नया मानक पट्टे और व्यवस्था तथा उसके उपचार के लिए पट्टेदार और पट्टेदाता, दोनों के वित्तीय विवरणों की पहचान करने के लिए व्यापक मॉडल प्रदान करता है। नए मानक में, संस्थाओं को अधिक निर्णय लेने और अनुमान लगाने (उदाहरण के लिए, ग्राहक के पास किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार, उधार की बढ़ती हुए दर का अनुमान लगाना) की आवश्यकता और अधिक खुलासा करना (जैसे, छूट दर, भारित औसत लीज अवधि, अन्य गुणात्मक और मात्रात्मक सूचनाएं) शामिल है।

Ind AS 116, एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल को प्रस्तुत करता है और 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए संपत्ति और देनदारियों को पहचानने के लिए किसी पट्टेदार की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो। पट्टेदार को अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्ति का उपयोग करने के लिए अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली सही संपत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है और पट्टे का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए पट्टा देयता है। Ind AS 17 को पट्टों को वित्तीय पट्टे और परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है, Ind AS 116 के तहत ऐसा करना आवश्यक नहीं है। Ind AS 116 के तहत, एक पट्टेदार अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों (जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) के समान संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार पाता है और वित्तीय देनदारियां अन्य वित्तीय देनदारियां के समान होती हैं।

प्रारंभिक आवेदन में सेल अपने परिसरों और अन्य परिसंपत्तियों के आपरेटिंग पट्टों के लिए नई परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता देगा। इन पट्टों से संबंधित खर्चों की प्रकृति पिछली अवधि में पट्टे के किराए से बदल कर क) संपत्ति के प्रयोग के अधिकार हेतु परिशोधन परिवर्तन और ख) पट्टे देयता पर अर्जित ब्याज होगी।

कम लेखांकन के संबंध में आवश्यकताएँ Ind AS 17 में निहित लेखांकन आवश्यकताओं के समान हैं। तदनुसार, कोई भी पट्टेदार अपने पट्टों को आपरेटिंग पट्टों या वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखेगा और इन दो प्रकार के पट्टों के लिए अलग–अलग हिसाब रखेगा।

सेल वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। सेल वित्त वर्ष 2019–2020 से आगे वित्तीय विवरणों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन, यदि कोई हो तो करने की प्रक्रिया में है।

ख. Ind AS 12, परिशिष्ट ग, आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 30 मार्च, 2019 को पदक 12 परिशिष्ट 'ग' आयकर उपचार पर अनिश्चितताओं के बारे में को अधिसूचित किया है। परिशिष्ट के अनुसार, सेल को प्रत्येक कर उपचार स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकारियों या सेल से कर उपचार की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता है। कर प्राधिकरण, प्रत्येक कर उपचार या कर उपचार के सेल को स्वीकार करते हुए कि कंपनियों ने अपनी आयकर फाइलिंग में उपयोग करने की ऐसी योजना बनाई है या उपयोग करने की योजना बनाई है जो कर योग्य लाभ का निर्धारण करते समय सबसे अधिक संभावित राशि या कर उपचार के अपेक्षित मूल्य की गणना जो (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर की दरों के लिए मान्य है। सेल वित्त वर्ष 2019–2020 से आगे वित्तीय विवरणों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन, यदि कोई हो तो करने की प्रक्रिया में है।

ग. Ind AS 12 में संशोधन – आयकर: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों के लेखांकन के संबंध में Ind AS 12 , 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए हैं। तदनुसार एक इकाई लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के ऐसे आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि संशोधन उन स्थितियों में संशोधन नहीं करता है जहां इकाई लाभांश पर कर का भुगतान करती है जो कि शेयर धारकों की ओर से कराधान अधिकारियों को भुगतान किए गए लाभांश का एक हिस्सा है। कराधान अधिकारियों को भुगतान की गई या देय राशि, Ind AS 12 के अनुसार लाभांश के हिस्से के रूप में इक्विटी के लिए ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–2020 के वित्तीय विवरणों और इसके बाद में, सेल परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

घ. Ind AS 19 में संशोधन – योजना संशोधन, संक्षेपण या निपटान– कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने Ind AS में 19 में 30 मार्च, 2019 को योजना संशोधन, संक्षेपण और निपटान के लेखांकन के संबंध में, 'कर्मचारी लाभ' के लिए संशोधन जारी किए हैं। सेल, वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

ङ. Ind AS 23 – उधार लेने की लागत– संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित परिसंपत्ति या बिक्री के लिए तैयार होने के बाद यदि कोई विशिष्ट उधार बकाया रहता है तो यह उधार उन निधियों का हिस्सा बन जाता है जो एक इकाई आम तौर पर पूंजीकरण दर की गणना करते समय सामान्य उधार लेती है। सेल वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वित्तीय विवरणों पर, यदि कोई हो, परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

च. Ind AS 28 – सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में दीर्घकालिक हित – संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कोई इकाई, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में दीर्घकालिक हितों के लिए Ind AS 109 वित्तीय साधनों के लिए आवेदन करती है जो सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश का हिस्सा बनती है परंतु जिस पर इक्विटी पद्धति लागू नहीं होती है। सेल का वर्तमान में सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में कोई दीर्घकालिक हित नहीं है।

छ. Ind AS 103 – व्यापार संयोजन और Ind AS 111 – संयुक्त व्यवस्थाएं

माप से संबंधित Ind AS 103 में संशोधन, जो पुनः माप से संबंधित है, में स्पष्ट किया गया है कि जब कोई इकाई किसी व्यवसाय का नियंत्रण प्राप्त करती है जो संयुक्त आपरेशन में है तो यह उस व्यवसाय में पहले से धारित हितों को फिर से मापता है। Ind AS 111 में संशोधन स्पष्ट करता है कि जब कोई इकाई किसी व्यवसाय का संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करती है जो कि संयुक्त आपरेशन में है तो इकाई उस व्यवसाय में पहले से धारित हितों को फिर से मापती नहीं है। सेल, जब कभी किसी संयुक्त आपरेशन वाली इकाई का नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण प्राप्त करती है तो इसे लागू करेगी।

49.13 भौतिकता और तुलनात्मकता के आधार पर, खानों के संचालन के अस्थायी रूप से बंद होने के संबंध में, बारसुआ (दिनांक 17.05.2014 से), भवनाथपुर (दिनांक 29.04.2013 से) और पुनापानी (दिनांक 01.03.2004 से) पर्यावरणीय/वानिकी मंजूरी विषयों के कारण, 2018–19 के दौरान शुद्ध व्यय, मूल्यह्रास ₹ 15.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 82.07 करोड़) को टिप्पणी संख्या 40 'अन्य व्यय' के तहत लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है (नोट संख्या 40 देखें)। शीर्षक वार द्विभाजन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	**6.94**	41.05
भंडार और स्पेयर्ज	**0.04**	3.80
खरीदी गई बिजली	**0.85**	10.70
मरम्मत और रखरखाव	**0.35**	8.36
विविध व्यय और प्रावधान	**8.70**	21.21
कुल खर्च	**16.88**	85.12
कमः आय	**0.94**	3.05
शुद्ध व्यय	**15.94**	82.07

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

49.14 सेल के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर, प्रत्येक ₹ 10 पर / ₹ 0.50 प्रति इक्विटी शेयर पर अर्थात 5% की दर से लाभांश की घोषणा की है जो कंपनी की आगामी एजीएम में शेयर धारकों की मंजूरी के अध्याधीन है।

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं के सामान्य विवरणः

ग्रैच्यूटीः अलगाव पर देय, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ऐसे पात्र कर्मचारियों को/15 दिनों का भुगतान पात्र कर्मचारियों को दिया जाता है जो 5 वर्ष या उससे अधिक (30 वर्ष से अधिक सेवा के मामलों में, 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन) की सेवा निरंतर प्रदान करते हैं। 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को ₹ 20 लाख की अधिकतम राशि और गैर–अधिकारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए मानी गई कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है।

छुट्टी नकदीकरणः यह सुविधा सेवा निवृत्ति पर उन पात्र कर्मचारियों को दी जाती है जो जिन्होंने अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश का संचय किया है। इसकी अधिकतम सीमा 300 दिनों की है जिसमें अर्जित किए गए और आधे वेतन पर अवकाश, दोनों शामिल है। 18 नवंबर, 2015 तक, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, एक बार 30 दिन के संचित अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति भी दी गई थी और इसके बाद इसे बंद कर दिया गया है।

भविष्य निधिः मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12%, सेल द्वारा भविष्य निधि न्यास में योगदान दिया गया।

सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभः सेल के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

सेवानिवृत्ति बाद के निपटान लाभः अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय।

दीर्घकालिक सेवा पुरस्कारः न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने और सेवानिवृत्ति पर भी देय पुरस्कार।

सेल के संबंध मेंः

50.1.2 अन्य खुलासे, परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में Ind AS 19 के तहत आवश्यकतानुसार अन्य खुलासेः

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान*:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात निवास व्यवस्था लाभ	दीर्घकालिक सेवा अवार्ड
i)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6339.98 (6153.06)	2785.70 (2740.01)	963.66 (936.21)	116.66 (103.73)	22.95 (23.14)
ii)	सेवा लागत	274.04 (288.50)	71.21 (124.27)	. (.)	. (.)	1.16 (1.52)
iii)	ब्याज लागत	447.86 (443.02)	198.85 (198.91)	67.92 (67.61)	8.51 (7.65)	1.62 (1.70)
iv)	बीमांकिक लाभ (–) / हानि (+)	.306.28 (.328.47)	181.63 (35.10)	21.62 (76.25)	14.78 (14.01)	.1.67 (.1.03)
v)	पिछले सेवा लागत	– (582.04)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	किया गया लाभ का भुगतान	737.19 (798.19)	268.81 (312.56)	116.14 (116.44)	6.43 (8.73)	2.78 (2.40)
vii)	अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य साल के अंत में (i+ii+iii+iv+v–vi)	**6018.40** **(6339.96)**	**2968.57** **(2785.73)**	**937.07** **(963.63)**	**133.52** **(116.66)**	**21.27** **(22.93)**

(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

सेल ने ग्रेच्यूटी देयताओं का निधिकरण एक अलग निधि के माध्यम से किया है। योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से निधि द्वारा निवेश किया गया है। ग्रेच्यूटी निधि और परिभाषित लाभ ग्रैच्यूटी दायित्वों की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का सामंजस्य निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2018–19	2017–18
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6308.85	5836.33
ii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	45.27	23.11
iii)	सेल का वास्तविक योगदान	187.28	798.07
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि (–)	473.17	449.45
v)	लाभ भुगतान	737.19	798.19
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6277.42	6308.85
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (50.1.2)(क)(vii))	6018.40	6339.96
viii)	**तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii) – (vi) ***	**–259.12**	31.11

*सेल, निवेश पर रिटर्न पर विचार करने के बाद, वर्ष 2019–20 के दौरान ग्रेच्यूटी निधि के व्ययों के लिए किसी भी राशि के योगदान की, आशा नहीं करता है।

ग्रैच्युटी के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व,गैर–वित्त पोषित हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात निवास व्यवस्था लाभ	दीर्घकालिक सेवा अवार्ड
i)	सेवा लागत	274.04 (288.50)	71.21 (124.27)	– (–)	– (–)	1.16 (1.52)
ii)	ब्याज लागत	–25.31 (–6.34)	198.85 (198.91)	67.92 (67.61)	8.51 (7.65)	1.62 (1.70)
iii)	बीमांकिक लाभ(–)/हानि	–306.28 (–328.47)	181.63 (34.85)	21.62 (76.25)	14.78 (14.01)	–1.67 (–1.03)
iv)	पिछले सेवा लागत	– (582.04)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	45.27 (23.11)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	**जोड़ (i+ii+iii+iv-v)**	**–102.81** **(512.60)**	**451.69** **(358.02)**	**89.54** **(143.86)**	**23.29** **(21.66)**	**1.10** **(2.19)**
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्ययः					
	क) लाभ और हानि खाते को प्रभारित (टिप्पणी 39)	247.60 (860.65)	447.61 (357.55)	67.92 (67.61)	23.29 (21.66)	1.10 (2.19)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभार (टिप्पणी 5.1)	1.14 (3.52)	4.07 (0.47)	– (–)	– (–)	– (–)
	ग) ओसीआई को प्रभारित	–351.54 (–351.58)	– (–)	21.62 (76.25)	– (–)	– (–)
	क) लाभ और हानि में प्रभार– अन्य व्यय खाता	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	518.64 (472.50)				

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधे प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वाइंट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वाइंट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	–205.62	193.94
ii)	छुट्टी	–122.26	114.24
iii)	सेवा निवृत्ति बाद के लाभ	–57.04	52.50
iv)	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	–1.37	1.24
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	–5.88	6.10

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वाइंट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वाइंट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	119.37	–111.95
ii)	छुट्टी	115.08	–122.08

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(च) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के मामले में संभावित मुद्रा स्फीति की दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वाइंट बढ़त	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वाइंट घटत
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	–49.59	45.50

(छ) ग्रैच्यूटी निधि न्यास का निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बीमा निवेश	**88.68**	86.25
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	**1.38**	1.36
राज्य सरकार की प्रतिभूति	**3.00**	4.24
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड	**6.93**	8.12
बैंक में नकदी	**0.01**	0.03
जोड़	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	**7.50%**	7.70%
ii)	मृत्यु दर	**आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट**	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	**अधिकारी और गैर–अधिकारी– 0.10% से 0.50% उम्र के आधार पर**	अधिकारी और गैर–अधिकारी– 0.10% से 0.50% उम्र के आधार पर
iv)	चिकित्सा लागत रुझान दरें (प्रति वर्ष)	**अस्पताल की लागत के लिए 5% और मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य**	अस्पताल की लागत के लिए 5% और मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना आस्तियों पर वापसी की अनुमानित दर	**7.50%**	7.70%
vi)	वेतन वृद्धि	**अधिकारी : 6% वार्षिक गैर अधिकारी: 6% वार्षिक सभी कर्मचारी– 2017 से आरंभ, प्रत्येक 10 साल के बाद 6% वृद्धि**	अधिकारी : 6% वार्षिक गैर अधिकारी: 6% वार्षिक सभी कर्मचारी– 2017 से आरंभ, प्रत्येक 10 साल के बाद 6% वृद्धि
		भविष्य के वेतन वृद्धि का अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रा स्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है	

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2019 को
1 वर्ष तक	806.41
1 से 2 वर्ष के मध्य	817.96
2 से 3 वर्ष के मध्य	791.82
3 से 4 वर्ष के मध्य	751.69
4 से 5 वर्ष के मध्य	717.59
5 से 10 वर्ष के मध्य	2923.79
10 वर्ष से अधिक	4045.94
विगत सेवा से संबंधित कुल गैर छूट प्राप्त भुगतान	10855.20
कम: ब्याज के लिए छूट	4836.80
अनुमानित लाभ दायित्व	**6018.40**

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सहायक कंपनियों के संबंध में:

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समाधान * :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
i)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10.81	1.26	0.12
ii)	सेवा लागत	0.30	0.09	–
iii)	ब्याज लागत	0.71	0.07	–
iv)	बीमांकिक लाभ (–) / हानि (+)	–0.18	0.44	–
v)	पिछले सेवा लागत	–	–	–
vi)	प्रदत्त लाभ	2.49	0.61	–
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv–v–vi)	9.15	1.25	0.12

(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

सहायक कंपनियों ने अलग ग्रैच्यूटी निधि के माध्यम से ग्रैच्यूटी देनदारी का वित्त पोषित किया है। योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से निधि द्वारा निवेश किया गया है।

ग्रेच्यूटी निधि और परिभाषित लाभ ग्रैच्यूटी दायित्वों की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2018–19	2017–18
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10.81	8.18
ii)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0.80	0.61
iii)	वास्तविक सहायक कंपनियों का योगदान	0.04	2.88
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	–0.08	–0.87
v)	लाभ भुगतान	–2.49	–
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.08	10.80
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.15	10.81
viii)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii) – (vi)	0.07	0.01

छुट्टी नकदीकरण कोष और परिभाषित लाभ छुट्टी नकदीकरण दायित्वों की संपत्ति के उचित मूल्य का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2018–19	2017–18
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
ii)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	–	–
iii)	वास्तविक सहायक कंपनियों का योगदान	**1.84**	–
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	**0.02**	–
v)	लाभ भुगतान	**–0.62**	–
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1.24**	–
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1.25**	–
viii)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii) – (vi)	**0.01**	–

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्ययः (₹ करोड़)

क्र.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
i)	सेवा लागत	0.30	0.09
ii)	ब्याज लागत	–0.09	0.07
iii)	बीमांकिक लाभ (–) / घाटा	–	0.43
iv)	पिछले सेवा लागत	–	–
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	–	–
vi)	जोड़ (i+ii+iii+iv–v)	0.21	0.59
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्ययः		
	क) लाभ और हानि खाते का प्रभार	0.20	0.59
	ख) निर्माण के दौरान व्यय प्रभार	–	–
	ग) ओसीआई को प्रभार	–0.10	–
	घ) लाभ और हानि खाते का प्रभार– अन्य व्यय	–	–
viii)	ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0.08	–

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट की दर में 0.5 प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वाइंट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वाइंट बढ़त
i)	उपदान	9.36	8.95
ii)	छुट्टी	1.29	1.22

(ङ) वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वाइंट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वाइंट बढ़त
i)	उपदान	9.36	8.95
ii)	छुट्टी	1.22	1.29

(च) ग्रैच्यूटी न्यास/छुट्टी नकदीकरण निधि का निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2019 को	31.03.2018 को
बीमा निवेश – ग्रैच्यूटी न्यास	99.23	99.94
बीमा निवेश – छुट्टी नकदीकरण न्यास	99.23	–

(छ) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.50%	7.70%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अनांतिम	आईएएलएम (2006–08) अनांतिम
iii)	सेवा निवृत्ति आयु – कार्यकारी – गैर कार्यकारी	 58 साल 60 साल	 58 साल 60 साल
iv)	वेतन वृद्धि	कार्यकारी : 6.25% वार्षिक गैर कार्यकारी : 6.25% वार्षिक	कार्यकारी : 6.25% वार्षिक गैर कार्यकारी : 6.25% वार्षिक

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(ज) परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2019 को	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
1 वर्ष तक	0.30	0.23
1 से 2 साल के बीच	1.92	0.13
2 से 3 साल के बीच	1.37	0.11
3 से 4 साल के बीच	1.10	0.12
4 से 5 साल के बीच	0.81	0.16
5 से 10 साल के बीच	4.10	0.77
10 साल से अधिक	2.34	0.45
विगत सेवा से संबंधित कुल गैर छूट भुगतान	11.96	1.97
कमः ब्याज के लिए छूट	2.81	0.72
अनुमानित लाभ दायित्व	**9.15**	**1.25**

51. सामान्य

51.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग

i) व्यवसाय सेगमेंटः पांच एकीकृत इस्पात संयत्रों और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्रों को, जो विनिर्माण इकाइयाँ हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत, इंड एएस 108 रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यवसाय खंड माना गया है।

ii) प्रबंधन की राय में, बंद खदानें, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 108 के पैरा 27 के अनुसार, सेल का रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड नहीं हैं। चूंकि बंद खदान विभिन्न संयंत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति कर रही हैं, इसलिए खानों को लेखांकन के उद्देश्य के लिए लागत केंद्र के रूप में माना गया

51.2 भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) 37 के 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति द्वारा आवश्यक प्रावधानों का प्रकटीकरणः

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरणः

खानों के वनीकरण की लागत – नवीकरण पर देय (माने गए नवीनीकरण सहित)/ खनन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए खानों पर वनीकरण लागत के लिए, सरकारी प्राधिकारियों को खदान लीज की वानिकी क्लीयरेंस सहित।

खानों के बंद होने की लागत – खदानों को बंद करने के लिए अनुमानित दायित्व, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय खर्च किया जाना है।

ओवरबर्डन बैकलॉग हटाने की लागत – भावी वर्षों में खानों पर ओवरबर्डन बैकलॉग को हटाने के लिए खर्च किया जाना है।

सेल के संबंध में:

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचलन	खान वनारोपण लागत	खान समापन लागत	अधिक बोझ निवारण लागत	योग
1 अप्रैल, 2018 तक शेष राशि	202.09	67.30	117.16	386.55
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.24	12.74	41.66	54.64
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.25	(0.63)	0.00	(0.38)
वर्ष के दौरान उलटी गई अप्रयुक्त राशि	0.00	0.00	7.45	7.45
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक	**202.08**	**80.67**	**151.37**	**434.12**

सहायक कंपनियों के संबंध में:

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचलन	खान वनारोपण लागत	खान समापन लागत	अधिक बोझ निवारण लागत	योग
1 अप्रैल, 2018 तक शेष राशि		0.03		0.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन		–		–
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		–		–
वर्ष के दौरान उलटी गई अप्रयुक्त राशि		–		–
शेष राशि 31 मार्च, 2019 तक		**0.03**		**0.03**

51.3 पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक था, फिर से समूहीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो सके

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

52. परिचालन खंड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अंतः खंड बिक्रियां	जोड़
राजस्व											
– बाह्य बिक्रियां											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	16,463.61	8,788.65	14,510.32	16,167.83	7,762.59	630.85	1,687.49	122.88	139.10		66,273.32
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	15,994.93	7,168.64	12,210.22	14,039.97	6,811.00	442.88	1,344.11	142.18	147.07		58,301.00
– अंतः खंड बिक्रियां											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	302.60	263.52	998.51	91.42	168.62	184.05	7.63	52.80	4,862.59	(6,931.74)	.
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	299.80	184.88	217.67	211.33	73.02	206.18	12.70	18.36	3,881.30	(5,105.24)	.
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	16,766.21	9,052.17	15,508.83	16,259.25	7,931.21	814.90	1,695.12	175.68	5,001.69	(6,931.74)	66,273.32
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	16,294.73	7,353.52	12,427.89	14,251.30	6,884.02	649.06	1,356.81	160.54	4,028.37	(5,105.24)	58,301.00
परिणाम											
– ब्याज और अपवाद मदों से पहले परिचालन लाभ/(–) हानि											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	1,608.91	586.63	2,109.74	2,290.86	303.46	(5.28)	(120.50)	(73.49)	393.23		7,093.56
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	1,240.52	(58.57)	398.70	804.13	(329.50)	(25.84)	(118.24)	(108.34)	466.83		2,269.69
– वित्तीय लागत											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											3,154.92
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष											2,822.75
– अपवाद मदें											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											389.40
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष											(26.43)
– कर व्यय											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											1,200.53
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष											(245.23)
– वर्ष के लिए लाभ/हानि (–)											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष											2,348.71
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष											(281.40)
अन्य सूचना											
– खंड परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	31,549.20	6,548.52	20,076.32	15,292.37	18,856.76	572.30	2,856.49	419.41	21,780.93		1,17,952.30
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	28,756.68	6,400.05	19,484.61	14,524.30	18,770.09	518.32	2,459.07	533.47	23,994.38		1,15,440.97
– खंड देनदारियां (दीर्घकालीन ऋणों सहित)											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	7,709.02	2,451.24	4,421.29	3,418.32	1,693.55	198.85	368.95	66.57	57,978.35		78,306.14
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	7,409.47	2,364.33	4,017.17	3,746.95	1,922.70	207.46	383.28	79.88	58,363.07		78,494.31
– पूंजी व्यय											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	1,304.73	139.23	1,012.87	1,121.28	147.21	2.95	9.18	1.48	210.09		3,949.02
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	2,481.46	296.50	1,638.38	1,362.65	599.44	2.89	7.82	2.15	388.63		6,779.92
– मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	692.29	200.20	754.72	611.36	746.73	9.08	99.23	7.22	264.51		3,385.34
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	512.86	195.57	721.75	561.87	724.35	11.44	95.74	7.30	235.09		3,065.97
– अवमूल्यन के अतिरिक्त गैर नकद व्यय											
31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू वर्ष	26.75	15.34	10.54	6.66	21.86	1.48	0.44	0.10	159.47		242.64
31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष	19.00	11.34	15.26	56.00	36.79	2.00	14.17	2.81	58.83		216.20

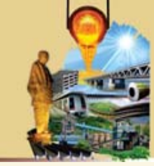

समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

टिप्पणियां

समेकित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अर्हता प्राप्त राय

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जिसे बाद में "होल्डिंग कंपनी" के नाम से संदर्भित किया गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित किया है), इसके एसोसिएटस और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की संलग्न समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की समेकित बैलेंस शीट शामिल है, लाभ–हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरणी , तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तन की समेकित विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित (बाद में जिसे "समेकित Ind AS वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों पर नोटस शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार और शाखाओं के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर होल्डिंग कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों के विचारों के आधार पर और इसके एसोसिएटस तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों द्वारा हमें प्रदान की गई वित्तीय विवरणियों/ वित्तीय जानकारी के आधार पर, हमारी रिपोर्ट की सीमित राय, अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उक्त समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी, वह सूचना प्रदान करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार अपेक्षित है और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है, 31 मार्च, 2019 को समूह के समेकित मामलों और उसके समेकित लाभ (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), इसके समेकित नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में समेकित परिवर्तन को दर्शाती है।

सीमित राय का आधार

होल्डिंग कंपनी ने निम्न के लिए प्रावधान नहीं किया है:

I. 31 मार्च, 2019 तक, विभिन्न राज्यों में, ₹ 1,637.35 करोड़ के प्रवेश कर की मांग (नोट संख्या 47.2 (ए) देखें) और

II. दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) को बिजली की आपूर्ति के लिए, बिजली की आपूर्ति हेतु, बिलों के खिलाफ पहले के वर्षों में भुगतान किया गया था और इसे होल्डिंग कंपनी के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट द्वारा DVC को अग्रिम के रूप से बरकरार रखा गया, जिसकी राशि 31 मार्च, 2019 को ₹ 587.72 करोड़ थी (संदर्भ नोट सं. 47.2(बी));

यदि उपरोक्त सभी अर्हता के प्रभाव को लिया जाता है तो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित कुल व्यापक आय (कर के बाद शुद्ध), ₹ 2703.61 करोड़ की कुल समेकित आय (कर के बाद शुद्ध) की तुलना में ₹ 1256.07 करोड़ होती। 31 मार्च 2019 को ₹ 1,447.54 करोड़ की अन्य इक्विटी का अतिशय विवरण, ₹ 2,225. 07 करोड़ की कम वर्तमान देयता और ₹ 777.53 करोड़ की परिसंपत्ति का कम विवरण दिया गया है।

हम, समूह और इसके सहयोगी और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसरण में उन नैतिक अपेक्षाओं के साथ हैं जो कि समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के तहत हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और ICAI's की आचार संहिता के अनुसार, अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट प्रमाण, हमारी सीमित राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का ज़ोर

हम होल्डिंग कंपनी के संबंध में निम्न बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

I वेतन संशोधन के लिए इस्पात उद्योग (NJCS) के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति के साथ लंबित वार्ता और DPE कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, पिछले तीन वर्षों के कर से पहले औसत लाभ के नकारात्मक आंकड़ों के मद्देनजर और ICAI की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर भी होल्डिंग कंपनी ने गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन (01.01.2017 से लंबित) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है (नोट संख्या 47.13 का संदर्भ लें); और

II होल्डिंग कंपनी की सकल बिक्री में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5,012.76 करोड़ (31 मार्च, 2019 तक ₹ 17,252.66 करोड़) की सरकारी एजेंसियों को की गई बिक्री शामिल है जिसे संविदात्मक अनुबंध की कीमतों पर मान्यता प्राप्त है (संदर्भ नोट संख्या 49.2)।

इस इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

प्रबंधन के उत्तर

(i) में बताई गई मद के संबंध में, कंपनी का विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अपने कंजम 11 नवंबर, 2016 निर्णय को, राज्यों द्वारा प्रवेश शुल्क लगाने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर अधिनियमों की लेवी के सिद्धांतों/ परीक्षणों को निर्धारित कर दिया है। शीर्षस्थ अदालत की संबंधित नियमित पीठ इस मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड राज्यों में प्रवेश कर लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय की नियमित पीठ द्वारा लंबित निर्णय और पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण से संबंधित मामले के संबंध में, मांगे गए विवादास्पद प्रवेश को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना है।

(ii) में उल्लिखित मद के संबंध में, कंपनी का विचार है कि मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय तक विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष न्याय के लिए लंबित हैं। साथ ही, DVC द्वारा बिजली के लिए 2004–09 की दर की अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के आदेश के खिलाफ संबंधित नागरिक अपील, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश कंजम 3 दिसंबर, 2018 द्वारा खारिज कर दी गई है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC), APTEL द्वारा निर्देशित खुदरा दरों को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता SERC द्वारा दरें निर्धारण करने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(i) और (ii) में ऊपर बताई गई उपरोक्त उल्लिखित विवादित मांगें, जो वैध और प्रामाणिक आधारों पर लड़ी गई हैं, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि 31 मार्च, 2019 तक वर्तमान दायित्व मौजूद हैं। अंतः वर्ष के लिए लाभ पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारियां

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट और कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल हैं परंतु इसमें समेकित Ind AS वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं।

समेकित Ind AS वित्तीय विवरण पर हमारी राय में कोई अन्य जानकारी कवर नहीं है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करने की है कि क्या अन्य जानकारी, समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रुप से असंगत है या ऑडिट से या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता।

यदि, हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी की विषयवस्तु गलत है; हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह की अन्य सामग्री की गलत जानकारी, उपरोक्त सीमित राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के संबंध में मौजूद है।

महत्वपूर्ण ऑडिट मामले

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों को समग्र रूप में समेकित Ind AS के हमारे ऑडिट के संदर्भ में समाधान कर दिया गया था और इसके बाद हमारी राय में और हम इन मामलों में एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। सीमित राय हेतु आधार में वर्णित मामलों मामले के खंड में जोर के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामले हैं।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण ऑडिट मामलें	महत्वपूर्ण ऑडिट मामलें पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
होल्डिंग कंपनी के बारे में		
1.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ** होल्डिंग कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिसके बारे में अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप, संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियां हो सकती है। आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे को नोट संख्या 47, नोट के साथ पठित, में प्रस्तुत किया गया है। नोट नंबर 3.17 के साथ समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल धारणाओं पर आधारित है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को नियत करने के लिए निर्णय का उपयोग करने की आवश्यकता है, प्रावधानों के जोखिम को बढ़ाता है और इसके लिए प्रदान की गई या आकस्मिक देनदारियों का उचित रूप से या पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला माना जाता है।	मुकदमों और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ पाने के लिए, हमने होल्डिंग कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हम मुकदमेबाजी में, होल्डिंग कंपनी की कानूनी और वित्तीय टीम द्वारा प्रदान किए गए सारांश को देखते हैं। हम होल्डिंग कंपनी की कानूनी और वित्तीय टीम द्वारा मांगी गई विवाद मामलों के सारांश को देखा है। जहां लागू हो, हम, होल्डिंग कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह को देखते हैं। रिपोर्ट में, कंपनी के कानूनी और वित्तीय टीम के साथ हमने कुछ विषयों के बारे में चर्चा की ताकि कंपनी के किसी भी संभावित दायित्व, परिमाण और उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी देनदारी के लेखांकन का निर्धारण कर सके। उपरोक्त को देखते हुए, हमने दर्ज किए गए प्रावधानों की मात्रा की समीक्षा की और वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए हमारे पेशेवर निर्णय का उपयोग किया।
2.	**कर व्यय** वर्तमान कर के लिए प्रावधान (बही खाते पर न्यूनतम वैकल्पिक कर सहित), हानि, आयकर के अनुसार/खातों की पुस्तकों, लाभ और हानि के विवरणों, बैलेंस शीट आदि के मूल्यह्रास पर निर्भर है। अनावशोषित मूल्यह्रास पर आस्थिगत कर संपत्ति और आगे ले जाए गए नुकसानों को उस सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए जिससे इतनी संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके खिलाफ अप्रयुक्त कर नुकसान और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। समेकित Ind AS वित्तीय विवरण के नोट संख्या 12 और 48.6 को देखें।	होल्डिंग कंपनी के कर योग्य लाभ और भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए, आगे ले जाए गए नुकसान के विवरण और भावी अवधि के लिए कर योग्य आय के आकलन के विवरण प्राप्त किए। परीक्षण अवधि, जिसमें प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं सहित भविष्य की कर योग्य आय के खिलाफ इस तरह के अनावशोषित नुकसान पर कर संपत्तियां वसूल की जाएंगी। आंतरिक रूप से और साथ ही कुछ मुद्दों पर उपलब्ध विभिन्न न्यायिक/न्यायिक घोषणाओं के साथ–साथ विभिन्न मुद्दों पर कानूनी/कर विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय के आधार पर समग्र रुप से समीक्षा की गई।
3.	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां** ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और उनके संबंधित मूल्यह्रास	हमने लागू नियंत्रणों का आकलन, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन, पूंजीकृत

क्र. सं.	महत्वपूर्ण ऑडिट मामलें	महत्वपूर्ण ऑडिट मामलें पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
	और परिशोधन मात्रा के वहन मूल्य को प्रभावित करते हैं। इनमें लागत के पूंजीकरण या खर्च करने का निर्णय शामिल है; वार्षिक संपत्ति जीवन की समीक्षा; परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण या माप और मान्यता मानदंड के लिए प्रबंधन मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग एवं होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में भौतिकता और आवश्यक निर्णय और अनुमानों के स्तर के कारण, हम इसे एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला मानते हैं।	लागतों पर विवरणों का परीक्षण, संपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए डी–मान्यता मानदंड का मूल्यांकन किया है। इन प्रक्रियाओं को करने के दौरान, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की जिसमें अंतर्निहित लागतों की प्रकृति; सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण; मूल्यह्रास की गणना में लागू संपत्ति जीवन की उपयुक्तता; प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति के उपयोगी जीवन की हमने समीक्षा की है। हमने पाया है कि इनमें कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हैं।
4.	**अर्द्धनिर्मित पूंजी** होल्डिंग कंपनी मिलों, सुविधाओं आदि की स्थापना और विस्तार जैसी विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। इन परियोजनाओं को अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में भौतिकता और आवश्यक निर्णय और अनुमानों के स्तर के कारण, हम इसे एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला मानते हैं।	हमने पहचान और प्रमुख नियंत्रणों के परीक्षण हेतु प्रगति पर पूंजी कार्य पर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की समझ और मूल्यांकन का प्रदर्शन किया है। हमने परियोजनाओं की प्रगति और आगे बढ़ाने और परिसंपत्ति को अपने इच्छित उपयोग की स्थिति में लाने के बारे में, प्रबंधन के इरादे का मूल्यांकन किया है।

समेकित Ind AS विवरण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिनका संबंध समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों को तैयार करने से है जोकि समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), ईक्विटी, हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों को भारत में शामिल किया गया है, जहां भी उन संस्थाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई है, सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, इन समूह की कंपनियों द्वारा, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है। समेकित परिवर्तनों और समूह के समेकित नकदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप होते हैं जिनमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (Ind AS) शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और इनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है; जो लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और सामग्री के गलत उपयोग से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, मुक्त हैं।

समेकित Ind AS वित्तीय विवरण तैयार करते समय, होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन, सुनाम–प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की समूह की क्षमता का आकलन, जैसा लागू हो, प्रकटीकरण, सुनाम–प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए सुनाम प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है बशर्ते की प्रबंधन का इरादा या तो समूह के तहत कंपनी को परिसमापन करने का है या संचालन रोकने का है या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल का यह दायित्व भी है कि वह समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी देखे है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित Ind AS वित्तीय विवरण, समग्र रूप से, धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं और एक ऐसी ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किए गए ऑडिट में, जब गलत विवरणी पाई जाती है तो यह उसका पता लगा लेगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर इन में से किसी एक या समग्र का तर्कसंगत प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा हो।

SAs के अनुसार, ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को बनाए और निष्पादित करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली गलत विवरणी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी और भारत में शामिल सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता लागू है।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन की होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर सुनाम प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या किसी ऐसी घटना या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की क्षमता पर, सुनाम प्रतिष्ठान के रुप में, महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं तो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में समेकित Ind AS वित्तीय विवरण के संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष, हमारे ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह का सुनाम प्रतिष्ठान के रुप में बने रहना समाप्त हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को, निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करने के तरीके से, प्रस्तुत करती हैं।

हम अन्य मामलों में से उन मामलों के बारे में सरकार को सूचित करते हैं जिनका संबंध ऑडिट के योजनाबद्ध क्षेत्र और ऑडिट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों से संबंधित होता है जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम विवरणी सहित शासन के साथ उन मामलों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों की सूचना देते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपाय भी सूचित करते हैं।

शासन के साथ आरोपित किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित Ind AS के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम तब अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब कि कानून या विनियमन इन मामले के बारे में निवारण का सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम, ऐसे संप्रेषण करने से सार्वजनिक हित के लाभ पर होगा।

अन्य मामले

क) हमने दो सहायक कंपनियों (अनुलग्नक B में विवरण हैं) के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 को कुल ₹ 202.39 करोड़ की संपत्ति दर्शाती है, कुल राजस्व ₹ 201.69 करोड़ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि समेकित Ind AS वित्तीय विवरण मे लिया गया है, शुद्ध नकदी प्रवाह ₹ 16.47 करोड़ राशि का प्रवाह दर्शाती है। समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों में, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं (अनुलग्नक C में विवरण) के संबंध में, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष में समूह के शुद्ध लाभ में हिस्सा ₹ 183.98 करोड़ शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का ऑडिट हमारे द्वारा नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है और समेकित Ind AS वित्तीय विवरण के रूप में इस पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक और संयुक्त कंपनियों का संबंध है, यह इनमें शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में है, उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाएं के संबंध में यह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

ख) हमने दो सहायक कंपनियों (अनुलग्नक B में विवरण) के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का लेखा–जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 तक ₹ शून्य की कुल संपत्ति को दर्शाती है और समेकित Ind AS वित्तीय विवरण की उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में कुल राजस्व ₹ शून्य और शुद्ध नकदी प्रवाह की कुल राशि ₹ शून्य दर्शाई गई है। समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों में, 12 संयुक्त रूप से नियंत्रित और एक सहयोगी (विवरण अनुलग्नक C में), क्रमशः के संबंध में, समेकित Ind AS वित्तीय वर्ष में विचार किए गए अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, समूह के हिस्से के रूप में शुद्ध लाभ ₹ 34.42 करोड़ और ₹ 0.21 करोड़ भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अन–आडिटिड हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित Ind As वित्तीय विवरणों के रूप में हमारी राय, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगी के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट का संबंध है, यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगी से संबंधित है, यह अब तक केवल इस तरह के अन–ऑडिटिड वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

ग) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई (अनुलग्नक C में विवरण) के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा–जोखा नहीं किया है, जिसका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके वित्तीय विवरणों के अभाव में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि की समूह की हिस्सेदारी समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के रूप में नहीं मानी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार पर और भारत में शामिल संयुक्त संचालनों, सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अन्य मामलों में, हम लागू सीमा तक, रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त की, जो हमारे सर्वश्रेष्ट ज्ञान और विश्वास के अनुसार वित्तीय विवरणों के रूप में उपरोक्त समेकित Ind AS के हमारे ऑडिट प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

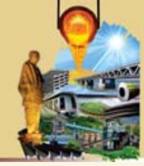

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

(ख) उपरोक्त योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उक्त समेकित IndAS वित्तीय विवरणों की तैयारी में, संबंधित नियम के अनुसार आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा, लेखा पुस्तकों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है;

(ग) भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के खातों पर रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, जो हमें/अन्य ऑडिटर्स को भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में इन्हें ठीक से लिया गया है;

(घ) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और इस रिपोर्ट के द्वारा इक्विटी में समेकित परिवर्तनों की विवरणी को, समेकित Ind AS वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से, प्रासंगिक पुस्तकों के अनुबंध में निपटाया गया है;

(ङ) उपरोक्त योग्यता राय पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित Ind AS वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) का अनुपालन करते हैं;

(च) उपरोक्त योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, समूह के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते हैं;

(छ) कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, समूह पर लागू नहीं है;

(ज) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक–ए में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जो भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट में होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनी/भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर असम्बद्ध राय व्यक्त की गई है; तथा

(झ) कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें दिए गए हैः

i. उपरोक्त योग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, समेकित Ind AS वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं पर लंबित वादों के प्रभाव का खुलासा करता है (संदर्भ नोट सं. 47 और 48.5);

ii. समूह, इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई भी महत्वपूर्ण नुकसान नहीं था; तथा

iii. परिपक्व जमाराशियों का दावा पहले ही व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों संबंधियों द्वारा किया गया है परन्तु दावेदारों द्वारा विधिक उत्तराधिकारी के प्रमाण प्रलेखक का जमा किया जाना बाकी है। विधिक उत्तराधिकारी को परिपक्व जमाराशि लौटानों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन का उत्तर: परिपक्व जमाराशियों का दावा पहले ही व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों संबंधियों द्वारा किया गया है परन्तु दावेदारों द्वारा विधिक उत्तराधिकारी के प्रमाण प्रलेखक का जमा किया जाना बाकी है। विधिक उत्तराधिकारी को परिपक्व जमाराशि लौटानों के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

2\. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई

हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन

हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

निदेशक मंडल के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 28 जून, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का समेकित वित्तीय विवरण अनुलग्नक–ए

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (साथ मिला कर "समूह" के रूप में संदर्भित), इसके सहयोगी और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट, 31 मार्च, 2019 को समाप्त समूह के वित्तीय वर्ष के रूप में उस तारीख के समेकित प्दक ै वित्तीय विवरण को, किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी , इसकी सहायक कंपनियों, इसके सहयोगी और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित बोर्ड के निदेशक, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की स्थापना और इसके रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो वित्तीय नियंत्रण पर उस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार के अनुसार हैं, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('ICAI') द्वारा जारी किया गया है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो समूह की नीतियों के पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित, अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहा था। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे ऑडिट के आधार पर भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसके सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट ("मार्गदर्शन नोट") और ICAI द्वारा जारी किए गए मानकों पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार, ICAI द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने गए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी, अनुसार किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि जो हमारी नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और ऑडिट की योजना बनाते हैं तथा प्रदर्शन के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक मौजूद महत्वपूर्ण कमजोरी है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित Ind AS वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) जो रिकार्डो के उचित विस्तार से रखरखाव से संबंधित है, समूह की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन–देन को रिकार्ड किया गया है और समूह की पावतियों और व्यय को, केवल प्रबंधन और समूह की कंपनियों के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) समूह की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो समेकित Ind AS वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या प्रबंधन की अनुचित अनदेखी की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अध्याधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्तता हो सकती है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट हो सकती है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

राय

हमारे विचार में, स्वामित्व वाली कंपनी, इसकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों और भारत में समाविष्ट की गयी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में सभी विषयों से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर एक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होता है और वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च, 2019 को प्रभावशाली रूप से संचालित किया जा रहा था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन के मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित होता है।

अन्य मामलें

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम के तहत अब तक यह 2 सहायक कंपनियों से संबंधित है जो भारत में निगमित कंपनियां हैं। यह ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
साझेदार
एम नं. 063769

कृते चैटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
साझेदार
एम नं. 060855

कृते ए.के. साबत एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 321012ई
हस्ता./–
(ए.के. साबत)
साझेदार
एम नं. 030310

वी.के. धींगड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.000250एन
हस्ता./–
(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
एम नं. 084312

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 30 मई, 2019

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–B

सहायक कंपनियों की सूची

सहायक कंपनियां

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण :

छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
सेल रेफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं:

सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सेल –जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों की सूची

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ

i. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण:

सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
S&T माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल और मॉयल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड
GEDCOL सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

ii. गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी:

अभिनव सेल JVC लिमिटेड
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड
एनएमडीसी सेल लिमिटेड
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सेल SCL केरल लिमिटेड
SAL सेल JVC लिमिटेड
TMT SAL सेल जेवी लिमिटेड
VSL–सेल JVC लिमिटेड

iii. वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं

प्राइम गोल्ड– सेल JVC

2. एसोसिएट्स – गैर–लेखापरीक्षित

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के समेकित आर्थिक विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख), जिसे 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारुप के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी, कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा धारा 139(5) के साथ पठित अधिनियम की धारा 129(4) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार, स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर, जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 30 मई, 2019 में ऐसा किया गया बताया गया था।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण; इसकी 2 संयुक्त उद्यम कंपनियां[1], सात संयुक्त उद्यम[2] कंपनियां शामिल हैं; जिन्हें सरकार और/या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत, दो सहायक कंपनियां[3], चार[4] ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनियों और एक सहयोगी कंपनी[5] ने अपने खातों को अंतिम रुप नहीं दिया था और/या उस तारीख को आडिट नहीं कराया था। अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत, मुझे सरकार द्वारा नियंत्रित दस[6] कंपनियों के वित्तीय विवरणों के पूरक ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है परंतु ये समेकित वित्तीय विवरण में शामिल हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित एक[7] सहायक और एक[8] संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली दो[9] कंपनियों को समेकित नहीं किया गया था (विवरण अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न हैं)। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा को वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाज के कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पूछताछ और लेखांकन रिकार्डो में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरे ऑडिट के आधार पर, मेरे ज्ञान में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करेगा।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर
(इंदू अग्रवाल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची

स्थान : रांची
तिथि : 27 जुलाई, 2019

[1] सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लि.

[2] एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, सेल और मॉयल फेरो मिश्र प्रा. लिमिटेड, सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लि., इंटरनेशनल कोल वेंचर लि., सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड, एनएमडीसी सेल लि. और जीईडीसीओएल सेल पॉवर कारपोरेशन लि.

[3] सेल जगदीश पुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड,

[4] बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड, सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और बस्तर रेलवे प्रा. लिमिटेड

[5] अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

[6] एमजंक्शन सर्विस लि., भिलाई जेपी सीमेंट लि., एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्रा. लि., सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लि., एसएएल सेल जेवीसी लि., टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लि., प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लि., सेल बंसल सेल सर्विस लि., अभिनव सेल जेवीसी लि., वीएसएल सेल जेवीसी लि.

[7] इस्को उज्जेन पाइप और फाउंडरी कंपनी लि.

[8] उत्तरी बंगाल डोलॉमाइट लि.

[9] रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड और यूईसी सेल सूचना टेक्नोलॉजी लिमिटेड

अनुलग्नक–1

सेल की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के नाम दर्शाने वाला विवरण और खातों के समेकन की स्थिति (2018–19)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों का स्वरुप	क्या खाते समेकित थे	क्या सी एंड ए जी के क्षेत्राधिकार के तहत हैं
	मूल कंपनी		
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	हां	हां
	सहायक कंपनियां		
1	सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	हां	हां
2	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	हां	हां
3	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	हां	हां
4	छत्तीसगढ़ मेगा इस्पात लिमिटेड	हां	हां
5	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड	नहीं	हां
	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
6	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लि.	हां	हां
7	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
8	सेल – बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
9	सेल और मॉयल फेरो अलाय प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
10	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
11	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड	हां	हां
12	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	हां	हां
13	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	हां	हां
14	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	हां	हां
15	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
16	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां
17	उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	नहीं	हां
18	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	हां	नहीं
19	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	हां	नहीं
20	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
21	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
22	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
23	टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
24	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
25	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	हां	नहीं
26	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
27	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
28	रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं	नहीं
29	यूईसी–सेल सूचना टेक्नॉलाजी लिमिटेड	नहीं	नहीं
	सहयोगी कंपनी		
30	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	हां	हां

फॉर्म एओसी–1

[कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में]

सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं बताने वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1	सहायक कंपनी का नाम	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2.	संबंधित सहायक कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विदेशी सहायक कंपनियों की प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					(₹ करोड़)
4.	शेयर पूंजी	0.10	0.05	0.05	0.05
5.	रिजर्व और अधिशेष	140.00	(–)0.05	(–) 0.05	(–)0.03
6.	कुल परिसंपत्तियां	202.36	0.00	0.00	0.03
7.	कुल देयताएँ	62.26	*	*	*
8.	निवेश	–	–	–	–
9.	टर्न–ओवर	196.95	–	–	–
10.	कराधान से पहले लाभ	31.20	–	–	(–).0.01
11.	कराधान के लिए प्रावधान	9.39	–	–	–
12.	कराधान के बाद लाभ	21.81	–	–	(–).0.01
13.	प्रस्तावित लाभांश	–	–	–	–
14.	शेयर होल्डिंग का%	100	100	100	74

*राशि ₹ 50,000/– से कम

नोटः कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड के, प्रत्येक ₹ 10/– के 30,00,000 इक्विटी शेयर हैं। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने 10 जुलाई, 1997 से कंपनी के समापन हेतु निर्देशित किया था और आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान करने के बाद, परिसमापक बकाया राशि के निपटान की प्रक्रिया में है। इस्को उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड का 10 जुलाई, 97 तक का संचयी घाटा ₹ 17.05 करोड़ था।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एम.सी.जैन)
कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2019

भाग बी : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) से संबंधित सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों का 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का विवरण

क्र.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़)	धारण की सीमा का (%)	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का विवरण	प्रचालन से राजस्व	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरहोल्डिंग के कारण निवल मूल्य (₹ करोड़)	वर्ष के दौरान लाभ/हानि (₹ करोड़)	समेकित रूप से विचार (₹ करोड़)	समेकित रूप से विचार नहीं (₹ करोड़)
संयुक्त उद्यम		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लि.	31–03–2019	490250050	490.25	50.00%	नोट–1		2498.24	362.33	181.17	181.17
2	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लि. *	31–03–2018	124025000	124.03	50.00%	नोट–1		855.37	65.17	32.59	32.59
3	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	31–03–2019	4000000	4.00	50.00%	नोट–1		279.13	41.57	20.79	20.79
4	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड *	31–03–2018	3200000	3.20	40.00%	नोट–1		1.81	0.27	0.11	0.16
5	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड *	31–03–2018	98718048	52.51	26.00%	नोट–1		13.79	–41.65	–10.83	–30.82
6	एसएंडटी खनन कंपनी प्रा. लिमिटेड	31–03–2019	12941400	12.94	50.00%	नोट–1		–9.21	–2.69	–1.35	–1.35
7	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	31–03–2019	693759279	693.76	47.82%	नोट–1		2156.10	–114.21	–54.62	–59.59
8	सेल–मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	31–03–2019	100000	0.10	50.00%	नोट–1		–14.07	–1.60	0.00	–1.60
9	सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड	31–03–2019	100000	0.10	50.00%	नोट–1		0.13	0.00	0.00	0.00
10	सेल एससीएल केरल लिमिटेड *	31–03–2018	13017801	18.75	49.26%	नोट–1		–72.84	–16.49	0.00	–16.49
11	सेल राइटस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	31–03–2019	24000000	24.00	50.00%	नोट–1		42.00	16.48	8.24	8.24
12	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड*	31–03–2018	250000	0.25	50.00%	नोट–1		0.51	0.00	0.00	0.00
13	एसएएल सेल जेवी लिमिटेड *	31–03–2018	–	–	26.00%	नोट–1		–0.10	–0.01	0.00	–0.01
14	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड *	31–03–2018	–	–	26.00%	नोट–1		–0.02	–0.01	0.00	–0.01
15	सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड *	31–03–2018	10000	0.01	50.00%	नोट–1		–0.02	0.00	0.00	0.00
16	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड*	31–03–2018	4680000	4.68	26.00%	नोट–1		21.71	0.00	0.00	0.00
17	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड *	31–03–2018	1297780	1.30	20.58%	नोट–1		4.97	–0.43	–0.09	–0.34
18	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड *	31–03–2018	–	–	26.00%	नोट–1		–0.20	–0.05	0.00	–0.05
19	रोमेल सेल (इंडिया) लिमिटेड @		63000	0.06		नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं	–	–	–	–
20	यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड #		–	–		नोट–1	वही	–	–	–	–
21	उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड #		97900	0.98		नोट–1	वही	–	–	–	–
22	एन.ई. स्टील और गैल्वनाइजिंग प्रा. लिमिटेड #		–	–	49.00%	नोट–1	वही	–	–	–	–
23	एनएमडीसी सेल लिमिटेड*	31–03–2018	24500	0.02	49.00%	नोट–1		0.00	–0.04	–0.02	–0.02
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड *	31–03–2018	35232600	35.23	12.00%	नोट–1		292.87	1.77	0.21	1.56
25	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	31–03–2019	260000	0.26	26.00%	नोट–1		0.77	–0.23	–0.06	
एसोसिएट											
1	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड *	31–03–2018	400000	0.40	20.00%	नोट–2		8.60	1.07	0.21	0.86

1. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार मतदान शक्ति
2. 20% शेयर पूंजी धारिता

* वर्ष 2018–19 के लिए अनअंकेक्षित लेखों के आधार पर

@ निलंबन के तहत संचालन

\# समापन/परिसमापन के तहत कंपनियाँ

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एम.सी. जैन)
कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) तथा कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
अध्यक्ष
डीआईएनः 03256818

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2019

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर

फॉर्म नं. एमजीटी–9

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i)	सीआईएन	:	एल 27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
ii)	पंजीकरण तारीख	:	24 जनवरी, 1973
iii)	कंपनी का नाम	:	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी/शेयरों द्वारा सीमित
v)	पंजीकृत दफ्तर का पता और संपर्क करने का विवरण	:	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, संपर्क नंबरः +91–11–24367481 फैक्स नंबर +91–11–24367015. ई मेलः investor.relation@sailex.com
vi)	क्या ये सूचीबद्ध कंपनी है	:	हां
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के नाम, पता एवं संपर्क करने का विवरण	:	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंटस लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन नं.– +91–11–41406149. फैक्स नं. +91–11–41709881. ईमेलः admin@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या इससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगाः

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पादों/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	फ्लैट उत्पाद (एचआर कॉइल, एचआर प्लेट्स, सीआर कॉयल्य, पाइप्स और इलेक्ट्रिक शीटस आदि)	330	52
2	लम्बे उत्पादों (टीएमटी बार, वायर रॉड्स, आदि)		42

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	नियंत्रित शेयरों का %	उपयुक्त अनुभाग
1.	सेल– जगदीश पुर पावर प्लांट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली। (स्ट्राईकिंग ऑफ प्रॉसेस के तहत)	U40106DL2011GOI219901	सहायक कंपनी	100	2(87)
2.	सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड, सेलम स्टील प्लांट, सेलम, तमिलनाडु –636013 इंडिया	U14200TZ2011GOI017357	सहायक कंपनी	100	2(87)
3.	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड चासनाला – 828135, झारखंड, इंडिया (स्ट्राईकिंग ऑफ प्रॉसेस के तहत)	U27320JH2011GOI015168	सहायक कंपनी	100	2(87)
4.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड इस्पात भवन, भिलाई, सेक्टर 1, दुर्ग, छत्तीसगढ़ –490001 इंडिया	U27100CT2015GOI001627	सहायक कंपनी	74	2(87)
5.	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, 50, चौरंगी रोड, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल, इंडिया (परिसमापन के तहत)	U28113WB1964PLC026148	सहायक कंपनी	100	2(87)
6.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, मैग्नेसाइट हाउस, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा –263601, उत्तराखंड, इंडिया	U26941UR1971PLC003453	एसोसिएट	20	2(6)
7.	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड, 4था फ्लोर, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066 इंडिया	U74899DL1999PLC098274	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
8.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली 110003 IN	U40300DL2001PTC112074	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
9.	उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड 28–बी, शेक्सपीयर सरनी, "नीलाम्बर", फ्लैट नं. 10ए, 10 वीं मंजिल, कोलकाता –700017, पश्चिम बंगाल, इंडिया	U14109WB1980PLC033031	संयुक्त उद्यम	50	2(6)

10.	यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड C/o I.M. पुरी एंड कंपनी, सी–30, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली –110048। (परिसमापन के तहत)	U74899DL1995PLC064072	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
11.	रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड क्रमांक 25/2, मदनपुर, खादर, सुंदर पब्लिक स्कूल के पास ऑपोजिट एफ ब्लॉक, नई दिल्ली –110 076	U74899DL1997PLC090025	संयुक्त उद्यम	15	2(6)
12.	एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड गोदरेज वाटरसाइड, तीसरी मंजिल, टॉवर–I, प्लॉट–V, ब्लॉक DP, सेक्टर–V, साल्ट लेक, कोलकाता–700091, पश्चिम बंगाल, इंडिया	U00000WB2001PLC115841	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
13.	सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड, 12/2, पार्क मेंशन, 57–ए, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता –700 016	U27310WB2000PLC092486	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
14.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड JA हाउस, 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057	U26940CT2007PLC020250	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
15.	सेल एंड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड, सेक्टर–1, भिलाई – 490 001	U27101CT2008PTC020786	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
16.	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड टाटा सेंटर, 43, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता – 700 071, पश्चिम बंगाल, इंडिया	U13100WB2008PTC129436	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
17.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, 20 वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली – 110092, इंडिया	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम	47.82	2(6)
18.	सेल SCI शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, शिपिंग हाउस, 13 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता–700001, पश्चिम बंगाल, इंडिया	U61100WB2010PTC148428	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
19.	सेल–SCL केरल लिमिटेड स्टील नगर, पी.बी. नंबर 42, फेरोक – 673 631, कोझीकोड, केरल, इंडिया	U27104KL1969SGC002253	संयुक्त उद्यम	49.26	2(6)
20.	सेल–RITES बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लि., स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092, इंडिया	U35200DL2010PTC211955	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
21.	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003, इंडिया	U27100DL2012PTC236499	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
22.	एसएएल–सेल जेवीसी लिमिटेड बी–7, WHS कीर्ति नगर, नई दिल्ली –110015, इंडिया	U28111DL2012PLC231225	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
23.	टीएमटीएसएएल–सेल जेवीसी लिमिटेड बी–7, WHS कीर्ति नगर, नई दिल्ली –110015, इंडिया	U28113DL2012PLC231234	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
24.	सेल– बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, 22बी, राजा संतोष रोड, न्यू अलीपुर, कोलकाता–700027, पश्चिम बंगाल, इंडिया	U35122WB2013PTC190532	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
25.	वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड डोर सं. 2–51, दरगा के पास, कर्दनूर, पोस्टपति पाटन चेरुवु मंडल, हैदराबाद – 502300, तेलंगाना, इंडिया	U27106TG2012PLC083896	संयुक्त उद्यम	20.58	2(6)
26.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड 5/2, पंजाबी बाग एक्सटन, क्लब रोड, नई दिल्ली – 110026, इंडिया	U28113DL2012PLC245537	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
27.	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड 401, महावीर जी कॉम्प्लेक्स, एलएससी ऋषभ विहार, दिल्ली –110092, इंडिया	U27100DL2012PLC245749	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
28.	एनएमडीसी सेल लिमिटेड 10–3–311/ खनिज भवन, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद, TG 500028 इंडिया	U27320TG2016GOI109798	संयुक्त उद्यम	49	2(6)
29.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर, एनएमडीसी बिल्डिंग गेन्स विली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला रायपुर CT 492015, इंडिया	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम	12	2(6)
30.	GEDCOL सेल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, GEDCOL कॉरपोरेट ऑफिस, द्वितीय तल, OSPH & WC बिल्डिंग, वाणी विहार, जनपथ, भोईनगर, भुवनेश्वर –751022, इंडिया	U40300OR2018SGC029410	संयुक्त उद्यम	26	2(6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी के लिहाज से शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता)

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	शेयरों की संख्या का कुल %	डीमैट	वास्तविक	कुल	शेयरों की संख्या का कुल %	
अ. प्रमोटर									
1. भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) व्यक्ति/ HUF	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केंद्र सरकार	3097767449	–	3097767449	75.00	3097767449	–	3097767449	75.00	0.00
ग) राज्य सरकारें	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) कॉरपोरेट निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) बैंक/FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (अ)(1):–	3097767449	–	3097767449	75.00	3097767449	–	3097767449	75.00	0.00
2. विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य – व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) निकाय कॉरपोरेट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/ FI	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग (I)(2):–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रमोटरों की कुल हिस्सेदारी (अ) = (अ)(1)+(अ)(2)	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**0.00**
अ. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थाएं									
क) म्युचुअल फंड	110886637	124800	111011437	2.69	125854384	124600	125978984	3.05	0.36
ख) बैंक / एफआई	138930829	59876	138990705	3.36	75691691	59629	75751320	1.83	(–)1.53
ग) केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कंपनियाँ	417264778	1900	417266678	10.10	413792934	1900	413794834	10.02	(–)0.08
छ) एफआईआई	174998847	41126	175039973	4.24	169344462	41026	169385488	4.10	(–)0.14
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें) IEPF	1731709	–	1731709	0.04	1961727	–	1961727	0.05	0.01
उप योग (ब)(1):	**843812800**	**227702**	**844040502**	**20.43**	**786645198**	**227155**	**786872353**	**19.05**	**(–)1.38**
2. गैर–संस्थान									
क) निकाय कॉरपोरेट	29693002	53342	29746344	0.72	53886436	51741	53938177	1.31	0.59
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) प्रवासी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख रुपये तक नॉमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	101387379	3972860	105360239	2.55	112434981	3502601	115937582	2.81	0.26

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	शेयरों की संख्या का कुल %	डीमैट	वास्तविक	कुल	शेयरों की संख्या का कुल %	
ii) रुपये 1 लाख से अधिक की नॉमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	27350054	87100	27437154	0.66	49151442	107100	49258542	1.19	0.53
ग) अन्य (निर्दिष्ट) NBFC	1033155	–	1033155	0.03	30002	–	30002	0.00	(–)0.02
i) अनिवासी भारतीय	17904363	396500	18300863	0.44	19504401	396500	19900901	0.48	0.04
ii) ट्रस्ट एंड फाउंडेशन	6519248	2300	6521548	0.16	6501148	2300	6503448	0.16	0.00
iii) सहकारी समितियाँ	200400	–	200400	0.00	200400	–	200400	0.00	0.00
उप–योग(ब)(2)	**184087601**	**4512102**	**188599703**	**4.57**	**241708810**	**4060242**	**245769052**	**5.95**	**1.38**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ब)= (ब)(1)+(ब)(2)	**1027900401**	**4739804**	**1032640205**	**25.00**	**241909210**	**4287397**	**245969452**	**25.00**	**0.00**
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	48435	69200	117635	0.00	48435	68000	116435	0.00	0.00
कुल जोड़ (अ)+(ब)+(स)	**4125716285**	**4809004**	**4130525289**	**100.00**	**4126169892**	**4355397**	**4130525289**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % बदलाव
1	भारत सरकार	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–
	कुल	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–

(iii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है)

क्र. सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत सरकार साल की शुरुआत में	3097767449	75.00	3097767449	75.00
	दिनांक वार, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी)	–	–	–	–
	साल के अंत में	3097767449	75.00	3097767449	75.00

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रोत्साहकों और धारकों के अलावा):

क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पीएएन	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 31–03–18 से 31–03–19 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				वर्ष की शुरुआत (31.03.18)/ समाप्ति (31.03.19) पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	IN30081210000012	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	AAACL0582H	395451358	9.57	31.03.2018				
						29.03.2019	1211806	खरीद	396663164	9.60
				396663164	9.60	30.03.2019				
2	IN30014210753517	कोटक फंड्स–इंडिया मिडकैप फंड्स	AAGCK4148L	30165789	0.73	31.03.2018				
						25.05.2018	900000	खरीद	31065789	0.75
						01.06.2018	131496	खरीद	31197285	0.76
				31197285	0.76	30.03.2019				
3	IN30081210498007	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	AAACL0582H	51099546	1.24	31.03.2018				
						15.02.2019	–2775000	बिक्री	48324546	1.17
						22.02.2019	–2044145	बिक्री	46280401	1.12
						01.03.2019	–4483663	बिक्री	41796738	1.01
						08.03.2019	–2000000	बिक्री	39796738	0.96
						15.03.2019	–4825000	बिक्री	34971738	0.85
						22.03.2019	–3010000	बिक्री	31961738	0.77
						29.03.2019	–4180000	बिक्री	27781738	0.67
				27781738	0.67	30.03.2019				
4	IN30081210501340	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पी एंड जीएस फंड	AAACL0582H	25853245	0.63	31.03.2018				
				25853245	0.63	30.03.2019	शून्य	शून्य		
5	IN30016710015686	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लि. – खाता रिलायंस टैक्स सेवर	AAATR0090B	0	0	31.03.2018				
						15.06.2018	6300000	खरीद	6300000	0.15
						20.07.2018	900000	खरीद	7200000	0.17
						03.08.2018	1800000	खरीद	9000000	0.22
						10.08.2018	3600000	खरीद	12600000	0.31
						07.09.2018	1800000	खरीद	14400000	0.35
						12.10.2018	14400000	खरीद	14400000	0.35
						15.02.2019	2700000	खरीद	17100000	0.41
						22.02.2019	1800000	खरीद	18900000	0.46
						01.03.2019	2700000	खरीद	21600000	0.52
				21600000	0.52	30.03.2019				

क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पीएएन	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 31–03–18 से 31–03–19 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				वर्ष की शुरुआत (31.03.18)/समाप्ति (31.03.19) पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
6	IN30016710000279	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड खाता रिलायंस विजुअल फ़ंड	AAATR0090B	0	0	31.03.2018				
						08.06.2018	4050000	खरीद	4050000	0.10
						15.06.2018	8820000	खरीद	12870000	0.31
						06.07.2018	1800000	खरीद	14670000	0.36
						20.07.2018	630000	खरीद	15300000	0.37
						10.08.2018	1800000	खरीद	17100000	0.41
				17100000	0.41	30.03.2019				
7	IN30343810003257	वानगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फ़ंड	AABTV0442N	13232867	0.32	31.03.2018				
						11.05.2018	606075	खरीद	13838942	0.34
						03.08.2018	445362	खरीद	14284304	0.35
						07.09.2018	629703	खरीद	14914007	0.36
						16.11.2018	885443	खरीद	15799450	0.38
						08.02.2019	1108903	खरीद	16908353	0.41
				16908353	0.41	30.03.2019				
8	IN30343810016654	वानगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	AAATY0918K	16643922	0.40	31.03.2018				
						04.05.2018	−30960	बिक्री	16612962	0.40
						11.05.2018	−29412	बिक्री	16583550	0.40
						01.06.2018	−23220	बिक्री	16560330	0.40
						15.06.2018	−23220	बिक्री	16537110	0.40
						22.06.2018	−62402	बिक्री	16474708	0.40
						29.06.2018	−100452	बिक्री	16374256	0.40
						06.07.2018	−41094	बिक्री	16333162	0.40
						13.07.2018	−65446	बिक्री	16267716	0.39
						01.02.2019	107068	खरीद	16374784	0.40
						08.02.2019	341510	खरीद	16716294	0.40
						29.03.2019	42458	खरीद	16758752	0.41
				16758752	0.41	30.03.2019				
9	IN30179910081740	पीएनबी पारिबास आर्बिट्रेज	AAGFB5324G	0	0	31.03.2018				
						05.10.2018	323993	खरीद	323993	0.01
						12.10.2018	−7273	बिक्री	316720	0.01
						09.11.2018	432000	खरीद	748720	0.02
						16.11.2018	170229	खरीद	918949	0.02

क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पीएएन	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 31–03–18 से 31–03–19 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				वर्ष की शुरुआत (31.03.18)/ समाप्ति (31.03.19) पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
						30.11.2018	.276000	बिक्री	642949	0.02
						21.12.2018	1068000	खरीद	1710949	0.04
						28.12.2018	5988000	खरीद	7698949	0.19
						31.12.2018	5904000	खरीद	13602949	0.33
						04.01.2019	84000	खरीद	13686949	0.33
						11.01.2019	804000	खरीद	14490949	0.35
						08.03.2019	148344	खरीद	14639293	0.35
						15.03.2019	2327084	खरीद	16966377	0.41
						22.03.2019	–461487	बिक्री	16504890	0.40
						29.03.2019	–765941	बिक्री	15738949	0.38
				15738949	0.38	30.03.2019				
10	IN30005410009134	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी प्रूडेंस फ़ंड	AAATH1809A	11272000	0.27	31.03.2018				
						20.04.2018	1400000	खरीद	12672000	0.31
						27.04.2018	3048000	खरीद	15720000	0.38
				15720000	0.38	30.03.2019				
11	IN30005410094202	पोल्यूनिन डेवलपिंग कंट्रीज फंड, एलआईसी	AAICP0164F	13502636	0.33	31.03.2018				
						11.08.2018	117411	खरीद	13620047	0.33
						07.12.2018	388570	खरीद	14008617	0.34
						11.01.2019	271131	खरीद	14279748	0.35
				14279748	0.35	30.03.2019				
12	1203280000374484	यूसुफ अली मुसलियाम वीटिल अब्दुल कादर	ACNPY6727D	11900000	0.29	31.03.2018				
				11900000	0.29	30.03.2019	शून्य	शून्य		
13	IN30016710000262	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड खाता रिलायंस ग्रोथ फंड	AAATR0090B	7000000	0.17	31.03.2018				
						27.04.2018	–2496000	बिक्री	4504000	0.11
						15.02.2019	–254000	बिक्री	4250000	0.10
						21.09.2018	2207767	खरीद	6457767	0.16
						29.09.2018	2178505	खरीद	8636272	0.21
						04.01.2019	1000000	खरीद	9636272	0.23
						15.02.2019	4000000	खरीद	13636272	0.33
						01.03.2019	2000000	खरीद	15636272	0.38
						15.03.2019	–2000000	बिक्री	13636272	0.33
						29.03.2019	–2000000	बिक्री	11636272	0.28
				11636272	0.28	30.03.2019				

क्र. सं.	फोलियो संख्या	नाम	पीएएन	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 31–03–18 से 31–03–19 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				वर्ष की शुरुआत (31.03.18)/ समाप्ति (31.03.19) पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
14	IN30005410009118	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 7 एचडीएफसी टॉप 200 फंड	AAATH1809A	10962415	0.27	31.03.2018				
						12.10.2018	670000	खरीद	11632415	0.28
				11632415	0.28	30.03.2019				
15	IN30081210497730	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	AAACL0582H	17677583		31.03.2018				
						04.01.2019	–17677583	बिक्री	0	0
				0	0	30.03.2019				
16	IN30343810003972	कैपिटल ग्रुप एमर्जिंग मार्केट्स टोटल ऑपर्च्यूनिटीज (एलयूएक्स)	AADCC5192M	12448649	0.30	31.03.2018				
						26.10.2018	–900000	बिक्री	11548649	0.28
						16.11.2018	–2000000	बिक्री	9548649	0.23
						23.11.2018	–2241258	बिक्री	7307391	0.18
						14.12.2018	–1500000	बिक्री	5807391	0.14
						22.03.2019	–5807391	बिक्री	0	0
				0	0	30.03.2019				
17	IN30081210497789	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	AAACL0582H	11754806	0.28	31.03.2018				
						15.02.2019	–1650000	बिक्री	10104806	0.24
						22.02.2019	–875000	बिक्री	9229806	0.22
						01.03.2019	–1950000	बिक्री	7279806	0.18
						08.03.2019	–1173152	बिक्री	6106654	0.15
						15.03.2019	–2040000	बिक्री	4066654	0.10
						22.03.2019	–1605000	बिक्री	2461654	0.06
						29.03.2019	–2461654	बिक्री	0	0
				0	0	30.03.2019				
18	IN30012611241922	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोफिट प्लस ग्रोथ फंड	AAACL0582H	11655668	0.28	31.03.2018				
						15.02.2019	–2600000	बिक्री	9055668	0.22
						22.02.2019	–700000	बिक्री	8355668	0.20
						01.03.2019	–1639204	बिक्री	6716464	0.16
						08.03.2019	–1370000	बिक्री	5346464	0.13
						15.03.2019	–1735000	बिक्री	3611464	0.09
						22.03.2019	–1250000	बिक्री	2361464	0.06
						29.03.2019	–2361464	बिक्री	0	0
				0	0	30.03.2019				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकों और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	200	0.00	200	0.00
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकों और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
2.	**श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक)**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	200	0.00	200	0.00
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**श्री एम.सी. जैन, कंपनी सचिव**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	68	0.00	68	0.00
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	68	0.00	68	0.00

नोटः अन्य सभी निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के शुरु में, इस दौरान और अंत में कंपनी के कोई भी शेयर नहीं रखे गए हैं।

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें ब्याज भी शामिल है जो बकाया/उपार्जित परंतु भुगतान के लिए देय नही

(₹ करोड़)

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	34570.28	10838.29	–	45408.57
ii) ब्याज देय परंतु भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	869.37	203.17	–	1072.54
कुल (i+ii+iii)	**35439.65**	**11041.46**	–	**46481.11**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	8795.05	39167.65	337.65	48300.35
– कमी	5900.00	42301.23	337.65	48538.88
शुद्ध परिवर्तन	**2895.05**	**–3133.58**	**0.00**	**–238.53**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	37465.33	7704.71	–	45170.04
ii) ब्याज देय पर भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	730.91	25.98	–	756.89
कुल (i+ii+iii)	**38196.24**	**7730.69**	–	**45926.93**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	वेतन का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक के नाम								कुल राशि (₹)
		श्री. पी.के. सिंह (30.06.18 तक)	श्री अनिल कुमार चौधरी	डॉ. जी विश्वकर्मा	श्री रमन (31.07.18 तक)	श्रीमती सोमा मंडल	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री हरिनंद राय (01.08.18 से)	श्री विवेक गुप्ता (27.03.19 से)	
		अध्यक्ष	निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष (22.09.18 से)	निदेशक (पी एंडी बीपी)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (वाणिज्यिक)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (आरएम एंड एल)	
1.	**सकल वेतन**									
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	12,70,312	39,38,243	35,73,914	21,02,241	35,75,492	44,29,043	24,03,202	3,21,410	2,16,13,857
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभों का मूल्य	1,41,662	4,24,454	3,70,176	1,62,775	4,36,064	–	2,10,498	–	17,45,629
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले मुनाफा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	**स्टॉक विकल्प**	–	–		–	–	–	–	–	–
3.	**स्वेट इक्विटी**	–	–		–	–	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ का % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	–	–		–	–	–	–	–	–
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें	–	–		–	–	–	–	–	–
	कुल (अ)	**14,11,974**	**43,62,697**	**39,44,090**	**22,65,016**	**40,11,556**	**44,29,043**	**26,13,700**	**3,21,410**	**2,33,59,486**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्रम सं.	वेतन का विवरण	बोर्ड/कमेटी बैठकों में मौजूद रहने के लिए शुल्क	कमीशन	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक***				
	सीए प्रमोद बिंदल	5,80,000	–	–	5,80,000
	श्रीमती अंशु वैश्य	5,80,000	–	–	5,80,000
	प्रो. अशोक गुप्ता	7,00,000	–	–	7,00,000
	डॉ. समर सिंह	4,40,000	–	–	4,40,000
	श्री नीलांजन सान्याल	7,20,000	–	–	7,20,000
	सीए के.एस चौहान	4,00,000	–	–	4,00,000
	प्रो. एन.के. तनेजा	5,00,000	–	–	5,00,000
	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	1,00,000	–	–	1,00,000
	कुल (1)	40,20,000	–	–	40,20,000
2.	**अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक ** **				
	कुल (2)	–	–	–	–
	कुल (ख) = (1+2)	**40,20,000**	–	–	**40,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत गणना किए गए लाभ का / 1%)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

* स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठने के शुल्क का भुगतान किया जाता है।

** अन्य गैर–कार्यकारी निदेशकों को बैठने का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है।

ग. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए वेतन

क्रम सं.	वेतन का विवरण	श्री एम सी जैन, कंपनी सचिव	कुल (₹)
1—	**कुल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में नियत प्रस्तावों के मुताबिक वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	35,25,516 – –	35,25,516 – –
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	स्वेट इक्विटी	–	–
4.	**कमीशन** – लाभ के % तौर पर – अन्य, स्पष्ट करें	–	–
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट कर	–	–
	कुल (ए)	**35,25,516**	**35,25,516**

VII जुर्माना/दंड/अपराधों का योग:

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/आर्थिक दंड में बढ़ोतरी का विवरण	अधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील किया गया, यदि कोई
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
योग					
ख. निदेशक			शून्य		
जुर्माना					
दंड					
योग					
ग. बकाया					
जुर्माना					
दंड					
योग					

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा

i) 31 मार्च, 2019 को बकाया राशि

विवरण	राशि (₹ करोड़)
दिए गए ऋण *	**39.21**
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं. लि.	2.53
एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी लिमिटेड	7.88
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	0.10
यूईसी सेल इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड	1.30
सेल–मॉयल फैरा अलॉयस प्राइवेट लिमिटेड	12.00
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	0.02
सेल एससीएल केरला लिमिटेड	8.25
रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड	0.13
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	7.00
जोड़	**39.21**
किया गया निवेश#	1467.02

* ₹ 35.95 करोड़ प्रदान किए गए

\# एकल वित्तीय लेख का नोट सं. 8 का संदर्भ लें

ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया निवेश

निकाय का नाम	संबंध	राशि (₹ करोड़)	प्रयोजन, जिसके लिए निवेश लिए प्रस्तावित है जव इम नजपसपेमक
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	35.22	कारोबार प्रयोजन
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.26	कारोबार प्रयोजन

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–

(अनिल कुमार चौधरी)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31 जुलाई, 2019

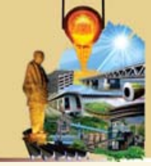

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ें)

(क) ऊर्जा का संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या इनका प्रभाव

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

क) बीएफ#7 पर उपलब्ध अब तक का सर्वश्रेष्ठ सीडीआई और कोक रेट 76.2 कि.ग्रा./टीएचएम और 442.9 कि.ग्रा./टीएचएम क्रमशः।

ख) बॉयलर # 5 में आरडीसीआईएस डिजाइन के आधार पर नए इन–हाउस कुशल बर्नर द्वारा पुराने रूसी बीएफ गैस बर्नर का प्रतिस्थापन।

ग) बॉयलर के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए # 5 बॉयलरों में सभी 8 टूटे फूटे एयर प्री हीटर ब्लॉकों का प्रतिस्थापन।

घ) संयंत्र में विभिन्न स्थानों पर लगे 7455 एलईडी बल्ब/लैंप लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप 656 मेगावाट की वार्षिक बिजली की बचत हुई।

ङ) जल प्रबंधन विभाग के पंप हाउस # 2 में औद्योगिक 2 जल पंपों की जगह पर ऊर्जा कुशल पंप लगाए गए।

च) मर्चेंट मिल के कूलिंग बेड पर रिले तंत्र के लिए वीवीवीएफ ड्राइव लगाया गया।

छ) कोक ओवन बैटरी # 11 की सीडीसीपी के बैक प्रेशर टर्बाइन जेनरेटर (बीपीटीजी) से बिजली उत्पादन फरवरी 2019 में शुरू हुआ।

ज) संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.75 गीगा कैल./टीसीएस।

झ) संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 561 केडब्ल्यूएच/टीएसएस।

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

क) अब तक की सबसे कम ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर 459.4 कि.ग्रा./टीएचएम थी।

ख) 56.7 कि.ग्रा./टीएचएम की अब तक की उच्चतम सीडीआई दर।

ग) अब तक की भाप की न्यूनतम विशिष्ट बॉयलर कोयले की खपत 2.2 कि.ग्रा./टन रही।

घ) संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.28 गीगा कैल./टीसीएस (नई इकाइयों सहित)।

ङ) संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 410 केडब्ल्यूएच/टीएसएस

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)

क) बीपीटीजी जेनरेशन 2.20 मेगावाट से बढ़कर 2.89 मेगावाट हो गई।

ख) औसत सौर ऊर्जा उत्पादन 0.06 मेगावाट है जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड से पॉवर का आयात कम हो गया।

ग) संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.26 गीगा कैल./टीसीएस

घ) संयंत्र की समग्र विशिष्ट बिजली की खपत – 463 केडब्ल्यूएच/टीएसएस

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

क. कोक ओवन बैटरी # 3 एवं 4 में बैटरी हीटिंग के लिए वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन।

ख. तार यील्ड बढ़ाने के लिए बॉय उत्पाद संयंत्र में 2 कूलिंग टॉवर की समीक्षा।

ग. नए वैकल्पिक कोक ओवन गैस मुख्य हैडर का आंशिक कमीशन जिससे मिलों के लिए सीओ गैस की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

घ. पुनरावर्तकों के साथ 3 नं. पिट की पूर्ण मरम्मत।

ङ. बीपीएससीएल के माध्यम से छत पर 2 मेगावाट सौर प्रकाश व्यवस्था कराना।

च. बड़ी मरम्मत के दौरान आरएचएफ#2 और 3 के पुनरावर्तक को बदलना।

छ. बड़ी मरम्मत के दौरान आरएचएफ#2,3 और 4 का पूर्ण स्किड इन्सुलेशन।

ज. भाप लीकेज के 90 नं. का परिसमापन, 800 मीटर स्टीम लाइन का इंसुलेशन और भाप के टैप 24 नं. का प्रतिस्थापन।

झ. संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.68 गीगा कैल./टीसीएस

ञ. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 472 केडब्ल्यूएच/टीएसएस

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

क. पीसीआई की दर को 97 कि.ग्रा./टीएचएम से बढ़ाकर 123 कि.ग्रा./टीएचएम किया गया जिससे कोक की दर 442 कि.ग्रा./टीएचएम से घटकर 418 कि.ग्रा./ टीएचएम हो गई।

ख. टीआरटीजी में बिजली उत्पादन 7.81 मेगावाट से बढ़कर 9.7 मेगावाट हो गया।

ग. बीएफ गैस और सीओ गैस मिश्रण सुविधा संशोधित की गई और मौजूदा गैस मिश्रण स्टेशन में शुरु की गई सीबीएम गैस मिश्रण सुविधा, वांछित और सुसंगत कैलोरी मान प्राप्त करने के लिए विभिन्न ईंधन गैसों के उचित इंटर मिश्रण के लिए एलडीसीपी को शुरु किया गया।

क. संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.36 गीगा कैल./टीसीएस हो गई।

म. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 552 केडब्ल्यूएच/टीएसएस हो गई।

ii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 29.83 करोड़ का पूंजीगत व्यय, नीचे बताए गए अनुसार, किया गया है:

विवरण	₹ करोड़
आईएसपी में कोक ओवन बैटरी # 11 और बीएसपी में कोक सूखी शमन प्रणाली की स्थापना करके संवेदी हीट की वसूली।	10.00
डीएसपी ब्लास्ट फर्नेस # 3 में बेल लेस टॉप चार्जिंग प्रणाली	0.66
आईएसपी के ब्लास्ट फर्नेस # 5 पर टॉप दबाव रिकवरी टर्बाइन प्रणाली	2.02
आरएसपी पर ब्लास्ट फर्नेस # 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन प्रणाली (कोक चार्ज को कम करने के लिए सहायक ईंधन का उपयोग)	0.20
बीएसपी, आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी में ऊर्जा दक्षता चलन बीम प्रकार के फर्नेस की स्थापना	5.35
बीएसपी और आईएसपी में हॉट मेटल हैंडलिंग के लिए टॉरपीडो लाडले	4.49
बीएसएल में कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन प्रणाली	0.85
डीएसपी पर रोटरी हार्थ फर्नेस	6.26
जोड	**29.83**

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास

आयरन एंड स्टील के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) सेल की कॉरपोरेट अनुसंधान और विकास इकाई है। गत वर्षों में, आरडीसीआईएस ने लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने का श्रेय प्राप्त किया है। आरडीसीआईएस का मुख्य जोर गुणवत्ता, उत्पादकता और यील्ड से संबंधित अपने प्रमुख निष्पादन सूचकांकों में सुधार के लिए सेल संयंत्रों में बहु–अनुशासनात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना, निष्पादन और कार्यान्वयन करना है। आरडीसीआईएस उत्पाद लागत को कम करने, मूल्य वर्धित बाजार केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और ग्राहकों के बीच सेल उत्पादों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, कंपनी के इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठनों के साथ काम करता है। कंपनी द्वारा 2018–19 में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां करने वाले विशिष्ट क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क) प्रक्रिया विकास

कच्चा माल

- महामाया लौह अयस्क खान, बीएसपी से नमूनों के लाभकारीकरण और विचलन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन।

कोक बनाना

- सीओबी# 5, डीएसपी में कम्प्यूटरीकृत ताप नियंत्रण मॉडल प्रणाली सीओएचसी (सीओएचसी) का कार्यान्वयन।
- कोक की गर्म शक्ति, बीएसएल में सुधार।
- सीओबी# 10, आईएसपी के ऑपरेटिंग मापदंडों के अनुकूलन द्वारा कोक की ताकत में वृद्धि।

ढेर

- अभिनव तकनीक, डीएसपी के माध्यम से एसपी # 2 के निष्पादन में सुधार।
- डीएसपी स्थितियों में बेहतर उत्पादकता और सिंटर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कच्चे माल का अनुकूलन।

ब्लॉस्ट भट्ठियां

- बीएफ#5, बीएसएल में कठिन सामना और रिफ्रैक्टरी अस्तर तांबे के टीयर के माध्यम से हीट के नुकसान में कमी।
- बीएफ#5, आरएसपी के गैस उपयोग में सुधार।
- फ्लेम फोटो मीटर, आईएसपी का उपयोग करके बीएफ#5 के क्षारीय भार का आकलन करना।

स्टील बनाना, कास्टिंग और रिफ्रैक्टरी

- मोल्ड जीवन, बीएसएल को बेहतर बनाने के लिए कास्ट में मोल्ड कोटिंग की शुरुआत।
- ब्लूम कॉस्टर, डीएसपी के स्ट्रैंड्स में उभार पर नियंत्रण।
- कास्टर#3 एसएमएस–II, आरएसपी से स्लैब में अनुदैर्ध्य मिडफेस दरारों (एलसी) की जांच और विशेषताओं का वर्णन।
- आरएंडएस मिल, बीएसपी में स्किड पाइप इन्सुलेशन के द्वारा जीवन अवधि को बढ़ाकर आरएचएफ के निष्पादन में सुधार।
- वीएडी, एसएम, डीओजे, एएसपी के रेफ्रिकेटर अस्तर निष्पादन के सुधार के लिए उपयुक्त गुणवत्ता का विकास।
- एसएमएस, आरएसपी पर स्लैब केस्टर # 2 की बढ़ी हुई उपलब्धता के लिए उच्च निष्पादन बीयरिंग का उपयोग।

रोलिंग मिल

- एचएसएम, बीएसएल के रफिंग मिल्स में एजर लूबरिकेशन की शुरुआत
- भारतीय और यूरोपीय विनिर्देशन, बीएसपी के अनुसार रेल के गुणवत्ता मानदंडों का परीक्षण
- यूटी विफल रेल, बीएसपी की जांच
- लोकोमोटिव, बीएसएल के लिए जीएसपी आधारित ट्रैकिंग प्रणाली और इंटेलिजेंट कम आइडलिंग प्रणाली का कार्यान्वयन

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण

- एसपी#3, बीएसपी में गर्म पानी उत्पादन के लिए सिंटर कूलर से अपशिष्ट गर्मी की रिकवरी
- बीएफ स्टोव, बीएसएल की इंफ्रा–रेड थर्मल इमेजिंग
- सीमेंट कंक्रीट, बीएसएल में उपयोग के लिए स्टीम परिपक्व होने से बीओएफ स्लैग का व्यवहार्यता अध्ययन

ख) प्रयोगशाला आधारित कार्य

- पायलट ओवन कार्बोनाइजेशन के माध्यम से कोयला मिश्रण में पेट कोक का कोक गुणवत्ता पर प्रभाव
- स्टील मेकिंग स्लैग में "मुक्त Cao" के आकलन के लिए कार्यप्रणाली का विकास और फ्लक्स प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए विधि का विकास
- सेल द्वारा विकसित रेल स्टील के विभिन्न ग्रेड की टूट विशेषताओं का वर्णन
- प्रयोगशाला पैमाने पर ट्रिप एवं संवर्धित लीन डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का विकास
- 90 यूटीएस पेरलटिक रेल की भंगुरता और धीमी गति से तनाव दर तन्य (एसएसआरटी) व्यवहार पर हाइड्रोजन सामग्री के प्रभाव का अध्ययन।
- बीओएफ स्लैग में क्रोमियमः इसके स्रोत की पहचान करना और इसे ठोस कंडीशनर के रूप में पुनःचक्रण करने की रणनीति

ग) उत्पाद विकास और अनुप्रयोग

आरडीसीआईएस, निरंतर तकनीकी आदानों के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर इस्पात उत्पादों के मूल्य वर्धित उत्पादन में कंपनी की मदद करती रही है। अनेक नए उत्पाद, विशेष रूप से विशेष स्टील, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता वाले गुण के साथ विकसित किए गए हैं और विभिन्न बाजार क्षेत्रों की कठिन अनुप्रयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरडीसीएसआई द्वारा इनका व्यवसायी करण भी किया गया है। नए बाजार उन्मुख उत्पादों के विकास के लिए, लागत प्रभावी मिश्र धातु डिजाइन और प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन के सिद्धांत पर मुख्यतः विचार किया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, निम्न 20 उत्पादों का विकास किया गया है। इनमें से कुछ उत्पादों को नई लगाई गई उत्पादन सुविधाओं जैसे सीआरएम III (बीएसएल), एनपीएम (आरएसपी), एमएसएम (डीएसपी), डब्ल्यूआरएम (आईएसपी), बीआरएम (आईएसपी) और यूएसएम (आईएसपी) का उपयोग करके विकसित किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद विवरण	संयंत्र	अनुप्रयोग
1	जीआईएस जी3141 एसपीसीसी 0.7 एवं 2 एमएम	बीएसएल	सामान्य उपयोग के लिए कार्बन स्टील कोल्ड में कमी करना। श्रीलंका को निर्यात
2	ईएन10025 275 जेआर एवं आईएस2062 ई410सी	बीएसएल	गैर मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील
3	आईएस2062 ई350सी उच्च प्रभाव शक्ति और महीन दाने के आकार के साथ स्टील प्लेट्स	आरएसपी	निर्माण केआरसीएल के लिए पुल
4	यूटी सुदृढ़ 100एमएम मोटी प्लेट आईएस 2062 ई250बीआर में	आरएसपी	निर्माण क्षेत्र (दारुखाना स्टील, मुंबई)
5	मोटी सामान्य बीक्यू प्लेटें एवं आईएस 2002 ग्रेड–2 (63/70/110एमएम)	आरएसपी	बॉयलर निर्माण (बीएचईएल)
6	क्यूएंडटी एएसटीएम ए 517 ग्रेड. एफ प्लेट 32 – 40 एमएम मोटी), एएसटीएम ए 537 सीएल – 2 40 एमएम मोटी प्लेट	आरएसपी	बॉयलर और दबाव वैसल
7	ईआरडब्ल्यू पाइप एएसटीएम ए53 ग्रेड बी में	आरएसपी	वियतनाम पावर प्लांट में राख/पानी का संचालन
8	उच्च शक्ति क्यूएंडटी प्लेटें ईएन 10025–6 एस690 क्यूएल में	आरएसपी	क्रेन
9	2 पीआई शांत और टेम्परड स्टील प्लेट	आरएसपी	रक्षा क्षेत्र
10	आईएस1786 एफई550 डी टीएमटी रिबार्स 25 / 32 एमएम	बीएसपी	निर्माण खंड
11	चैनल 100 आईएस 2062 ई350 बीआर	बीएसपी	स्टील संरचना
12	56 एमएम बढ़ाए गए प्रभावी गुणों के साथ प्लेट्स (54 जूल्स –20°C), जेआईएस 3106 एसएम 570, 16 एमएम तक सामान्य स्टील प्लेटें	बीएसपी	पुल निर्माण के लिए संरचनाएं
13	आईएस 2062 ई 250 बीओ (Si-K) एंगल (सेक्शनः 75x75x8 एमएम एवं 75x75x10 एमएम)	बीएसपी	निर्माण खंड
14	आईएस 1786 एफई550 डी ग्रेड रिबार्स 12/16/20 एमएम डाया एवं एफई500डी ग्रेड 8 और 10 एमएम व्यास की सी–20 (लोअर सीई) बिल्लेट्स का प्रयोग करने वाली टीएमटी तार रॉड	आईएसपी	निर्माण खंड
15	एसयूपी 11ए ग्रेड बिल्लेटस	आईएसपी	ऑटो सेगमेंट के लिए स्प्रिंग स्टील
16	उच्च शक्ति आईपीई600 संरचनात्मक, माइक्रो –एलाय रहित	आईएसपी	निर्माण खंड
17	आईएस 2062ई250 बीआर एनपी 200 और एमबी300 संरचनात्मक	डीएसपी	निर्माण खंड
18	20/25 एमएम आईएस 1786 550डी टीएमटी छड़ें	डीएसपी	निर्माण खंड
19	एआई किल्ड जेआईएस 3101 एसएस540 (आर–2) ग्रेड सीसी ब्लूम्स ऑफ 230x160, 300x150 एवं 350x240 एमएम आकार, उच्च शक्ति संरचनात्मकता के लिए	डीएसपी	निर्माण खंड
20	आईएस 2062 ई250 बीआर एमबी250 एवं एनपीबी250 संरचनात्मक	डीएसपी	निर्माण खंड

(ii) 2018–19 में प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लाभः

- **प्रक्रिया क्षेत्र**

परियोजना का नाम	संयंत्र	व्युत्पन्न लाभ
एसपी # 3 पर गर्म पानी उत्पादन के लिए सिंटर कूलर से गर्मी की रिकवरी	बीएसपी	• डब्ल्यूएचआरएस को 18,92,000 के केल/घंटा की दर से सिन्टर कूलर की अपशिष्ट ऊष्मा से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया है। • सिन्टर की विशिष्ट उत्पादकता में 1.15 से 1.184 t/m2/hr के द्वारा सुधार किया गया है। साथ ही ठोस ईंधन की खपत में मात्रा को सिंटर को 68.34 से 66.16 kg/t करके, 2.18 kg/t की कमी की कमी की गई है।
भारतीय और यूरोपीय विनिर्देशन के अनुसार रेल के पात्रता मापदंड परीक्षण को पूरा करना।	बीएसपी	• बीएसपी में निर्मित रेल, सेल के प्रमुख उत्पादों में से एक हैं और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईआरएस–टी–12–2009 विनिर्देशनों में निर्धारित आरडीसीआईएस में अवशिष्ट तनाव माप, फ्रेक्चर कड़ापन और थकान शक्ति जैसे पात्रता मानदंडों परीक्षण (क्यूसीटी) किए जाते हैं। • प्राप्त परिणाम आईआरएस टी–एल2–2009 विनिर्देशन की शर्तों के अंदर ठीक पाए जाते हैं। संतोषजनक परिणामों के आधार पर, एसएमएस III एवं यूआरएम के माध्यम से, आरडीएसओ, लखनऊ से रेल निर्माण की स्वीकृति तुरंत प्राप्त की जाती है। • इस साल (2018–19), रेल पर क्यूसीटी के तहत, अवशिष्ट तनाव माप की कुल 35, फ्रेक्चर कड़ेपन परीक्षण की 340 और आरडीसीआईएस पर थकान शक्ति परीक्षण की 108 रेल प्राप्त की गई।
यूटी की जांच में विफल रेल	बीएसपी	• कुल 12 रेल नमूनों की एसईएम/ईडीएस अल्ट्रासाउंड टेस्टेड (यूटी) में व्यवस्थित रूप से जांच की गई। इन विफलताओं की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विफल रेल की जांच की गई। • रेल में यूटी दोषों के संभावित स्रोतों की पहचान करने पर स्टील में स्लैग, मोल्ड पाउडर और एसईएन के टुकड़ों जैसी गैर–धातु निष्कासन के रूप में की गई। • इन जांचों के आधार पर, बीएसपी में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय–समय पर सिफारिशें की गईं।
सीओबी # 5 में कम्प्यूटरी कृत ताप नियंत्रण मॉडल प्रणाली (सीओएचसी) का कार्यान्वयन	डीएसपी	• आरडीसीआईएस ने घरेलू ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ एक अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत कोक ओवन नियंत्रण प्रणाली (सीओएचसी) को विकसित किया है। • इस प्रणाली को सीओबी # 5, डीएसपी में लागू किया गया है। • शुरुआती रुझान मिश्रित गैस अंडर फायरिंग के तहत 90 पुशिंग/प्रतिदिन के साथ, हर दिन 9.5 गीगा कैल की औसत ऊर्जा बचत दिखाते हैं।

परियोजना का नाम	संयंत्र	व्युत्पन्न लाभ
अभिनव प्राद्यौगिकी के माध्यम से एसपी # 2 में निष्पादन सुधार	डीएसपी	• शामिल किए गए तकनीकी उपायों के कारण, इस परियोजना के तहत प्रथम हस्तक्षेप से पहले की मासिक उत्पादकता 1.35 t/m2/hr (2015–16 की औसत) से काफी सुधर कर 1.44 t/m2/hr (चालू वर्ष की उत्पादकता) हो गई है।
डीएसपी स्थितियों में बेहतर उत्पादकता और सिंटर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कच्चे माल का अनुकूलन	डीएसपी	• लौह अयस्क शिष्ट, चूना पत्थर शिष्ट, डोलोमाइट शिष्ट, कोक ब्रीज, मिल स्केल, रिटर्न सिंटर शिष्ट जैसे सभी कच्चे माल पर प्रयोग किए गए • सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता अर्थात 1.38 $t/m^2/hr$ को बोलानी 60%, व 40% गुआ में प्राप्त की गई। अगली सर्वश्रेष्ठ अर्थात 1.33 $t/m^2/hr$ उत्पादकता को बोलानी में 55% और 45% गुआ में दर्ज किया गया है।
ब्लूम केस्टर के स्ट्रैंड्स में उभार पर नियंत्रण	डीएसपी	• स्टील मेकिंग और कास्टिंग में प्रक्रिया के मापदंडों के विश्लेषण से पता चला है कि कास्टर में उत्पन्न होने वाले उभार और विषम कोण की समस्या मुख्य रूप से स्टील और अनुचित माध्यमिक कूलिंग के माध्यमिक उपचार के बाद उच्च प्रेषण तापमान के कारण है • स्टील डिस्पैच तापमान पर नियंत्रण और रखरखाव की प्रथा सुधार के परिणामस्वरूप कास्टिंग की गति में वृद्धि हुई है जो उभार या आकार से संबंधित अन्य दोषों के मामले में अधिक समस्या का सामना किए बिना होता है। प्रक्रिया अनुकूलन के बाद, लगभग 88% हीट, कास्टिंग की पहली स्थिति में 54% की तुलना में, 80 मिनट के अंदर समाप्त हो जाती है।
बीएफ # 5 के गैस उपयोग में सुधार	आरएसपी	• विभिन्न प्रक्रिया अनुकूलन उपायों के संयुक्त प्रभाव से बीएफ#5 में औसत (अप्रैल 18–फरवरी 19) गैस के उपयोग में, 42% से 43.5% तक सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त बैटरी # 4 और 5 में कोक गुणवत्ता (एम10) में मामूली कमी आई थी।
कास्टर #3 एसएमएस–II से स्लैब में अनुदैर्ध्य मिडफेस क्रैक्स (एलसी) की जांच और विशेषताओं का वर्णन	आरएसपी	• उच्च संवेदनशीलता के साथ नए सांचे का पाउडर, मोल्ड संवेदनशील प्रोफाइल को नियंत्रित करने के लिए हर 500 हीट के बाद मोल्ड मशीनिंग का अभ्यास, दरार संवेदी ग्रेड के साथ शुरू किया गया। • संशोधनों के बाद अनुदैर्ध्य दरारों की घटनाओं में 4% से अधिक से 2% से कम तक कमी आई है।
एसएमएस पर स्लैब केस्टर # 2 की बढ़ी हुई उपलब्धता के लिए उच्च निष्पादन बेयरिंग का उपयोग	आरएसपी	• मौजूदा प्रकार के बेयरिंग को सील गोलाकार रोलर बेयरिंग द्वारा बदल दिया गया, रोटरी जोड़ों और इसके कवर को संशोधित किया गया, ग्रीस के बेहतर नियंत्रण और गर्मी प्रतिरोधी सील के साथ ग्रीस वितरक को, ग्रीस की खपत को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया। • इसके कारण इस खंड के लिए कास्टर की उपलब्धता में वृद्धि हुई और ग्रीस की खपत में 66% की कमी आई।
बीएफ स्टोव की इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग	बीएसएल	• बीएफ#2 के थर्मल स्कैनिंग अभियान को 6 बार किया गया, बीएफ#3 के लिए 5 बार और बीएफ#5 के लिए 3 बार चलाया गया। • थर्मल इमेजिंग द्वारा बीएफ स्टोव की नियमित निगरानी और धातु के खोल को पिघलाने के बाद स्टोव के गोले से शेल क्षति और गर्म गैस रिलीज के कारण शेल टूटने से बचने में मदद करने वाले उपचारात्मक कार्यों को करने में मदद मिली।
सीमेंट, कंक्रीट में इसके उपयोग के लिए भाप से परिपक्व बीओएफ स्लैग का व्यवहार्यता अध्ययन	बीएसएल	• बोकारो स्टील प्लांट में एक पायलट प्रणाली को डिजाइन और स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य परिपक्व एजेंट के रूप में भाप का उपयोग करके बीओएफ स्लैग से मुक्त चूने की सामग्री के त्वरित स्थिरीकरण करना है। • यह पाया गया है कि भाप परिपक्व बीओएफ स्लैग को उपयुक्त आकार के समुच्चय के साथ मिश्रित किया जा सकता है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दानेदार उप–आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
बीएफ#5 में कठोर फैसिंग और रेफ्रिकेटर अस्तर तांबे के टीयर के माध्यम से गर्मी के नुकसान में कमी	बीएसएल	• आरडीसीआईएस ने आंतरिक सतह पर रेफ्रिकेटर कोटिंग और बाहरी सतह पर कठोर मिश्र धातु के साथ संशोधित ट्यूयेर (tuyeres) को डिजाइन और विकसित किया है। • संशोधित ट्यूयर्स के लिए ठंडा पानी का टीटी (Tout&Tin) लगभग 20–30% तक कम हो गया है। • सभी कार्यरत ट्यूयर्स के माध्यम से औसत गर्मी के नुकसान को 15% तक कम कर दिया।
मोल्ड जीवन में सुधार के लिए कास्टर में मोल्ड कोटिंग की शुरुआत	बीएसएल	• एसएमएस–II की प्रयुक्त मोल्ड प्लेटें, बीएसएल कास्टर को निकल के साथ लेपित किया गया। अपनाई गई कोटिंग प्रोफाइल फुल फेस टेपर्ड (रैखिक) कोटिंग के साथ शीर्ष पर 0.5 एमएम और निचले हिस्से पर 2.5 एमएम होती है। फरवरी 2018 से लेपित मोल्ड को परीक्षण पर रखा गया। 10 बार किए गए परीक्षण के दौरान कोई असामान्यता नहीं देखी पाई गई। • परीक्षण से पता चलता है कि थर्मोकपल के साथ मोल्ड प्लेटों की कोटिंग और कठोर बीएसएल कास्ट स्थितियों के तहत इसका उपयोग जैसे शीर्ष डमी बार सम्मिलन, संभव है।
एचएसएम की रफिंग मिल्स में एजर लूब्रिकेशन की शुरुआत	बीएसएल	• सभी एजर स्टैंडों पर रोल की टूट को नियंत्रित करने के लिए एचएसएम में स्वचालित एजर रोल लूब्रिकेशन (ईआरएल) प्रणाली विकसित और स्थापित की गई। • निम्न विशिष्ट तेल की खपत पर भी रोल की टूट की दर में इसकी निर्धारित सीमा 15 मि./टन की तुलना में, लगभग 10 मि./टन तक कमी आई।
कोक की गर्म शक्ति में सुधार	बीएसएल	• कोक ओवन बैटरी में फ्री जगह के तापमान, फ्री जगह की ऊंचाई, वर्टिकल टॉप दबाव और क्रॉस वॉल तापमान जैसे हीटिंग पैरामीटर्स को मापा गया था और उन्हें क्रम में बनाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई। • उपर्युक्त अनुकूलन के परिणामस्वरूप सीएसआर 63.8 (अप्रैल 17–जनवरी 18 का औसत) से सुधर कर 64.32 (अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक) बेहतर हो गया।
फ्लेम फोटो मीटर का उपयोग करके बीएफ # 5 के क्षार लोड का आकलन करना	आईएसपी	• बीएफ प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री के विश्वसनीय क्षार विश्लेषण के लिए बीएफ आरसीएल प्रयोगशाला में फ्लेम फोटो मीटर सिस्टम की खरीद, स्थापना और इसे कार्यावित किया गया है। नियमित क्षार विश्लेषण के आधार पर, जब कभी क्षार का भार अधिक होता है तो बीएफ#5 के लिए बेहतर बीएफ प्रक्रिया नियंत्रण का सुझाव दिया गया है।
सीओबी # 10 के ऑपरेटिंग मापदंडों के अनुकूलन द्वारा कोक की ताकत में वृद्धि	आईएसपी	• कठोर निगरानी और छोटे परंतु महत्वपूर्ण नवाचारों के माध्यम से, सीओबी#10 के कोक की गुणवत्ता सुधर कर एम10:8.0, एम40:83.8, सीएसआरः 63.9, सीआरआई 23.5 (औसत फरवरी 18) से एम10:7.6, एम40:84.3, सीएसआररू64.2, सीआरआई:22.5 (औसत फरवरी 19) हो गई।

परियोजना का नाम	संयंत्र	व्युत्पन्न लाभ
वीएडी लैडल कवर के रेफ्रेक्ट्री लाइनिंग निष्पादन के सुधार के लिए उपयुक्त गुणवत्ता रेफ्रेक्ट्री का विकास	एएसपी	• उच्च तापीय आघात प्रतिरोध, उच्च संक्षारण प्रतिरोध, उच्च घर्षण प्रतिरोध और उच्च मात्रा स्थिरता के साथ उन्नत गुणवत्ता रिफ्रेक्ट्री (उच्च एल्यूमिना ब्रिक्स और पूर्वनिर्मित ब्लॉक) को एसआरयू, आईएफआईसीओ और आरडीसीआईएस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया। • विकसित रिफ्रेक्ट्री को वीएडी लैडल कवर में पंक्तिबद्ध किया गया और 167 हीट के लाइननिंग जीवन को प्राप्त किया। जैसा कि पूर्व निर्मित ब्लॉक और ईंटों का निर्माण एसआरयू, आईएफआईसीओ में किया जाता था, अब हमारे पास वीएडी लैडल कवर रेफ्रेक्ट्री हेतु एक इन–हाउस स्रोत भी उपलब्ध है।
स्टील मेकिंग स्लैग में आकलन के लिए 'फ्री Cao' प्रणाली और फ्लक्स प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक विधि का विकास	आरडीसी आईएस	• आडीसीआईएस, रांची द्वारा एक फ्लक्स रिएक्टिविटी उपकरण तैयार किया गया है। फ्लक्स रिएक्टिविटी उपकरण त्वरित (~5 मिनट) के लिए एक प्रयोगात्मक सेटअप है और फ्लक्स रिएक्टिविटी का विश्वसनीय माप है। • परिणामों को उत्कृष्ट सहसंबंध के माध्यम से मान्य किया गया है जो पारंपरिक अनुमापन विधि और ±5% की सटीकता के साथ फ्लक्स प्रतिक्रिया को निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति के बीच प्रदर्शित करता है। • यह नया विकसित उपकरण मौजूदा अभ्यास की तुलना में बहुत समय बचाता है जो सामान्य रूप से फ्लक्स प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए 2–3 घंटे लेता है।
सेल द्वारा विकसित रेल स्टील के विभिन्न ग्रेड की टूट विशेषताएं	आरडीसी आईएस	• सेल द्वारा विकसित रेल के विभिन्न ग्रेडों के टूट प्रतिरोध गुणों की तुलना करने के लिए 90 यूटीएस ग्रेड के संबंध में, सभी ग्रेडों को चिह्नित करने के लिए कई परीक्षण किए गए। • अलग–अलग लोड स्थिति में 57 नमूनों पर टूट परीक्षण किए गए। • परीक्षण किए गए नमूनों पर धातुकर्म जांच भी एसईएम/ईडीएस पर की गई। • भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त अनुप्रयोगों के लिए, उत्पन्न डेटा रेल के उपयुक्त ग्रेड के चयन में मदद करेगा।
90 यूटीएस पियरलिटिक रेल की भंगुरता और धीमी गति से तनाव दर तन्य (एसएसआरटी) व्यवहार पर हाइड्रोजन सामग्री के प्रभाव पर अध्ययन।	आरडीसी आईएस	• भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित विभिन्न रेल स्टील्स के हाइड्रोजन उत्सर्जक व्यवहार पर मिश्र धातु की भूमिका का अध्ययन हाइड्रोजन वायुमंडल के साथ और उसके बिना किया गया था। क्रॉस सेक्शन के पार रेल के ऊपर से लेकर नीचे तक हाइड्रोजन की व्यवस्थित मैपिंग से पता चला है कि जांच के तहत सभी रेल स्टील में हाइड्रोजन 2 पीपीएम से नीचे है। • निष्क्रिय फिल्म बनाने और हाइड्रोजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करके, Cu-Mo और एचटीसीआर रेल ने जांच के तहत अन्य रेल की तुलना में बेहतर हाइड्रोजन उत्सर्जक प्रतिरोध दिखाया।
महामाया लौह अयस्क खान से नमूनों के लाभकारीकरण और विचलन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	आरडीसी आईएस	• महामाया खान से आरडीसीआईएस को लाभकारी और पेलेटिसाइजेशन व्यवहार्य परीक्षण कराने के लिए प्राप्त लौह अयस्क शिष्ट के नमूनों का विश्लेषण किया गया।
बीओएफ स्लैग में क्रोमियम: इसके स्रोत की पहचान और इसे मिट्टी के कंडीशनर के रूप में पुनःचक्रण करने की रणनीति	आरडीसी आईएस	• बीओएफ स्लैग में क्रोमियम के संभावित स्रोत की पहचान के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया। बोकारो स्टील प्लांट से नमूने एकत्र किए गए और यह पाया गया कि मुख्य स्रोत में लौह अयस्क में क्रोमियम का योगदान था।

- **उत्पाद क्षेत्र**

उत्पाद	संयंत्र	व्युत्पन्न लाभ
JIS G3141 SPCC 0.7 & 2 mm	बीएसएल	JIS G3141 SPCC ग्रेड कोल्ड रोल्ड और एनेल्ड कॉइल का प्रयोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक उपकरणों में होता है। बीएसएल में, इस ग्रेड के कॉइल्स के 19 नंबरों के कोल्ड रोल्ड और एनील्ड कॉइल्स, जिनका आकार 0.7–2.9एमएम (t) x 900–1215 एमएम (w) में हैं, संसाधित किए गए हैं। लगभग 140.78 T सामग्री को मेसर्स सोनिक स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, श्रीलंका और बामर लॉरी (UAE) LLC, दुबई को भेजी गई है।
EN10025 275JR & IS2062 E410C	बीएसएल	यह हॉट रोल्ड गैर–मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील के लिए यूरोपीय मानक है। यूरोपीय बाजार कब्जाने के लिए बीएसएल द्वारा CE री–सर्टिफिकेशन लिया जाता है। 28 नंबर के EN 10025 275JR ग्रेड स्लैब को 2–4एमएम x 1250एमएम आकार में, HR कॉइल में रोल किया गया और HRCF, BSL में संसाधित किया गया और लगभग 490 टन HR शीट भेजी गई।
उच्च प्रभावी ताकत और महीन दाने दार आकार में IS 2062 E350C स्टील प्लेट	आरएसपी	पुलों के निर्माण के लिए उच्च प्रभाव शक्ति और महीन दाने के आकार (ASTM 8 या महीन) के साथ इन प्लेटों की आवश्यकता होती है। पुलों के निर्माण के लिए KRCL की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
IS 2062 E250BR में UT सुदृढ़ 100एमएम मोटी प्लेट	आरएसपी	IS2062 E250 BR के अनुरूप 100एमएम मोटाई की अल्ट्रा साउंड प्लेट्स सफलतापूर्वक आरएसपी में विकसित की गई। RHOB के माध्यम से निम्न सल्फर के स्तर और व्यापक डी–गैसिंग के साथ हीट बनाई गई। प्लेटों का परीक्षण ASTM A578 स्तर B के कड़े मानदंडों के तहत किया गया था और उन्हें अल्ट्रा सोनिक ध्वनि के रुप में पाया गया था। इन प्लेटों में से लगभग 660T मैसर्स दारुखाना स्टील प्रा. लि., मुंबई को भेजा गया है।
मोटी सामान्यीकृत BQ प्लेट – IS 2002 Gr-2 (63/70/110mm)	आरएसपी	बॉयलर गुणवत्ता वाली प्लेटों (0.18C–1.12Mn–0.027P–0.018S–0.25Si–0.011Al) को 63,70 और 110एमएम प्लेटों में रोल किया गया। इन्हें RSP में SPP की नई गर्मी उपचार लाइन में सामान्य किया गया। 63, 70 और 110 एमएम मोटाई में इन प्लेटों की कुल 325 T को IS 2002 ग्रेड 2 के अनुरूप मेसर्ज भेल को भेजा गया है।
Q&T ASTM A 517 Gr- F प्लेट 32 – 40 mm मोटी), ASTM A 537 Cl- 2 40 mm मोटी प्लेट	आरएसपी	दबाव वेसलों और पेन स्टॉक्स में उपयोग के लिए 32 और 40mm मोटाई की ASTM 517 ग्रेड F Q&T प्लेटों के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित हुई। ASTM 517 ग्रेड F (YS: 825-850 MPa, UTS: 882-891 MPa,% El: 20-21, CIE (J): 64-78 at -20°C) और ASTM 517 श्रेणी 2 ग्रेड (YS: के निर्दिष्ट गुण) : 444–491 MPa, UTS: 581–606 MPa,: El: 26, CIE (J): 30-42 at -20°C) के विशिष्ट गुणओं को प्रसंस्कृत प्लेटों में प्राप्त किया गया।

उत्पाद	संयंत्र	व्युत्पन्न लाभ
ASTM A53 Gr B में ERW पाइप	आरएसपी	राख/पानी से निपटने के लिए Gr B ERW पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आयात की आवश्यकता होती थी। आरएसपी ने आदेश को पूरा किया और लेपन के लिए भूषण ट्यूबों को सामग्री की आपूर्ति की और आगे वियतनाम को निर्यात किया गया।
उच्च शक्ति Q&T Plates in EN 10025-6 S690 QL	आरएसपी	उत्पाद विकसित किया गया। EOT क्रेन में लगाने के लिए 159t, PEDVAK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लि. हैदराबाद को भेजे गए।
2p शांत और टेमोअरड स्टील प्लांट	आरएसपी	VAD-CC रूट के माध्यम से ASP में 50 T हीट की गई। SSP की स्टेकल मिल का उपयोग करके स्लैब को 5 एमएम प्लेटों में रोल किया गया था। एसएसपी में हीट उपचार किया गया, आरडीसीआईएस में किए गए अनुकरण अध्ययन के आधार पर पैरामीटर का उपयोग करते हुए आरएसपी का उपयोग किया गया। संसाधित प्लेटें GOST: B21967–76 के निर्दिष्ट गुणों को पूरा करती हैं। आयुध फैक्ट्री मेडक में 2 ग्रेड प्लेट्स की 24T भेजी गई थी जहां 50 मीटर की दूरी के साथ किए गए बैलिस्टिक परीक्षण में निष्पादन संतोषजनक पाया गया। सामग्री, स्वीकार्य रूप में प्रमाणित है।
IS 1786 Fe550 D TMT Rebars 25 / 32 mm	बीएसपी	IS 1786 Fe550D ग्रेड TMT रिबार्स के लिए परीक्षण बीएसपी, भिलाई में 25 mm और 32 mm व्यास में किए गए। कुल 7 हीट 32 mm व्यास TMT रिबार में और 6 हीट 25 mm व्यास TMT रिबार में किए गए। TMT रिबार के परीक्षण के गुण IS 1786 Fe550D ग्रेड के विनिर्देश से मिले। दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर, द्वारका के निर्माण के लिए 1586 T, 25 mm व्यास TMT रिबार 742 T और IS 1786 Fe550D ग्रेड के 32 mm व्यास TMT रिबार के 811 T को मैसर्स एल एंड टी में भेजा गया।
चेनल 100 IS 2062 E350 BR	बीएसपी	180 टन चैनल 100 IS 2062 E350 BR ग्रेड की आपूर्ति की गई।
56 mm प्लेटें, संवर्धित प्रभाव विशेषताओं के साथ (54 joules at -20°C), JIS 3106 SM 570 16 mm तक सामान्य स्टील प्लेटें	बीएसपी	संसाधित प्रौद्योगिकी को 56 mm प्लेट के लिए विकसित किया गया है जिसमें वृद्धित प्रभाव गुण (-20°C पर 54 जूल) है। 50 T परीक्षण आदेश के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद, 1400 T के लिए ताजा आदेश प्राप्त हुआ है। परीक्षण हीट को Nb, Ti, – V के विचरणों में किया गया। 12.5 mm प्लेटों में तन्यता और चार्पी प्रभाव गुण, विनिर्देश की आवश्यकता को पूरा करते हैं और 16mm तक एक ही ग्रेड विकसित किया गया है।
IS 2062 E 250 B0 (Si-K) कोण (Section: 75 x 75 x 8 mm और 75 x 75 x 10 mm)	बीएसपी	IS 2062 E 250B0 (SK) ग्रेड के 500 T के दो हीट बनाए गए। 345 T बिलेट्स को मर्चेंट मिल में 75x75x10 mm और 75x75x8 mm के कोणों में संसाधित किया गया। 75x75x10 और 75x75x8 mm आकार के कोण ग्रेड IS 2062 E250B0 के निर्दिष्ट गुणों को पूरा करते हैं।
IS 1786 Fe550 D Grade Rebars in 12 / 16 / 20 mm व्यास और Fe-500D ग्रेड 8 और 10 mm व्यास TMT C-20 (lower CE) बिल्लेट का प्रयोग करने वाले तार के रॉड	आईएसपी	ISP, बर्नपुर में 12, 16 और 20 mm व्यास में Fe550D ग्रेड TMT रिबार्स में बनाए गए थे। 12, 16 और 20 mm व्यास में परीक्षण किए गए। टीएमटी रिबार्स के गुणों ने IS 1786 Fe550D ग्रेड के विनिर्देश को पूरा किया। 12 mm के 1238 T, 16 mm व्यास के 2742 T और 20 mm व्यास के 1145 T युक्त कुल 5125 T को भेजा गया। लीनर रसायन (निम्न CE) के साथ Fe-500D ग्रेड 8 और 10 mm व्यास TMT तार की रॉड को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।
SUP 11A ग्रेड बिल्लेट	आईएसपी	SUP 11A ग्रेड के लिए म्डै ऑपरेटिंग पैरामीटर स्थिर। हीट के लिए आठ संख्याएं बनाई गई हैं।
माइक्रो एलाय रहित उच्च शक्ति IPE600 संरचनाएं	आईएसपी	आईएसपी नियमित रूप से उच्च शक्ति IPE600 संरचनात्मक का उत्पादन कर रहा है जो 0.040–0.050% वैनेडियम और 1.40–1.50% मैंगनीज का उपयोग करता है। बिना माइक्रो एलाइजिंग के, उच्च शक्ति वाले IPE600 संरचनाओं के निर्माण की व्यवहार्यता का पता लगाया गया। उच्च शक्ति वाले संरचनात्मक ढांचे के उत्पादन के लिए वैनेडियम मुक्त IS 2062 E250 ग्रेड बीम के रिक्त स्थान का उपयोग करके परीक्षण किया गया। परीक्षण संसाधन के दौरान संशोधित लीनर (1.10% Mn) गैर माइक्रो एलॉय (अर्थात वैनेडियम मुक्त) स्टील रसायन के अतिरिक्त विशेष थर्मल क्षेत्र और ड्राफ्ट अनुसूची को देखा गया। प्राप्त गुण सामान्य IS 2062 E250 ग्रेड IPE600 संरचनाओं की तुलना में काफी अधिक है।
IS 2062E250 BR NPB200 - MB300 संरचनाएं	डीएसपी	MSM, DSP में IS 2062E250 BR NPB200 - MB300 स्ट्रक्चुरल के लिए संसाधन तकनीक विकसित की गई। IS 2062E250 BR NPB200 और MB300 के 12,371 T को भेज दिया गया है।
20 / 25 mm IS 1786 550 D TMT बार्स	डीएसपी	DSP द्वारा 20 और 25 mm व्यास में IS 1786 Fe500D ग्रेड टीएमटी का विकास किया गया था। 20 mm व्यास के 1197 T और 25 mm व्यास टीएमटी के 592 T संसाधित किए गए। सभी संसाधित टीएमटी रिबार के लिए विशेषताएं IS1786 Fe500D ग्रेड के विनिर्देशों को पूरा किया। संसाधित टीएमटी रिबार की आपूति मैसर्स एलएंडटी और BSO दिल्ली स्टॉक यार्ड को की गई। इस ग्रेड की कुल आपूर्ति की मात्रा 1634 T है जिसमें क्रमशः 1078 T और 556 T IS 1786 Fe500D grade TMT रिबार के 20 mm व्यास और 25 mm व्यास क्रमशः शामिल हैं।
उच्च शक्ति संरचनाओं के लिए Al killed JIS 3101 SS540 (RC–2) Gr- CC Blooms of 230x160, 300x150 & 350x240 mm आकार	डीएसपी	3160 T of Al killed JIS 3101 SS540 (RC–2) Gr- CC Blooms of 230x160, 300x150 & 350x240 mm आकार की आपूर्ति को मेसर्स स्किपर लिमिटेड को की गई।
IS 2062 E250 BR MB250 & NPB250 संरचनाएं	डीएसपी	MSM, DSP में IS 2062 E250 BR MB250 - NPB250 संरचनाओं के लिए संसाधित टेक्नोलॉजी विकसित की गई। IS 2062 E11 BR 11250 के 11,267 T और NPB250 के 13,867 T स्ट्रक्चरल भेजे गए हैं।

अन्य प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार उपाय

कंपनी में, प्रौद्योगिकी विकास, अवशोषण, अनुकूलन और आगे सुधार, निश्चित प्रौद्योगिकी रणनीति के माध्यम से स्टील प्लांट संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे हैं। आधुनिकी करण/निरंतर सुधार के हिस्से के रूप में कई नई तकनीकों को स्थापित किया गया है/स्थापित किया जा रहा है। इनमें क्षेत्रवार निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
कोक बनाना			
1.	बीएसएल में कोक ओवन बैटरी नं. 8 का पुनः निर्माण	2019	चालू होने की संभावना
सिंटर बनाना/जमाव			
1.	सिंटर संयंत्र II, बीएसएल की स्थापना	2019	चालू होने की संभावना
आयरन बनाना			
1.	**ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) आधुनिक सुविधाएं जैसे:** • कन्वेयर चार्जिंग सिस्टम • कुशल शीतलन प्रणाली के रूप में शीतल जल के साथ बंद लूप शीतलन प्रणाली • आधुनिक रिफ्रैक्ट्री डिजाइन • रखरखाव आदि के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग हेतु रैंप के साथ फ्लैट कास्ट हाउस डिजाइन		
i)	बीएसपी पर बीएफ#8	2018	चालू
ii)	बीएफ#1 आरएसपी	2018	पुराने बीएफ के साथ 8 मई, 2018 को ब्लोइंग–इन किया गया था (सं. 5) और यह उत्पादन में है।
2.	**गुणवत्ता में सुधार हेतु गैस क्लीनिंग संयंत्र (जीसीपी)**		
i)	बीएफ#8, में जीसीपी	2018	चालू
3.	**बीएसएल में आईएनबीए कॉस्ट हाऊस स्लेग ग्रेन्युलेशन तकनीक**		
i)	बीएफ#2, कॉस्ट हाऊस 4	2018	चालू
ii)	बीएफ#3, कॉस्ट हाऊस 5	2019	चालू होने की संभावना
iii)	बीएफ#1, कॉस्ट हाऊस 1 और 2	2019	चालू होने की संभावना
4.	**>1200°C के एचबीटी को प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली के साथ स्टोव में उच्च हॉट ब्लास्ट तकनीक**		
i)	बीएफ#8, बीएसपी में स्टोव प्रणाली	2018	चालू
ii)	बीएफ#1, आरएसपी में स्टोव प्रणाली	2018	चालू
iii)	बीएफ#1, बीएसएल में स्टोव प्रणाली	2019	चालू होने की संभावना
iv)	बीएफ#4, बीएसएल में स्टोव प्रणाली	2019	चालू होने की संभावना
5.	**बिजली उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस में टॉप रिकवरी टर्बाइन**		
	बीएफ#8, बीएसपी	2019	चालू होने की संभावना
6.	**कोड धूल इंजेक्शन प्रणाली**		
i)	बीएफ#4, बीएसपी	2019	चालू होने की संभावना
ii)	बीएफ#8, बीएसपी	2018	चालू
स्टील बनाना			
1.	बीएफपी पर 45 MVA SAF का इंस्टॉलेशन	2019	चालू होने की संभावना
2.	बीएसपी पर SMS III	2019	चालू होने की संभावना
रोलिंग और फीनिशिंग			
1.	**यूनिवर्सल रेल मिल, बीएसपी**		
i)	वाकिंग–बीम प्रकार की री–हीटिंग भट्ठी	2019	कमीशन के तहत
ii)	यूनिवर्सल अभियान के आसान स्विच–ओवर के लिए क्विक रोल कैसेट बदलने की सुविधा और सार्वभौमिक वर्गों के उत्पादन के साथ खड़ा है, जिसमें निर्माण में सादगी के उच्चतर लाभ, वजन अनुपात के लिए उच्च खंड मापांक, उच्च बकलिंग ताकत आदि हैं।		

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
2.	**बार और रॉड मिल**		
i)	ईंधन की विशिष्ट खपत को कम करने के लिए बिलेट की गर्म चार्जिंग	2019	चालू होने की संभावना
ii)	वाकिंग–बीम (WB) प्रकारा की रि–हीटिंग भट्ठी		
iii)	अनुपातिक बार प्राप्ति, गति ब्रेकिंग और कूलिंग बेड् में डिलवरी के साथ उच्च गति स्लिट रोलिंग ताकि उच्च उत्पादन दर, गहन/नकारात्मक सहिष्णुता और कम व्यास टीएमटी छड़/बार की बेहतर सतह फीनिश प्राप्ति हेतु कूलिंग बेड में स्पीड ब्रेकिंग और डिलीवरी सुविधा।		
iv)	तार छड़ों की आकार–रहित रोलिंग (0.5 मिमी की वृद्धि में किसी भी व्यास के खंड में तेजी से बदलाव) को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलों को कम करना और आकार देना।		
v)	अस्वीकृति को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों की स्टॉक निगरानी के लिए स्टॉक की ऑन–लाइन प्रोफाइल गेज।		
3.	**माध्यम संरचनात्मक मिल, डीएसपी**		
प)	वाकिंग–बीम (WB) प्रकारों की रि–हीटिंग भट्ठी	2018	चालू करने के तहत
ii)	यह क्विक रोल कैसेट बदलने की सुविधा के अभियान के साथ यूनिवर्सल स्टैंड और सार्वभौमिक वर्गों के उत्पादन के साथ है जिसमें निर्माण में अंतर्निहित सादगी के उच्चतर लाभ, वजन अनुपात के लिए उच्च खंड मापांक, उच्च बकलिंग ताकत आदि हैं।		
iii)	अस्वीकृति को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों की स्टॉक निगरानी हेतु स्टॉक के लिए ऑन–लाइन प्रोफाइल गेज		
4.	**न्यू हॉट स्ट्रिप मिल, आरएसपी**		
i)	आधुनिक सुविधओं सहित वाकिंग–बीम (WB) प्रकार की री–हीटिंग भट्ठी जिसमें ऊर्जा कुशल डिजिटल भट्ठी, फसल अनुकूलन, गर्मी प्रति धारण पैनल शामिल हैं।	2019	व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने वाला है
ii)	उच्च कॉइल वजन, व्यापक स्ट्रिप, ऑटो बॉडी ग्रेड और एपीआई ग्रेड के लिए उच्च शक्ति ग्रेड और उत्कृष्ट उत्पाद की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई 3.0 MT क्षमता की हॉट स्ट्रिप मिल। इसकी सुविधाओं में पेयर क्रॉस रोलिंग, माइक्रो स्ट्रक्चर नियंत्रित कूलिंग, ऑन लाइन सतह निरीक्षण, पैकेट कन्वेयर आदि शामिल हैं। यह उच्च स्तरीय स्वचालन से सुसज्जित है जिसमें प्रक्रिया नियंत्रण, MES और यार्ड प्रबंधन शामिल है।		

अनुसंधान और विकास पर व्यय		**(₹ करोड़)**
(क) पूंजी	:	14.77
(ख) राजस्व	:	305.09
जोड़	:	319.86
कुल टर्नओवर के % के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	:	0.48
विदेशी मुद्रा आय और व्यय		**(₹ करोड़)**
i) निर्यात और अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा	:	2872.64
ii) विदेशी मुद्रा का उपयोगः		
क) आयात का सीआईएफ मूल्य	:	25857.51
ख) विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	:	259.23

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता./–

(अनिल कुमार चौधरी)

अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 31 जुलाई, 2019

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व/सीएसआर गतिविधियां 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट

1. सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने वाली परियोजनाओं का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं के लिए वेब लिंक का संदर्भ शामिल है।

1(क) सेल सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा (उद्देश्य):

- ऐसे हित धारकों और समाज के लिए मूल्य सृजन करना जो मूल रूप से सेल की मुख्य व्यावसायिक रणनीतियों और परिचालन से, इसकी सेवाओं, व्यवहार और उनके सतत विकास की पहलों के माध्यम से, जुड़े हुए हैं।
- प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए इसकी परिधि में रहने वालों से कंपनी के प्रति हेमलेट और सद्भाव को बढ़ावा देने वालों की पहचान करके, जिस समुदाय में कंपनी परिचालन करती है, उनके लिए मूल्य सृजन को बढ़ाता है।
- वंचितों की सहायता करके समुदाय की सहायता करना।
- भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की मांग को पूरा करने के लिए विकासात्मक पहलों को पूरा करना।
- विभिन्न देहाती खेलों, कला और संस्कृतियों के संरक्षक के रूप में सेल की छवि सृजित करके स्थानीय आबादी का सहयोग करना।
- सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करना ताकि सामाजिक लाइसेंस प्राप्त करके सफल हो सकें।

1(ख) सेल की सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां:

सभी सीएसआर गतिविधियाँ/परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे अधिक चिंता के केंद्रीय विषय हैं:

i. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पीने के पानी तक पहुंच सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।
ii. शिक्षा, रोजगार/आजीविका को बढ़ावा देना, व्यवसाय कौशल को बढ़ावा देना।
iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।
iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पशु कल्याण और कृषि वानिकी सुनिश्चित करना।
v. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।
vi. ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
vii. ग्रामीण विकास।

1(ग) सेल सीएसआर नीति और परियोजनाओं के लिए वेब लिंक: www.sail.co.in

2. CSR समिति की संरचना:

कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी पर बोर्ड स्तर की एक समिति है जिसमें स्वतंत्र और कार्यवाहक निदेशक शामिल हैं। सीएसआर समिति के सदस्य निम्न हैं:

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	सीए के एस चौहान	स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष
2	श्रीमती अंशु वैश्य	स्वतंत्र निदेशक
3	प्रो. अशोक गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक
4	डा. समर सिंह	स्वतंत्र निदेशक
5	श्री के के गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक
6	डा. जी विश्वकर्मा	निदेशक (पी एंड बीपी), निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
7	श्री हरिनंद राय	निदेशक (तकनीकी)
8	श्री अतुल श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक)

पिछले तीन वित्त वर्ष के लिए औसत शुद्ध लाभ : ₹ (–)4,145.20 करोड़

4. निर्धारित सीएसआर व्यय : 'शून्य' क्योंकि उपरोक्त मद 3 में राशि का 2% नकारात्मक में है।

5. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च किए गए CSR का विवरण:

क) खर्च की जाने वाली कुल राशि : "शून्य" **

ख) अयोग्य, यदि कोई हो : "शून्य" **

** (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शून्य। हालांकि, चल रही कोर सीएसआर गतिविधियों के लिए, बोर्ड ने ₹ 30 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है)

ग) खर्च की गई राशि का तरीका : विवरण **अनुलग्नक–क** में निर्धारित प्रारूप में दिए गए है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी भी हिस्से के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने में विफल रही है तो ऐसे गैर–अनुपालन के कारणों का खुलासा, बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के संदर्भ में, गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2% "शून्य" है। हालाँकि, कंपनी के संयंत्रों और खदानों (जो मुख्य रूप से पिछड़े जिलों में हैं) की परिधि में चल रही सीएसआर गतिविधियों को बनाए रखने के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुसूची–VII के अनुरूप सीएसआर के लिए बजट आवंटित किया है।

7. सीएसआर समिति, जो सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी करती है, का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन, सीएसआर उद्देश्य और कंपनी की नीति का अनुपालन करना है।

यह ध्यान किया जा सकता है कि सीएसआर का बजट वैधानिक रुप से 'शून्य' है क्योंकि सेल को वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान घाटा हुआ है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

2018–19 के दौरान, सेल का ध्यान मुख्य रूप से चल रही कोर सीएसआर गतिविधियों की निरंतरता पर केंद्रित रहा है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता आदि के क्षेत्रों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII में निर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों का अंतःस्थापित निर्वहन शामिल है।

2018–19 के दौरान, कुल व्यय का लगभग 54% भाग, भारत सरकार द्वारा घोषित विषयक कार्यक्रम अर्थात सीएसआर के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर खर्च किया गया था। इसके अलावा, 816 ग्रामीण युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। 710 से अधिक युवा और 1168 महिलाओं ने कंपनी के संयंत्रों/खदानों में स्थापित विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में औद्योगिक ट्रेडों, सॉफ्ट कौशल, आतिथ्य, हैंडलूम, हस्तशिल्प, उन्नत कृषि तकनीकों, घरेलू उत्पादों आदि में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे केंद्रों पर निर्मित उत्पादों के विपणन में सेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सेल, 7 आकांक्षापूर्ण जिलों, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड में बोकारो और रांची; छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव और हरियाणा में नूह में सीएसआर परियोजनाएं कार्यावित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, इन 7 आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास पर कुल खर्च का लगभग 23% खर्च किया गया है।

इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में हरियाणा में 'आकांक्षापूर्ण जिले' के रूप में नूह जिले को विकसित करने के अपने प्रयास में सेल, जिला प्रशासन, नूह को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में सहयोग दे रहा है अर्थात छात्राओं और उनकी महिला परिवार के सदस्यों के बीच 20 लाख सेनेटरी नैपकिन का वितरण; जिला नूह के 100 स्कूलों में से प्रत्येक में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिरेटर की स्थापना, मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, इसके द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सेल द्वारा की गई प्रमुख CSR गतिविधियों को इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–क** में निर्धारित प्रारूप में विस्तार से दिया गया है।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(अतुल श्रीवास्तव)	**(डा. जी. विश्वकर्मा)**	**(सीए के. एस. चौहान)**
निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (पी एंड बीपी)	अध्यक्ष, सीएसआर समिति
सेल	अतिरिक्त प्रभार निदेशक (वित्त) सेल	सेल

2018–19 के दौरान सेल की सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	जिन क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया	परियोजना (राज्य एवं जिले जहां परियोजना चलाई गई)	राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	परियोजना पर खर्चः प्रत्यक्ष खर्च या लागत	रिपोर्टिंग समय (2014–15 से 2018–19) के दौरान का संचयी व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के माध्यम से
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, बढ़ावा देना निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, SVA के तहत शौचालयों का निर्माण और सुरक्षित पेय–जल उपलब्ध कराना;	Cl. (i) हेल्थकेयर, पेय जल एवं स्वच्छता	सेल संयंत्रों और इकाइयों के परिधीय क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी, राजनांद गांव, चंपा जिले, पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बर्धमान, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना, नदिया और कोलकाता, ओडिशा में सुंदरगढ़ और कोन्झार जिले, झारखंड में बोकारो, पश्चिम सिंघभूम , गढ़वा, धनबाद, रांची और खूंटी जिले, तमिलनाडू में सेलम और चेन्नई, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला, हरियाणा में नूह, आदि।	6.46	5.60	54.66	प्रत्यक्ष और कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात अक्षय पात्र संघ, स्वामी विवेकानन्द वाणी प्रचार समिति, महिला समिति, रामकृष्ण मिशन, भारती भवन, महिला स्वैच्छिक सेवाएं, बर्नपुर महिला समाज, झारक्राफ्ट, शम्यता मठ, बर्नपुर अंबागांव स्वैच्छिक सोल. कल्याण संगठन, द आर्ट ऑफ लिविंग, दुर्गापुर, दुर्गापुर मिश्रित इस्पात अबासिक महिला समाज, पीस हाउस वेलफेयर ट्रस्ट, गोपाल मठ शिशु कल्याण समिति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, CIPET, गहन खादी ग्रामीण विकास केंद्र, राज्य एजेंसियां, भिलाई इस्पात कौशल कुटीर, स्वयंसिद्ध, डीएसपी महिला समाज, SRREOSHI, सोना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, SCEWASTAMB और बालगोडा एसएचजी आशाएं, गुआ, दीन–दिशा केंद्र (एस.ई.सी.) मनोहरपुर, सोसाइटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चेशायर होम, तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी, आदि के माध्यम से।
2	विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों में रोजगार बढ़ाने के पेशेवर कौशल बढ़ावा देना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं;	Cl. (ii) शिक्षा और आजीविका सृजन		15.93	14.74	66.01	
3	लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानताएँ कम करने के उपाय करना;	Cl. (iii) महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की देखभाल		2.28	0.82	10.42	
4	विरासत, कला, संस्कृति को बढ़ावा देना और ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना;	Cl. (v) और (अपप) खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना		1.45	6.18	21.03	
5	पर्यावरणीय स्थिरता, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि, प्राकृतिक संरक्षण, मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता और रख–रखाव की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;	Cl. (iv) पर्यावरण स्थिरता		1.57	1.62	23.68	
6	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	Cl. (x) इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास		0.99	1.84	17.61	
7	क्षमता निर्माण– सीएसआर नियम, 2014	Cl. 4(6)		0.05	0.39	3.73	
8	आपदा राहत और अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रावधान अनुसूची–VII के अनुसार सीएसआर परियोजनाएं, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 8/8/14 पैरा (i) का अनुलग्नक बिंदु 7			1.25	0.00	0.00	
	जोड़			30.00	31.18	197.14	

09.07.2019 की स्थिति के अनुसार प्रधान कार्यकारी

कॉरपोरेट कार्यालय

नई दिल्ली

अध्यक्ष
अनिल कुमार चौधरी

निदेशक
परियोजनाओं और व्यापार योजना सहित निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
डॉ. जी विश्वकर्मा
वाणिज्यिक
श्रीमती सोमा मंडल
कार्मिक
अतुल श्रीवास्तव
तकनीकी
हरिनंद राय
कच्चा माल और रसद
विवेक गुप्ता

कार्यकारी निदेशक
पावर, बिजली और सेलकॉन
तेजवीर सिंह
सतर्कता
एस. सीतापति
अध्यक्षीय सचिवालय
डी. के. मोहंती
परिचालन
ए देवदास
कोयला आयात समूह
दीपक दफ्तुआर
परियोजनाएं
के. वी. रमना
सी एम एम जी
संजय शर्मा
आंतरिक लेखापरीक्षा
राजेश भसीन

कंपनी सचिव
एम. बी. बालाकृष्णन

निगमित कार्य प्रमुख
सुश्री सुमिता दत्ता

सुरक्षा
कार्यकारी निदेशक
के. के. झा

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
कार्यकारी निदेशक
श्रीमती कामाक्षी रमन

विकास प्रभाग
पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग
कार्यकारी निदेशक
कल्याण माइति

इस्पात संयंत्र/इकाइयां

भिलाई इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनिर्बान दासगुप्ता
कार्यकारी निदेशक
कार्य
पी. के. दाश
वित्त और लेखा
बी. पी. नायक
सामग्री प्रबंधन
एस के बसर खैरुल
खान और रोवघाट
एम. विश्वास
एम एंड एच एस
डा. एस. के. इस्सर – निदेशक, प्रभारी
कार्मिक और प्रशासन
के. के. सिंह

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीएसपी और एएसपी)
ए. वी. कमलाकर
कार्यकारी निदेशक
कार्मिक और प्रशासन
पी. के. प्रधान
परियोजनाएं
टी. बी. सिंह
एम एंड एच एस
डॉ. के. एन ठाकुर – निदेशक प्रभारी
सामग्री प्रबंधन
एस नंदी

राउरकेला इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डी. चट्टराज
कार्यकारी निदेशक
कार्मिक और प्रशासन
आर. वी. सिंह
कार्य
जी. बनर्जी
सामग्री प्रबंधन
डी. के. महापात्रा

बोकारो इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पी. के. सिंह
कार्यकारी निदेशक
एम एंड एच एस
डॉ. ए. के. सिंह – निदेशक प्रभारी
कार्य
आर. सी. श्रीवास्तव
कार्मिक और प्रशासन
एम. प्रसाद
परियोजनाएं
आर. कुशवाहा
सामग्री प्रबंधन
वी. के. पाण्डेय

इस्को इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ए. वी. कमलाकर
कार्यकारी निदेशक
परियोजनाएं
ए. आर. दासगुप्ता
सामग्री प्रबंधन
एस. पी. सिंह
कार्य
ए. के. सिंह

एलॉय इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
पी. के. प्रधान (अतिरिक्त प्रभार)

सलेम इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
संजीव तनेजा

विश्वेश्वरैया लोहा एंड इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
के. एल. एस. राव

इकाइयां

लोहा एंड इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र
कार्यकारी निदेशक
अजय अरोड़ा

कच्चा माल प्रभाग
कार्यकारी निदेशक
कार्मिक और प्रशासन
अमिताभ भट्टाचार्य
आर पी एंड ई
पी. सी. नाइक
परियोजनाएं
वी. के. झा

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र
कार्यकारी निदेशक
के. दास

केंद्रीय विपणन संगठन
कार्यकारी निदेशक
विपणन – वाणिज्यिक
आलोक सहाय
विपणन – आईटीडी
बी. चोंगदार
विपणन
एम. सी. अग्रवाल
विपणन सेवाएं
ए. वी. पुरांदरे
विपणन – एसपीयू
डी. कुमार

रसद और बुनियादी ढाँचा
कार्यकारी निदेशक
एल. एन. मल्लिक

सेल रिफ्रेक्ट्री इकाई
कार्यकारी निदेशक
एस. मंडल

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
आर. गोपाल

कोलियरीज
कार्यकारी निदेशक
अरविंद कुमार

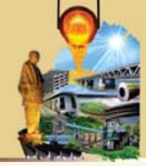

स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

नोटिस

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, ताल कटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में निम्न लेनदेन करने के लिए किया जाएगाः

सामान्य व्यवसाय

1. प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिएः
   (i) 31 मार्च,2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ।
   (ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।
2. सुश्री सोमा मंडल (DIN: 06845389) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायर हो जाते हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
3. श्री अतुल श्रीवास्तव (DIN: 07957068) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायर हो जाते हैं और फिर से नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करना।
5. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, ₹ 10/– अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर @ ₹ 0.50 अंतिम लाभांश घोषित करना।

विशेष व्यवसाय

6. सीए प्रमोद बिंदल (DIN: 06389570) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और यदि इसे सही माना जाता है तो संशोधन के साथ या उसके बिना, निम्न संकल्प पर **विशेष संकल्प** के रुप में विचार करनाः

   "**संकल्प है** कि अनुसूची IV और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित, धारा 149 और 152 के प्रावधानों के अनुसार, सीए प्रमोद बिंदल (DIN: 06389570), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में और जिन्होंने इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हैं, को 1 (एक) वर्ष की अवधि, 17 नवंबर, 2019 तक, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, के कार्यकाल के लिए पद धारण करने के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है।"
7. स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अशोक गुप्ता (DIN: 07342950) को फिर से नियुक्त करने के लिए और इस संबंध में विचार करने और सही होने पर, विशेष प्रस्ताव के रूप में, संशोधन के साथ या उसके बिना, निम्न **विशेष संकल्प** को पारित करने पर विचार करनाः

   "**संकल्प है** कि अनुसूची IV और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित, धारा 149 और 152 के प्रावधानों के अनुसार, प्रो. अशोक गुप्ता (DIN: 07342950), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में, फिर से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देते हैं, को 1 (एक) वर्ष की अवधि, 17 नवंबर, 2019 तक के कार्यकाल के लिए, पद धारण करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है।"
8. श्रीमती अंशु वैश्य (DIN: 02924346) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि सही माना जाता है तो संशोधन के साथ या उसके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में निम्न संकल्प पर विचार करनाः

   "**संकल्प है** कि अनुसूची IV और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित, धारा 149 और 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती अंशु वैश्य (DIN: 02924346), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में, फिर से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया है, को 1 (एक) वर्ष की अवधि, 17 नवंबर, 2019 तक के कार्यकाल के लिए, पद धारण करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है।"
9. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (DIN: 03476812) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि सही माना जाता है तो संशोधन के साथ या उसके बिना पारित होने के लिए, **निम्न संकल्प** पर साधारण संकल्प के रूप विचार करनाः

   "**संकल्प है** कि अनुसूची IV और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 149 और 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (DIN: 03476812), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में, फिर से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में पदनामित किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया है, को 3 (तीन) वर्ष की अवधि, 20 दिसंबर, 2021 तक के कार्यकाल के लिए, पद धारण करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है।"
10. श्री विवेक गुप्ता (DIN: 08370793) को संपूर्ण समय के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि सही माना जाता है तो संशोधन के साथ या उसके बिना पारित होने के लिए, **निम्न संकल्प** पर साधारण संकल्प के रूप में विचार करनाः

    "**संकल्प है** कि श्री विवेक गुप्ता (DIN: 08370793), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तहत निदेशक मंडल द्वारा और कंपनी के अंतर्नियमों के तहत अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय का पद संभाले हुए हैं और जिसके संबंध में कंपनी को लिखित रूप से एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देते हैं, को एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन से सेवानिवृत होने के लिए दायी हैं।"
11. उधार लेने और कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार के सृजन के लिए सहमति प्राप्त करना और इस संबंध में विचार करने और यदि सही पाया जाता है तो संशोधन के साथ या इसके बिना, पारित करने के लिए, विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्न संकल्प पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करनाः

    "संकल्प है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी नियम (कंपनी के विवरण पत्र और प्रतिभूतियों के आवंटन) 2014 के नियम 14 साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ, कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकार होगा और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है कि कंपनी ₹ 5,000 करोड़ तक के गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉन्ड, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव (ओं) या आमंत्रण देने के लिए अधिकृत है, जिसकी अवधि वार्षिक आम बैठक की तिथि से, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को एक या अधिक किश्तों में, एक वर्ष तक है, जिसमें निवेशक (चाहे वे निवासी और/या गैर निवासी और/या संस्थाएं/कॉरपोरेट निकाय और/या व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक या अन्य, घरेलू और/या एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो), गैर निवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs), वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधि, पेंशन निधि, वित्तीय विकास संस्थान, कॉरपोरेट निकाय, कंपनियां, निजी या सार्वजनिक या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के एक या एक से अधिक संयोजनों में बांड/ऋणपत्र धारक हो सकते है या नहीं हो सकते हैं, शामिल हैं। इसमें ग्रीन–शू (जैसा कि ऊपर कहा गया है ₹ 5,000 करोड़ की समग्र सीमा में) विकल्प शामिल हैं। बोर्ड अपने विवेक पर ऐसे नियमों और शर्तों पर निर्णय ले सकता है जिन्हें बोर्ड या इसकी किसी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसे बोर्ड या कंपनी की किसी अन्य ऐसे कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित और अधिकृत किया जा सकता है, जिसे बोर्ड या ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।"

    "**संकल्प है** कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, जिसमें उस समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन (ओं) या पुनः अधिनियमन सहित, इसकी धारा 180 (1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी की सहमति प्राप्त की जाए, कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") के लिए कंपनी के अंतर्नियमों के किसी भी अन्य लागू कानूनों और प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन (उसमें) या फिर से लागू करने सहित या किसी भी समिति के पास, चार्ज, दृष्टिबंधक, बंधक, मौजूदा प्रभार के साथ गिरवी, कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर कंपनी द्वारा बनाए गए बंधक, दृष्टिबंधक के अलावा, वर्तमान और भविष्य और संपूर्ण या दोनों, चाहे वें कही भी किसी भी उपक्रम कंपनी के उपक्रम में स्थित हो, मियादी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ऋणपत्र/बांड आदि के लिए किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, हायर परचेज/लीज कंपनी, कॉरपोरेट्स निकाय, न्यासियों को ऋणपत्र/बॉन्ड/अन्य लिखतों/प्रतिभूतियों के पक्ष में या किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों के पास ऐसी शर्तों और निबंधनों और प्रसंविदाओं, जिन्हें बोर्ड या इसकी समिति द्वारा उचित समझे गया हैं, समय–समय पर लिए गए उधार या लिए जाने वाले उधार के लिए मियादी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार, ऋणपत्र/बॉन्ड आदि के लिए है, यह धनराशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के संदर्भ में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित सीमा से अधिक नहीं है।

    "**संकल्प है** कि कंपनी का निदेशक मंडल, एतदद्वारा अधिकृत है कि वह बोर्ड की समिति को अधिकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि वह निर्गम की शर्तों को निर्धारित कर सके जिसमें निवेशकों के वर्ग, जिन्हें बांड/ऋणपत्र आवंटित किए जाने है, प्रत्येक किश्त में जारे किए जाने वाले बांड/ऋण पत्रों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बॉन्ड/ऋण पत्र धारकों के वर्ग को जारी मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई भी घोषणा/वचनपत्र और उस समय लागू किसी भी अन्य नियामक आवश्यकता आदि जिसे निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाना है।"

"**संकल्प है** कि कंपनी का निदेशक मंडल और/या इनकी एक समिति, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, यदि हो तो, एतदद्वारा अधिकृत किया जाता हैं कि वे सभी आवश्यक कार्य, विलेख, कर्म और अन्य चीजें करें और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या आकस्मिक उपचार हेतु आवश्यक सभी कदम उठाए।"

"**आगे संकल्प किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा अधिकृत किया गया है कि उन्हें प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को किसी भी निदेशक समिति को या कंपनी के किसी एक या एक से अधिक निदेशकों को सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है।"

12. कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि विचार सही है तो संशोधन के साथ या उसके बिना पारित होने के लिए, निम्न संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना।

"**संकल्प है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर) के नियम, 2014 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, (वैधानिक संशोधन (नों) या उसके लिए, उस समय लागू पुनः अधिनियमन सहित), ₹11,70,000/– का पारिश्रमिक, उस समय लागू कर और दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय और आउट ऑफ पॉकेट भत्ते की प्रतिपूर्ति, एम. शोम एंड बनर्जी, कोलकाता (बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए) मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली (भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के लिए) तथा मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर (मिश्र धातु स्टील्स प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए), लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान किया जाना है, इसके लिए एतद्द्वारा पुष्टि की जानी है।"

"**संकल्प है** कि कंपनी को निदेशक मंडल को, सभी कार्य करने के लिए और इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समचीन हो।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(एम. बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 जुलाई, 2019
पंजीकृत कार्यालयः
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003।
CIN: L27109DL1973GOI006454

टिप्पणियांः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, उपरोक्त व्यावसायिक मद सं. 6 से 12 के संबंध में से इसके साथ संलग्न हैं। निदेशक के रुप में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति (यों) के प्रासंगिक विवरण सेबी के विनियमन 36(3) के (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 भी इसके साथ संलग्न हैं।
2. कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित रहने और वोट देने का पात्र है, वह स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का पात्र है। ऐसे प्रॉक्सी का, कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी के प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक की शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी को मिल जाना चाहिए। प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।
   कोई भी व्यक्ति, सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रुप में कार्य कर सकता है जो कि 50 से अधिक नहीं हो और उनकी धारिता का योग, कंपनी के वोटिंग करने के अधिकारों की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो। कंपनी के वोटिंग करने के अधिकारों की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक धारिता वाला व्यक्ति केवल एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयर धारक के लिए प्रॉक्सी का कार्य नहीं कर सकता है।
3. केवल उपस्थित पर्ची रखने वाले सदस्य या कंपनी के पास पंजीकृत वैध प्रॉक्सी धारकों को बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। संयुक्त नाम या विभिन्न पंजीकृत फोलियो के तहत धारित शेयरों के मामले में, जिसमें एकल धारक/पहले संयुक्त धारक का नाम समान है, केवल पहले संयुक्त धारक/एकल धारक या ऐसे धारक द्वारा नियुक्त किसी भी प्रॉक्सी को, यथास्थिति, बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।
4. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) को भेजने का इरादा रखने वाले कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति के साथ बैठक में उनकी ओर से उपस्थित होने तथा वोट देने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की सूचना कंपनी को प्रस्तुत करें।
5. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएँ क्योंकि अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
6. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर शनिवार, 24 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित), वार्षिक आम बैठक और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश का भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा। यदि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश, बैठक में अनुमोदित किया जाता है तो इस तरह के लाभांश का भुगतान गुरुवार, 5 सितंबर, 2019 को और ऐसे व्यक्तियों को (i) भौतिक शेयर रखने वाले उन सभी सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर में शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को दर्ज हैं, इससे पहले शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को व्यावसायिक घंटों या इसके बंद होने से पहले, कंपनी के पास ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के लिए वैध अनुरोधों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और (ii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, इस प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को कारोबार के समय के अनुसार शेयरों के सभी लाभकारी मालिकों को भुगतान किया जाएगा।
7. मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, कंपनी की शेयर से संबंधित सभी गतिविधियों अर्थात स्थानांतरण/पारेषण/ट्रांसपोजिशन/डिमैटेरियलाइजेशन/रिमेटिरियलाइजेशन/विभाजन/शेयरों के समेकन, पते का परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन दाखिल करने, लाभांश भुगतान और संबद्ध गतिविधियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (R&TA) के रूप में कार्य कर रहे हैं। शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे भविष्य में, शेयर हस्तांतरण और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित सभी पत्राचार केवल निम्न पते पर करें:
   मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ –65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण–I, नई दिल्ली –110020
   फोन नं. 011–41406149, ई–मेलः admin@mcsregistrars.com
8. **डीमैटेरियलाइजेशन**

i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियम यह प्रदान करते हैं कि सेल के इक्विटी शेयरों को व्यापार के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से डीमैटेरियलाइज्ड रूप में वितरित किया जाना है। **इसके अलावा, सेबी ने दिनांक 8 जून, 2018 (बाद में संशोधित) अधिसूचना सं. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/24 में यह अनिवार्य किया गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैटलाइज्ड फार्म में होगा। हालांकि अधिकांश शेयरधारकों ने अपनी होल्डिंग को डीमैट फार्म में बदल दिया है परंतु यह देखा गया है कि कुछ शेयर धारक अभी भी अपने शेयरों को पेपर फार्म (भौतिक) में रखते हैं। इस संबंध में, शेयर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में से किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना अधिकृत डीमैट खाता खोलें और अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करवा लें।**

ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने डाकघरों के पिन कोड सहित, बड़े अक्षरों में पूर्ण पते को सूचित करने के लिए, यदि कोई हो, अपने पते में परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए, जो अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक फार्म (डीमैट) में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पते में बदलाव की सूचना देनी चाहिए।

iii) नामांकन करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के शेयर एंड ट्रांसफर एजेंटों से नामांकन फार्म एकत्र करें और इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (यों) से नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

iv) **ईएफटी अधि देश**

शेयरों को भौतिक या डीमैट फार्म रखने वाले शेयर धारकों को, कंपनी से भविष्य के किसी भी भुगतान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) को चुनने की सलाह दी जाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र संख्या SEBI/ HO/MIRSD/DOP1/ CIR/2018/73 को केवल अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक मोड और बैंक विवरण और पैन के माध्यम से, लाभांश का भुगतान करने का निर्देश दिया है। शेयरधारकों के बैंक विवरण और पैन के विवरणों को प्राप्त किया जाए, यदि कंपनी के पास पहले से ये विवरण उपलब्ध नहीं है तो उनके फोलियों में अद्यतन किया जाए। EFT के तहत, भुगतान निर्देश इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरिंग अथॉरिटी (RBI या SBI) को बैंकर (आदाता के बैंकर) द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियरिंग अथॉरिटी भुगतान कर्ता के बैंक की क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करती है जो अपने से संबंधित खातों को राशि क्रेडिट करती है। अंतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि यदि ग्राहक अपनी होल्डिंग भौतिक रुप में रखता है तो EFT का चयन करने वाले शेयर धारक अपने बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, खाते का प्रकार, शाखा का नाम, 9 अंकों की MICR संख्या, अपने नाम और फोलियो संख्या (DP-ID/ग्राहक ID) के साथ प्रदान करें। यदि उनकी होल्डिंग डीमैट फार्म में है तो डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दे दें। तदनुसार, ऐसे शेयर धारक, जो भौतिक रूप में शेयरों को रखने और लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट आदि द्वारा लाभांश प्राप्त करने के इच्छुक है, से भी संलग्न फार्म भरने और इसे स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की प्रति के साथ जमा करने का अनुरोध किया जाता है, एक मूल रद्द चेक/सत्यापित बैंक पास बुक की प्रति जिसमें खाता धारक का नाम दर्शाया गया है, की कॉपी भविष्य में किसी भी लाभांश के भुगतान के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सेल के शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मैसर्स एमसीएस शेयर हस्तांतरण एजेंटस लिमिटेड, को भेज दें।

9. एक से अधिक फोलियो में समान नामों के क्रम में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर सर्टिफिकेट को संलग्न करके, कंपनी को एक फोलियो में अपनी हिस्सेदारी को समेकित करने हेतु कंपनी/आरएंडटीए को लिखें।
10. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 (अंतरिम) तक के दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया है। तत्पश्चात, कंपनी ने निम्न लाभांश का भुगतान/घोषित किया हैः

वर्ष	अंतरिम लाभांश (%)	अंतिम लाभांश (%)
2011–2012		8.00
2012–2013	16.00	4.00
2013–2014	20.20	–
2014–2015	17.50	2.50
2015–2016	–	–
2016–2017	–	–
2017–2018	–	–

जिन शेयर धारकों ने ऊपर दिए गए अपने लाभांश वारंट का भुगतान प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी पर अपना दावा कर दें।

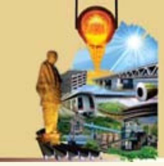

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम, 2016, ('नियम') के साथ में पठित में दिया गया है कि इस खंड के अनुसरण में, किसी कंपनी के अप्रदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित कोई भी राशि, इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए जो अप्रदत्त या दावे रहित बनी रहती है, कंपनी द्वारा अर्जित किए गए ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) को हस्तांतरित की जाएगी। उक्त प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 (अंतरिम लाभांश) तक घोषित सभी अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश को हस्तांतरित कर दिया है। सात साल की अवधि पूरी होने पर, कंपनी नवंबर, 2019 में वित्तीय वर्ष 2011–12 के अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश (अंतिम) को हस्तांतरित कर दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6), नियमों के साथ पठित, कहती है कि जिन शेयरों में लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों या इससे अधिक अवधि तक भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें IEPF के नाम से कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन किया है और नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन शेयरों को स्थानांतरित कर दिया है जो IEPF को हस्तांतरण के लिए पात्र हो गए थे। कंपनी ने उन संबंधित शेयर धारकों को व्यक्तिगत सूचना भेजी है, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त या दावा रहित बना हुआ है जिसमें IEPF को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों का पूरा विवरण प्रदान किया जाता है। कंपनी ने इस तरह के शेयरधारकों को शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए अपने दावा रहित लाभांश के नकदी करण करने की सलाह देते हुए समाचार पत्रों में नोटिस भी प्रकाशित किया है। IEPF में स्थानांतरण के लिए ऐसे शेयर धारकों और शेयरों के विवरणों को कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

IEPF को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों के दावेदार, IEPF में आवेदन करके धन वापसी का दावा करने के पात्र हैं।

11. खातों या नोटिस में निहित किसी भी अन्य मामले पर आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए, बैठक से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को लिखने का अनुरोध किया जाता है ताकि बैठक में प्रासंगिक जानकारी तैयार रखी जा सके।

12. **कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कॉरपोरेट प्रशासन में ग्रीन पहल**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('मंत्रालय') ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमति देकर 'कॉरपोरेट प्रशासन में ग्रीन पहल' की है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, कंपनियां अब विभिन्न नोटिस/दस्तावेज (नोटिस सहित) सामान्य बैठकें बुलाने के लिए सूचना, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि को शेयर धारकों के पंजीकृत ई–मेल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज सकती है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपरोक्त नोटिस/दस्तावेज प्राप्त करने का विकल्प चुनें। उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास या कंपनी के R&TA अर्थात मैसर्स एमसीएस शेयर हस्तांतरण एजेंट लिमिटेड के ऊपर दिए गए पते पर इस उद्देश्य के लिए अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करें या **admin@mcsregistrars.com** पर ई–मेल करें।

कृपया ध्यान दें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध होंगे और जैसा कि कहा गया है, इनकी भौतिक प्रतियां भी पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

13. **ऑडिटोरियम में प्रवेश की अनुमति केवल प्रवेश स्थल के काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची और उपस्थिति पर्ची के विनिमय पर होगी।**

14. **ऑडिटोरियम में किसी भी ब्रीफकेस या बैग या मोबाइल फोन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।**

15. **ई–मतदान के लिए सामान्य सूचना और निर्देशः**

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 यथा संशोधित, और अन्य लागू प्रावधान, यदि हो तो, कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी के विनियमन 44 (सूचीकरण बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक आम बैठक (AGM) में प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है। सदस्य, AGM के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रिक मतदान प्रणाली (दूरस्थ ई–वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं।

II. मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा AGM स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और AGM में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना वोट दूरस्थ ई–वोटिंग से नहीं डाला है, वे मतपत्र मतदान प्रणाली के माध्यम से AGM में मतदान कर सकेंगे।

III. जिन सदस्यों ने AGM से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी AGM में शामिल हो सकते हैं परंतु फिर से अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

IV. कंपनी ने दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

V. कंपनी के निदेशक मंडल ने फर्म मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स में कंपनी सचिव के रुप में कार्यरत श्री सचिन अग्रवाल को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया है (और उनकी अनुपस्थिति में मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स से सुश्री करिश्मा सिंह) ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से AGM के आयोजन स्थल पर दूरस्थ ई–वोटिंग और मतदान की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में चुना है और उसने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त होने और उपलब्ध होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

VI. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में, कट–ऑफ तारीख अर्थात 23 अगस्त, 2019 को दर्ज है, केवल वही दूरस्थ ई–वोटिंग या AGM स्थल पर मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।

VII. कोई व्यक्ति जो AGM के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ डेट अर्थात 23 अगस्त, 2019 तक शेयरों को होल्ड करता है, **लॉगिन आईडी और पास वर्ड बनाने के लिए प्रक्रिया का पालन कर सकता है।**

VIII. दूरस्थ ई–मतदान की अवधि 27 अगस्त, 2019 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होती है और 29 अगस्त, 2019 (शाम 5:00 बजे) समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में कंपनी के शेयरों को रखने वाले सदस्य, 23 अगस्त, 2019 की कट–ऑफ तारीख पर, दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई–वोटिंग मॉड्यूल को मैसर्स NSDL द्वारा, उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। **किसी भी सदस्य द्वारा किसी एक प्रस्ताव पर वोट देने के बाद, सदस्य को इसे बाद में बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

IX. संवीक्षक, (मतपत्र) के AGM स्थान पर और दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करने के बाद, परंतु AGM के निष्कर्ष से 48 घंटे बाद नहीं, एक समेकित जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको अध्यक्ष को या लिखित रूप में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणामों को कंपनी की वेबसाइट– www.sail.co.in और NSDL की वेबसाइट पर रखा जाएगा। परिणाम साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे।

X. अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त करने के अधीन, प्रस्तावों को AGM की तारीख अर्थात 30 अगस्त, 2019 को पारित माना जाएगा।

XI. दूरस्थ ई–मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार हैं:

क. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का तरीका "दो चरण" में शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ पर NSDL ई–वोटिंग सिस्टम में लॉग–इन करें

चरण 2: NSDL ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

चरण 1 पर विवरण नीचे दिए गए हैं:

NSDL ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग–इन कैसे करें?

(i) NSDL की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL को या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/

(ii) ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, आइकन 'लॉगिन' पर क्लिक करें जो 'शेयर होल्डर' सेक्शन में उपलब्ध है।

(iii) एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपनी यूजर आईडी, अपना पास वर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक तौर पर, यदि आप NSDL ई सेवा अर्थात IDEAS पर पंजीकृत हैं तो आप https://eservices.nsdl.com/ पर अपने मौजूदा IDEAS लॉग–इन कर सकते हैं। NSDL की ई सेवाओं पर एक बार लॉग–इन करने के बाद, आपके लॉग–इन विवरणों का उपयोग करने के बाद, ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रानिकल रुप से डाल सकते हैं।

(iv) आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण का तरीका अर्थात डीमैट (NSDL या CDSL) या भौतिक रूप में	**आपकी यूजर आईडी:**
क) जिन सदस्यों के शेयर NSDL के पास डीमैट खाते में हैं,	8 करेक्टर में DP ID जिसके बाद 8 अंक में क्लाइंट आई डी
	उदाहरण के लिए यदि आपकी DP ID is IN300*** और क्लाइंट ID is 12****** है तो आपकी यूजर ID IN300***12****** है।
इ) जिन सदस्यों के शेयर CDSL के पास डीमैट खाते में है	16 अंकों की हिताधिकारी ID, उदाहरण के लिए यदि आपकी हिताधिकारी ID 12************** है तो आपकी यूजर ID 12************** है।
ब) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं।	सम संख्या में है, बाद में फोलियो है कंपनी के पास पंजीकृत संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियों संख्या 001*** और सम संख्या 101456 है तो यूजर ID 101456001*** है।

(v) आपके पास वर्ड का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा पास वर्ड का उपयोग लॉगिन और वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

(ख) यदि आप पहली बार NSDL ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा, जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना प्रारंभिक पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

(ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपके ईमेल आईडी पर आपका "प्रारंभिक पासवर्ड" भेजा जाता है। NSDL से आपके मेल पर आपके द्वारा भेजे गए ईमेल

का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात .pdf फाइल खोलें। .Pdf फाइल को खोलने का पासवर्ड NSDL खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है जो CDSL खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंकों या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .Pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते को देते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

(vi) यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:

(क) (यदि आप NSDL या CDSL के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "भूल गए उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड" पर क्लिक करें।

(ख) "भौतिक उपयोगकर्ता रिसेट पासवर्ड?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयरधारण कर रहे हैं) तो www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध।

(ग) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाते की संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

(घ) सदस्य NSDL के ई–वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

(vii) अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर "नियम और शर्तों" का चयन करके सहमत हों, पर टिक लगाएं।

(viii) अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

(ix) "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 का विवरण नीचे दिए गए हैं:

NSDL ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई–वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई–वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
3. उस कंपनी का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।
4. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।
5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट करें" और "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
7. पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, HUF, NRI आदि के अलावा) को, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ, संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (PDF/JPG प्रारूप) में, संवीक्षक sachinag1981@gmail.com पर भेजने की आवश्यकता होती है जिसकी प्रति NSDL's email ID & evoting@nsdl.co.in को भी की जाएगी।

ग. दृढ़ता के साथ यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में पांच असफल प्रयासों के बाद कुंजी अक्षम हो जाएगी। इस तरह की घटना में, "उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रिसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से जाने की आवश्यकता है।

घ. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयर धारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का संदर्भ कर सकते हैं और शेयर धारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

XII. जो लोग नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं परंतु **कट–ऑफ** की तारीख को या इससे पहले NSDL को evoting@nsdl.co.in पर मेल कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने पर, वोट डालने के लिए उपरोक्त ए में 2 चरणों के विवरण का पालन किया जाना चाहिए।

XIII. किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) और ई–वोटिंग मैनुअल का संदर्भ कर सकते हैं जो NSDL की ई–वोटिंग वेबसाइट– http://www.evoting.nsdl.com के मदद अनुभाग के तहत उपलब्ध है या पल्लवी, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4वें और 5 वें तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई –400013 पर टेलीफोन नं. 91-22-24994545/91-22-24994600 या टोल फ्री नंबर 1800 222 990 पर या ईमेल आईडीः evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

नोटिस पर संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के खंड के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 6

सीए प्रमोद बिंदल (DIN: 06389570), को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन पर सरकार के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश संख्या F.No. 6(13)/2015–BLA को 18 नवंबर, 2015 से तीन साल की अवधि के लिए कंपनी के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के दिनांक 19 नवंबर, 2018 के आदेश F.No. 1(10)/2015-BLA (Vol-III-Pt.) (वॉल्यूम–III–पीटी) को सीए प्रमोद बिंदल को 18 नवंबर, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए, 18 नवंबर, 2018 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, फिर से, उनके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया गया है। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सीए प्रमोद बिंदल को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से, 18 नवंबर, 2018 से गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त है। उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के अनुसार, सीए प्रमोद बिंदल आगामी आम बैठक की तारीख तक कार्यालय धारण करेंगे। कंपनी के निदेशक के कार्यालय के लिए सीए प्रमोद बिंदल की उम्मीदवारी का प्रस्ताव, अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित में, कंपनी को नोटिस मिला है।

सीए प्रमोद बिंदल, आयु 57 वर्ष, चंडीगढ़ में सनदी लेखाकार (सीए) ए है। उन्होंने नवंबर, 1989 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीअ की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने 2005 में मध्यस्थता सर्टिफिकेट कोर्स और 2013 में अप्रत्यक्ष कर में सर्टिफिकेट कोर्स, दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से किए हैं। विशेषज्ञता का उनका क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, कंपनी के के कानूनी मामले, लेखा, आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा है। उनके पास सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि के सांविधिक लेखापरीक्षा का दो दशकों का अनुभव है।

वह कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उनके पास वायु एग्रो फार्म्स प्राइवेट लि. में, इसकी निर्गम पूंजी का 50% हिस्सा, ₹10/– के 5000 अंश पत्र हैं।

सीए प्रमोद बिंदल को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। सीए प्रमोद बिंदल से कंपनी को घोषणा मिली है कि वह अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

सीए प्रमोद बिंदल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, उनकी शेयर होल्डिंग रूचि की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस की मद संख्या 6 पर निर्धारित संकल्प में, कंपनी में आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

सीए प्रमोद बिंदल की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रहना चाहिए और शेयर धारकों के अनुमोदन के लिए, इस संकल्प की सिफारिश को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 7

प्रो. अशोक गुप्ता (DIN: 07342950) को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किए जाने पर सरकार के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश F.No. 6(13)/2015-BLA द्वारा 18 नवंबर, 2015 से तीन साल की अवधि के लिए कंपनी के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 19 नवंबर, 2018 के आदेश F.No. 1(10)/2015-BLA (Vol-III-Pt.) द्वारा प्रो. अशोक गुप्ता को 18 नवंबर, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, उनके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, फिर से नियुक्त किया गया है। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रो. अशोक गुप्ता को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में, दिनांक 18 नवंबर, 2018 को, फिर से नियुक्त किया था। गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2018 से, एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रो. अशोक गुप्ता आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यभार संभालेंगे। कंपनी के निदेशक के कार्यालय के लिए प्रो. अशोक गुप्ता की उम्मीदवारी के प्रस्ताव का नोटिस, अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित में कंपनी को मिला है।

प्रो. अशोक गुप्ता, जिनकी आयु 62 वर्ष है, आई आई टी, दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग में आई आई टी, दिल्ली से 1979 में की और 1984 में आई आई टी, दिल्ली से पी एच डी की है। भारत और विदेशों में उनका लगभग तीस वर्षों का शोध और अध्यापन का अनुभव है। उन्होंने पांच पीएचडी थीसिस, कई एम.टेक और बी. टेक. परियोजनाओं की देखरेख की है। उनकी अनेक पुस्तकें और प्रमुख पत्रिकाओं और सहकर्मी समीक्षा सम्मेलनों में अस्सी से अधिक पत्र प्रकाशित हुए हैं। विशेषज्ञता के उनके क्षेत्रों में भूकंप इंजीनियरिंग, संरचनाओं की स्वास्थ्य निगरानी और ई–लर्निंग शामिल हैं। उन्होंने एमआईटी (यूएसए), ईपीएफएल (स्विट्जरलैंड) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (सिंगापुर) में विजिटिंग अनुसंधान और शिक्षण नियुक्तियों का आयोजन किया है। वह 2004 से 2007 तक, पूर्व छात्र मामलों के डीन और 2007 से 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के डीन, आईआईटी, दिल्ली में 2012 से 2014 तक डीन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और आईआईटी, दिल्ली के प्रशासक बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे हैं।

प्रो. अशोक गुप्ता को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। कंपनी को प्रो. अशोक गुप्ता से एक घोषणा प्राप्त हुआ है कि वह अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों के अनुरूप है।

प्रो. अशोक गुप्ता और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, उनकी शेयर धारिता की मात्रा के कंपनी में हित, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके

रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस की मद संख्या 7 में निर्धारित संकल्प के संबंध में आर्थिक रूप से या अन्यथा इच्छुक नहीं है।

प्रो. अशोक गुप्ता की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को, निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रहना चाहिए और शेयर धारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश, विशेष प्रस्ताव के रूप में करनी चाहिए।

मद संख्या 8

श्रीमती अंशु वैश्य (DIN: 02924346) का नामांकन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सरकार के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश F.No. 6(13)/2015-BLA द्वारा, 18 नवंबर, 2015 से तीन साल की अवधि के लिए कंपनी के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किया गया था। भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 19 नवंबर, 2018 के आदेश F.No. 1(10)/2015-BLA (Vol-III-Pt.) द्वारा सुश्री अंशु वैश्य को 18 नवंबर, 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए, उसके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया था। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सुश्री अंशु वैश्य को दिनांक 18 नवंबर, 2018 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2018 से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए है। श्रीमती अंशु वैश्य आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रहेंगी। कंपनी के निदेशक के कार्यालय के लिए सुश्री अंशु वैश्य की उम्मीदवारी का प्रस्ताव, अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी को लिखित में नोटिस मिला है।

श्रीमती अंशु वैश्य, आयु 67 वर्ष, मध्य प्रदेश कैडर के 1975 बैच के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। वह इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एक लोक सेवक के रूप में 37 वर्षों के अनुभव के दौरान, उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार में वाणिज्य और उद्योग, पर्यटन और संस्कृति, महिला और बाल विकास, ग्रामीण उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण और शिक्षा जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग में विभिन्न क्षमताओं में भारत सरकार में काम करने का अनुभव भी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक और अंत में सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में कार्य किया हैं।

वह कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष हैं। वह विभिन्न गैर–सरकारी संगठन की गवर्निंग बॉडी जैसे कि रंगा श्री लिटिल बैले ट्रूप (LBT), भोपाल, प्रधान, नई दिल्ली, कथा, नई दिल्ली, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, नई दिल्ली और स्वामी शिवानंद मेमोरियल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली की सदस्य भी हैं। वह एम्स, भोपाल निकाय संस्थान की सदस्य भी हैं।

श्रीमती अंशु वैश्य को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। कंपनी को सुश्री अंशु वैश्य से घोषणा पत्र की प्रति मिली है कि वह अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

श्रीमती अंशु वैश्य और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, उनकी शेयर धारिता की मात्रा के कंपनी में हित, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस की मद संख्या 8 में निर्धारित संकल्प के संबंध में आर्थिक रूप से या अन्यथा इच्छुक नहीं है।

श्रीमती अंशु वैश्य की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रहना चाहिए और शेयर धारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश विशेष प्रस्ताव के रूप में करनी।

मद संख्या 9

भारत सरकार, स्टील मंत्रालय के दिनांक 14 दिसंबर, 2018 के आदेश संख्या F.No. 1(10)/2015-BLA (Vol-III-Pt.) के अनुसरण में, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (DIN: 03476812) को 21 दिसंबर, 2018 से प्रभावी, कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 21 दिसंबर, 2018 से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक तीन साल की अवधि के लिए है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 161 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रहेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 160 के तहत, कंपनी के निदेशक के कार्यालय के लिए श्री कृष्ण कुमार गुप्ता की उम्मीदवारी के प्रस्ताव का लिखित में नोटिस मिला है।

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, जिनकी आयु 63 वर्ष है, को तेल और गैस उद्योग में लॉजिस्टिक्स और विपणन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्होंने मार्च, 2011 से फरवरी, 2016 तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बोर्ड में निदेशक (विपणन) के रूप में कार्य किया है, इससे पहले उन्होंने कार्यकारी निदेशक प्रभारी (खुदरा), कार्यकारी निदेशक (ल्यूब्स) और महाप्रबंधक (लॉजिस्टिक) के पदों पर काम किया है। वह अन्य कंपनियों के बोर्ड में जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, साबरमती गैस लिमिटेड, मैट्रिक्स भारत पीटीई लिमिटेड, भारत स्टार्स सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, भारत स्टार्स सर्विसेज (दिल्ली) प्रा. लिमिटेड में भी रहे हैं। श्री गुप्ता ने बी.एससी.। इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) और एमएससी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी से रोटोडायनामिक्स में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हैं।

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। कंपनी को श्री कृष्ण कुमार गुप्ता से घोषणा प्राप्त हुई है कि वह अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, उनकी शेयर धारिता की मात्रा के कंपनी में हित, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस की मद संख्या 9 में निर्धारित संकल्प के संबंध में आर्थिक रूप से या अन्यथा इच्छुक नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए और शेयर धारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करनी चाहिए।

मद संख्या 10

दिनांक 27 मार्च, 2019 को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के आदेश संख्या No. 6/1/2018-BLA के अनुसरण में, श्री विवेक गुप्ता (DIN: 08370793) को मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक के रूप में 27 मार्च, 2019 से नियुक्त किया गया था बशर्ते कि वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा उनकी पुनः नियुक्ति अनुमोदित कर दी जाए। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 27 मार्च, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति (31.07.2020) की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार वह रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के अंतर्नियमों के संदर्भ में, वह आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 160 के तहत, कंपनी के निदेशक के पद के उम्मीदवार के लिए श्री विवेक गुप्ता के नाम का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है।

श्री विवेक गुप्ता सिविल इंजीनियर हैं, उन्हें कंपनी के दोनों प्लांट के साथ–साथ कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न क्षमताओं में काम करने का 38 से अधिक वर्षों का अनुभव हैं। शुरुआत में जूनियर मैनेजर के रूप में इस्को स्टील प्लांट में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य करने से पहले महाप्रबंधक (परियोजना) के स्तर पर कार्य किया। तत्पश्चात, उन्होंने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के प्रभारी के रूप में तैनात किया गया। निदेशक (कच्चा माल और लॉजिस्टिक्स) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वह कंपनी के कच्चे माल डिवीजन (आरएमडी) में कार्यकारी निदेशक (परियोजना और ऑपरेशंस) के रूप में तैनात थे, जो आरएमडी परियोजनाओं और परिचालन गतिविधियों की देखरेख करते थे।

श्री विवेक गुप्ता को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री विवेक गुप्ता और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, उनकी शेयर धारिता की मात्रा के कंपनी में हित, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस की मद संख्या 10 में निर्धारित संकल्प के संबंध में आर्थिक रूप से या अन्यथा इच्छुक नहीं है।

बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करनी चाहिए।

मद संख्या 11

आपकी कंपनी द्वारा अपने संयंत्रों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम और अपनी स्वयं की खानों से कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि करने का कार्य जारी है। विस्तार कार्यक्रम को ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। कंपनी ने 30 जून, 2019 तक अपने विस्तार कार्यक्रम पर पहले ही लगभग ₹ 69,623 करोड़ खर्च किए हैं। विस्तार कार्यक्रम के साथ–साथ लघु ऋणों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित करने के लिए, आपकी कंपनी की योजना लगभग ₹ 5,000 करोड़, इस वार्षिक आम बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान या कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत जब तक अनुमति दी जा सकती है, उधार लेने की है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उधार के माध्यम से धन जुटाने के विभिन्न विकल्पों के विश्लेषण पर, निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निधि को बढ़ाकर ₹ 5,000 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधान, कंपनी के नियम 14 (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों के आवंटन) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के लिए, कंपनी को गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉन्ड के माध्यम से, विशेष संकल्प से शेयर धारकों की मंजूरी लेने का दायित्व है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 11 में निर्धारित प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी चाही गई है जिससे कि ₹ 5,000 करोड़ तक की राशि के सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉन्ड का पेशकश प्रस्ताव या आमंत्रण द्वारा धन उधार लेने की मांग की जा सके। यह प्रस्ताव इस एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। आवश्यकतानुसार गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉन्ड के नियम और शर्तें निदेशक मंडल/इसकी समिति या किसी एक या एक से अधिक निदेशकों द्वारा तय किए जाएंगे।

कंपनी के उधार, आम तौर पर कंपनी की समस्त चल या अचल संपत्तियों पर बंधक/प्रभार/दृष्टिबंधन या भार सहित के द्वारा सुरक्षित करने की आवश्यकता हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के संदर्भ में सदस्यों से सहमति मांगी जा रही है ताकि कंपनी को वर्तमान और भविष्य में वर्तमान और भावी दोनों में से किसी भी चल, अचल संपत्ति पर चार्ज, दृष्टिबंधन, बंधक बनाने में सक्षम बनाया जा सके और कंपनी के उपक्रम या उपक्रमों के पूरे या काफी हद तक और जहां भी स्थित हैं और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जा सके।

बोर्ड विशेष अनुमोदन के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

नोटिस के मद नंबर 11 में निर्धारित संकल्प में कंपनी के किसी भी निदेशक और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार (रिश्तेदारों) का कोई संबंध या उनकी रुचि नहीं है।

मद संख्या 12

कंपनी के निदेशक मंडल ने, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर (बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए) मैसर्स शोम एंड बनर्जी, मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली (भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के लिए) और मैसर्स. आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर (मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए) को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में ₹ 11,70,000/–. पारिश्रमिक पर लागू कर और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय और आउट ऑफ पॉकेट व्यय की दर पर नियुक्ति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके अलावा, मेसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर को XBRL कंवर्जन के लिए लीड कॉस्ट ऑडिटर के रूप में नामित किया गया है और कंपनी के समेकित कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को ₹ 42,000/– के अतिरिक्त शुल्क

पर लागू कर सहित, नामित किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 (3) के अनुसरण में, जिसे कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाए, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक की कंपनी के सदस्यों द्वारा बाद में पुष्टि की जानी आवश्यक है। तदनुसार, नोटिस के मद नंबर 12 पर निर्धारित लागत लेखापरीक्षकों की फीस के अनुसमर्थन का प्रस्ताव शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड आपकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी के निदेशकों और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और/या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी संकल्प में चिंतित या इच्छुक नहीं है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 जुलाई, 2019
पंजीकृत कार्यालयः
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003।
CIN: L27109DL1973GOI006454

निदेशक मंडल के आदेश से

(एम. बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

सेबी विनियमों के संदर्भ में वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरणः

निदेशक का नाम	श्रीमती सोमा मंडल	श्री अतुल श्रीवास्तव	सीए प्रमोद बिंदल	प्रो. अशोक गुप्ता	श्रीमती अंशु वैश्य	श्री कृष्ण कुमार	श्री विवेक गुप्ता
DIN	06845389	07957068	06389570	07342950	02924346	03476812	08370793
जन्म तिथि	21 अप्रैल, 1963	6 जनवरी, 1962	1 अक्तूबर, 1962	6 जून, 1957	4 सितंबर, 1952	1 मार्च, 1956	6 जुलाई, 1960
नियुक्ति तिथि	1 मार्च, 2017	12 मार्च, 2018	18 नवंबर, 2018	18 नवंबर, 2018	18 नवंबर, 2018	21 दिसंबर, 2018	27 मार्च, 2019
कार्यक्षेत्र में विशिष्टता	विपणन	मानव संसाधन प्रबंधन, एच आर नीतियां;	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, कंपनी लॉ मामले, आंतरिक ऑडिट और सांविधिक ऑडिट;	भूकम्प इंजीनियरिंग; स्ट्रक्चरल की हेल्थ मॉनिटरिंग और ई लर्निंग	प्रशासन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, शिक्षा;	विपणन और लॉजिस्टिक;	परियोजनाएं, प्रशासन;
योग्यताएं	बी.एस सी. इंजनीरिंग	बी. टेक. (मेकैनिकल) पीजीडीएम (एच आर में विशेषज्ञता)	सनदी लेखाकार	बी. टेक, पी एच डी	एम ए (इतिहास) एम ए (अर्थशास्त्र)	बी. एस सी. (इंजनीयरिंग–मेकेनिकल) एम एस सी (इंजनीरिंग) डिप्लोमा इन रोटोडायनॉमिक	बी ई (सिविल इंजनीरिंग), डिप्लोमा इन मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन प्रॉजेक्ट मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मेनेजमेंट
उन कंपनियों के नाम जिनमें बाह्य निदेशक हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	आई आर एम एनर्जी प्रा. लि.	भिलाई जे पी सिमेंट लि.
उन कंपनियों के नाम जिनमें वह अध्यक्ष/सदस्य है। जिनमें वह निदेशक हैं	सदस्यः ऑपरेशनल मामले समिति	सदस्यः स्टेक धारक संबंध समिति, सीएसआर समिति, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समिति	अध्यक्षः ऑडिट समितिः सदस्यः परियोजनाएं समितियां, रणनीरिक मामलें एवं संयुक्त वेंचर समिति, ऑपरेशनल मामलें समिति	अध्यक्षः स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति, ऑपरेशनल मामलें समिति, ऑडिट समिति, सी एस आर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति	अध्यक्षः नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सदस्यः ऑडिट समिति, हेल्थ सुरक्षा और पर्यावरण समिति, रणनीरिक मामलें एवं संयुक्त वेंचर समीति, सी एस आर समिति	सदस्य; परियोजना समिति, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समिति, सी एस आर समिति, ऑडिट समिति (मेसर्स आई आर एम एनर्जी प्रा. लि.)	सदस्यः ऑपरेशनल मामले समिति, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समिति
सेल में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालकटोरा स्टेडियम – रास्ते का नक्शा

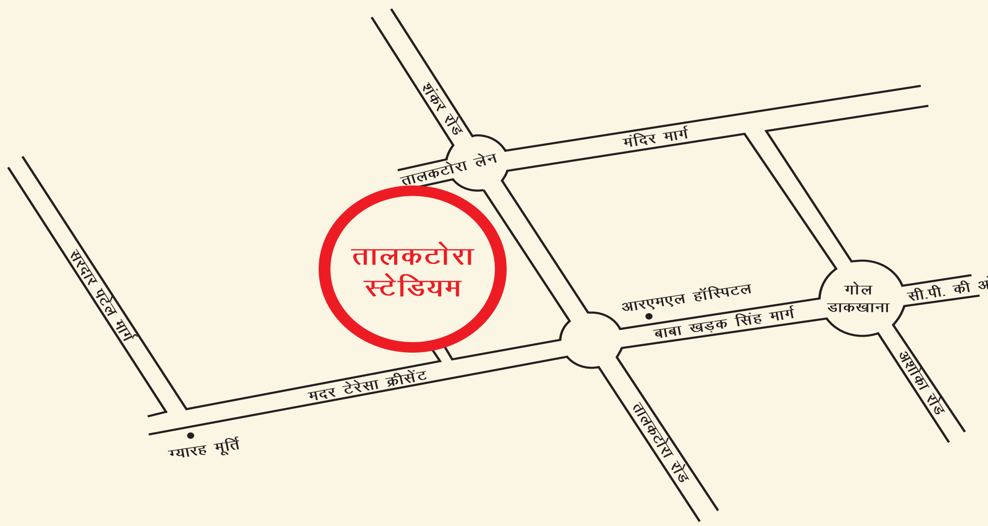

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

CIN: L27109DL1973GOI006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor-relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

उपस्थिति पर्ची

शुक्रवार 30 अगस्त, 2019 को 10:30 बजे आयोजित 47वीं सामान्य वार्षिक बैठक

भाग लेने वाले सदस्य का नाम	
*फोलियो नम्बर	
डीपी आईडी नम्बर/क्लाइंट आईडी	
शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (बडे अक्षरों में भरा जाना है, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा है)	

मैं एतद द्वारा कम्पनी की 47वीं सामान्य वार्षिक बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं जो शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में आयोजित है।

*यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो लागू है

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षरः ....

नोटः

1. उपस्थिति पर्ची पर आरएंडटीए/डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। ऐसी विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची को पंजीकरण काउंटर पर उस जगह सौंप दिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ आरएंडटीए प्रवेश पर्ची जारी करेगा।
2. हॉल में प्रवेश पूर्णतया प्रवेश पर्ची के आधार पर किया जाएगा जैसा कि आरएंडटीए द्वारा दिया गया है।
3. सदस्य/प्रॉक्सी धारक सदस्य पहचान/सत्यापन के लिए फोटो–आईडी कार्ड साथ रखें।
4. शेयरधारक (व्यक्ति) व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित होंगे, केवल उनको ही बैठक में भाग लेने दिया जाएगा।
5. सुरक्षा उद्देश्यों से, सभा स्थल के अंदर ब्रीफकेस, मोबाइल फोन, बैग, खाने–पीने का सामान, हेलमेट और अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इनकी देखभाल करना शेयरधारक/प्रॉक्सी धारकों की अपनी जिम्मेदारी होगी।
6. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।

. . . .

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

CIN: L27109DL1973GOI006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor.relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

प्रतिनिधि फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी नियम, 2014 के नियम 19(3) (प्रबंधन और प्रशासन) के तहत]

सदस्य(यों) का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलियो संख्या/डीपी आईडी–ग्राहक संख्या	
ई–मेल आईडी	

मैं/हम, ...के सदस्य(यों) होते हुए, उपर्युक्त नामित कंपनी का शेयर, तदनुसार नियुक्त करता हूँः

1. नामः .... पताः ....

ई–मेल आईडीः .... हस्ताक्षरः .... , या इसके न होते हुए

2.नामः .... पताः ....

ई–मेल आईडीः .... हस्ताक्षरः .... , या इसके न होते हुए

3.नामः .... पताः ....

ई–मेल आईडीः .... हस्ताक्षरः ....

एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, ताल कटोरा में 30 अगस्त, 2019 को 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में और इस तरह के संकल्प के संबंध में किसी भी स्थगन के रूप में जो नीचे दिए गए हैं, मेरे/हमारे लिए और हमारी/हमारी (हमारी ओर से) मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होंगेः

क्रम सं. **संकल्प**

साधारण व्यवसाय

1. (i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के लिए निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट। (ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटिड समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
2. श्रीमती सोमा मंडल (DIN: 06845389) के स्थान पर निदेशक को नियुक्त करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
3. श्री अतुल श्रीवास्तव (DIN: 07957068) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर से नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।
5. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करने के लिए @ ₹ 0.50 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रत्येक।

विशेष व्यवसाय

6. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीए प्रमोद बिंदल (DIN: 06389570) को फिर से नियुक्त करना।
7. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अशोक गुप्ता (DIN: 07342950) को फिर से नियुक्त करना।
8. श्रीमती अंशु वैश्य (DIN: 02924346) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना।
9. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (DIN: 03476812) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
10. श्री विवेक गुप्ता (DIN: 08370793) को कंपनी के पूर्ण–कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
11. गैर–परिवर्तनीय ऋण पत्रों/बॉन्ड की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 5,000/– करोड़ तक उधार लेने के लिए सहमति प्राप्त करना और कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन करना।
12. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना।

कृपया ₹ 1 का रेवेन्यू टिकट लगाएं

इसे हस्ताक्षर किया गया ....दिन 2019

सदस्य(यों) का हस्ताक्षर..

प्रतिनिधि(यों) का हस्ताक्षर

टिप्पणीः

इस प्रॉक्सी फॉर्म को विधिवत प्रभावी बनाने के लिए इसे पूरी तरह से भरा जाना चाहिए और कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में वार्षिक आम बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बैंक विवरण, पैन, ईमेल आईडी आदि प्रदान करने के लिए प्रारूप

सेवा में
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
युनिटः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1,
नई दिल्ली–110020

प्रिय महोदय,

मैं / हम अपनी / हमारी सहमति देते हैं, अपने रिकॉर्ड में निम्न विवरणों को अद्यतन करने के लिए लाभांश के भुगतान को प्रभावित करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य संचार भेजने के लिए सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुपालन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के लिए।

फोलियो नम्बरः ....

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक का नामः ....

बैंक का नामः ....

शाखा का नाम एवं पताः ....

खाता संख्याः ....खाते का प्रकार (बचत खाता / चालू खाता) ....

आईएफएससी कोडः .... एमआईसीआर कोडः ....

ईमेल आईडीः .... फोन नं. ....

विवरण	शेयरधारक(कों) का नाम	पैन
प्रथम / एकमात्र शेयरधारक		
प्रथम संयुक्त शेयरधारक		
दूसरा संयुक्त शेयरधारक		

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रथम संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

दूसरे संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

तिथिः ....

स्थानः ....

संलग्न : रद्द किया हुआ मूल चेक लीफ–लेट या खाता धारक के नाम को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की सत्यापित कॉपी और पैन कार्ड (ओं) की स्वयं सत्यापित कॉपी।

एक महारत्न कम्पनी

सेल SAIL

सेल नेटवर्क

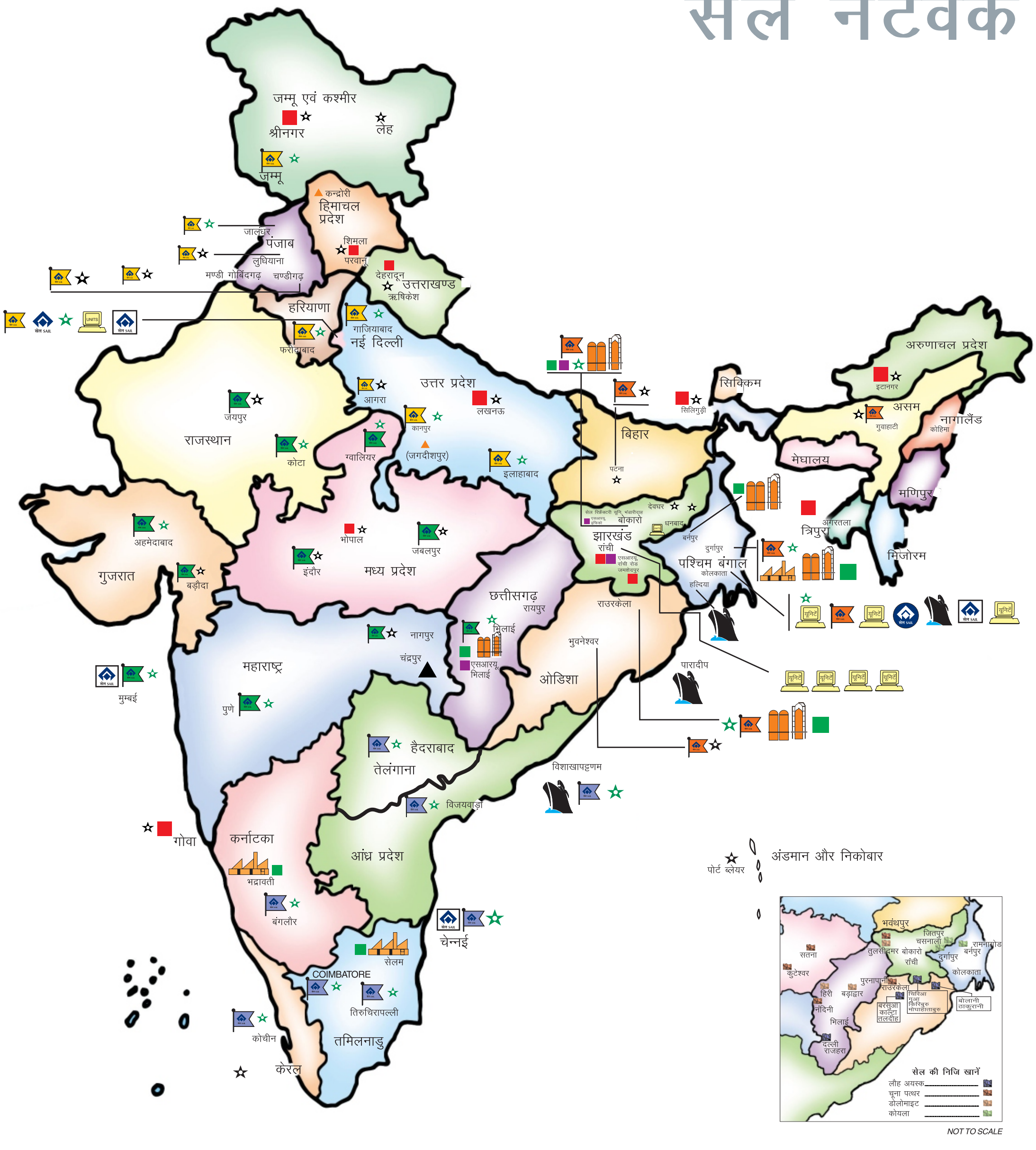

निगमित कार्यालय	
एकीकृत इस्पात संयंत्र	
मिश्र एवं विशेष इस्पात कारखाने	
फेरो एलॉय संयंत्र	
यूनिटें	
सीमओ मुख्यालय	
क्षेत्रीय कार्यालय	
स्टील प्रोसेसिंग यूनिट	
विभागीय भण्डारगृह	
कंसाइन्मेंट एजेंसी यार्ड	
बिक्री निवास प्रबंधक	
ग्राहक सम्पर्क कार्यालय	
सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट (एसआरयू)	
परिवहन एवं शिपिंग कार्यालय	
शाखा बिक्री कार्यालय	
1. उत्तरी क्षेत्र	
2. पूर्वी क्षेत्र	
3. पश्चिमी क्षेत्र	
4. दक्षिणी क्षेत्र	

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

31 जुलाई, 2019

सेल SAIL
60 उत्पादन के 60 वर्ष
1959 से
उत्कृष्टता की यात्रा

अब निश्चिंत हो जाये

सेल सिक्योर टीएमटी बार्स

- भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकता है, जिससे घरों को मिलती है बेजोड़ सुरक्षा

सेल SAIL
SeQR
TMT BARS
FOR SAFE HOMES

- इसे मिलती है साईट पर कार्य करने में असानी
- यह शुद्ध इस्पात से बना है और अपनी श्रेणी में बैस्ट है

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

ग्राहक हेल्पलाइन: **1800-345-9925**

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र:
स्कोप मीनार,कोर-1, उत्तरी टॉवर,
17वीं मंज़िल, लक्ष्मी नगर
डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, दिल्ली-110 092
फोन न. : 91-11-22441825/22421701
फैक्स न. : 91-11-22444595/22441842
ई-मेल आई डी: rmretailnr@sail-steel.com

पूर्वी क्षेत्र:
इस्पात भवन, 3 मंज़िल
40 जवाहरलाल नेहरु रोड़,
कोलकाता-700 071
फोन न. : 91-33-22882986 / 22888556
फैक्स न. : 91-33-22883960 / 22880519
ई-मेल आई डी: rmretailer@sail-steel.com

पश्चिमी क्षेत्र:
दी मट्रोपॉलीटन 8वीं एवं 9वीं मंज़िल,
ब्रांद्रा-कुंला कॉम्पलेक्स ब्रांद्रा (पूर्वी),
मुम्बई -400 051
फोन न. : 91-22-26571819 / 26571827
फैक्स न. : +91-22-26571452 / 26571996 / 26572042
ई-मेल आई डी: rmretailwr@sail-steel.com

दक्षिणी क्षेत्र:
इस्पात भवन
5 कोडमबक्कम हाई रोड़
चेनई-600 034
फोन न. : +91-44-28285001-4
फैक्स न. : +91-44-28285008
ई-मेल आई डी: rmretailsr@sail-steel.com

Contad/Printed at HT Media Ltd.

www.facebook.com/SAILsteelofficial
http://www.twitter.com/SAILsteel
http://www.instagram.com/steelauthority